बहारे शरीअ़त

अ़क़ाइद
त़हारत
नमाज़
रोज़ा
ज़कात
ह़ज
निकाह़
त़लाक़
खुला
वक़्फ़

1 ता 10

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना
अमजद अ़ली आ़ज़मी
अलैहिर्रह़मा

अनुवादक
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी
बरेलवी

क़ादरी दारूल इशाअत

तमाम भाईयो को सलाम किताब
स्केन करके पीडिएफ में आप
तक पहुँचाने के लिए इस
फक़ीर को अपनी दुआओ में
खास तौर पर याद रखे।

दुआओ का तालिब

सग ए रज़ा लाला ख़ान

बहारे शरीअ़त

आठवाँ हिस़्सा

मुस़न्निफ़

सदरूश्शरीअ़ा मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारूल इशाअ़त

मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली—53

Mob:—9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (आठवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
ता़दाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिंपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअत उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ़रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अर्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअत मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअत उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अक़ाइद मुआ़मलात तहारत, नमाज़, रोज़ा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद ,फ़रोख़्त ,अख़लाक़,गरज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अर्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअत हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायदा हासिल कर सकें बहारे शरीअत की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि गलतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मशवरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आलिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तिलाअ़ करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ़ करने के दौरान उलमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारईन को भरपूर फ़ायदा अ़ता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ़ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उलमा
मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
30 सितम्बर सन.2010

بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم۝
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم۝

तलाक़ का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ

तर्जमा :–"तलाक़ (जिस के बाद रजअ़त हो सके)दो बार तक है फिर भलाई के साथ रोक लेना है या निकोई के साथ छोड़ देना"

और फ़रमाता है :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ۝

तर्जमा :– "फिर अगर तीसरी तलाक़ दी तो उस के बाद वह औरत उसे हलाल न होगी जब तक दूसरे शौहर से निकाह न करे फिर अगर दूसरे शौहर ने तलाक़ देदी तो उन दोनों पर गुनाह नहीं कि दोनों आपस में निकाह कर लें अगर यह गुमान हो कि अल्लाह के हुदूद को क़ाइम रखेंगे और यह अल्लाह की हदें हैं उन लोगों के लिए बयान करता है जो समझदार हैं।"

और फ़रमाता है :

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ؗ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ۝

तर्जमा :– और जब तुम औरतों को तलाक़ दो और उन की मीआ़द पूरी होने लगे तो उन्हें भलाई के साथ रोक लो या ख़ूबी के साथ छोड़दो और उन्हें ज़रर(नुक़सान)देने के लिए न रोको कि हद से गुज़र जाओ और जो ऐसा करेगा उस ने अपनी जान पर ज़ुल्म किया और अल्लाह की आयतों को ठट्टा न बनाओ और अल्लाह की नेअ़मत जो तुम पर है उसे याद करो और जो उस ने किताब व हिकमत तुम पर उतारी तुम्हें नसीहत देने को और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह हर शय को जानता है।

और फ़रमाता है :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۝

तर्जमा :– " और जब औरतों को तलाक़ दो और उन की मीआ़द पूरी हो जाये तो ऐ औरतों के वालियों उन्हें शौहरों से निकाह करने से न रोको जबकि आपस में मुवाफ़िक़े शरअ़ रज़ा मन्द होजायें। यह उस को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो। यह तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते"

हदीस न.1 :– दारे क़ुत्नी मआ़ज़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मआज़ कोई चीज़ अल्लाह ने गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसन्दीदा रूऐ ज़मीन पर पैदा नहीं की और कोई शै रूऐ ज़मीन पर तलाक़ से ज़्यादा ना पसन्दीदा पैदा न की।

हदीस न.2 :— अबू दाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया कि तमाम हलाल चीज़ों में खुदा के नज़्दीक ज़्यादा नापसन्दीदा तलाक़ है।

हदीस न.3 :— इमाम अहमद जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर ने फरमाया कि इब्लीस अपना तख़्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्कर को भेजता है और सब से ज़्यादा मरतबा वाला उस के नज़्दीक वह है जिस का फ़ितना बड़ा होता है उन में एक आकर कहता है मैंने यह किया इब्लीस कहता है तूने कुछ नहीं किया दूसरा आता है और कहता है मैं ने मर्द और औरत में जुदाई डालदी उसे अपने क़रीब कर लेता है और कहता है हाँ तू है।

हदीस न.4 :— तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया कि हर तलाक़ वाक़ेअ् है मगर मअतूह (यानी बोहरे)की और उसकी जिस की अक़्ल जाती रही यानी मजनून की।

हदीस न.5 :— इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी सोबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत बगैर किसी हर्ज के शौहर से तलाक़ का सवाल करे उस पर जन्नत की खुश्बू हराम है।

हदीस न.6 :— बुख़ारी व मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़ौजा को हैज़ की हालत में तलाक़ देदी थी हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस वाक़िआ को ज़िक किया हुजूर ने उस पर ग़ज़ब फरमाया और यह इरशाद फरमाया कि उस से रजअत कर ले और रोके रखे यहाँ तक कि पाक हो जाये फिर हैज़ आये और पाक हो जाये उसके बाद अगर तलाक़ देना चाहे तो तहारत की हालत में जिमाअ् से पहले तलाक़ दे।

हदीस न.7 :— निसाई ने महमूद इब्ने लुबैद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तअला अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुँची कि एक शख़्स ने अपनी ज़ौजा को तीन तलाक़ें एक साथ देदीं उस को सुन कर गुस्सा में खड़े हो गये और यह फरमाया कि किताबुल्लाह से खेल करता है हालाँकि मैं तुम्हारे अन्दर अभी मौजूद हूँ।

हदीस न. (8)इमाम मालिक मुअत्ता में रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से कहा मैंने अपनी औरत को सौ तलाक़ें देदीं आप क्या हुक्म देते हैं फरमाया तेरी औरत तीन तलाक़ों से बाइन हो गई और सतानवे तलाक़ के साथ तूने अल्लाह की आयतों से ठट्टा किया।

अहकामे फ़िक़्हिय्या

" निकाह से औरत शौहर की पाबन्द हो जाती है उस पाबन्दी के उठा देने को तलाक़ कहते हैं" और उस के लिए कुछ अल्फाज़ मुकर्रर हैं जिन का बयान आगे आयेगा। उस की दो सूरतें हैं एक यह कि उसी वक़्त निकाह से बाहर हो जाये उसे **बाइन** कहते हैं दोम यह कि इद्दत गुज़रने पर बाहर होगी उसे **रजई** कहते हैं।

मसअला :— तलाक़ देना जाइज़ है मगर बेवजहें शरई ममनूअ् (मना)है और वजहे शरई हो तो मुबाह (जाइज)बल्कि बाज़ सूरतों में मुस्तहब मसलन औरत उस को या औरों को ईज़ा देती या नमाज़ नहीं पढ़ती है अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बे नमाज़ी औरत को तलाक़ देदूँ और उस का महर मेरे ज़िम्मा बाक़ी हो उस हालत के साथ दरबारे खुदा में मेरी पेशी हो तो यह उस से बेहतर है कि उस के साथ ज़िन्दगी बसर करूँ और बाज़ सूरतों में तलाक़ देना वाजिब है मसलन शौहर नामर्द या हिजड़ा है या उस पर किसी ने जादू या अमल कर दिया है कि जिमाअ् करने पर क़ादिर नहीं और उस के इज़ाला (ठीक होने) की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि उन सूरतों में तलाक़ न देना सख़्त तकलीफ़ पहुँचाना है (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :— तलाक़ की तीन क़िस्में हैं न.1. **हसन** न. 2. **अहसन** न. 3. **बिदई** जिस तोहर (महीने के पाकी के दिन)में वती न की हो उस में एक तलाक़े रजई दे और छोड़े रहे यहाँ तक कि इद्दत गुज़र जाये यह अहसन है। और गैर मौतूह को तलाक़ दी अगर्चे हैज़ के दिनों में दी हो या मौतूह(जिस से वती यानी सम्भोग कर लिया हो) को तीन तोहर में तीन तलाक़ें दीं बशर्त कि न उन तोहरों में वती की हो न हैज़ में या तीन महीने में तीन तलाक़ें उस औरत को दीं जिसे हैज़ नहीं आता मसलन नाबालिग़ा या हमल वाली है या अयास(वह उम्र जब से हैज़ यानी माहवारी आना बन्द हो जाती है) की उम्र को पहुँचगई तो यह सब सूरतें तलाक़ **हसन** की हैं। हमल वाली या सिन्ने अयास वाली को वती के बाद तलाक़ देने में कराहत नहीं। यूँही अगर उस की उम्र नौ साल से कम की हो तो कराहत नहीं। और नौ बरस या ज़्यादा की उम्र है मगर अभी हैज़ नहीं आया है तो अफ़ज़ल यह है कि वती व तलाक़ में एक महीने का फ़ासला हो **बिदई** यह कि एक तोहर में दो या तीन तलाक़ देदे तीन दफ़अ् में या दो दफ़अ् या एक ही दफ़अ् ख़्वाह तीन बार लफ़्ज़ कहे या यूँ कह दिया कि तुझे तीन तलाक़ें या एक ही तलाक़ दी मगर उस तोहर में वती कर चुका है या मौतूह को हैज़ में तलाक़ दी या तोहर ही में तलाक़ दी मगर उस से पहले जो हैज़ आया था उस में वती की थी या उस हैज़ में तलाक़ दी थी या यह सब बातें नहीं मगर तोहर में तलाक़े बाइन दी (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :— हैज़ में तलाक़ दी तो रजअत वाजिब है कि उस हालत में तलाक़ देना गुनाह था अगर तलाक़ देना ही है तो हैज़ के बाद तोहर गुज़र जाये फिर हैज़ आकर पाक हो अब दे सकता है यह उस वक़्त है कि जिमाअ् से रजअत की हो और अगर क़ौल या बोसा लेने या छूने से रजअत की हो तो उस हैज़ के बाद जो तोहर है उस में भी तलाक़ दे सकता है उस के बाद दूसरे तोहर के इन्तिज़ार की हाजत नहीं (जौहरा वगैरहा)

मसअला :— मौतूह से कहा तुझे सुन्नत के मुवाफ़िक़ दो या तीन तलाक़ें अगर उसे हैज़ आता है तो हर तोहर में एक वाक़ेअ् होगी पहली उस तोहर में पड़ेगी जिस में वती न की हो। और अगर यह कलाम उस वक़्त कहा कि पाक थी और उस तोहर में वती भी नहीं की है तो एक फ़ौरन वाक़ेअ् होगी और अगर उस वक़्त हैज़ है या पाक है मगर उस तोहर में वती कर चुका है तो अब हैज़ के बाद पाक होने पर पहली तलाक़ वाक़ेअ् होगी। और गैर मौतूह है या उसे हैज़ नहीं आता तो एक फ़ौरन वाक़ेअ् होगी अगर्चे गैर मौतूह को उस वक़्त हैज़ हो फिर अगर गैर मौतूह है तो बाक़ी उस वक़्त वाक़ेअ् होंगी कि उस से निकाह करे क्योंकि पहली ही तलाक़ से बाइन होगई और निकाह से निकल गई दूसरी के लिए महल न रही और अगर मौतूह है मगर हैज़ नहीं आता तो दूसरे

महीने में दूसरी और तीसरे महीने में तीसरी वाक़ेअ़ होगी और अगर उस कलाम से यह नीयत की कि तीनों अभी पड़ जायें या हर महीने के शुरूअ़ में एक वाक़ेअ़ हो तो यह नीयत भी सहीह है (दुर्रे मुख़्तार)मगर ग़ैर मौतूह में यह नियत कि हर माह के शुरूअ़ में एक वाक़ेअ़ हो बेकार है कि वह पहली ही से बाइन हो जायेगी और महल न रहेगी।

मसअ्ला :– तलाक़ के लिए शर्त यह है कि शौहर आ़क़िल बालिग़ हो। नाबालिग़ या मजनून न खुद तलाक दे सकता है न उस की तरफ़ से उस का वली मगर नशा वाले ने तलाक़ दी तो वाक़ेअ़ हो जायेगी कि यह आ़क़िल के हुक्म में है। और नशा ख़्वाह शराब पीने से हो या बिंग वग़ैरा किसी और चीज़ से। अफ़यून की पैंक में तलाक़ दे दी जब भी वाक़ेअ़ हो जायेगी तलाक़ में औ़रत की जानिब से कोई शर्त नहीं नाबालिग़ा हो या मजनूना बहर हाल तलाक़ वाक़ेअ़ होगी। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने मजबूर कर के उसे नशा पिला दिया या हालते इज़्तिरार में पिया (मसलन प्यास से मर रहा था और पानी न था) और नशा में तलाक दे दी तो सहीह यह है कि वाक़ेअ़ न होगी। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– यह शर्त नहीं कि मर्द आज़ाद हो गुलाम भी अपनी ज़ौजा को तलाक़ दे सकता है और मौला उस की ज़ौजा को तलाक़ नहीं दे सकता और यह भी शर्त नहीं कि खुशी से तलाक दी जाये बल्कि इकराहे शरई की सूरत में भी तलाक वाक़ेअ़ हो जायेगी (जौहरा–ए–नय्यरा)

मसअ्ला :– अल्फ़ाज़े तलाक़ बतौरे हज़्ल कहे यानी उस से दूसरे मअ्ना का इरादा किया जो नही बन सकते जब भी तलाक़ हो गई यूँही ख़फ़ीफ़ुलअक़्ल की तलाक़ भी वाक़ेअ़ है और बोहरा मजनून के हुक्म में है (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– गूँगे ने इशारे से तलाक़ दी हो गई जबकि लिखना न जानता हो और लिखना जानता हो तो इशारे से न होगी बल्कि लिखने से होगी (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला :– कोई और लफ़्ज़ कहना चाहता है जुबान से लफ़्ज़ तलाक़ निकल गया या लफ़्ज़े तलाक बोला मगर उस के मअ्ना नहीं जानता या सहवन या ग़फ़लत में कहा इस सब सूरतों में तलाक़ वाक़ेअ़ हो गयी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मरीज़ जिस का मर्ज़ उस हद को न पहुँचा हो कि अक़्ल जाती रहे उस की तलाक़ वाक़ेअ़ है काफ़िर की तलाक़ वाक़ेअ़ है यानी जबकि मुसलमान के पास मुक़द्दमा पेश हो तो तलाक़ का हुक्म देगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मजनून ने होश के ज़माना में किसी शर्त पर तलाक़े मुअ़ल्लक़ की थी और वह शर्त ज़माना–ए–जुनून में पाई गई तो तलाक़ हो गई मसलन यह कहा था कि अगर मैं उस घर में जाऊँ तो तुझे तलाक़ है और अब जुनून की हालत में उस घर में गया तो तलाक़ होगई हाँ अगर होश के ज़माना में यह था कि मैं मजनून हो जाऊँ तो तुझे तलाक़ है तो मजनून होने से तलाक़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मजनून नामर्द है या उस का अ़ज़्वे तनासुल (लिंग)कटा हुआ है या औ़रत मुसलमान हो गई और मजनून के वालिदैन इस्लाम से मुन्किर हैं तो इन सब सूरतों में क़ाज़ी तफ़रीक़ (यानी मियाँ बीवी की जुदाई) कर देगा और यह तफ़रीक़ तलाक़ होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सरसाम व बरसाम या किसी और बीमारी में जिस में अ़क़्ल जाती रही या ग़शी की हालत में या सोते में तलाक़ देदी तो वाक़ेअ़ न होगी यूँही अगर गुस्सा उस हद का हो कि अ़क़्ल

जाती रहे तो वाक़ेअ़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह़तार) आजकल अकसर लोग तलाक़ दे बैठते हैं बाद को अफ़सोस करते और तरह तरह के हीले से यह फ़तवा लेना चाहते हैं कि तलाक़ वाक़ेअ़ न हो एक उज़्र अकसर यह भी है कि गुस्सा में तलाक़ दी थी मुफ़्ती को चाहिए यह अम्र मलहूज़ रखे कि मुतलक़न गुस्सा का एअ्तिबार नहीं मामूली गुस्सा में तलाक़ हो जाती है वह सूरत कि अ़क़्ल गुस्सा से जाती रहे बहुत नादिर है लिहाज़ा जब तक उसका सुबूत न हो महज़ साइल के कहदेने पर एअ्तिमाद न करे।

मसअ्ला :– अ़ददे तलाक़ में औ़रत का लिहाज़ किया जायेगा यानी औ़रत आज़ाद हो तो तीन तलाक़ें हो सकती हैं अगर्चे उस का शौहर गुलाम हो और बान्दी हो तो उसे दो ही तलाक़ें दी जा सकती हैं अगर्चे शौहर आज़ाद हो (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– नाबालिग़ की औ़रत मुसलमान हो गई और शौहर पर क़ाज़ी ने इस्लाम पेश किया अगर वह समझदार है और इस्लाम से इन्कार करे तो तलाक़ हो गई (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– ज़बान से अल्फ़ाज़े तलाक़ न कहे मगर किसी ऐसी चीज़ पर लिखे कि हुरूफ़ मुमताज़ न होते हों मसलन पानी या हवा पर तलाक़ न होगी और अगर ऐसी चीज़ पर लिखे कि मुमताज़ होते हों मसलन काग़ज़ या तख़्ता वग़ैरा पर और तलाक़ की नियत से लिखे तो हो जायेगी और अगर लिख कर भेजा यानी उस तरह लिखा जिस तरह ख़ुतूत लिखे जाते हैं कि मामूली अल्क़ाब व आदाब के बाद अपना मतलब लिखते हैं जब भी होगई बल्कि अगर न भी भेजे जब भी इस सूरत में होजायेगी और यह तलाक़ लिखते वक़्त पड़ेगी और उसी वक़्त से इद्दत शुमार होगी। और अगर यूँ लिखा कि मेरा यह ख़त जब तुझे पहुँचे तुझे तलाक़ है तो औ़रत को जब तहरीर पहुँचेगी उस वक़्त तलाक़ होगी औ़रत चाहे पढ़े या न पढ़े और फ़र्ज़ कीजिए कि औ़रत को तहरीर पहुँची ही नहीं मसलन उस ने न भेजी या रास्ता में गुम हो गई तो तलाक़ न होगी। और अगर यह तहरीर औ़रत के बाप को मिली उस ने चाक करदी लड़की को न दी तो अगर लड़की के तमाम कामों में यह तसर्रुफ़ करता है और वह तहरीर शहर में उस को मिली जहाँ लड़की रहती है तो तलाक़ होगई वरना नहीं मगर जबकि तहरीर आने की लड़की को ख़बरदी और वह फटी हुई तहरीर भी उसे दी और वह पढ़ने में आती है तो वाक़ेअ़ होजायेगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहा)

मसअ्ला :– किसी पर्चे पर तलाक़ लिखी और कहता है कि मैं ने मश्क़ के तौर पर लिखी है तो क़ज़ाअन उस का क़ौल मोअ्तबर नहीं (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– दो पर्चों पर यह लिखा कि जब मेरी यह तहरीर तुझे पहुँचे तुझे तलाक़ है और औ़रत को दोनों पर्चे पहुँचे तो क़ाज़ी दो तलाक़ों का हुक्म देगा (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– दूसरे से तलाक़ लिखवाकर भेजी तो तलाक़ हो जायेगी लिखने वाले से कहा कि मेरी औ़रत को तलाक़ लिख दे तो यह इकरारे तलाक़ है यानी तलाक़ हो जायेगी अगर्चे वह न लिखे

मसअ्ला :– औ़रत को बज़रीआ़ तहरीर तलाक़े सुन्नत देना चाहता है तो अगर तलाक़ देनी है यूँ लिखे कि जब मेरी यह तहरीर तुझे पहुँचे उस के बाद हैज़ से पाक होने पर तुझे तलाक़ है और तीन देनी हों तो यूँ लिखे मेरी तहरीर पहुँचने के बाद जब तू हैज़ से पाक हो तुझे तलाक़ फिर जब हैज़ से पाक हो तो तलाक़ फिर जब हैज़ से पाक हो तो तलाक़ या यूँ लिख दे मेरी तहरीर पहुँचने पर तुझे सुन्नत के मुवाफ़िक़ तीन तलाक़ें तो यह भी उसी तरतीब से वाक़ेअ़ होंगी यानी हर हैज़ से पाक होने पर एक एक तलाक़ पड़ेगी। अगर औ़रत को हैज़ न आता हो तो लिख दे जब चाँद हो

जाये तुझे तलाक़ फिर दूसरे महीने में तलाक़ फिर तीसरे महीने में तलाक़ या वही लफ़्ज़ लिख दे कि सुन्नत के मुवाफ़िक़ तीन तलाक़ें (आलमगीरी)

मसअला :– शौहर ने औरत को ख़त लिखा उस में ज़रूरत की जो बातें लिखनी थीं लिखीं आख़िर में यह लिख दिया कि जब मेरा यह ख़त तुझे पहुँचे तुझे तलाक़ फिर यह तलाक़ का जुमला मिटा कर ख़त भेजदिया तो औरत को ख़त पहुँचते ही तलाक़ होगई और अगर ख़त का तमाम मज़मून मिटा दिया और तलाक़ का जुमला बाक़ी रखा और भेजदिया तो तलाक़ न हुई और अगर पहले यह लिखा कि जब मेरा यह ख़त पहुँचे तुझे तलाक़ और उस के बाद और मतलब की बातें लिखीं तो हुक्म बिलअक्स है यानी अल्फ़ाज़े तलाक़ मिटा दे तो तलाक़ न हुई और बाक़ी रखे तो होगई(आलमगीरी)

मसअला :– ख़त में तलाक़ लिखी और उस के बाद मुत्तसलन(मिलाकर)इनशाअल्लाह तआला लिखा तो तलाक़ न हुई और अगर फ़स्ल (जुदा कर के) के साथ लिखा तो हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– तहरीर से तलाक़ के सुबूत में यह ज़रूर है कि शौहर इक़रार करे कि मैंने लिखवाई या औरत उस पर गवाह पेश करे महज़ उसके ख़त से मुशाबह होना या उस के दस्तख़त होना या उस की सी मुहर होना काफ़ी नहीं। हाँ अगर औरत को इत्मीनान और ग़ालिब गुमान है कि यह तहरीर उसी की है तो उस पर अमल करने की औरत को इजाज़त है मगर जब शौहर इन्कार करे तो बग़ैर शहादत चारा नहीं। (ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअला :– किसी ने शौहर को तलाक़ नामा लिखने पर मजबूर किया उस ने लिख दिया मगर न दिल में इरादा है न ज़बान से तलाक़ का लफ़्ज़ कहा तो तलाक़ न होगी मजबूरी से मुराद शरई मजबूरी है। महज़ किसी के इसरार करने पर लिखदेना या बड़ा है उस की बात कैसे टाली जाये यह मजबूरी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

सरीह का बयान

मसअला :– तलाक़ दो क़िस्म है सरीह व किनाया सरीह वह जिस से तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर हो अक्सर तलाक़ में उस का इस्तिअ़माल हो अगर्चे वह किसी ज़बान का लफ़्ज़ हो (जौहरा वग़ैरहा)

मसअला :– लफ़्ज़े सरीह (ऐसा लफ़्ज़ जिस का मतलब ज़ाहिर हो) मसलन 1.मैंने तुझे तलाक़ दी 2. तुझे तलाक़ है 3. तु मुतल्लक़ा है 4. तू तालिक़ है 5 मैं तुझे तलाक़ देता हूँ 6. ऐ मुतल्लक़ा इस सब अल्फ़ाज़ के हुक्म यह हैं कि एक तलाक़ रजई वाक़ेअ़ होगी अगर्चे कुछ नियत न की हो या बाइन की नियत की या एक से ज़्यादा की नियत हो या कहे मैं नहीं जानता था कि तलाक़ क्या चीज़ है मगर उस सूरत में कि वह तलाक़ को न जानता था दियानतन वाक़ेअ़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– 7.तलाग़ 8.तलाग़ 9.तलाक 10.तलाक 11.तलाख 12.तल्लाख 13.तलाख़ 14.तल्लाख़ 15.तलाक 16.तिलाक 17.बल्कि तोतले की ज़बान से तलात यह सब सरीह के अल्फ़ाज़ हैं उन सब से एक तलाक़ रजई होगी अगर्चे नियत न हो या नियत कुछ और हो 18.तलाक़ 19.ता लाम आलिफ़ काफ़ कहा और नियत तलाक़ हो तो एक रजई होगी(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– उर्दू में यह लफ़्ज़ कि मैंने तुझे छोड़ा सरीह है उस से एक रजई होगी कुछ नियत हो या न हो यूँही यह लफ़्ज़ कि 21.मैंने फ़ारिग़ ख़त्ती 22.या फ़ारे ख़त्ती 23.या फ़ा रखती दी सरीह है।

मसअला :– लफ़्ज़े तलाक़ ग़लत तौर पर अदा करने में आलिम व जाहिल बराबर हैं बहर हाल तलाक़ हो जायेगी अगर्चे वह कहे मैंने धमकाने के लिए ग़लत तौर पर अदा किया तलाक़ मक़सूद न

थी वरना सहीह तौर पर बोलता हाँ अगर लोगों से पहले कह दिया था कि मैं धमकाने के लिए ग़लत लफ़्ज़ बोलूँगा तलाक़ मक़सूद न होगी तो अब उस का कहा मान लिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी ने पूछा तूने अपनी औरत को तलाक़ देदी उस ने कहा हाँ या क्यों नहीं तो तलाक़ होगई अगर्चे तलाक़ देने की नियत से न कहा हो (दुर्रे मुख़्तार)मगर जबकि ऐसी सख़्त आवाज़ और ऐसे लहजा से कहा जिस से इन्कार समझा जाता हो तो नहीं (ख़ानिया)

मसअला :– किसी ने कहा तेरी औरत पर तलाक़ नहीं कहा क्यों नहीं या कहा क्यों तो तलाक़ हो गई और अगर कहा नहीं या हाँ तो नहीं (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– औरत को तलाक़ नहीं दी है मगर लोगों से कहता है मैं तलाक़ दे आया तो क़ज़ाअन हो जायेगी और दियानतन नहीं और अगर एक नहीं दी है मगर लोगों से कहता है तीन दी हैं तो दियानतन एक होगी क़ज़ाअन तीन अगर्चे कहे कि मैंने झूट कहा था (फ़तावा ख़ैरिया)

मसअला :– औरत से कहा 24.ऐ मुतल्लक़ा, ऐ तलाक़ दी गई, 25.ऐ तलाक़िन, 26.ऐ तलाक़ शुदा, 27.ऐ तलाक़ याफ़्ता, 28.ऐ तलाक़ करदा, तलाक़ होगई अगर्चे कहे मेरा मक़सूद गाली देना था तलाक़ देना न था और अगर यह कहे कि मेरा मक़सूद यह था कि वह पहले शौहर की मुतल्लक़ा है और हक़ीक़त में वह ऐसी ही है यानी शौहरे अव्वल की मुतल्लक़ा है तो दियानतन उस का क़ौल मान लिया जायेगा और अगर वह औरत पहले किसी की मन्कूहा थी ही नहीं या थी मगर उस ने तलाक़ न दी थी बल्कि मर गया हो तो यह तावील नहीं मानी जायेगी यूँही अगर कहा 29.तेरे शौहर ने तुझे तलाक़ दी तो भी वही हुक्म है (रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा तुझे तलाक़ देता हूँ, या कहा 30.तू मुतल्लक़ा हो जा, तो तलाक़ हो गई (रद्दुल मुहतार)मगर यह लफ़्ज़ कि तलाक़ देता हूँ या छोड़ता हूँ, उस के यह मअ़ना लिए कि तलाक़ देना चाहता हूँ या छोड़ना चाहता हूँ तो दियानतन न होगी क़ज़ाअन हो जायेगी और अगर यह लफ़्ज़ कहा कि छोड़े देता हूँ तो तलाक़ न हुई कि यह लफ़्ज़ क़स्द व इरादा के लिए है।

मसअला :– 31.तुझ पर तलाक़, 32.तुझे तलाक़, 33.तलाक़ हो जा, 34.तू तलाक़ है, 35.तलाक़ हो गई, 36. तलाक़ ले, बाहर जाती थी कहा 37.तलाक़ ले जा, 38.अपनी तलाक़ ओढ़ और रवाना हो, 39.मैंने तेरी तलाक़ तेरे आँचल में बाँध दी, 40.जा तुझ पर तलाक़, इन सब में एक तलाक़ रजई होगी और अगर फ़क़त 'जा' तलाक़ की नियत से कहता तो बाइन होती (ख़ानिया, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– 41.तुझे मुसलमानों के चारों मज़हब, या 42.मुसलमानों के तमाम मज़हब पर तलाक़, या 43.तुझे यहूद व नसारा के मज़हब पर तलाक़, उस से एक तलाक़े रजई होगी यूँही अगर कहा 44.जा तुझे तलाक़ है, सुअरों या यहूदियों को हलाल और मुझ पर हराम हो, तो रजई होगी यानी जबकि उस लफ़्ज़ से (कि मुझ पर हराम हो) तलाक़ की नियत न की हो वरना दो बाइन वाक़ेअ़ होंगी (ख़ैरिया)

मसअला :– 45.तू मुतल्लक़ा और बाइना, या 46.मुतल्लक़ा फ़िर बाइना, है, उस से एक रजई होगी और अगर बाइना से जुदा तलाक़ की नियत तो दो बाइन, और तीन की तो तीन(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत के बच्चा को देख कर कहा 47.ऐ मुतल्लक़ा के बच्चे या, 48.ऐ मुतल्लक़ा के जने, तो तलाक़े रजई हुई (आलमगीरी) हाँ अगर यह नियत हो कि वह पहले शौहर की मुतल्लक़ा है तो दियानतन मान लिया जायेगा जबकि पहले शौहर ने तलाक़ दी हो।

मसअ्ला :– औरत की निस्बत कहा 49.उसे उस की तलाक़ की ख़बर दे, या 50.तलाक़ की खुशख़बरी सुना दे, 51.या उस की तलाक़ की ख़बर उस के पास ले जा, या 52.उसे लिख भेज या 53.उस से कह कि वह मुतल्लका है, 54.या उस के लिए उस की तलाक़ की सनद, या याददाश्त लिख दे, तो तलाक़ अभी पड़ गई अगर्चे न उस ने उस से कहा न लिखा और अगर यूँ कहा कि 55.उस से कह कि तू मुतल्लका है या 56.उसे तलाक़ दे आ तो जब जाकर कहेगा तलाक़ होगी वरना नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– 57.तू फ़ुलानी से ज़्यादा मुतल्लका है तलाक़ पड़ गई अगर्चे वह फ़ुलानी मुतल्लका न भी हो (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– 58.ऐ मुतलका(बसुकून ता)59.मैंने तेरी तलाक़ छोड़दी, 60.मैंने तेरी तलाक़ रवाना कर दी, 61.मैंने तेरी तलाक़ का रास्ता छोड़ दिया, 62.मैंने तेरी तलाक़ तुझे हिबा कर दी, 63.क़र्ज़ दी, 64.तेरे पास गिरवी की, 65अमानत रखी, 66.मैंने तेरी तलाक़ चाही, 67.तेरे लिए तलाक़ है, 68.अल्लाह ने तेरी तलाक़ चाही, 69.अल्लाह ने तेरी तलाक़ मुक़द्दर कर दी, इन सब अल्फ़ाज़ से अगर नियत तलाक़ हो रजई वाक़ेअ् होगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार बहर)

मसअ्ला :– 70.मैंने तेरी तलाक़ तेरे हाथ बेची औरत ने कहा मैंने ख़रीदी और किसी माल के बदले में होना ज़िक्र न हुआ तो रजई होगी और माल के बदले में होना मज़कूर हो तो बाइन और अगर यूँ कहा 71.मैंने उस एवज़ पर तलाक़ दी कि तू अपना मुतालबा इतने दिनों के लिए हटा दे जब भी रजई होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत को कहा मैंने तुझे छोड़ा, और कहता है मेरा मक़सूद यह था कि बँधी हुई थी उस की बन्दिश खोलदी या क़ैद थी अब छोड़ दी तो यह तावील सुनी न जायेगी हाँ अगर तसरीह कर दी कि तुझे क़ैद या बन्दिश से छोड़ा तो क़ौल मान लिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– 72.अपनी औरत से कहा तू मुझ पर हराम है, तो एक बाइन तलाक़ होगी अगर्चे नियत न की हो अगर वह उस की औरत न हो तो (क़सम)यमीन है हानिस(क़सम तोड़ने)होने पर कफ़्फ़ारा वाजिब यूँही अगर यह कहा 73.मैं तुझ पर हराम हूँ और तलाक़ की नियत की तो वाक़ेअ् होगी और अगर सिर्फ़ यह कहा कि मैं हराम हूँ तो वाक़ेअ् न होगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– 74.औरत से कहा तेरी तलाक़ मुझपर वाजिब है तो बाज़ के नज़्दीक तलाक़ हो जायेगी और इसी पर फ़तवा है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझे ख़ुदा तलाक़ दे तो वाक़ेअ् न होगी और यूँ कहा कि तुझे 75.ख़ुदा ने तलाक़ दी तो होगई (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझे ताक़ तो वाक़ेअ् न होगी अगर्चे तलाक़ की नियत हो (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तलाक़ में इज़ाफ़त ज़रूर होनी चाहिए बग़ैर इज़ाफ़त तलाक़ वाक़ेअ् न होगी ख़्वाह हाज़िर के सेग़ा से बयान करे मसलन तुझे तलाक़ है या इशारा के साथ मसलन इसे या उसे या नाम ले कर कहे कि फ़ुलानी को तलाक़ है या उस के जिस्म व बदन या रूह की तरफ़ निस्बत करे या उस के किसी ऐसे अ़ज़ू(जिस्म का हिस्सा) की तरफ़ निस्बत करे जो कुल के क़ाइम मक़ाम तसव्वुर किया जाता हो मसलन गर्दन या सर या शर्मगाह या ज़ुज़ व शाइअ् की तरफ़ निस्बत करे मसलन निस्फ़, तिहाई, चोथाई वग़ैरा यहाँ तक कि अगर कहा तेरे हज़ार हिस्सों में से एक हिस्सा को तलाक़ है तो तलाक़ हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर सर या गर्दन पर हाथ रख कर कहा तेरे इस सर या इस गर्दन को तलाक़ तो वाक़ेअ् न होगी और अगर हाथ न रखा और यूँ कहा इस सर को तलाक़ और औरत के सर की तरफ़ इशारा किया तो वाक़ेअ् हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– हाथ या उंगली या नाख़ुन या पाँवों या बाल या नाक या पिन्डली या रान या पीठ या पेट या ज़बान या कान या मुँह या ठोड़ी या दाँत या सीना या पिस्तान को कहा कि उसे तलाक़ तो वाक़ेअ् न होगी (जौहरा दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जुज़्वे तलाक़ भी पूरी तलाक़ है अगर्चे एक तलाक़ का हज़ारवाँ हिस्सा हो मसलन कहा तुझे आधी या चौथाई तलाक़ है तो पूरी एक तलाक़ पड़ेगी कि तलाक़ के हिस्से नहीं हो सकते अगर चन्द अजज़ा ज़िक किए जिन का मजमुआ एक से ज़्यादा न हो तो एक होगी और एक से ज़्यादा हो तो दूसरी भी पड़जायेगी मसलन कहा एक तलाक़ का निस्फ़ और उस की तिहाई और चौथाई कि निस्फ़ और तिहाई और चौथाई का मजमुआ एक से ज़्यादा है लिहाज़ा दो वाक़ेअ् हुई और अगर अजज़ा का मजमुआ दो से ज़्यादा है तो तीन होंगी यूँहीं डेढ़ में दो और ढाई में तीन और अगर दो तलाक़ के तीन निस्फ़(आधे) कहे तो तीन होंगी। और एक तलाक़ के तीन निस्फ़ में दो और अगर कहा एक से दो तक तो एक और एक से तीन तक तो दो (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कहा 76.तुझे तलाक़ है, यहाँ से मुल्के शाम तक, तो एक रजई होगी हाँ अगर 77.यूँ कहा कि इतनी बड़ी या इतनी लम्बी कि यहाँ से मुल्क शाम तक तो बाइन होगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर 78.कहा तुझे मक्का में तलाक़ है, या 79.घर में, या 80.साया में, या 81.धूप में, तो फ़ौरन पड़जायेगी यह नहीं कि मक्का को जाये जब पड़े हाँ अगर यह कहे मेरा मतलब यह था कि जब मक्का को जाये तलाक़ है तो दियानतन यह क़ौल मोअ्तबर है क़ज़ाअ्न नहीं अगर कहा तुझे क़ियामत के दिन तलाक़ है तो कुछ नहीं बल्कि यह कलाम लग्व (बेकार)है और अगर कहा क़ियामत से पहले तो अभी पड़ जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कहा 83.तुझे कल तलाक़ है तो दूसरे दिन सुबह चमते ही तलाक़ हो जायेगी यूँही अगर कहा 84.शअ्बान में तलाक़ है तो जिस दिन रजब का महीना ख़त्म होगा उस दिन आफ़ताब डूबते ही तलाक़ होगी।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझे मेरी पैदाइश से या तेरी पैदाइश से पहले तलाक़ या कहा मैं ने अपने बचपन में या जब सोता था या जब मजनून था तुझे तलाक़ देदी थी और उस का मजनून होना मालूम हो तो तलाक़ न होगी बल्कि यह कलाम (लग्व) है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– 85.कहा कि तुझे मेरे मरने से दो महीने पहले तलाक़ है और दो महीने गुज़रने न पाये कि मरगया तो तलाक़ वाक़ेअ् न हुई और उस के बाद मरा तो हो गई और उसी वक़्त से मुतल्लका क़रार पायेगी जब उस ने कहा था (तनवीरुलअबसार)

मसअ्ला :– अगर कहा मेरे निकाह से पहले तुझे तलाक़ या कहा कल गुज़िश्ता में हालाँकि उस से निकाह आज किया है तो दोनों सूरतों में कलाम लग्व है और अगर दूसरी सूरतों में कल या कल से पहले निकाह कर चुका है तो उस वक़्त तलाक़ होगई (फ़त्ह वग़ैरा)यूँही अगर कहा 86.तुझे दो महीने से तलाक़ है और वाक़ेअ् में नहीं दी थी तो उस वक़्त पड़ेगी बशर्ते कि निकाह को दो महीने से कम न हुए हों वरना कुछ नहीं और अगर झूटी ख़बर की नियत से कहा तो इन्दल्लाह न होगी मगर क़ज़ाअ्न होगी।

मसअ्ला :– अगर कहा 87.ज़ैद के आने से एक माह पहले तुझे तलाक़ है और ज़ैद एक महीने के बाद आया तो उस वक़्त तलाक़ होगी उस से पहले नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह कहा कि 88.जब कभी तुझे तलाक़ न दूँ तो तलाक़ है, या 89.जब तुझे तलाक़ न दूँ तो तलाक़ है, तो चुप होते ही तलाक़ पड़ जायेगी और यह कहा कि अगर 90.तुझे तलाक़ न दूँ तो तलाक़ है तो मरने से कुछ पहले तलाक़ होगी। (अम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– यह कहा कि 91.अगर आज तुझे तीन तलाक़ें न दूँ तो तुझे तीन तलाक़ें तो देगा जब भी होंगी और न देगा जब भी और बचने की यह सूरत है कि औरत को हज़ार रुपये के बदले में तलाक़ दे दे और औरत को चाहिए कि क़बूल न करे अब अगर दिन गुज़र गया तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी(खानिया)

मसअ्ला :– 92.किसी औरत से कहा तुझे तलाक़ है जिस दिन तुझ से निकाह करूँ और रात में निकाह किया तो तलाक़ होगई (तन्वीर)

मसअ्ला :– 93.किसी औरत से कहा अगर तुझ से निकाह करूँ या 94.जब या 95.जिस वक़्त तुझ से निकाह करूँ तो तुझे तलाक़ है तो निकाह होते ही तलाक़ हो जायेगी यूँही अगर ख़ास औरत को मुअय्यन न किया बल्कि कहा अगर या जब या जिस वक़्त मैं निकाह करूँ तो उसे तलाक़ है तो निकाह करते ही तलाक़ हो जायेगी मगर उसके बाद दूसरी औरत से निकाह करेगा तो उसे तलाक़ न होगी। हाँ अगर 96.कहा जब कभी मैं किसी औरत से निकाह करूँ उसे तलाक़ है तो जब कभी निकाह करेगा तलाक़ हो जायेगी इन सूरतों में अगर चाहे कि निकाह हो जाये और तलाक़ न पड़े तो उसकी सूरत यह है कि फ़ुज़ूली(यानी जिसे उस ने निकाह का वकील न किया हो)बग़ैर उस के हुक्म के उस औरत या किसी औरत से निकाह कर दे और जब उसे ख़बर पहुँचे तो ज़बान से निकाह को नाफ़िज़ न करे बल्कि कोई ऐसा फ़ेअ्ल करे जिस से इजाज़त हो जाये मसलन महर का कुछ हिस्सा या कुल उस के पास भेजदे या उस के साथ जिमाअ् करे या शहवत के साथ हाथ लगाये या बोसा ले या लोग मुबारकबाद दें तो ख़ामोश रहे इन्कार न करे तो इस सूरत में निकाह हो जायेगा और तलाक़ न पड़ेगी और अगर कोई ख़ुद नहीं कर देता उसे कहने की ज़रूरत पड़े तो किसी को हुक्म न दे बल्कि तज़किरा करे कि काश कोई मेरा निकाह कर दे या काश तू मेरा निकाह कर दे या क्या अच्छा होता कि मेरा निकाह हो जाता अब अगर कोई करदेगा तो निकाह फ़ुज़ूली होगा और उस के बाद वही तरीक़ा बरते जो ऊपर मज़कूर हुआ (बहर, रद्दुल मुहतार ख़ैरिया)

मसअ्ला :– उस की औरत किसी की बाँदी है उस ने उस से कहा 97.कल का दिन आये तो तुझ को दो तलाक़ें और मौला ने कहा कल का दिन आये तो तू आज़ाद है तो दो तलाक़ें हो जायेंगी और शौहर रजअ्त नहीं कर सकता मगर उस की इद्दत तीन हैज़ है और शौहर मरीज़ था तो यह वारिस न होगी (तनवीर)

मसअ्ला :– 98.उंगलियों से इशारा कर के कहा तुझे इतनी तलाक़ें तो एक दो तीन जितनी उंगलियों से इशारा किया उतनी तलाक़ें हुईं यानी जितनी उंगलियाँ इशारा के वक़्त खुली हों उनका एअ्तिबार है बन्द का एअ्तिबार नहीं और अगर वह कहता है मेरी मुराद बन्द उंगलियाँ या हथेली थीं तो यह क़ौल दियानतन मोअ्तबर नहीं 99.और अगर तीन उंगलियों से इशारा कर के कहा तुझे उसकी मिस्ल तलाक़ और नियत तीन की हो तो तीन वरना एक बाइन 100.और अगर इशारा कर के कहा तुझे इतनी और नियत तलाक़ की है और लफ़्ज़ तलाक़ न बोला जब भी तलाक़ हो जायेगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तलाक़ के साथ कोई सिफ़त ज़िक्र की जिस से शिद्दत समझी जाये तो बाइन होगी मसलन 101बाइन या 102.अलबत्ता, 103फ़ुहश तलाक़, 104.तलाक़े शैतान, 105.तलाक़ बिदअ्त, 106.बदतर तलाक़, 107.पहाड़ बराबर, 108.हज़ार की मिस्ल, 109.ऐसी कि घर भर जाये, 110.सख़्त 111.लम्बी 112.चौड़ी, 113.खुर खुरी, 114.सब से बुरी, 115.सब से कर्री, 116.सब से गन्दी, 117.सब से नापाक, 118.सब से कड़वी, 119.सब से बड़ी, 120.सब से चौड़ी, 121.सब से लम्बी 122.सब से मोटी, फिर अगर तीन की नियत की तो तीन होंगी वरना एक और अगर बाँदी है तो दो की नियत सहीह है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– 123.अगर कहा तुझे ऐसी तलाक़ जिस से तू अपने नफ़्स की मालिक हो जाये, या 124.कहा तुझे ऐसी तलाक़ जिस में मेरे लिए रजअ्त नहीं तो बाइन होगी और अगर 125.कहा तुझे तलाक़ है, और मेरे लिए रजअ्त नहीं तो रजई होगी, 126.यूँही अगर कहा तुझे तलाक़ है कोई क़ाज़ी या हाकिम या आलिम तुझे वापस न करे, जब भी रजई होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)और 127.अगर कहा तुझे तलाक़ है इस शर्त पर कि उस के बाद रजअ्त नहीं या 128.यूँ कहा तुझ पर वह तलाक़ है जिस के बाद रजअ्त नहीं या 129.कहा तुझ पर वह तलाक़ है जिस के बाद रजअ्त न होगी तो इन सब सूरतों में रजई हो जाना चाहिए (फ़तावा रज़विया)अगर 130.कहा तुझ पर वह तलाक़ है जिस के बाद रजअ्त नहीं होती तो बाइन होना चाहिए।

मसअ्ला :– 131.औरत से कहा अगर मैं तुझे एक तलाक़ दूँ तो वह बाइन होगी या कहा वह तीन होगी फिर उसे तलाक़ दी तो न बाइन होगी न तीन बल्कि एक रजई होगी या 132.कहा था कि अगर तू घर में जायेगी तो तुझे तलाक़ है फिर मकान में जाने से पहले कहा कि उसे मैंने बाइन या तीन कर दिया जब भी एक रजई होगी और यह कहना बेकार है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– 133.कहा तुझे हज़ारों तलाक़ या 134.चन्द बार तलाक़ तो तीन वाक़ेअ् होंगी 135.और अगर कहा तुझे तलाक़ न कम न ज़्यादा तो ज़ाहिरुर्रिवाया में तीन होंगी और इमाम अबू जअ्फ़र हिन्दवानी व इमाम क़ाज़ी ख़ाँ उस को तरजीह देते हैं कि दो वाक़ेअ् हों और अगर 136.कहा कमतर तलाक़ तो एक रजई होगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर कहा 137.तुझे तलाक़ है पूरी तलाक़ तो एक होगी और कहा कि 138.कुल तलाक़ें तो तीन (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर तलाक़ के अदद में वह चीज़ ज़िक्र की 139.जिस में तअ्दुद न हो जैसे कहा ख़ाक के अदद के बराबर या 140.मालूम न हो कि उस में तअ्दुद है या नहीं मसलन कहा इबलीस के बाल की गिनती बराबर तो दोनों सूरतों में एक वाक़ेअ् होगी और इन दोनों मिसालों में वह बाइन होगी 141.और अगर मालूम है कि उस में तअ्दुद है तो उस की तअ्दाद के मुवाफ़िक़ होगी मगर तअ्दाद तीन से ज़्यादा हो तो तीन ही होंगी बाक़ी बेकार मसलन कहा इतनी जितने मेरी पिन्डली या कलाई में बाल, हैं या उतनी जितनी इस तालाब में मछलियाँ हैं और अगर तालाब में कोई मछली न हो जब भी एक वाक़ेअ् होगी और पिन्डली या कलाई के बाल उड़ा दिये हों उस वक़्त कोई बाल न हो तो तलाक़ न होगी और अगर यह कहा कि जितने मेरी हथेली में बाल हैं और बाल न हों तो एक होगी। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इस में शक है कि तलाक़ दी है या नहीं तो कुछ नहीं और अगर उस में शक है कि एक दी है या ज़्यादा तो क़ज़ाअन एक है दियानतन ज़्यादा और अगर किसी तरफ़ ग़ालिब गुमान है

तो उसी का एअ्तिबार है और अगर उस के ख़याल में ज़्यादा है मगर उस मजलिस में जो लोग थे वह कहते हैं कि एक दी थी अगर यह लोग आदिल हों और इस बात में उन्हें सच्चा जानता हो तो एअ्तिबार कर ले (रद्दुल मुहतार)जिस औरत से निकाहे फ़ासिद किया फ़िर उस को तीन तलाक़ें दीं तो बग़ैर हलाला निकाह कर सकता है कि यह हक़ीक़तन तलाक़ नहीं बल्कि मुतारका है(दुर्रे मुख़्तार)

ग़ैर मदख़ूला की तलाक़ का बयान

मसअला :– ग़ैर मदख़ूला(जिस औरत से उस ने सम्भोग न किया हो)को कहा तुझे तीन तलाक़ें तो तीन होंगी और अगर कहा तुझे तलाक़, तुझे तलाक़, तुझे तलाक़, या कहा तुझे तलाक़ तलाक़ तलाक़ या कहा तुझे तलाक़ है एक और, एक और, एक और, तो इन सब सूरतों में एक बाइन वाक़ेअ् होगी बाक़ी लग्व व बेकार हैं यानी चन्द लफ़्ज़ों से वाक़ेअ् करने में सिर्फ़ पहले लफ़्ज़ से वाक़ेअ् होगी और बाक़ी के लिए महल न रहेगी और मोतूह में बहर हाल तीन वाक़ेअ् होंगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कहा तुझे तीन तलाक़ें अलग–अलग तो एक होगी यूँहीं अगर कहा तुझे दो तलाक़ें उस तलाक़ के साथ जो मैं तुझे दूँ फ़िर एक तलाक़ दी तो एक ही होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कहा डेढ़ तलाक़ तो दो होंगी और अगर कहा आधी और एक तो एक, यूँहीं ढाई कहा तो तीन और दो और आधी कहा तो दो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जब तलाक़ के साथ कोई अदद या वस्फ़ मज़कूर (ज़िक्र) हो तो उस अदद या वस्फ़ के ज़िक्र करने के बाद वाक़ेअ् होगी सिर्फ़ तलाक़ से वाक़ेअ् न होगी मसलन लफ़्ज़ तलाक़ कहा और अदद या वस्फ़ के बोलने से पहले औरत मरगई तो तलाक़ न हुई और अगर अदद या वस्फ़ बोलने से पहले शौहर मर गया या किसी ने उस का मुँह बन्द कर दिया तो एक वाक़ेअ् होगी कि जब शौहर मर गया तो ज़िक्र न पाया गया सिर्फ़ इरादा पाया गया और सिर्फ़ इरादा नाकाफ़ी है और मुँह बन्द कर देने की सूरत में अगर हाथ हटाते ही उस ने फ़ौरन अदद या वस्फ़ को ज़िक्र कर दिया तो उसके मुवाफ़िक़ होगी वरना वही एक(आम्मए कुतुब)

मसअला :– ग़ैर मदख़ूला से कहा तुझे एक तलाक़ है एक के बाद या, उसके पहले एक, या उस के साथ एक, तो दो होंगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– तुझे एक तलाक़ है, और एक अगर घर में गई तो, घर में जाने पर दो होंगी और अगर यूँ कहा कि अगर तू घर में गई तो तुझे एक तलाक़ है और एक, तो एक होगी और मोतूह में बहर हाल दो होंगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी की दो या तीन औरतें हैं उस ने कहा मेरी औरत को तलाक़, तो उन में से एक पर पड़ेगी और यह उसे इख़्तियार है कि उन में से जिसे चाहे तलाक़ के लिए मुअय्यन कर ले और एक को मुख़ातब कर के कहा तुझ को तलाक़ है या तू मुझपर हराम है तो सिर्फ़ उसी को होगी जिस से कहा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– चार औरतें हैं और यह कहा कि तुम सब के दरमियान एक तलाक़ तो चारों पर एक एक होगी यूँहीं दो या तीन या चार तलाक़ें कहीं जब भी एक एक होगी मगर इन सूरतों में अगर यह नियत है कि हर एक तलाक़ चारों पर तक़सीम हो तो दो में हर एक पर दो होंगी और तीन या चार में हर एक पर तीन और पाँच छः सात आठ में हर एक पर दो और तक़सीम की नियत है तो हर एक पर तीन, नौ, दस वग़ैरा में बहर हाल हर एक पर तीन वाक़ेअ् होंगी यूँहीं अगर कहा मैंने तुम

सब को एक तलाक़ में शरीक कर दिया तो हर एक पर एक व अला हाज़ल क़ियास(ख़ानिया फ़त्ह बहर वग़ैरहा)

मसअला :– दो औरतें हैं और दोनों ग़ैर मौतूह (जिस से वती न की हो) उस ने कहा मेरी औरत को तलाक़ मेरी औरत को तलाक़ तो दोनों मुतल्लका होगईं अगर्चे वह कहे कि एक ही औरत को मैंने दोनों बार कहा था और अगर दोनों मदख़ूला हों और कहता है कि दोनों बार एक ही की निस्बत कहा था तो उसका क़ौल मान लिया जायेगा यूँही अगर एक मदख़ूला हो दूसरी ग़ैर मदख़ूला और मदख़ूला की निस्बत दोनों मरतबा कहा तो उसी को दो तलाक़ें होंगी और ग़ैर मदख़ूला की निस्बत बयान करे तो हर एक को एक एक (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कहा मेरी औरत को तलाक़ है और उस का नाम न लिया और उस की एक ही औरत है जिस को लोग जानते हैं तो उसी पर तलाक़ पड़ेगी अगर्चे कहता हो कि मेरी एक औरत दूसरी भी है मैंने उसे मुराद लिया हाँ अगर गवाहों से दूसरी औरत होना साबित कर दे तो उसका क़ौल मान लें कि और दो औरतें हों और दोनों को लोग जानते हों तो उसे इख़्तियार है जिसे चाहे मुराद ले या मुअय्यन करे यूहीं अगर दोनों ग़ैर मअ्रूफ़ हों तो इख़्तियार है (ख़ानिया, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मदख़ूला(जिस से हम बिस्तरी की गई हो) को कहा तुझे तलाक़ है तुझे तलाक़ है या मैंने तुझे तलाक़ दी, मैंने तुझे तलाक़ दी तो दो तलाक़ का हुक्म दिया जायेगा अगर्चे कहता हो कि दूसरे लफ़्ज़ से ताकीद की नियत थी तलाक़ देना मक़सूद न था हाँ दियानतन उस का क़ौल मान लिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अपनी औरत को कहा उस कुतिया को तलाक़ या अँख़ियारी है उस को कहा उस अन्धी को तलाक़ तो तलाक़ वाक़ेअ् हो जायेगी और अगर किसी दूसरी औरत को देखा कि मेरी औरत है और अपनी का नाम लेकर कहा ऐ फ़ुलानी तुझे तलाक़ है, बाद को मालूम हुआ कि यह उस की औरत न थी तो तलाक़ हो गई मगर जबकि उसकी तरफ़ इशारा कर के कहा तो न होगी(ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअला :– अगर कहा दुनिया की तमाम औरतों को तलाक़ तो उस की औरत को तलाक़ न हुई और अगर कहा कि इस महल्ला या इस घर की औरतों को तो होगई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने ख़ाविन्द से कहा मुझे तीन तलाक़ें दे दे उस ने कहा दीं तो तीन वाक़ेअ् हुईं और अगर जवाब में कहा तुझे तलाक़ है तो एक वाक़ेअ् होगी अगर्चे तीन की नियत करे (ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअला :– औरत ने कहा मुझे तलाक़ देदे मुझे तलाक़ देदे मुझे तलाक़ देदे उस ने कहा देदी तो एक हुई और तीन की नियत की तो तीन (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने कहा मैंने अपने को तलाक़ देदी शौहर ने जाइज़ कर दी तो होगई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी ने कहा तू अपनी औरत को तलाक़ देदे उस ने कहा हाँ हाँ तलाक़ वाक़ेअ् न हुई अगर्चे तलाक़ की नियत से कहा कि यह एक वअ्दा है (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– किसी ने कहा जिस की औरत उस पर हराम है वह यह काम करे उन में से एक ने वह काम किया तो औरत हराम होने का इक़रार है यूँही अगर कहा जिस की औरत मुतल्लका हो वह ताली बजाये और सब ने बजाई तो सब की औरतें मुतल्लका हो जायेंगी किसी ने कहा अब जो बात करे उस की औरत को तलाक़ है फ़िर खुद उसी ने कोई बात कही तो उस की औरत तलाक़ होगई और औरों ने बात की तो कुछ नहीं यूँही अगर आपस में एक दूसरे को चपत मारता था और किसी ने कहा जो अब चपत मारे उस की औरत को तलाक़ है और ख़ुद उसी ने चपत मारी तो उस की औरत को तलाक़ होगई (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

किनाया का बयान

किनायाए तलाक़ वह अल्फ़ाज़ हैं जिन से तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर न हो तलाक़ के अलावा और मअ़नो में भी उन का इस्तिअ़माल होता हो।

मसअ्ला :– किनाया से तलाक़ वाक़ेअ़ होने में यह शर्त है कि नियत तलाक़ हो या हालत बताती हो कि तलाक़ मुराद है यानी पेश्तर तलाक़ का ज़िक्र था या गुस्सा में कहा। **किनाया के अल्फ़ाज़ तीन तरह के हैं** बाज़ में सवाल रद करने का एहतिमाल है बाज़ में गाली का एहतिमाल है और बाज़ में न यह है न वह बल्कि जवाब के लिए मुतअ़य्यन हैं अगर रद का एहतिमाल है तो मुतलक़न हर हाल में नियत की हाजत है बग़ैर नियत तलाक़ नहीं और जिन में गाली का एहतिमाल है उन से तलाक़ होना खुशी और ग़ज़ब में नियत पर मौक़ूफ़ है और तलाक़ का ज़िक्र था तो नियत की ज़रूरत नहीं और तीसरी सूरत यानी जो फ़क़त जवाब हो तो खुशी में नियत ज़रूरी है और ग़ज़ब व मुज़ाकरा के वक़्त बग़ैर नियत भी तलाक़ वाक़ेअ़ है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं

1.जा, 2.निकल, 3.चल, 4.रवाना हो, 5.उठ, 6.खड़ी हो, 7.पर्दा कर, 8.दोपट्टा ओढ़, 9.निक़ाब डाल, 10.हट सरक, 11.जगह छोड़, 12.घर ख़ाली कर, 13.दूर हो, 14.चल दूर, 15.ऐ ख़ाली, 16.ऐ बरी, 17.ए जुदा 18.तू जुदा है, 19.तू मुझ से जुदा है, 20.मैंने तुझे बे क़ैद किया, 21.मैंने तुझ से मफ़ारिक़त की, 22.रस्ता नाप, 23.अपनी राह ले, 24.काला मुँह कर, 25.चाल दिखा, 26.चलती बन, 27.चलती नज़र आ, 28.दफ़अ़ हो 29.दाल, फे, अैन, हो, 30.रफ़ू चक्कर हो, 31.पिन्जरा ख़ाली कर, 32.हट के सड़, 33.अपनी सूरत गुमा, 34.बिस्तर उठा, 35.अपना सूझता देख, 36.अपनी गठरी बाँध, 37.अपनी नजासत अलग फैला, 38.तशरीफ़ ले जाईये, 39.तशरीफ़ का टोकरा ले जाईये, 40.जहाँ सींग समाए जा, 41.अपना माँग खा, 42.बहुत होचुकी अब मेहरबानी फ़रमाईये, 43.ऐ बे अ़लाक़ा, 44.मुँह छुपा, 45.जहन्नम में जा, 46.चुल्हे में जा, 47.भाड़ में पड़, 48.मेरे पास से चल, 49.अपनी मुराद पर फ़त्ह मन्द हो, 50.मैंने निकाह फ़स्ख़ किया, तू मुझ पर मिस्ले मुरदार, या 52.सुअर या 53.शराब के है, (न मिस्ल बंग या अफ़यून या माले फ़ुलाँ या ज़ौजा–ए–फ़ुलाँ के)54.तू मिस्ल मेरी माँ या बहन या बेटी के है, 55.(और यूँ कहा कि तू माँ बहन बेटी है तो गुनाह के सिवा कुछ नहीं)56.तू ख़ल्लास है, 57.तेरी गुलू ख़लासी हुई, 58.तू ख़ालिस हुई, 59.हलाल खुदा या 60.हलाल मुसलमानान या 61हर हाल मुझ पर हराम, 62.तू मेरे साथ हराम में है, 62.मैंने तुझे तेरे हाथ बेचा अगर्चे किसी एवज़ का ज़िक्र न आये, अगर्चे औरत ने यह न कहा कि मैंने ख़रीदा, 63.मैं तुझ से बाज़आया, 64.मैं तुझ से दर गुज़रा, 65.तू मेरे काम की नहीं 66मेरे मतलब की नहीं, 67.मेरे मसरफ़ की नहीं, 68.मुझे तुझ पर कोई राह नहीं, 69.कुछ क़ाबू नहीं, 70.मिल्क नहीं 71.मैंने तेरी राह ख़ाली कर दी, 72.तू मेरी मिल्क से निकल गई, 73.मैंने तुझ से खुलअ़ किया, 74.अपने मैके बैठ, 75.तेरी बाग ढीली की, 76.तेरी रस्सी छोड़ दी, 77.तेरी लगाम उतारली, 78.अपने रफ़ीक़ों से जा मिल, 79.मुझे तुझ पर कुछ इख़्तियार नहीं, 80.मैं तुझ से ला दअ़वा होता हूँ, 81.मेरा तुझ पर कुछ दअ़वा नहीं। 82.ख़ाविन्द तलाश कर, 83.मैं तुझ से जुदा हूँ या हुआ (फ़क़त मैं जुदा हूँ या हुआ काफ़ी नहीं अगर्चे ब नियते तलाक़ कहा)84.मैंने तुझे जुदा कर दिया, 85.मैंने तुझ से जुदाई की, 86.तू खूद मुख़्तार है 87.तू आज़ाद है, 88.मुझ में तुझ में निकाह नहीं, 89.मुझ में तुझ में निकाह बाक़ी न रहा, 90.मैंने तुझे तेरे

घर वालों या 91.बाप या 92.माँ या 93.ख़ाविन्दों को दिया या 94.खुद तुझ को दिया, (और तेरे भाई या मामूँ या चचा किसी अजनबी को देना कहा तो कुछ नहीं) 95.मुझ में तुझ में कुछ मुआमला न रहा या नहीं,96.मैं तेरे निकाह से बेज़ार हूँ, 97.बरी हूँ, 98.मुझ से दूर हो, 99.मुझे सूरत न दिखा, 100.किनारे हो, 101.तूने मुझ से नजात पाई, 102.अलग हो, 103.मैंने तेरा पाँव खोलदिया, 104.मैंने तुझे आज़ाद किया, 105.आज़ाद हो जा, 106 तेरी बन्द कटी 107.तू बे क़ैद है, 108.मैं तुझ से बरी हूँ, 109.अपना निकाह कर, 110.जिस से चाहे निकाह कर ले, 111.मैं तुझ से बेज़ार हुआ, 112.मेरे लिए तुझ पर निकाह नहीं, 113.मैंने तेरा निकाह फ़स्ख़ किया, 114.चारों राहें तुझ पर खोल दीं, (और अगर यूँ कहा कि चारों राहें तुझ पर खुली हैं तो कुछ नहीं जब तक यह न कहे कि 115.जो रास्ता चाहे इख़्तियार कर)116.मैं तुझ से दस्त बरदार हुआ, 117.मैंने तुझे तेरे घरवालों या बाप या माँ को वापस दिया, 118.तू मेरी इस्मत से निकल गई, 119.मैंने तेरी मिल्क से शरई तौर पर अपना नाम उतार दिया, 120.तू क़यामत तक या उम्र भर मेरे लाइक़ नहीं, 121.तू मुझ से ऐसी दूर है जैसे मक्का मुअ़ज़्ज़मा मदीना तय्यबा से या दिल्ली लखनऊ से (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– इन अल्फ़ाज़ से तलाक़ न होगी अगर्चे नियत करे मुझे तेरी हाजत नहीं, मुझे तुझ से सरोकार नहीं, तुझ से मुझे काम नहीं, ग़र्ज़ नहीं, मतलब नहीं, तू मुझे दरकार नहीं तुझ से मुझे रग़बत नहीं, मैं तुझे नहीं चाहता। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– किनाया के इन अल्फ़ाज़ से एक बाइन तलाक़ होगी अगर्चे ब नियते तलाक़ बोले गये अगर्चे बाइन की नियत न हो और दो की नियत की जब भी वही एक वाक़ेअ़ होगी मगर जबकि ज़ौजा बाँदी हो तो दो की नियत सहीह है और तीन की नियत की तो तीन वाक़ेअ़ होंगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मदख़ूला(जिस से हमबिस्तरी की गयी हो) को एक तलाक़ दी थी फिर इद्दत में कहा कि मैंने उसे बाइन कर दिया या तीन तो बाइन या तीन वाक़ेअ़ हो जायेंगी और अगर इद्दत या रजअ़त के बाद ऐसा कहा तो कुछ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सरीह सरीह को लाहिक़ होती है यानी पहले सरीह लफ़्ज़ों से तलाक़ दी फिर इद्दत के अन्दर दूसरी मरतबा तलाक़ के सरीह लफ़्ज़ कहे तो उस से दूसरी वाक़ेअ़ होगी यूँही बाइन के बाद भी सरीह लफ़्ज़ से वाक़ेअ़ कर सकता है जबकि औरत इद्दत में हो और सरीह से मुराद यहाँ वह है जिस में नियत की ज़रूरत न हो अगर्चे उस से तलाक़ बाइन पड़े और इद्दत में सरीह के बाद बाइन तलाक़ दे सकता है और बाइन बाइन को लाहिक़ नहीं होती जबकि यह मुमकिन हो कि दूसरी को पहली की ख़बर देना कह सके मसलन पहले कहा था कि तू बाइन है उस के बाद फिर यही लफ़्ज़ कहा तो उस से दूसरी वाक़ेअ़ न होगी कि यह पहली तलाक़ की ख़बर है या दोबारा कहा मैंने तुझे बाइन कर दिया और अगर दूसरी को पहली से ख़बर देना न कह सकें मसलन पहले तलाक़ बाइन दी फिर कहा मैंने दूसरी बाइन दी तो अब दूसरी पड़ेगी यूँहीं पहली सूरत में भी दो वाक़ेअ़ होंगी जबकि दूसरी से दूसरी तलाक़ की नियत की हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बाइन को किसी शर्त मर मुअ़ल्लक़ किया या किसी वक़्त की तरफ़ मुज़ाफ़ किया और उस शर्त या वक़्त के पाये जाने से पहले तलाक़ बाइन देदी मसलन यह कहा अगर तू आज घर में गई तो बाइन है या कल तुझे तलाक़ बाइन है फिर घर में जाने और कल आने से पहले ही तलाक़ बाइन देदी तो तलाक़ हो गई फिर इद्दत के अन्दर शर्त पाई जाने और कल आने से एक तलाक़ और पड़ेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर औरत को तलाक़े बाइन दी या उस से ख़ुलअ़ किया उसके बाद कहा तू घर में गई तो बाइन है तो अब तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी और अगर दो शर्तों पर तलाक़ बाइन मुअ़ल्लक़ की मसलन कहा अगर तू घर में जाये तो बाइन है और अगर मैं फ़ुलाँ से कलाम करूँ तो तू बाइन है उन दोनों बातों के कहने के बाद अब वह घर में गई तो एक तलाक़ पड़ी फिर अगर उस शख़्स से इद्दत में शौहर ने कलाम किया तो दूसरी पड़ी यूहीं अगर पहले कलाम किया फिर घर में गई जब भी दो वाक़ेअ़ होंगी और अगर पहले एक शर्त पर मुअ़ल्लक़ की फिर उस के पाये जाने के बाद दूसरी शर्त पर मुअ़ल्लक़ की दूसरी के पाये जाने पर तलाक़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि औरत के पास न जायेगा फिर चार महीने गुज़रने से पहले ब नियते तलाक़ उसे बाइन कहा या उस से ख़ुलअ़ किया तो तलाक़ वाक़ेअ़ हो गई फिर क़सम खाने से चार महीने तक उसके पास न गया तो यह दूसरी तलाक़ हुई और अगर पहले ख़ुलअ़ किया फिर कहा तू बाइन है तो वाक़ेअ़ न होगी (आलमगीरी)

मसअला :– यह कहा कि मेरी हर औरत को तलाक़ है या अगर यह काम करूँ तो मेरी औरत को तलाक़ है तो जिस औरत से ख़ुलअ़ किया है या जो तलाक़ बाइन की इद्दत में है इन लफ़्ज़ों से उसे तलाक़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :–जो फ़ुरक़त हमेशा के लिए हो यानी जिस की वजह से उस से कभी निकाह न हो सकता हो जैसे हुरमते मुसाहिरत(सुसराली रिश्ते) व हुरमते रज़ाअ़ (दूध पिलाने की वजह) तो उस औरत पर इद्दत में भी तलाक़ नहीं हो सकती यूँही अगर उस की औरत कनीज़ थी उस को ख़रीद लिया तो अब उसे तलाक़ नहीं दे सकता कि वह निकाह से बिल्कुल निकल गई (आलमगीरी)

मसअला :– ज़न व शौहर में से कोई मआ़ज़ल्लाह मुरतद हुआ मगर दारूल इस्लाम में रहा तो तलाक़ हो सकती है और अगर दारुलहर्ब को चला गया तो अब तलाक़ नहीं हो सकती और मुरतद होकर दारुलहर्ब को चला गया था फिर मुसलमान हो कर वापस आया और औरत अभी इद्दत में है तो तलाक़ दे सकता है और औरत अगर्चे वापस आजाये तलाक़ नहीं हो सकती (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ख़ियारे बुलूग़ यानी बालिग़ होते ही निकाह से नाराज़ी ज़ाहिर की और इत्क़ कि आज़ाद होकर तफ़रीक़ चाही उन दोनों के बाद तलाक़ नहीं हो सकती (दुर्रे मुख़्तार)

तलाक़ सुपुर्द करने का बयान

अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फ़रमाता है।

o يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

तर्जमा :– "ऐ नबी अपनी बीवियों से फ़रमा दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और उस की ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें माल दूँ और तूम को अच्छी तरह छोड़ दूँ और अगर अल्लाह व रसूल और आख़िरत का घर चाहती हो तो अल्लाह ने तुम में नेकी वालों के लिए बड़ा अज्र तैयार कर रखा है"

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि जब यह आयत नाज़िल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से फ़रमाया ऐ आइशा मैं तुझ पर एक बात पेश करता हूँ उस में जल्दी न करना जब तक

अपने वालिदैन से मशवरा न कर लेना जवाब न देना और हुज़ूर को मालूम था कि उन के वालिदैन जुदाई के लिए मशवरा न देंगे उम्मुल मोमिनीन ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह वह क्या बात है हुज़ूर ने इस आयत की तिलावत की उम्मुल मोमिनीन ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर के बारे में मुझे वालिदैन से मशवरा की क्या हाजत है बल्कि मैं अल्लाह व रसूल और आख़िरत के घर को इख़्तियार करती हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि अज़वाजे मुतहहरात में से किसी को मेरे जवाब की हुज़ूर ख़बर न दें इरशाद फ़रमाया जो मुझ से पूछेगी कि आइशा ने क्या जवाब दिया है मैं उसे ख़बर दूँगा अल्लाह ने मुझे मशक़्क़त में डालने वाला और मशक़्क़त में पड़ने वाला बना कर नहीं भेजा है उस ने मुझे मुअ़ल्लिम और आसानी करने वाला बना कर भेजा है सहीह बुख़ारी शरीफ़ में आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी फ़रमाती हैं नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हमें इख़्तियार दिया हम ने अल्लाह व रसूल को इख़्तियार किया और उस को कुछ(यानी तलाक़)नहीं शुमार किया। उसी में ही मसरूक़ कहते हैं मुझे कुछ परवाह नहीं कि उस को एक दफ़्अ़ इख़्तियार दूँ या सौ दफ़्अ़ जबकि वह मुझे इख़्तियार करे यानी उस सूरत में तलाक़ नहीं होती।

अहकामे फ़िक़्हिय्या

मसअला :– औरत से कहा तुझे इख़्तियार है या तेरा मुआ़मला तेरे हाथ है और उस से मक़सूद तलाक़ का इख़्तियार देना है तो औरत उस मज्लिस में अपने को तलाक़ दे सकती है अगर्चे वह मज्लिस कितनी ही तवील हो और मज्लिस बदलने के बाद कुछ नहीं कर सकती और अगर औरत वहाँ मौजूद न थी या मौजूद थी मगर सुना नहीं और उसे इख़्तियार उन्ही लफ़्ज़ों से दिया तो जिस मज्लिस में उसे उसका इल्म हुआ उस का एअ़तिबार है हाँ अगर शौहर ने कोई वक़्त मुक़र्रर कर दिया था मसलन आज उसे इख़्तियार है और वक़्त गुज़रने के बाद उसे इल्म हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती और अगर उन लफ़्ज़ों से शौहर ने तलाक़ की नियत ही न की तो कुछ नहीं कि यह किनाया हैं और किनाया में बे नियत तलाक़ नहीं हाँ अगर ग़ज़ब की हालत में कहा या उस वक़्त तलाक़ की बातचीत थी तो अब नियत नहीं देखी जायेगी और अगर औरत ने अभी कुछ न कहा था कि शौहर ने अपने कलाम को वापस लिया तो मज्लिस के अन्दर वापस न होगा यानी बाद वापसी ए शौहर भी औरत अपने को तलाक़ दे सकती है और शौहर उसे मनअ़ भी नहीं कर सकता और अगर शौहर ने यह लफ़्ज़ कहे कि तू अपने को तलाक़ दे दे या तुझे अपनी तलाक़ का इख़्तियार है जब भी यही सब अहकाम हैं मगर उस सूरत में औरत ने तलाक़ देदी तो रजई पड़ेगी हाँ उस सूरत में औरत ने तीन तलाक़ें दीं और मर्द ने तीन की नियत भी कर ली है तो तीन होंगी और मर्द कहता है मैंने एक की नियत की थी तो एक भी वाक़ेअ़ न होगी और अगर शौहर ने तीन की नियत की या यह कहा तू अपने को तीन तलाक़ें दे ले और औरत ने एक दी तो एक पड़ेगी और अगर कहा तू अगर चाहे तो अपने को तीन तलाक़ें दे औरत ने एक दी या कहा तू अगर चाहे तो अपने को एक तलाक़ दे औरत ने तीन दीं तो दोनों सूरतों में कुछ नहीं मगर पहली सूरत में अगर औरत ने कहा मैंने अपने को तलाक़ दी एक और एक और एक तो तीन पड़ेंगी (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहा)

मसअला :– इन अल्फ़ाज़े मज़कूरा (ज़िक किए गये अल्फ़ाज़ों) के साथ यह भी कहा कि तू जब चाहे या जिस वक़्त चाहे तो अब मज्लिस बदलने से इख़्तियार बातिल न होगा और शौहर को कलाम वापस लेने का अब भी इख़्तियार न होगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर औरत से कहा तू अपनी सौत को तलाक़ दे दे या किसी और शख़्स से कहा तू मेरी औरत को तलाक़ देदे तो मज्लिस के साथ मुक़य्यद नहीं बाद मज्लिस भी तलाक़ हो सकती है और उस में रुजूअ़ कर सकता है कि यह वकील है और मुअक्किल को इख़्तियार है कि वकील को मअ़ज़ूल कर दे मगर जबकि मशीयत पर मुअ़ल्लक़ कर दिया हो यानी कह दिया हो कि अगर तू चाहे तो तलाक़ देदे तो अब तौकील (वकील बनाना) नहीं बल्कि तमलीक (मालिक बना देना) है लिहाज़ा मज्लिस के साथ ख़ास है और रुजूअ़ न कर सकेगा और अगर औरत से कहा तू अपने को और अपनी सौत को तलाक़ देदे तो ख़ुद उस के हक़ में तमलीक है और सौत के हक़ में तौकील और हर एक का हुक्म वह है जो ऊपर हुआ यानी अपने को मज्लिस बदलने के बाद नहीं दे सकती और सौत को दे सकती है जौहरा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तमलीक (मालिक बना देना) व तौकील (वकील बना देना) में चन्द बातों का फ़र्क़ है तमलीक में रुजूअ़ नहीं कर सकता मअ़ज़ूल नहीं कर सकता बाद तमलीक के शौहर मजनून हो जाये तो बातिल न होगी जिस को मालिक बनाया उसका आक़िल होना ज़रूरी नहीं और मज्लिस के साथ मुक़य्यद है और तौकील में इन सब का अक्स है अगर बिलकुल नासमझ बच्चे से कहा तू मेरी औरत को अगर चाहे तलाक़ देदे और वह बोल सकता है उस ने तलाक़ देदी वाक़ेअ़ होगई यूँही अगर मजनून को मालिक कर दिया और उस ने देदी तो होगई और वकील बनाया तो नहीं और मालिक करने की सूरत में अगर अच्छा था उस के बाद मजनून हो गया तो वाक़ेअ़ न होगी(दुर्रे मुख़्तार)

मज्लिस बदलने की सूरतें

मसअला :– बैठी थी खड़ी होगई या एक काम कर रही थी उसे छोड़ कर दूसरा काम करने लगी मसलन खाना मंगवाया या सोगई या गुस्ल करने लगी या मेहन्दी लगाने लगी, या किसी से ख़रीद व फ़रोख़्त की बात की, या खड़ी थी जानवर पर सवार हो गई या सवार थी उतर गई, या एक सवारी से उतर कर दूसरे पर सवार हुई, यां सवार थी मगर जानवर खड़ा था चलने लगा तो इन सब सूरतों में मज्लिस बदलगई और अब तलाक़ का इख़्तियार न रहा और अगर खड़ी थी बैठ गई या खड़ी थी और मकान में टहलने लगी या बैठी हुई थी तकिया लगा लिया या तकिया लगाये हुए थी सीधी होकर बैठ गई या अपने बाप वग़ैरा किसी को मशवरा के लिए बुलाया गवाहों को बुलाने गई कि उन के सामने तलाक़ दे बशर्ते कि वहाँ कोई ऐसा नहीं जो बुला दे या सवारी पर जारही थी उसे रोक दिया या पानी पिया या खाना वहाँ मौजूद था कुछ थोड़ा सा खालिया इन सब सूरतों में मज्लिस नहीं बदली (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहा)

मसअला :– कश्ती घर के हुक्म में है कि कश्ती के चलने से मज्लिस न बदलेगी और जानवर पर सवार है और जानवर चल रहा है तो मज्लिस बदल रही है हाँ अगर शौहर के सुकूत करते ही फ़ौरन उसी क़दम में जवाब दिया तो तलाक़ होगई और अगर महमल में दोनों सवार हैं जिसे कोई खींचे लिए जाता है तो मज्लिस नहीं बदली कि यह कश्ती के हुक्म में है (दुर्रे मुख़्तार)गाड़ी पालकी का भी यही हुक्म है।

मसअला :– बैठी हुई थी लेट गई अगर तकिया वग़ैरा लगा कर उस तरह लेटी जैसे सोने के लिए लेटते हैं तो इख़्तियार जाता रहा (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दो ज़ानो बैठी थी चार ज़ानो बैठ गई या अक्स किया या बैठी सोगई तो मज्लिस नहीं बदली (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर ने उसे मजबूर कर के खड़ा किया या जिमाअ़ किया तो इख़्तियार न रहा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर के इख़्तियार देने के बाद औरत ने नमाज़ शुरू कर दी इख़्तियार जाता रहा नमाज़ फ़र्ज़ हो या वाजिब या नफ़्ल और अगर औरत नमाज़ पढ़ रही थी उसी हालत में इख़्तियार दिया तो अगर वह नमाज़ फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा है तो पूरी कर के जवाब दे इख़्तियार बातिल न होगा और अगर नफ़्ल नमाज़ है तो दो रकअ़त पढ़ कर जवाब दे और अगर तीसरी रकअ़त के लिए खड़ी हुई तो इख़्तियार जाता रहा अगर्चे सलाम न फेरा हो और अगर सुब्हानल्लाह कहा या कुछ थोड़ा सा क़ुर्आन पढ़ा तो बातिल न हुआ और ज़्यादा पढ़ा तो बातिल होगया (जौहरा)और अगर औरत ने जवाब में कहा तू अपनी ज़बान से क्यों तलाक़ नहीं देता तो उस कहने से इख़्तियार बातिल न होगा और अगर यह कहा अगर तू मुझे तलाक़ देता है तो इतना मुझे देदे तो इख़्तियार बातिल हो गया (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर एक ही वक़्त में उस की और शुफ़आ की ख़बर पहुँची और औरत दोनों को इख़्तियार करना चाहती है तो यह कहना चाहिए कि मैंने दोनों को इख़्तियार किया वरना जिस एक को इख़्तियार करेगी दूसरा जाता रहेगा (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द ने अपनी औरत से कहा तू अपने नफ़्स को इख़्तियार कर औरत ने कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या कहा मैंने इख़्तियार किया या इख़्तियार करती हूँ तो एक तलाक़ बाइन वाक़ेअ़ होगी और तीन की नियत सहीह नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तफ़वीज़े तलाक़ में यह ज़रूर है कि ज़न व शौहर दोनों में से एक के कलाम में लफ़्ज़ नफ़्स या तलाक़ का ज़िक्र हो। अगर शौहर ने कहा तुझे इख़्तियार है औरत ने कहा मैंने इख़्तियार किया तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी और अगर जवाब में कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या शौहर ने कहा था तू अपने नफ़्स को इख़्तियार कर औरत ने कहा मैं ने इख़्तियार किया या कहा मैंने किया तो अगर नियत तलाक़ थी तो होगई और यह भी ज़रूर है कि लफ़्ज़ नफ़्स को मुत्तसिलन (मिलाकर)ज़िक्र करे और अगर उस लफ़्ज़ को कुछ देर बाद कहा और मज्लिस बदली न हो तो मुत्तसिल ही के हुक्म में है यानी तलाक़ वाक़ेअ़ होगी और मज्लिस बदलने के बाद कहा तो बेकार है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– शौहर ने दो बार कहा इख़्तियार कर इख़्तियार कर या कहा अपनी माँ को इख़्तियार कर तो अब लफ़्ज़ नफ़्स ज़िक्र करने की हाजत नहीं यह उस के क़ाइम मक़ाम होगया यूँही औरत का कहना कि मैंने अपने बाप या माँ या अहल या अज़्वाज को इख़्तियार किया लफ़्ज़ नफ़्स के क़ाइम मक़ाम है और अगर औरत ने कहा मैंने अपनी क़ौम या कुन्बा वालों या रिश्ते दारों को इख़्तियार किया तो यह उस के क़ाइम मक़ाम नहीं और अगर औरत के माँ बाप न हों तो यह कहना भी कि मैंने अपने भाई को इख़्तियार किया काफ़ी नहीं और माँ बाप न होने की सूरत में उस ने माँ बाप को इख़्तियार किया जब भी तलाक़ हो जायेगी औरत से कहा तीन को इख़्तियार कर औरत ने कहा मैंने इख़्तियार किया तीन तलाक़ें पड़ जायेंगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, वग़ैराहुमा)

मसअला :– औरत ने जवाब में कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया नहीं बल्कि अपने शौहर को तो वाक़ेअ़ हो जायेगी और यूँ कहा कि मैंने अपने शौहर को इख़्तियार किया नहीं बल्कि अपने नफ़्स को तो वाक़ेअ़ न होगी और अगर कहा मैंने अपने नफ़्स या शौहर को इख़्तियार किया तो वाक़ेअ़ न होगी और अगर कहा अपने नफ़्स और शौहर को तो वाक़ेअ़ होगी और अगर कहा शौहर और नफ़्स को तो नहीं (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– मर्द ने औरत को इख़्तियार दिया था औरत ने अभी जवाब न दिया था कि शौहर ने कहा अगर तू अपने को इख़्तियार कर ले तो एक हज़ार दूँगा औरत ने अपने को इख़्तियार किया तो न तलाक़ हुई न माल देना वाजिब आया (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला :– शौहर ने इख़्तियार दिया औरत ने जवाब में कहा मैंने अपने को बाइन किया या हराम कर दिया या तलाक़ दी तो जवाब हो गया और एक बाइन तलाक़ पड़ गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर ने तीन बार कहा तुझे अपने नफ़्स को इख़्तियार है औरत ने कहा मैंने इख़्तियार किया या कहा पहले को इख़्तियार किया या बीच वाले को या पिछले को या एक को बहर हाल तीन तलाक़ें वाक़ेअ् होंगी और अगर उस के जवाब में कहा कि मैं ने अपने नफ़्स को तलाक़ दी या मैंने अपने नफ़्स को एक तलाक़ के साथ इख़्तियार किया या मैंने पहली तलाक़ इख़्तियार की तो एक बाइन वाक़ेअ् होगी (तनवीरुलअबसार)

मसअ्ला :– शौहर ने तीन मरतबा कहा मगर औरत ने पहली ही बार के जवाब में कह दिया मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया तो बाद वाले अल्फ़ाज़ बातिल हो गये यूँही अगर औरत ने कहा मैं ने एक को बातिल कर दिया तो सब बातिल होगये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर ने कहा तुझे अपने नफ़्स का इख़्तियार है कि तू तलाक़ देदे औरत ने तलाक़ दी तो बाइन वाक़ेअ् हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा तीन तलाक़ों में से जो तू चाहे तुझे इख़्तियार है तो एक या दो का इख़्तियार है तीन का नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को इख़्तियार दिया उस ने जवाब में कहा मैं तुझे नहीं इख़्तियार करती या तुझे नहीं चाहती या मुझे तेरी हाजत नहीं तो यह सब कुछ नहीं और अगर कहा मैंने यह इख़्तियार किया कि तेरी न हों तो बाइन होगई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी से कहा तू मेरी औरत को इख़्तियार देदे तो जब तक यह शख़्स उसे इख़्तियार न देगा औरत को इख़्तियार हासिल नहीं और अगर उस शख़्स से कहा तू औरत को इख़्तियार की ख़बर दे तो औरत को इख़्तियार हासिल हो गया अगर्चे ख़बर न करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कहा तुझे इस साल या इस महीने या आज दिन में इख़्तियार है तो जब तक वक़्त बाक़ी है इख़्तियार है अगर्चे मज्लिस बदल गई हो और अगर एक दिन कहा तो चौबीस घन्टे और एक माह कहा तो तीस दिन तक इख़्तियार है और चाँद जिस वक़्त दिखाई दिया उस वक़्त एक महीने का इख़्तियार दिया तो तीस दिन ज़रूर नहीं बल्कि दूसरे हिलाल तक है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– निकाह से पेश्तर तफ़वीज़े तलाक़ की मसलन औरत से कहा अगर मैं दूसरी औरत से निकाह करूँ तो तुझे अपने नफ़्स को तलाक़ देने का इख़्तियार है तो यह तफ़वीज़ न हुई कि इज़ाफ़त मिल्क की तरफ़ नहीं यूँही अगर ईजाब व क़बूल में शर्त की और ईजाब शौहर की तरफ़ से हो मसलन कहा मैं तुझे इस शर्त पर निकाह में लाया औरत ने कहा मैंने क़बूल किया जब भी तफ़वीज़ न हुई और अगर अक़्द में शर्त की और ईजाब औरत या उस के वकील ने किया मसलन मैंने अपने नफ़्स को या अपनी फ़ुलाँ मुवक्किला को इस शर्त पर तेरे निकाह में दिया मर्द ने कहा मैंने उस शर्त पर क़बूल किया तो तफ़वीज़ तलाक़ होगई शर्त पाई जाये तो औरत को जिस मज्लिस में इल्म हुआ अपने को तलाक़ देने का इख़्तियार है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मर्द ने औरत से कहा तेरा अम्र (मुआमला) तेरे हाथ है तो उस में भी वही शराइत व अहकाम हैं जो इख़्तियार के हैं कि नियते तलाक़ से कहा हो और नफ़्स का ज़िक्र हो और जिस

मज्लिस में कहा या जिस मज्लिस में इल्म हुआ उसी में औरत ने तलाक़ दी हो तो वाक़ेअ् हो जायेगी और शौहर रुजूअ् नहीं कर सकता सिर्फ़ एक बात में फ़र्क़ है वहाँ तीन की नियत सहीह नहीं अगर इस में अगर तीन तलाक़ की नियत की तो तीन वाक़ेअ् होंगी अगर्चे औरत ने अपने को एक तलाक़ दी या कहा मैंने अपने नफ़्स को क़बूल किया या अपने अम्र को इख़्तियार किया या तू मुझपर हराम है या मुझ से जुदा है या मैं तुझ से जुदा हूँ या मुझे तलाक़ है और अगर मर्द ने दो की नियत की या एक की या नियत में कोई अदद न हो तो एक होगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– ज़ौजा नाबालिग़ा है उस से यह कहा कि तेरा अम्र (मुआमला) तेरे हाथ है उस ने अपने को तलाक़ देदी हो गई और अगर औरत के बाप से कहा कि उस का अम्र तेरे हाथ है उस ने कहा मैंने क़बूल किया या कोई और लफ़्ज़ तलाक़ का कहा तलाक़ हो गई (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत के लिए यह लफ़्ज़ कहा मगर उसे उस का इल्म न हुआ और तलाक़ दे ली वाक़ेअ् न हुई (ख़ानिया)

मसअ्ला :– शौहर ने कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है उस के जवाब में औरत ने कहा मेरा अम्र मेरे हाथ है तो यह जवाब न हुआ यानी तलाक़ न हुई बल्कि जवाब में वह लफ़्ज़ होना चाहिए जिस की निस्बत औरत की तरफ़ अगर ज़ौज करता तो तलाक़ होती (दुर्रे मुख़्तार) मसलन कहे मैंने अपने नफ़्स को हराम किया, बाइन किया, तलाक़ दी, वग़ैरहा यूँही अगर जवाब में कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या कहा क़बूल किया या औरत के बाप ने क़बूल किया जब भी तलाक़ होगई यूँही अगर जवाब में कहा तू मुझ पर हराम है या मैं तुझ पर हराम हुई या तू मुझ से जुदा है या मैं तुझ से जुदा हूँ या कहा मैं हराम हूँ या मैं जुदा हूँ तो इन सब सूरतों में तलाक़ है और अगर कहा तू हराम है और यह न कहा कि मुझ पर या तू जुदा है और यह न कहा कि मुझ से तो बातिल है तलाक़ न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उस के जवाब में अगर्चे रजई का लफ़्ज़ हो तलाक़ बाइन पड़ेगी हाँ अगर शौहर ने कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है तलाक़ देने में रजई होगी या शौहर ने कहा तीन तलाक़ का अम्र तेरे हाथ है और औरत ने एक या दो दीं तो रजई है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तेरा अम्र तेरी हथेली में है या दाहिने हाथ या बायें हाथ में या तेरा अम्र तेरे हाथ में कर दिया या तेरे हाथ को सुपुर्द कर दिया या तेरें मुँह में है या ज़बान में जब भी वही हुक्म है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर उन अल्फ़ाज़ को बनियते तलाक़ न कहा तो कुछ नहीं मगर हालते ग़ज़ब या मुज़ाकिरए तलाक़ में कहा तो नियत नहीं देखी जायेगी बल्कि तलाक़ का हुक्म दे देंगे और अगर मर्द को हालते ग़ज़ब या मुज़ाकिरए तलाक़ से इन्कार है तो औरत से गवाह लिए जायें गवाह न पेश कर सके तो क़सम लेकर शौहर का क़ौल माना जाये और नियते तलाक़ पर अगर औरत गवाह पेश करे तो मक़बूल नहीं हाँ अगर मर्द ने नियत का इक़रार किया हो और इक़रार के गवाह औरत पेश करे तो मक़बूल है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर ने कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है आज और परसों तो दोनों रातें दरमियान की दाख़िल नहीं और यह दो तफ़वीज़ें जुदा जुदा हैं लिहाज़ा अगर आज रद कर दिया तो परसों औरत को इख़्तियार रहेगा और रात में तलाक़ देगी तो वाक़ेअ् न होगी और एक दिन में एक ही बार तलाक़ दे सकती है और अगर आज और कल तो रात दाख़िल है और आज रद कर देगी तो कल के लिए भी इख़्तियार न रहा कि यह एक तफ़वीज़ है और अगर यूँ कहा आज तेरा अम्र तेरे हाथ है

और कल तेरा अम्र तेरे हाथ है तो रात दाख़िल नहीं और जुदा जुदा दो तफ़्वीज़ें हैं और अगर कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है आज और कल और परसों तो एक तफ़्वीज़ है और रातें दाख़िल हैं और जहाँ दो तफ़्वीज़ें हैं अगर आज उस ने तलाक़ दे ली फिर कल आने से पहले उसी से निकाह कर लिया तो कल फिर उसे तलाक़ देने का इख़्तियार हासिल है (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने यह दअ्वा किया कि शौहर ने मेरा अम्र मेरे हाथ में दिया तो यह दअ्वा न सुना जाये कि बेकार है हाँ औरत ने उस अम्र के सबब अपने को तलाक़ देली फिर तलाक़ होने और महर लेने के लिए दअ्वा किया तो अब सुना जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– अगर यह कहा कि तेरा अम्र तेरे हाथ है जिस दिन फ़ुलाँ आये तो सिर्फ़ दिन के लिए है अगर रात में आया तो तलाक़ नहीं दे सकती और अगर वह दिन में आया मगर औरत को उस के आने का इल्म न हुआ यहाँ तक कि आफ़ताब डूब गया तो अब इख़्तियार न रहा (आलमगीरी)

मसअला :– अगर कोई वक़्त मुअय्यन (ख़ास)न किया तो मज्लिस बदलने से इख़्तियार जाता रहेगा जैसा ऊपर मज़कूर हुआ और अगर वक़्त मुअय्यन कर दिया हो मसलन आज या कल या इस महीने या इस साल में तो पूरे वक़्त में इख़्तियार हासिल है।

मसअला :– कातिब से कहा तू लिख दे अगर मैं अपनी औरत की बग़ैर इजाज़त सफ़र को जाऊँ तो वह जब चाहे अपने को एक तलाक़ दे ले औरत ने कहा मैं एक तलाक़ नहीं चाहती तीन तलाक़ें लिखवा मगर शौहर ने इन्कार कर दिया और लिखने की नौबत न आई तो औरत को एक तलाक़ का इख़्तियार हासिल रहा (आलमगीरी)

मसअला :– अजनबी शख़्स से कहा कि मेरी औरत का अम्र तेरे हाथ है तो उस को तलाक़ देने का इख़्तियार हासिल है और वही अहकाम हैं जो ख़ुद औरत के हाथ में इख़्तियार देने के हैं (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों के हाथ में दिया तो तन्हा एक कुछ नहीं कर सकता और अगर कहा मेरे हाथ में है और तेरे और मुख़ातब ने तलाक़ देदी तो जब तक शौहर उस तलाक़ को जाइज़ न करेगा न होगी और अगर कहा अल्लाह के हाथ में है और तेरे हाथ में और मुख़ातब ने तलाक़ देदी तो होगई (आलमगीर)

मसअला :– औरत के औलिया ने तलाक़ लेनी चाही शौहर औरत के बाप से यह कह कर चला गया कि तुम जो चाहो करो और बीवी के वालिद ने तलाक़ देदी तो अगर शौहर ने तफ़्वीज़ के इरादा से न कहा हो तलाक़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत से कहा अगर तेरे होते साते निकाह करूँ तो उसका अम्र तेरे हाथ में है फिर किसी फ़ुज़ूली ने उस का निकाह कर दिया और उस ने कोई काम ऐसा किया जिस से वह निकाह जाइज़ होगया मसलन महर भेज दिया, या वती की, ज़बान से कहकर जाइज़ न किया तो पहली औरत को इख़्तियार नहीं कि उसे तलाक़ देदे और अगर उस के वकील ने निकाह कर दिया या फ़ुज़ूली के निकाह को ज़बान से जाइज़ किया या कहा था कि मेरे निकाह में अगर कोई औरत आये तो ऐसा है तो इन सब सूरतों में औरत को इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अपनी दो औरतों से कहा कि तुम्हारा अम्र तुम्हारे हाथ है तो अगर दोनों अपने को तलाक़ दें तो होगी वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औरत से कहा कि मेरी औरतों का अम्र तेरे हाथ में है या तू मेरी जिस औरत को चाहे तलाक़ देदे तो ख़ुद अपने को वह तलाक़ नहीं दे सकती (आलमगीरी)

मसअला :– फ़ुज़ूली ने किसी औरत से कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है औरत ने कहा मैंने अपने नफ़्स

को इख़्तियार किया और यह ख़बर शौहर को पहुँची उस ने जाइज़ कर दिया तो तलाक़ वाक़ेअ् न हुई मगर जिस मज्लिस में औरत को इजाज़ते शौहर का इल्म हुआ उसे इख़्तियार हासिल होगया यानी अब चाहे तो तलाक़ दे सकती है यूँही अगर औरत ने ख़ुद ही कहा मैं ने अपना अम्र अपने हाथ में किया फिर कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया और शौहर ने जाइज़ कर दिया तो तलाक़ न हुई मगर इख़्तियारे तलाक़ हासिल हो गया और अगर औरत ने यह कहा कि मैंने अपना अम्र अपने हाथ में किया और अपने को मैंने तलाक़े दी शौहर ने जाइज़ कर दिया तो एक तलाक़े रजई होगई और औरत को इख़्तियार भी हासिल हो गया यानी अब अगर औरत अपने नफ़्स को इख़्तियार करे तो दूसरी बाइन तलाक़ वाक़ेअ् होगी औरत ने कहा मैंने अपने को बाइन कर दिया शौहर ने जाइज़ किया और शौहर की नियत तलाक़ की है तो तलाक़ बाइन होगई और औरत ने तलाक़ देना कहा तो इजाज़ते शौहर के वक़्त अगर शौहर की नियत न भी हो तलाक़ हो जायेगी और तीन की नियत सहीह नहीं और औरत ने कहा मैंने अपने को तुझ पर हराम कर दिया शौहर ने जाइज़ कर दिया तलाक़ होगई (आलमगीरी)

मसअला :– शौहर से किसी ने कहा फ़ुलाँ शख़्स ने तेरी औरत को तलाक़ देदी उसने जवाब में कहा अच्छा किया तो तलाक़ हो गई और अगर कहा बुरा किया तो न हुई (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औरत से कहा जब तक तू मेरे निकाह में है अगर मैं किसी औरत से निकाह करूँ तो उस का अम्र तेरे हाथ में है फिर इस औरत से ख़ुलअ् किया या तलाक़ बाइन या तीन तलाक़ें दीं अब दूसरी औरत से निकाह किया तो पहली औरत को कुछ इख़्तियार नहीं और अगर यह कहा था कि किसी औरत से निकाह करूँ तो उस का अम्र तेरे हाथ है तो ख़ुलअ् वग़ैरा के बाद भी उस को इख़्तियार है (आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा तू अपने को तलाक़ देदे और नियत कुछ न हो या एक या दो की नियत हो और औरत आज़ाद हो तो औरत के तलाक़ देने से एक रजई वाक़ेअ् होगी और तीन की नियत की हो तो तीन पड़ेंगी और औरत बाँदी हो तो दो की नियत भी सहीह है और अगर औरत ने जवाब में कहा कि मैंने अपने को बाइन किया या जुदा किया या मैं हराम हूँ या बरी हूँ जब भी एक रजई वाक़ेअ् होगी और अगर कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया तो कुछ नहीं अगर्चे शौहर ने जाइज़ करदिया हो (दुर्रे मुख़्तार) किसी और से कहा तू मेरी औरत को रजई तलाक़ दे उस ने बाइन दी जब भी रजई होगी और अगर वकील ने तलाक़ का लफ़्ज़ न कहा बल्कि कहा मैं ने उसे बाइन कर दिया या जुदा कर दिया तो कुछ नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत से कहा अगर तू चाहे तो अपने को दस तलाक़ें दे औरत ने तीन दीं या कहा अगर चाहे तो एक तलाक़ दे औरत ने आधी दी तो दोनों सूरतों में एक भी वाक़ेअ् नहीं (ख़ानिया)

मसअला :– शौहर ने कहा तू अपने को रजई तलाक़ दे औरत ने बाइन दी या शौहर ने कहा बाइन तलाक़ दे औरत ने रजई दी तो जो शौहर ने कहा वह वाक़ेअ् होगी औरत ने जैसी दी वह नहीं और अगर शौहर ने उस के साथ यह भी कहा था कि तू अगर चाहे और औरत ने उस के हुक्म के ख़िलाफ़ बाइन या रजई दी तो कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी की दो औरतें हैं और दोनों मदख़ूला हैं उस ने दोनों को मुख़ातब करके कहा तुम दोनों अपने को यानी ख़ुद को और दूसरी को तीन तलाक़ें दो हर एक ने अपने को और सौत को आगे पीछे तीन तलाक़ें दीं तो पहली ही के तलाक़ देने से दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और अगर पहले

सौत को तलाक़ दी फिर अपने को तो सौत को पड़ गई उस नहीं कि इख़्तियार साक़ित हो चुका लिहाज़ा दूसरी ने अगर उसे तलाक़ दी तो यह भी मुतल्लक़ा हो जायेगी वरना नहीं और अगर शौहर ने इस तरह इख़्तियार देने के बाद मनअ् कर दिया कि तलाक़ न दो तो जब मज्लिस बाक़ी है हर एक अपने को तलाक़ दे सकती है सौत को नहीं कि दूसरी के हक़ में वकील है और मनअ् कर देने से वकालत बातिल हो गई **और अगर** उस लफ़्ज़ के साथ यह भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो फ़क़त एक के तलाक़ देने से तलाक़ न होगी जब तक दोनों उसी मज्लिस में अपने को और दूसरी को तलाक़ न दें तलाक़ न होगी और मज्लिस के बाद कुछ नहीं हो सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी से कहा अगर तू चाहे औरत को तलाक़ देदे उस ने कहा मैनें चाहा तो तलाक़ न हुई और अगर कहा उस को तलाक़ है अगर तु चाहे उस ने कहा मैंने चाहा तो होगई (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– औरत से कहा तू अगर चाहे तो अपने को तलाक़ देदे औरत ने जवाब में कहा मैंने चाहा कि अपने को तलाक़ देदूँ तो कुछ नहीं । अगर कहा तू चाहे तो अपने को तीन तलाक़ें देदे औरत ने कहा मुझे तलाक़ है तो तलाक़ न हुई जबतक यह न कहे कि मुझे तीन तलाक़ें हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा अपने को तू तलाक़ देदे जैसी तू चाहे तो औरत को इख़्तियार है बाइन दे या रजई एक दे या दो या तीन मगर मज्लिस बदलने के बाद इख़्तियार न रहेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर कहा तू चाहे तो अपने को तलाक़ देदे और तू चाहे तो मेरी फ़ुलाँ बीवी को तलाक़ देदे तो पहले अपने को तलाक़ दे या उस को दोनों मुतल्लक़ा हो जायेंगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तू जब चाहे अपने को एक तलाक़ बाइन देदे फिर कहा तू जब चाहे अपने को एक वह तलाक़ दे जिस में रजअ़त का मैं मालिक रहूँ औरत ने कुछ दिनों बाद अपने को तलाक़ दी तो रजई होगी और शौहर के पिछले कलाम का जवाब समझा जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझको तलाक़ है अगर तू इरादा करे या पसन्द करे या ख़्वाहिश करे या महबूब रखे जवाब में कहा मैंने चाहा या इरादा किया हो गई यूँही अगर कहा तुझे मुवाफ़िक़ आये जवाब में कहा मैंने चाहा होगई और जवाब में कहा मैंने महबूब रखा तो न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू चाहे तो तुझ को तलाक़ है जवाब में कहा हाँ या मैंने कबूल किया या मैं राज़ी हुई वाक़ेअ् न हुई और अगर कहा तू अगर कबूल करे तो तुझको तलाक़ है जवाब में कहा मैंने चाही तो होगई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझ को तलाक़ है अगर तू चाहे जवाब में कहा मैंने चाहा अगर तू चाहे मर्द ने ब नियत तलाक़ कहा मैंने चाहा तो वाक़ेअ् न हुई और अगर मर्द ने आख़िर में कहा मैंने तेरी तलाक़ चाही तो होगई जबकि नियत भी हो (हिदाया) अगर औरत ने जवाब में कहा मैंने चाहा अगर फ़ुलाँ बात हुई हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो हो चुकी हो या उस वक़्त मौजूद हो मसलन अगर फ़ुलाँ शख़्स आया हो या मेरा बाप घर में हो और वाक़ेअ् में वह आचुका है या वह घर में है तो तलाक़ वाक़ेअ् हो गई और अगर वह ऐसी चीज़ है जो अब तक न हुई हो अगर्चे उस का होना यक़ीनी हो मसलन कहा मैंने चाहा अगर रात आये या उस का होना मोहतमिल (शक होना) हो मसलन अगर मेरा बाप चाहे तो तलाक़ न हुई अगर्चे उस के बाप ने कहदिया कि मैंने चाहा (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझ को एक तलाक़ है अगर तू चाहे तुझ को दो तलाक़ें हैं अगर तू चाहे जवाब में कहा मैंने एक चाही मैंने दो चाहीं अगर दोनों जुमले मुत्तसिल हों तो तीन तलाक़ें हो गईं यूँही अगर कहा तुझ को तलाक़ है अगर तू चाहे एक और अगर तू चाहे दो उस ने जवाब में कहा मैंने चाही तो तीन तलाक़ें हो गईं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर नें कहा अगर तू चाहे और न चाहे तो तुझ को तलाक़ है। या तुझ को तलाक़ है अगर तू चाहे और न चाहे तो तलाक़ नहीं हो सकती चाहे या न चाहे **और अगर** कहा तुझ को तलाक़ है अगर तू चाहे और अगर तू न चाहे तो बहर हाल तलाक़ है चाहे या न चाहे **अगर औरत** से कहा तू तलाक़ को महबूब रखती है तो तुझ को तलाक़ और अगर तू उस को मबगूज़ रखती है तो तुझ को तलाक़ अगर औरत कहे मैं महबूब रखती हूँ या बुरा जानती हूँ तो तलाक़ हो जायेगी और अगर कुछ न कहे या कहे मैं न महबूब रखती हूँ न बुरा जानती तो न होगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अपनी दो औरतों से कहा तुम दोनों में से जिसे तलाक़ की ज़्यादा ख़्वाहिश है उस को तलाक़ दोनों ने अपनी ख़्वाहिश दूसरी से ज़्यादा बताई अगर शौहर दोनों की तस्दीक़ करे तो दोनों मुतल्लक़ा हो गईं वरना कोई नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू मुझ से महब्बत या अदावत रखती है तो तुझ पर तलाक़ औरत ने उसी मज्लिस में महब्बत या अदावत ज़ाहिर की तलाक़ हो गई अगर्चे उसके दिल में जो कुछ है उस के ख़िलाफ़ ज़ाहिर किया हो और अगर शौहर ने कहा अगर दिल से तू मुझ से महब्बत रखती है तो तुझ पर तलाक़ औरत ने जवाब में कहा मैं तुझे महबूत रखती हूँ तलाक़ हो जायेगी अगर्चे झूटी हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझ पर एक तलाक़ और अगर तुझे नगवार हो तो दो औरत ने नागवारी ज़ाहिर की तो तीन तलाक़ें हुईं और चुप रही तो एक (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तुझ को तलाक़ है जब तू चाहे या जिस वक़्त चाहे या जिस ज़माना में चाहे औरत ने रद कर दिया यानी कहा मैं नहीं चाहती तो रद न हुआ बल्कि आइन्दा जिस वक़्त चाहे तलाक़ दे सकती है मगर एक ही दे सकती ज़्यादा नहीं **और अगर** यह कहा कि जब कभी तू चाहे तो तीन तलाक़ें भी दे सकती है मगर दो एक साथ या तीनों एक साथ नहीं दे सकती बल्कि मुतफ़र्रिक़ तौर पर अगर्चे एक ही मज्लिस में तीन बार में तीन तलाक़ें दीं और इस लफ़्ज़ में अगर दो या तीन इकट्ठा दीं तो एक भी न हुई **और अगर** औरत ने मुतफ़र्रिक़ तौर पर अपने को तीन तलाक़ें देकर दूसरे से निकाह किया उस के बाद फिर शौहरे अव्वल से निकाह किया तो अब औरत को तलाक़ देने का इख़्तियार न रहा **और अगर** ख़ुद तलाक़ न दी या एक या दो देकर बाद इद्दत दूसरे से निकाह किया फिर शौहरे अव्वल के निकाह में आई तो अब फ़िर से तीन तलाक़ें मुतफ़र्रिक़ तौर पर देने का इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तू तालिक़ है जिस जगह चाहे तो उसी मज्लिस तक इख़्तियार है बाद मज्लिस चाहा करे कुछ नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कहा जितनी तू चाहे या जिस क़दर या जो तू चाहे तो औरत को इख़्तियार है उस मज्लिस में जितनी तलाक़ें चाहे दे अगर्चे शौहर की कुछ नियत हो और बाद मज्लिस कुछ इख़्तियार नहीं **और अगर** कहा तीन में से जो चाहे या जिस क़दर या जितनी तो एक और दो का इख़्तियार है तीन का नहीं और इन सूरतों में तीन या दो तलाक़ें देना या हालते हैज़ में तलाक़ देना बिदअ़त नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर ने किसी शख़्स से कहा मैंने तुझे अपने तमाम कामों में वकील बनाया वकील ने उस की औरत को तलाक़ दे दी वाक़ेअ् न हुई और अगर कहा तमाम उमूर में वकील किया जिन में वकील बनाना जाइज़ है तो तमाम बातों में वकील बन गया (ख़ानिया) यानी उस की औरत को तलाक़ भी देसकता है।

मसअला :– एक तलाक़ देने के लिए वकील किया वकील ने दो देदीं तो वाक़ेअ़ न हुई और बाइन के लिए वकील किया वकील ने रजई दी तो बाइन होगी आर इजई के लिए वकील से कहा उस ने बाइन दी तो रजई हुई और अगर ऐसे को वकील किया जो ग़ाइब है और उसे अभी तक वकालत की ख़बर नहीं और मुवक्किल की औरत को तलाक़ देदी तो वाक़ेअ़ न हुई कि अभी तक वकील ही नहीं और अगर किसी से कहा मैं तुझे अपनी औरत को तलाक़ देने से मनअ़ नहीं करता तो उस कहने से वकील न हुआ या उस के सामने उसकी औरत को किसी ने तलाक़ दी और इस ने उसे मनअ़ न किया जब भी वह वकील न हुआ। (आलमगीरी)

मसअला :– तलाक़ देने के लिए वकील किया और वकील के तलाक़ देने से पहले ख़ुद मुवक्किल ने औरत को तलाक़ बाइन या रजई दे दी तो जब तक औरत इद्दत में है वकील तलाक़ दे सकता है और अगर वकील ने तलाक़ नहीं दी और मुवक्किल ने ख़ुद तलाक़ देकर इद्दत के अन्दर उस औरत से निकाह कर लिया तो वकील अब भी तलाक़ दे सकता है और इद्दत गुज़रने के बाद अगर निकाह किया तो नहीं और अगर मियाँ बी बी में कोई मआज़ल्लाह मुरतद हो गया जब भी इद्दत के अन्दर वकील तलाक़ दे सकता है हाँ अगर मुरतद हो कर दारुलहर्ब को चला गया और क़ाज़ी ने हुक्म भी देदिया तो अब वकालत बातिल हो गई यूहीं अगर वकील मआज़ल्लाह मुरतद हो जाये तो वकालत बातिल न होगी हाँ अगर दारुलहर्ब को चला गया और क़ाज़ी ने हुक्म भी देदिया तो बातिल(ख़ानिया)

मसअला :– तलाक़ के वकील को यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को वकील बनादे (आलमगीरी)

मसअला :– किसी को वकील बनाया और वकील ने मन्ज़ूर न किया तो वकील न हुआ और अगर चुप रहा फिर तलाक़ देदी हो गई समझ दार बच्चा और ग़ुलाम को भी वकील बना सकता है(आलमगीरी)

मसअला :– वकील से कहा तू मेरी औरत को कल तलाक़ देदेना उस ने आज ही कह दिया तुझ पर कल तलाक़ है तो वाक़ेअ़ न हुई यूँही अगर वकील से कहा तलाक़ दे दे उस ने तलाक़ को किसी शर्त पर मुअल्लक़ किया मसलन कहा अगर तू घर में जाये तो तुझ पर तलाक़ है और औरत घर में गई तलाक़ न हुई यूहीं वकील से तीन तलाक़ के लिए कहा वकील ने हज़ार तलाक़ें देदीं या आधी के लिए कहा वकील ने एक तलाक़ दी तो वाक़ेअ़ न हुई (बहरुर्राइक़)

तअ़लीक़ का बयान

तअ़लीक़ के मअ़ना यह हैं कि किसी चीज़ का होना दूसरी चीज़ के होने पर मौक़ूफ़(Depend) किया जाये यह दूसरी चीज़ जिस पर पहली मौक़ूफ़ है उस को शर्त कहते हैं तअ़लीक़ सहीह होने के लिए यह शर्त है कि शर्त फ़िलहाल मअ़दूम (ख़त्म) हो मगर आदतन हो सकती हो लिहाज़ा अगर शर्त मअ़दूम न हो मसलन यह कहे कि अगर आसमान हमारे ऊपर हो तो तुझ को तलाक़ है यह तअ़लीक़ नहीं बल्कि फ़ौरन तलाक़ वाक़ेअ़ हो जायेगी और अगर शर्त आदतन मुहाल हो मसलन यह कि अगर सुई के नाके में ऊँट चला जाये तो तुझ को तलाक़ है यह कलाम लग़्व है उस से कुछ न होगा और यह भी शर्त है कि शर्त मुत्तसिलन बोली जाये और यह कि सज़ा देना मक़सूद न हो मसलन औरत ने शौहर को कमीना कहा शौहर ने कहा अगर मैं कमीना हूँ तो तुझ पर तलाक़ है तो तलाक़ होगई अगर्चे कमीना न हो कि ऐसे कलाम से तअ़लीक़ मक़सूद नहीं होती बल्कि औरत को ईज़ा देना और यह भी ज़रूरी है कि वह फ़ेअ़ल जिक किया जाये जिसे शर्त ठहराया लिहाज़ा अगर यूँ कहा तुझे तलाक़ है अगर और उस के बाद कुछ न कहा तो यह कलाम लग़्व है तलाक़ न

वाक़ेअ़ हुई न होगी। तअ़लीक़ के लिए शर्त यह है कि औरत तअ़लीक़ के वक़्त उस के निकाह में हो मसलन अपनी मनकूहा से या जो औरत उस की इद्दत में है कहा अगर तू फ़ुलाँ काम करे या फ़ुलाँ के घर जाये तो तुझ पर तलाक़ है या निकाह की तरफ़ इज़ाफ़त हो मसलन कहा अगर मैं किसी औरत से निकाह करू तो उस पर तलाक़ है या अगर मैं तुझ से निकाह करूँ तो तुझ पर तलाक़ है या जिस औरत से निकाह करूँ उसे तलाक़ है। और किसी अजनबिया से कहा अगर तू फ़ुलाँ के घर गई तो तुझ पर तलाक़ फिर उस से निकाह किया और वह औरत उस के यहाँ गई तलाक़ न हुई या कहा जो औरत मेरे साथ सोये उसे तलाक़ है फिर निकाह किया और साथ सोये तलाक़ न हुई यूँही अगर वालिदैन से कहा अगर तुम मेरा निकाह करोगे तो उसे तलाक़ फिर वालिदैन ने उस के बे कहे निकाह कर दिया तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी यूँही अगर तलाक़ सुबूते मिल्क या ज़वाले मिल्क के मक़ारिन (मिला हुआ)हो तो कलाम लग़्व है तलाक़ न होगी मसलन तुझ पर तलाक़ तेरे निकाह के साथ या मेरी या तेरी मौत के साथ(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– तलाक़ किसी शर्त पर मुअल्लक़ की थी और शर्त पाई जाने से पहले तीन तलाक़ें देदीं तो तअ़लीक़ बातिल हो गई यानी वह औरत फिर उस के निकाह में आये और अब शर्त पाई जाये तो तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी और अगर तअ़लीक़ के बाद तीन से कम तलाक़ें दीं तो तअ़लीक़ बातिल न हुई लिहाज़ा अब अगर औरत उस के निकाह में आये और शर्त पाई जाये तो जितनी तलाक़ें मुअल्लक़ की थीं सब वाक़ेअ़ हो जायेंगी यह उस सूरत में है कि दूसरे शौहर के बाद उस के निकाह में आई और अगर दो एक तलाक़ देदी फिर बग़ैर दूसरे के निकाह के ख़ुद निकाह कर लिया तो अब तीन में जो बाक़ी हैं वाक़ेअ़ होंगी अगर्चे बाइन तलाक़ दी हो या रजई की इद्दत ख़त्म हो गई हो कि बाद इद्दत रजई में भी औरत निकाह से निकल जाती है ख़ुलासा यह है कि मिल्के निकाह जाने से तअ़लीक़ बातिल नहीं होती (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– शौहर मुरतद हो कर दारुल हर्ब को चला गया तो तअ़लीक़ बातिल होगई यानी अब अगर मुसलमान हुआ और उस औरत से निकाह किया फिर शर्त पाई गई तो तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शर्त का महल जाता रहा तअ़लीक़ बातिल हो गई मसलन कहा अगर फ़ुलाँ से बात करे तो तुझ पर तलाक़ अब वह शख़्स मर गया तो तअ़लीक़ बातिल होगई लिहाज़ा अगर किसी वली की करामत से जी गया अब कलाम किया तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी या कहा अगर तू इस घर में गई तो तुझ पर तलाक़ और वह मकान मुन्हदिम हो कर खेत या बाग़ बन गया तअ़लीक़ जाती रही अगर्चे फिर दोबारा उस जगह मकान बनाया गया हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– यह कहा गया अगर तू इस गिलास में का पानी पियेगी तो तुझ पर तलाक़ है और अगर गिलास में उस वक़्त पानी न था तो तअ़लीक़ बातिल है और अगर पानी उस वक़्त मौजूद था फिर अगर गिरा दिया गया तो तअ़ली सहीह है।

मसअला :– ज़ौजा कनीज़ है उस से कहा अगर तू इस घर में गई तो तुझ पर तीन तलाक़ें फिर उस के मालिक ने उसे आज़ाद कर दिया अब घर में गई तो दो तलाक़ें पड़ीं और शौहर को रजअ़त का हक़ हासिल है कि बवक़्ते तअ़लीक़ तीन तलाक़ की उस में सलाहियत न थी लिहाज़ा दो ही की तअ़लीक़ होगी और अब कि आज़ाद हो गई तीन की सलाहियत उस में है मगर उस तअ़लीक़ के सबब दो ही वाक़ेअ़ होंगी कि एक तलाक़ का इख़्तियार शौहर को अब जदीद हासिल हुआ(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हुरूफ़ शर्त उर्दू ज़बान में यह है अगर, जब, जिस वक़्त, हर, वक़्त, जो, हर, जिस, जब कभी, हर बार।

मसअला :– एक मरतबा शर्त पाई जाने से तअ्लीक़ ख़त्म हो जाती है यानी दोबारा शर्त पाई जाने से तलाक़ न होगी मसलन औरत से कहा अगर तू फलाँ के घर में गई या तूने फलाँ से बात की तो तुझ पर तलाक़ है औरत उस के घर गई तो तलाक़ होगई दोबारा फिर गई तो अब वाक़ेअ् न होगी कि अब तअ्लीक़ का हुक्म नहीं मगर जब कभी या जब जब या हर बार के लफ़्ज़ से तअ्लीक़ की है तो एक दो बार पर तअ्लीक़ ख़त्म न होगी बल्कि तीन बार में तीन तलाक़ें वाक़ेअ् होंगी कि यह कुल्लमा का तर्जमा है और यह लफ़्ज़ उमूमे अफ़आल के वास्ते आता है मसलन औरत से कहा जब कभी तू फलाँ के घर जाये या फुलाँ से बात करे तो तुझ को तलाक़ है तो अगर उसके घर तीन बार गई तीन तलाक़ें हो गईं अब तअ्लीक़ का हुक्म ख़त्म हो गया यानी अगर वह औरत बाद हलाला फिर उस के निकाह में आई अब फिर उस के घर गई तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी हाँ अगर यूँ कहा है कि जब कभी मैं उस से निकाह करूँ तो उसे तलाक़ है तो तीन पर बस नहीं बल्कि सौ बार भी निकाह करे तो हर बार तलाक़ वाक़ेअ् होगी(आम्मए कुतुब)यूँही अगर यह कहा कि जिस जिस शख़्स से तू कलाम करे तुझ को तलाक़ है या हर उस औरत से कि मैं निकाह करूँ उसे तलाक़ है या जिस वक़्त तू यह काम करे तुझ पर तलाक़ है कि यह अल्फ़ाज़ भी उमूम के वास्ते हैं लिहाज़ा एक बार में तअ्लीक़ ख़त्म न होगी।

मसअला :– औरत से कहा जब कभी मैं तुझे तलाक़ दूँ तो तुझे तलाक़ है और औरत को एक तलाक़ दी तो दो वाक़ेअ् हुईं एक तलाक़ तो खुद अब उस ने दी और एक उस तअ्लीक़ के सबब और अगर यूँ कहा कि जब,कभी तुझे तलाक़ हो तो तुझ को तलाक़ है और एक तलाक़ दी तो तीन हुईं एक तो खुद उस ने दी और एक तअ्लीक़ के सबब और दूसरी तलाक़ वाक़ेअ् होने से तलाक़ होना पाया गया लिहाज़ा एक और पड़ेगी कि यह लफ़्ज़ उमूम के लिए है मगर बहर सूरत तीन से मुताजाविज़ नहीं हो सकती (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शर्त पाई जाने से तअ्लीक़ ख़त्म हो जाती है अगर्चे शर्त उस वक़्त पाई गई कि औरत निकाह से निकल गई हो अल्बत्ता अगर औरत निकाह में न रही तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी मसलन औरत से कहा था अगर तू फलाँ के घर जाये तो तुझ को तलाक़ है उस के बाद औरत को तलाक़ देदी और इद्दत गुज़र गई अब औरत उस के घर गई फिर शौहर ने उस से निकाह कर लिया अब फिर गई तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी कि तअ्लीक़ ख़त्म हो चुकी है लिहाज़ा अगर किसी ने यह कहा हो कि अगर तू फुलाँ के घर जाये तो तुझ पर तीन तलाक़ें और चाहता हो कि उस के घर आमद व रफ़्त शुरू हो जाये तो उस का हीला यह है कि औरत को एक तलाक़ देदे फिर इद्दत के बाद औरत उस के घर जाये फिर निकाह करले अब जाया आया करे तलाक़ वाक़ेअ् न होगी मगर उमूम के अल्फ़ाज़ इस्तिमाल किए हों तो यह हीला काम नहीं देगा (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअला :– यह कहा कि हर उस औरत से कि मैं निकाह करूँ उसे तलाक़ है तो जितनी औरतों से निकाह करेगा सब को तलाक़ हो जायेगी और अगर एक ही औरत से दोबार निकाह किया तो सिर्फ़ पहली बार तलाक़ पड़ेगी दोबारा नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– यह कहा जब कभी मैं फुलाँ के घर जाऊँ तो मेरी औरत को तलाक़ है और उस शख़्स की चार औरतें हैं और चार मरतबा उस के घर गया तो हर बार में एक तलाक़ वाक़ेअ् हुई लिहाज़ा अगर औरत को मुअय्यन(ख़ास) न किया हो तो अब इख़्तियार है कि चाहे तो सब तलाक़ें एक पर कर दे या एक एक पर और अगर दो शख़्सों से यह कहा जब कभी मैं तुम दोनों के यहाँ खाना खाऊँ तो मेरी औरत को तलाक़ है और एक दिन एक के यहाँ खाना खाया दूसरे दिन दूसरे के यहाँ

तो औरत को तीन तलाक़े पड़गईं यानी जबकि तीन लुक़्मे या ज़्यादा खाया हो (आलमगीरी)

मसअला :– यह कहा कि जब कभी मैं कोई अच्छा कलाम ज़बान से निकालूँ तो तुझ पर तलाक़ है उस के बाद कहा सुबहानल्लाह, वलहम्दु लिल्लाह, व लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तो एक तलाक़ वाक़ेअ् होगी और अगर बग़ैर वाव (و)के सुबहानल्लाह, अलहम्दु लिल्लाह, लाइलाह इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहा तो तीन (आलमगीरी)

मसअला :– यह कहा कि जब कभी इस मकान में जाऊँ और फुलाँ से कलाम करूँ तो मेरी औरत को तलाक़ है उस के बाद उस घर में कई मरतबा गया मगर उस से कलाम न किया तो औरत को तलाक़ न हुई और अगर जाना कई बार हुआ और कलाम एक बार तो एक तलाक़ हुई (आलमगीरी)

मसअला :– शौहर ने दरवाज़े की कुन्डी बजाई कि खोल दिया जाये और खोला न गया उस ने कहा अगर आज रात में तू दरवाज़ा न खोले तो तुझ को तलाक़ है और घर में कोई था ही नहीं कि दरवाज़ा खोलता यूँही रात गुज़र गई तो तलाक़ न हुई यूँही अगर जेब में रुपया था मगर मिला नहीं उस पर कहा अगर वह रुपया कि तूने मेरी जेब से लिया है वापस न करे तो तुझ को तलाक़ है फिर देखा तो रुपया जेब ही में था तो तलाक़ वाक़ेअ् न हुई (ख़ानिया वग़ैरा)

मसअला :– औरत को हैज़ है और कहा अगर तू हाइज़ हो तो तुझ को तलाक़ या औरत बीमार है और कहा अगर तू बीमार हो तो तुझ को तलाक़ तो इस से वह हैज़ या मर्ज़ मुराद है कि ज़माना आइन्दा में हो और अगर उस मौजूद की नियत की तो सहीह है और अगर कहा कि कल अगर तू हाइज़ हो तो तुझ को तलाक़ और उसे इल्म है कि हैज़ से है तो यही हैज़ मुराद है लिहाज़ा अगर सुब्ह चमकते वक़्त हैज़ रहा तो तलाक़ हो गई जबकि उस वक़्त तीन दिन पूरे या उस से ज़ाइद हों और अगर उसे इस हैज़ का इल्म नहीं तो जदीद हैज़ मुराद होगा लिहाज़ा तलाक़ न होगी और अगर खड़े होने, बैठने, सवार होने, मकान में रहने पर तअ्लीक़ की और कहते वक़्त वह बात मौजूद थी तो उस कहने के कुछ बाद तक अगर औरत उसी हालत पर रही तो तलाक़ होगई और मकान में दाख़िल होने या मकान से निकलने पर तअ्लीक़ की तो आइन्दा का जाना और निकलना मुराद है और मारने, खाने से मुराद वह है जो अब कहने के बाद होगा और रोज़ा रखने पर मुअल्लक़ किया और थोड़ी देर भी रोज़ा की नियत से रही तो तलाक़ होगई और अगर यह कहा कि एक दिन अगर तू रोज़ा रखे तो उस वक़्त तलाक़ होगी कि उस दिन का अफ़ताब डूब जाये (आलमगीरी)

मसअला :– यह कहा अगर तुझे हैज़ आये तो तलाक़ है तो औरत को ख़ून आते ही तलाक़ का हुक्म न देंगे जब तक तीन दिन रात तक मुस्तमिर (गुज़र जायें) न हो और जब यह मुद्दत पूरी होगी तो उसी वक़्त से तलाक़ का हुक्म देंगे जब से ख़ून देखा है और यह तलाक़ बिदई होगी कि हैज़ में वाक़ेअ् हुई और यह कहा कि अगर तुझे पूरा हैज़ आये या आधा या तिहाई या चौथाई तो इन सब सूरतों में हैज़ ख़त्म होने पर तलाक़ होगी फिर अगर दस दिन पर हैज़ ख़त्म हो तो ख़त्म होते ही और कम में मुन्क़तअ् (ख़त्म) हो तो नहाने या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने पर होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हैज़ और एहतिलाम वग़ैरा मख़्फ़ी (छुपी हुई) चीज़ें औरत के कहने पर मान ली जायेंगी मगर दूसरे पर उस का कुछ असर नहीं मसलन औरत से कहा अगर तुझे हैज़ आये तो तुझ को और फुलानी को तलाक़ है और औरत ने अपना हाइज़ होना बताया तो खुद उस को तलाक़ हो गई दूसरी को नहीं हाँ अगर शौहर ने उस की तस्दीक़ की या उस का हाइज़ होना यक़ीन के साथ मालूम हुआ तो दूसरी को भी तलाक़ होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी की दो औरतें हैं दोनों से कहा जब तुम दोनों को हैज़ आये तो दोनों को तलाक़ है दोनों ने कहा हमें हैज़ आया और शौहर ने दोनों की तस्दीक़ की तो दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और दोनों की तकज़ीब की तो किसी को नहीं और एक की तस्दीक़ की और एक की तकज़ीब तो जिस की तस्दीक़ की है उसे तलाक़ हुई और जिस की तकज़ीब की उस को नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि तू लड़का जने तो एक तलाक़ और लड़की जने तो दो और लड़का लड़की दोनों पैदा हुए तो जो पहले पैदा हुआ उसी के ब मोजिब (मुताबिक़) तलाक़ वाक़ेअ् होगी और मालूम न हो कि पहले क्या पैदा हुआ तो क़ाज़ी एक तलाक़ का हुक्म देगा और एहतियात यह है कि शौहर दो तलाक़ें समझे और इद्दत भी दूसरे बच्चा पैदा होने से पूरी हो गई लिहाज़ा अब रजअ़त भी नहीं कर सकता और दोनों एक साथ पैदा हों तो तीन तलाक़ें होंगी और इद्दत हैज़ से पूरी करे और खुन्सा पैदा हो तो एक अभी वाक़ेअ् मानी जायेगी और दूसरी का हुकम उस वक़्त तक मौक़ूफ़ (रुका) रहेगा जब तक उस का हाल न खुले और अगर लड़का और दो लड़कियाँ हुए तो क़ाज़ी दो का हुक्म देगा और एहतियात यह है कि तीन समझे और अगर दो लड़के और एक लड़की हुई तो क़ाज़ी एक का हुक्म देगा और एहतियातन तीन समझे (दुर्रे मुख़्तार, रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह कहा कि जो कुछ तेरे शिकम में है अगर लड़का है तो तुझ को एक तलाक़ और लड़की है तो दो और लड़का लड़की दोनों पैदा हुए तो कुछ नहीं यूँहीं अगर कहा कि बोरी में जो कुछ है अगर गेहूँ हैं तो तुझे तलाक़ या आटा है तो तुझे तलाक़ और बोरी में गेहूँ और आटा दोनों हैं तो कुछ नहीं और यूँ कहा कि अगर तेरे पेट में लड़का है तो एक तलाक़ और लड़की तो दो और दोनों हुईं तो तीन तलाक़ें हुए (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तेरे बच्चा पैदा हो तो तुझ को तलाक़ अब औरत कहती है मेरे बच्चा पैदा हुआ और शौहर तकज़ीब (झुटलाना) करता है और हमल ज़ाहिर न था न शौहर ने हमल का इक़रार किया था तो सिर्फ़ जनाई की शहादत पर हुक्मे तलाक़ न देंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर तू बच्चा जने तो तलाक़ है और मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तलाक़ होगई और कच्चा बच्चा जनी और बाज़ अअ्ज़ा बन चुके थे जब भी तलाक़ होगई वरना नहीं(जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू बच्चा जने तो तुझ को तलाक़ फिर कहा अगर तू उसे लड़का जने तो दो तलाक़ें और लड़का हुआ तो तीन वाक़ेअ् हो गईं (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– और अगर यूँ कहा कि तू अगर बच्चा जने तो तुझ को दो तलाक़ें फिर कहा वह बच्चा कि तेरे शिकम में है लड़का हो तो तुझ को तलाक़ और लड़का हुआ तो एक ही तलाक़ होगी और बच्चा पैदा होते ही इद्दत भी गुज़र जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हमल पर तलाक़ मुअ़ल्लक़ की हो तो मुस्तहब यह है कि इस्तिबरा यानी हैज़ के बाद वती करे कि शायद हमल हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर दो शर्तों पर तलाक़ मुअ़ल्लक़ की मसलन जब ज़ैद आये और जब अम्र आये या जब ज़ैद व अम्र आयें तो तुझ को तलाक़ है तो तलाक़ उस वक़्त वाक़ेअ् होगी कि पिछली शर्त उस की मिल्क में पाई जाये अगर्चे पहली उस वक़्त पाई गई कि औरत मिल्क में न थी मसलन उसे तलाक़ देदी थी और इद्दत गुज़र चुकी थी अब ज़ैद आया फिर उस से निकाह किया अब अम्र आया तो तलाक़ वाक़ेअ् हो गई और दूसरी शर्त मिल्क में न हो तो पहली अगर्चे मिल्क में पाई गई तलाक़ न हुई(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– वती पर तीन तलाक़ें मुअ़ल्लक़ की थीं तो हशफ़ा दाख़िल होने से तलाक़ हो जायेगी और वाजिब है कि फ़ौरन जुदा हो जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अपनी औरत से कहा जब तक तू मेरे निकाह में है अगर मैं किसी औरत से निकाह करूँ तो उसे तलाक़ फिर औरत को तलाक़ बाइन दी और इद्दत के अन्दर दूसरी औरत से निकाह किया तो तलाक़ न हुई और रजई की इद्दत में थी तो हो गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी की तीन औरतें हैं एक से कहा अगर मैं तुझे तलाक़ दूँ तो उन दोनों को भी तलाक़ है फिर दूसरी और तीसरी से भी यूँही कहा फिर पहली को एक तलाक़ दी तो उन दोनों को भी एक एक हुई और अगर दूसरी को एक तलाक़ दी तो पहली को एक हुई और दूसरी और तीसरी पर दो दो और अगर तीसरी औरत को एक तलाक़ दी तो उस पर तीन हुई और दूसरी पर दो और पहली पर एक (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर उस शब में तू मेरे पास न आई तो तुझे तलाक़ औरत दरवाज़ा तक आई अन्दर न गई तलाक़ हो गई और अगर अन्दर गई मगर शौहर सो रहा था तो न हुई और पास आने में शर्त है कि इतनी क़रीब आजाये कि शौहर हाथ बढ़ाये तो औरत तक पहुँच जाये मर्द ने औरत को बुलाया उस ने इन्कार किया उस पर कहा अगर तू न आई तो तुझ को तलाक़ है फिर शौहर ख़ुद ज़बर दस्ती उसे ले आया तलाक़ न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कोई शख़्स मकान में है लोग उसे निकलने नहीं देते उस ने कहा अगर मैं यहाँ सोऊँ तो मेरी औरत को तलाक़ है उसका मक़सद ख़ास वह जगह है जहाँ बैठा या खड़ा है फिर उसी मकान में सोया मगर उस जगह से हट कर तो क़ज़ाअ्न तलाक़ हो जायेगी दियानतन नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू अपने भाई से मेरी शिकायत करेगी तो तुझको तलाक़ है उस का भाई आया औरत ने किसी बच्चे को मुख़ातब कर के कहा मेरे शौहर ने ऐसा किया ऐसा किया और उसका भाई सब सुन रहा है तलाक़ न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आपस में झगड़ रहे थे मर्द ने कहा अगर तू चुप न रहेगी तो तुझ को तलाक़ है औरत ने कहा नहीं चुप होंगी इस के बाद ख़ामोश हो गई तलाक़ न हुई यूँही अगर कहा कि तू चीख़ेगी तो तुझ को तलाक़ है औरत ने कहा चीख़ूँगी तो मगर फिर चुप हो गई तलाक़ न हुई यूँही अगर कहा कि फ़लाँ का ज़िक्र करेगी तो ऐसा है औरत ने कहा मैं उस का ज़िक्र न करूँगी या कहा जब तू मनअ् करता है तो उस का ज़िक्र न करूँगी तलाक़ न होगी कि इतनी बात मुस्तस्ना है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने फ़ाक़ा कशी की शिकायत की शौहर ने कहा अगर मेरे घर तू भूकी रहे तो तुझे तलाक़ है तो अलावा सेज़े के भूकी रहने पर तलाक़ होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर तू फ़ुलाँ के घर जाये तो तुझ को तलाक़ है और वह शख़्स मर गया और मकान तरका में छोड़ा अब वहाँ जाने से तलाक़ न होगी यूँहीं अगर बैअ् (बेचने) या हिबा (देदेना) या किसी और वजह से उसकी मिल्क में मकान न रहा जब भी तलाक़ न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू बग़ैर मेरी इजाज़त के घर से निकली तो तुझ पर तलाक़ फिर साइल ने दरवाज़े पर सवाल किया शौहर ने औरत से कहा उसे रोटी का टुकड़ा दे आ अगर साइल दरवाज़ा से इतने फ़ासिले पर है कि बग़ैर बाहर निकले नहीं दे सकती तो बाहर निकलने से तलाक़ न होगी और अगर बग़ैर बाहर निकले दे सकती थी मगर निकली तो तलाक़ हो गई और अगर जिस वक़्त शौहर ने औरत को भेजा था उस वक़्त साइल दरवाज़ा से क़रीब था और जब औरत वहाँ ले कर पहुँची तो हट गया था कि औरत को निकल कर देना पड़ा जब भी तलाक़ होगई और अगर अरबी में इजाज़त दी और औरत अरबी न जानती हो तो इजाज़त न हुई लिहाज़ा अगर

निकलेगी तलाक़ हो जायेगी यूहीं सोती थी या मौजूद न थी या उस ने सुना नहीं तो यह इजाज़त नाकाफ़ी है यहाँ तक कि शौहर ने अगर लोगों के सामने कहा कि मैंने उसे निकलने की इजाज़त दी मगर यह न कहा कि उस से कहदो या ख़बर पहुँचा दो और लोगों ने बतौर ख़ुद औरत से जाकर कहा कि उस ने इजाज़त देदी और उन के कहने से औरत निकली तलाक़ हो गई अगर औरत ने मैके जाने की इजाज़त माँगी शौहर ने इजाज़त दी मगर औरत उस वक़्त न गई किसी और वक़्त गई तो तलाक़ हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– इस बच्चे को अगर घर से बाहर निकलने दिया तो तुझ को तलाक़ है औरत ग़ाफ़िल हो गयी या नमाज़ पढ़ने लगी और बच्चा निकल भागा तो तलाक़ न होगी अगर तू इस घर के दरवाज़े से निकली तो तुझ पर तलाक़ औरत छत पर से पड़ोस के मकान में गई तलाक़ न हुई (आलमगीरी)

मसअला :– तुझ पर तलाक़ है या मैं मर्द नहीं, तो तलाक़ होगई और अगर कहा तुझ पर तलाक़ है या मैं मर्द हूँ तो न हुई (ख़ानिया)

मसअला :– अपनी औरत से कहा अगर तू मेरी औरत है तो तुझे तीन तलाक़ें और उस के मुत्तसिल (मिलकर) ही अगर एक तलाक़ बाइन देदी तो यही एक पड़ेगी वरना तीन (ख़ानिया)

इस्तिसना का बयान

(इस्तिसना :– किसी आम हुक्म से किसी शख़्स या चीज़ को अलग करना) इस्तिसना के लिए शर्त यह है कि कलाम के साथ मुत्तसिल हो यानी बिला वजह न सुकूत किया हो न कोई बेकार बात दरमियान में कही हो और यह भी शर्त है कि इतनी आवाज़ से कहे कि अगर शोर व गुल वग़ैरा कोई मानेअ् (रुकावट)न हो तो ख़ुद सुन सके बहरे का इस्तिसना सहीह है।

मसअला :– औरत ने तलाक़ के अल्फ़ाज़ सुने मगर इस्तिसना (ऐसा लफ़्ज़ तो तलाक़ के हुक्म से अलग करता हो) न सुना तो जिस तरह मुमकिन हो शौहर से अलाहिदा हो जाये उसे जिमाअ् न करने दे (ख़ानिया)

मसअला :– साँस या छींक या खाँसी या डकार या जमाही या ज़बान की गिरानी की वजह से या उस वजह से कि किसी ने उस का मुँह बन्द कर दिया अगर वक़्फ़ा हुआ तो इत्तिसाल (मिलने) के मनाफ़ी नहीं यूहीं अगर दरमियान में कोई मुफ़ीद बात कही तो इत्तिसाल के मनाफ़ी (ख़िलाफ़)नहीं मसलन ताकीद की नियत से लफ़्ज़ तलाक़ दो बार कह कर इस्तिसना का लफ़्ज़ बोला(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– दरमियान में कोई ग़ैर मुफ़ीद बात कही फिर इस्तिसना किया तो सहीह नहीं मसलन तुझ को तलाक़ रजई है इन्शाअल्लाह तो तलाक़ हो गई और अगर कहा तुझ को तलाक़ बाइन है इन्शाअल्लाह तो वाक़ेअ् न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लफ़्ज़ इन्शाअल्लाह अगर्चे बज़ाहिर शर्त मालूम होता है मगर उस का शुमार इस्तिसना में है मगर उन्हीं चीज़ों में जिन का वुजूद बोलने पर मौक़ूफ़ है मसलन तलाक़ व हल्फ़ वग़ैरहुमा और जिन चीज़ों को तलफ़्फ़ुज़ से ख़ुसूसियत नहीं वहाँ इस्तिसना के मअ्ना नहीं मसलन यह कहा नवयतु अन असूमा ग़दन इन्शाअल्लाहु तआला कि यहाँ न इस्तिसना है न नियत रोज़ा पर उसका असर बल्कि यह लफ़्ज़ ऐसे मक़ाम पर बरकत व तलबे तौफ़ीक़ के लिए होता है (रदुल मुहतार)

मसअला :– औरत से कहा तुझ को तलाक़ है इन्शाअल्लाहु तआला तलाक़ वाक़ेअ् न हुई अगर्चे इन्शाअल्लाह कहने से पहले मर गई और अगर शौहर इतना लफ़्ज़ कह कर कि तुझ को तलाक़ है

मर गया। इन्शाअल्लाह कहने की नौबत न आई मगर उस का इरादा उस के कहने का भी था तो तलाक़ होगई रहा यह कि क्योंकर मालूम हुआ कि उस का इरादा ऐसा था यह यूँ मालूम हुआ कि पहले से उस ने कह दिया था कि मैं अपनी औरत को तलाक़ दे कर इस्तिसना करूँगा (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअला :– इस्तिसना में यह शर्त नहीं कि बिलक़स्द कहा हो बल्कि बिला क़स्द ज़बान से निकल गया जब भी तलाक़ वाक़ेअ् न होगी बल्कि अगर उस के मअ्ना भी ना जानता हो जब भी वाक़ेअ् न होगी और यह भी शर्त नहीं कि लफ़्ज़ तलाक़ व इस्तिसना दोनों बोले बल्कि अगर ज़बान से तलाक़ का लफ़्ज़ कहा और फ़ौरन लफ़्ज़ इन्शाअल्लाह लिख दिया या तलाक़ लिखी और ज़बान से इन्शाअल्लाह कह दिया जब भी तलाक़ वाक़ेअ् न हुई या दोनों को लिखा फिर इस्तिसना मिटा दिया तलाक़ वाक़ेअ् न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दो शख़्सों ने शहादत दी कि तूने इन्शाअल्लाह कहा था मगर उसे याद नहीं तो अगर उस वक़्त गुस्सा ज़्यादा था और लड़ाई झगड़े की वजह से यह एहतिमाल है कि बवजह मशग़ूली याद न होगा तो उन की बात पर अमल कर सकता है और अगर इतनी मशग़ूली न थी कि भूल जाता तो उन का क़ौल न माने (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअला :– तुझ को तलाक़ है मगर यह कि ख़ुदा चाहे, या अगर ख़ुदा न चाहे, या जो अल्लाह चाहे, या जब ख़ुदा चाहे, या मगर जो ख़ुदा चाहे, या जब तक ख़ुदा न चाहे, या अल्लाह की मशीयत या इरादा, या रज़ा के साथ या अल्लाह की मशीयत या इरादा या उस की रज़ा, या हुक्म, या इज़्न, या अम्र में तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और अगर यूँ कहा कि अल्लाह के अम्र, या हुक्म, या इज़्न या इल्म, या क़ज़ा या, क़ुदरत से या अल्लाह के इल्म या उस की मशीयत या इरादा या हुक्म वग़ैरहा के सबब तो होजायेगी।(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ऐसे की मशीयत पर तलाक़ मुअ़ल्लक़ की जिस की मशीयत का हाल मालूम न हो सके या उस के लिए मशीयत ही न हो तो तलाक़ न होगी जैसे जिन व मलाइका और दीवार और गधा वग़ैरहा यूँही अगर कहा कि अगर ख़ुदा चाहे और फ़ुलाँ(इस तरह कहना नाजाइज़ है कि मशियते ख़ुदा के साथ बन्दे की मशियते को जमा किया) तो तलाक़ न होगी अगर्चे फ़ुलाँ का चाहना मालूम हो यूँही अगर किसी से कहा तू मेरी औरत को तलाक़ दे दे अगर अल्लाह चाहे और तू या जो अल्लाह चाहे और तू और उस ने तलाक़ देदी वाक़ेअ् न हुई (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत से कहा तुझ को तलाक़ है अगर अल्लाह मेरी मदद करे या अल्लाह की मदद से और नियत इस्तिसना की है तो दियानतन तलाक़ न हुई (आलमगीरी)

मसअला :– तुझ को तलाक़ है अगर फ़ुलाँ चाहे या इरादा करे या पसन्द करे या ख़्वाहिश करे या मगर यह कि फ़ुलाँ उस के ग़ैर का इरादा करे या पसन्द करे या ख़्वाहिश करे या चाहे या मुनासिब जाने तो यह तमलीक है लिहाज़ा जिस मज्लिस में उस शख़्स को इल्म हुआ अगर उस ने तलाक़ चाही तो हुई वरना नहीं यानी अपनी ज़बान से अगर तलाक़ चाहना ज़ाहिर किया होगई अगर्चे दिल में न चाहता हो (आलमगीरी)

मसअला :– तुझ को तलाक़ अगर तेरा महर न होता या तेरी शराफ़त न होती या तेरा बाप न होता या तेरा हुस्न व जमाल न होता या अगर मैं तुझ से महब्बत न करता होता इन सब सूरतों में तलाक़ न होगी (आलमगीरी)

मसअला :– अगर इन्शाअल्लाह को मुक़द्दम किया यानी यूँ कहा इन्शाअल्लाह तुझ को तलाक़ है जब भी तलाक़ न होगी और अगर यूँ कहा कि तुझ को तलाक़ है इन्शाअल्ला अगर तू घर में गई तो

मकान में जाने से तलाक़ न होगी अगर इन्शाअल्लाह दो जुमले तलाक़ के दरमियान में हो मसलन कहा तुझ को तलाक़ है इन्शाअल्लाह तुझ को तलाक़ है तो इस्तिसना पहले की तरफ़ रुजूअ् करेगा लिहाज़ा दूसरे से तलाक़ होजायेगी यूँ अगर कहा तुझ को तलाक़ें हैं इन्शाअल्लाह तुझ पर तलाक़ है तो एक वाक़ेअ् होगी (बहर दुर्रे मुख़्तार ख़ानिया)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझ पर एक तलाक़ है अगर ख़ुदा चाहे और तुझ पर दो तलाक़ें अगर ख़ुदा न चाहे तो एक भी वाक़ेअ् न होगी और अगर कहा तुझ पर आज एक तलाक़ है अगर ख़ुदा चाहे और अगर ख़ुदा न चाहे तो दो और आज का दिन गुज़र गया और औरत को तलाक़ न दी तो दो वाक़ेअ् हुई और अगर उस दिन एक तलाक़ देदी तो यही एक वाक़ेअ् होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर तीन तलाक़ें देकर उन में से एक या दो का इस्तिसना करे तो यह इस्तिसना सहीह है यानी इस्तिसना के बाद जो बाक़ी है वाक़ेअ् होंगी मसलन कहा तुझ को तीन तलाक़ें हैं मगर एक तो दो होंगी और अगर कहा मगर दो तो एक होगी और कुल का इस्तिसना सहीह नहीं ख़्वाह उसी लफ़्ज़ से हो मसलन तुझ पर तीन तलाक़ें मगर तीन या ऐसे लफ़्ज़ से हो जिस के मअ्ना कुल के मसावी (बराबर) हों मसलन कहा तुझ पर तीन तलाक़ें हैं मगर एक और एक और एक या मगर दो और एक तो उन सूरतों में तीनों वाक़ेअ् होंगी या उस की कई औरतें हैं सब को मुख़ातब कर के कहा तुम सब को तलाक़ है मगर फ़ुलानी और फ़ुलानी और फ़ुलानी नाम लेकर सब का इस्तिसना कर दिया तो सब मुतल्लक़ा हो जायेंगी और अगर बाएअ्तिबार मअ्ना के वह लफ़्ज़ मसावी न हो अगर्चे उस ख़ास सूरत में मसावी हो तो इस्तिसना सहीह है मसलन कहा मेरी हर औरत पर तलाक़ मगर फ़ुलानी पर तो तलाक़ न होगी अगर्चे उसकी यही दो औरतें हों (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– तुझ को तलाक़ है, तुझ को तलाक़ है, तुझ को तलाक़ है, मगर एक, या कहा तुझ को तलाक़ है एक और एक और एक मगर एक तो उन दोनों सूरतों में तीन पड़ेंगी कि हर एक मुस्तक़िल कलाम है और हर एक से इस्तिसना का तअ्ल्लुक़ हो सकता है और इस्तिसना चूँकि हर एक का मसावी(बराबर)है लिहाज़ा सहीह नहीं। (बहर)

मसअ्ला :– अगर तीन से ज़ाइद तलाक़ देकर उन में से कम का इस्तिसना किया तो सहीह है और इस्तिसना के बाद जो बाक़ी है वाक़ेअ् होंगी मसलन कहा तुझ पर दस तलाक़ें हैं मगर नौ तो एक होगी और आठ का इस्तिसना किया तो दो होंगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इस्तिसना अगर अस्ल पर ज़्यादा हो तो बातिल है मसलन तुझ पर तीन तलाक़ें मगर चार, पाँच तो तीन वाक़ेअ् होंगी यूँही जुज़ वे तलाक़ का इस्तिसना भी बातिल है मसलन कहा तुझ पर तीन तलाक़ें मगर निस्फ़ तो तीन वाक़ेअ् होंगी और तीन में से डेढ़ का इस्तिसना किया तो दो वाक़ेअ् होंगी (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझ को तलाक़ है मगर एक तो दो वाक़ेअ् होंगी कि एक से एक का इस्तिसना तो हो नहीं सकता लिहाज़ा तलाक़ से तीन तलाक़ें मुराद हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चन्द इस्तिसना जमअ् किए तो उस की दो सूरतें हैं उन के दरमियान और का लफ़्ज़ है तो हर एक उसी अव्वल कलाम से इस्तिसना है मसलन तुझ पर दस तलाक़ें हैं मगर पाँच और मगर तीन और मगर एक तो एक होगी और अगर दरमियान में और का लफ़्ज़ नहीं तो एक एक अपने मा क़ब्ल से इस्तिसना है मसलन तुझ पर दस तलाक़ें मगर नौ मगर आठ मगर सात तो दो होंगी (दुर्रे मुख़्तार)

तलाक़े मरीज़ का बयान

अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि फ़रमाया अगर मरीज़ तलाक़ दे तो औरत जब तक इद्दत में है शौहर की वारिस है और शौहर उस का वारिस नहीं फ़त्हुलक़दीर वग़ैरा में है कि हज़रत अ़ब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपनी ज़ौजा को मर्ज़ में तलाक़े बाइन दी और इद्दत में उन की वफ़ात हो गई तो हज़रत उ़समान ग़नी रदिसल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने उन की ज़ौजा को मीरास दिलाई और यह वाक़िआ़ मजमअ् सहाबा–ए–किराम के सामने हुआ और किसी ने इन्कार न किया लिहाज़ा इस पर इजमाअ् (उ़लमा ज़माना किसी मसअ्ले पर एक राय हो जायें उसे इमजाअ् कहते हैं)हो गया।

मसअ्ला :– मरीज़ से मुराद वह शख़्स है जिस की निस्बत ग़ालिब गुमान हो कि उस मर्ज़ से हलाक हो जायेगा कि मर्ज़ ने उसे इतना लाग़र कर दिया है कि घर से बाहर के काम के लिए नहीं जा सकता मसलन नमाज़ के लिए मस्जिद को न जा सकता हो या ताजिर अपनी दुकान तक न जा सकता हो और यह अकसर के लिहाज़ से है वरना अस्ल हुक्म यह है कि उस मर्ज़ में ग़ालिब गुमान मौत हो अगर्चे इबतिदाअन जबकि शिद्दत न हुई हो बाहर जासकता हो मसलन हैज़ा वग़ैरहा अमराज़े मुहलिका (हलाक करने वाली बिमारियों)में बाज़ लोग घर से बाहर के भी काम कर लेते हैं मगर ऐसे अमराज़ में ग़ालिब गुमान हलाक होने का है यूँही यहाँ मरीज़ के लिए साहिबे फ़राश होना भी ज़रूरी नहीं और अमराज़ मुज़मिना मसलन सिल, फ़ालिज अगर रोज़ बरोज़ ज़्यादती पर हों तो यह भी मर्ज़ुल मौत हैं और अगर एक हालत पर क़ाइम हो गये और पुराने हो गये यानी एक साल का ज़माना गुज़र गया तो अब उस शख़्स के तसर्रुफ़ात तन्दुरुस्त की मिस्ल नाफ़िज़ होंगे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मरीज़ ने औरत को तलाक़ दी तो उसे फ़ार बित्तलाक़ कहते हैं कि वह ज़ौजा को तरका से महरुम करना चाहता है और उस के अहकाम आगे आते हैं।

मसअ्ला :– जो शख़्स लड़ाई में दुश्मन से लड़ रहा हो वह भी मरीज़ के हुक्म में है अगर्चे मरीज़ नहीं कि ग़ालिब ख़ौफ़े हलाक है यूँही जो शख़्स क़िसास में क़त्ल के लिए या फ़ाँसी देने के लिए संगसार करने के लिए लाया गया या शेर वग़ैरा किसी दरिन्दा ने उसे पछाड़ा या कश्ती में सवार है और कश्ती मौज के तलातुम में पड़ गई या कश्ती टूट गई और यह उस के किसी तख़्ता पर बहता हुआ जा रहा है तो यह सब मरीज़ के हुक्म में हैं जबकि उसी सबब से मर भी जायें और अगर वह सबब जाता रहा फिर किसी और वजह से मर गये तो मरीज़ नहीं और अगर शेर के मुँह से छूट गया मगर ज़ख़्म ऐसा कारी लगा है कि ग़ालिब गुमान यही है कि उस से मर जायेगा तो अब भी मरीज़ है (फ़त्ह, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– मरीज़ ने तबर्रुअ् किया मसलन अपनी जाइदाद वक़्फ़ करदी, या किसी अजनबी को हिबा कर दिया या किसी औरत से महरे मिस्ल से ज़्यादा पर निकाह किया तो सिर्फ़ तिहाई माल में उस का तसर्रुफ़ नाफ़िज़ होगा कि यह अफ़आ़ल वसियत के हुक्म में हैं।

मसअ्ला :– औरत को तलाक़े रजई दी और इद्दत के अन्दर मरगया तो मुतलक़न औरत वारिस है सेहत में तलाक़ दी हो या मर्ज़ में औरत की रज़ा मन्दी से दी हो या बग़ैर रज़ा यूहीं अगर औरत किताबिया थी या बान्दी और तलाक़ रजई की इद्दत में मुसलमान हो गई या आज़ाद करदी गई और शौहर मरगया तो मुतलक़न वारिस है अगर्चे शौहर को उस के मुसलमान होने या आज़ाद होने की ख़बर न हो (आलमगीरी)

मसअला :– अगर मर्ज़ुलमौत में औरत को बाइन तलाक़ दी हो या ज़्यादा और उसी मर्ज़ में इद्दत के अन्दर मरगया ख़्वाह उसी मर्ज़ से मरा या किसी और सबब से मसलन क़त्ल कर डाला गया तो औरत वारिस है जबकि बाइख़्तियार खुद और औरत की बग़ैर रज़ा मन्दी के तलाक़ दी हो बशर्ते कि बवक़्ते तलाक़ औरत वारिस होने की सलाहियत भी रखती हो अगर्चे शौहर को उस का इल्म न हो मसलन औरत किताबिया थी या कनीज़ और उस वक़्त मुसलमान या आज़ाद हो चुकी थी और अगर इद्दत गुज़रने के बाद मरा या उस मर्ज़ से अच्छा हो गया फिर मरगया ख़्वाह उसी मर्ज़ में फिर मुबतला हो कर मरा या किसी और सबब से या तलाक़ देने पर मजबूर किया गया यानी मार डालने या उज़्व काटने की सहीह धमकी दी गई हो या औरत की रज़ा से तलाक़ दी तो वारिस न होगी और अगर क़ैद की धमकी दी गई और तलाक़ देदी तो औरत वारिस है और अगर औरत तलाक़ पर राज़ी न थी मगर मजबूर की गई कि तलाक़ तलब करे और औरत की तलब पर तलाक़ दी तो वारिस होगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– यह हुक्म कि मर्ज़ुल मौत में औरत बाइन की गई और शौहर इद्दत के अन्दर मरजाये तो बशराइते साबिक़ा औरत वारिस होगी तलाक़ के साथ ख़ास नहीं बल्कि जो जुदाई शौहर की जानिब से हो सब का यही हुक्म है। मसलन शौहर ने बख़ियारे बुलूग़ औरत को बाइन किया या औरत की माँ या लड़की का शहवत से बोसा लिया या मआज़ल्लाह मुरतद होगया और जो जुदाई जानिबे ज़ौजा से हो उस में वारिस न होगी मसलन औरत ने शौहर के लड़के का शहवत के साथ बोसा लिया या मुरतद हो गई या खुलअ़ कराया यूहीं अगर ग़ैर की जानिब से हो मसलन शौहर के लड़के ने औरत का बोसा लिया अगर्चे औरत को मजबूर किया हो हाँ अगर उस के बाप ने हुक्म दिया हो तो वारिस होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मरीज़ ने औरत को तीन तलाक़ें दी थीं उस के बाद औरत मुरतद्दा हो गई फिर मुसलमान हुई अब शौहर मरा तो वारिस न होगी अगर्चे अभी इद्दत पूरी न हुई हो (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने तलाक़े रजई या तलाक़ का सवाल किया था मर्द मरीज़ ने तलाक़े बाइन या तीन तलाक़ें दे दीं और इद्दत में मर गया तो औरत वारिस है यूहीं औरत ने बतौर खुद अपने को तीन तलाक़ें दे ली थीं और शौहर मरीज़ ने जाइज़ करदीं तो वारिस होगी और अगर शौहर ने औरत को इख़्तियार दिया था औरत ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या शौहर ने कहा था तू अपने को तीन तलाक़ें देदे औरत ने देदीं तो वारिस न होगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– मरीज़ ने औरत को तलाक़े बाइन दी थी और औरत इसना–ए–इद्दत(इद्दत के दरमियान) में मर गई तो यह शौहर उस का वारिस न होगा और अगर रजई तलाक़ थी तो वारिस होगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़त्ल के लिए लाया गया था मगर फिर क़ैद ख़ाना को वापस कर दिया गया या दुश्मन से मैदाने जंग में लड़ रहा था फिर सफ़ में वापस गया तो यह उस मरीज़ के हुक्म में है कि अच्छा होगया लिहाज़ा इस हालत में तलाक़ दी थी और इद्दत के अन्दर मारा गया तो औरत वारिस न होगी (आलमगीरी)

मसअला :– मरीज़ ने तलाक़ दी थी और खुद औरत ने उसे इद्दत के अन्दर क़त्ल कर डाला तो वारिस न होगी कि क़ातिल मक़्तूल का वारिस नहीं (आलमगीरील)

मसअला :– औरत मरीज़ा थी और उस ने कोई ऐसा काम किया जिस की वजह से शौहर से फ़ुर्क़त होगई मसलन ख़ियारे बुलूग़ व इत्क़ या शौहर के लड़के का बोसा लेना वग़ैरहा फिर मरगई तो शौहर उस का वारिस होगा (आलमगीरी)

मसअला :– मरीज़ ने औरत को तलाक़े बाइन दी थी और औरत ने शौहर के बेटे का बोसा लिया

या मुतावअ़त की या मर्ज़ की हालत में लिआ़न (लिआ़न का बयान आगे है) किया या मर्ज़ की हालत में ईला (ईला के मअ़ना यह हैं कि शौहर ने यह कसम खाई कि औरत से कुर्बत न करेगा या चार महीने कुर्बत न करेगा)(क़ादरी)किया और उस की मुद्दत गुज़रगई तो औरत वारिस होगी और अगर्चे रजई तलाक़ में इब्ने ज़ौज (शौहर का लड़का) का बोसा इद्दत में लिया तो वारिस न होगी कि अब फ़ुर्क़त जानिबे ज़ौजा से है यूहीं अगर बुलूग़ या इत्क़ या शौहर के नामर्द होने या अज़्वे तनासुल कट जाने की बिना पर औरत को इख़्तियार दिया गया और औरत ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया तो वारिस न होगी कि फ़ुर्क़त जानिबे ज़ौजा से है और अगर सेहत में ईला किया था और मर्ज़ में मुद्दत पूरी हुई तो वारिस न होगी और अगर औरत मरीज़ा से लिआ़न किया और इद्दत के अन्दर मरगई तो शौहर वारिस नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत मरीज़ा थी और शौहर नामर्द औरत को इख़्तियार दिया गया यानी पहले साल भर की शौहर को मीआद दी गई मगर उस मुद्दत में शौहर ने जिमाअ़ न किया फिर औरत को इख़्तियार दिया गया उस ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया और इद्दत के अन्दर मरगई या शौहर ने दुख़ूल के बाद औरत को तलाक़े बाइन दी फिर शौहर का अज़्वे तनासुल कट गया उस के बाद उसी औरत से इद्दत के अन्दर निकाह किया अब औरत को उस का हाल मालूम हुआ उस ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया और मरीज़ा थी इद्दत के अन्दर मरगई तो उन दोनों सूरतों में शौहर उस का वारिस नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– दुश्मनों ने क़ैद कर लिया है या सफ़े क़िताल में है मगर लड़ता नहीं है या बुख़ार वग़ैरा किसी बीमारी में मुबतला है जिस में ग़ालिब गुमान हलाकत न हो या वहाँ ताऊ़न फैला हुआ है या कश्ती पर सवार है और डूबने का ख़ौफ़ नहीं या शेरों के बन में है या ऐसी जगह है जहाँ दुश्मनों का ख़ौफ़ है या क़िसास या रजम के लिए क़ैद है तो इन सूरतों में मरीज़ के हुक्म में नहीं तलाक़ देने के बाद इद्दत में मारा जाये या मर जाये तो औरत वारिस नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हमल की हालत में जानिबे ज़ौजा से तफ़रीक़(बीवी की तरफ़ से जुदाई)वाक़ेअ़ हुई और बच्चा पैदा होने में मर गई तो शौहर वारिस न होगा हाँ अगर दर्दे ज़ेह में ऐसा हो तो वारिस होगा कि अब औरत फ़ारा (औरत तफ़रीक़ कर के शौहर को तरके से महरूम करने वाली) है (आलमगीरी)

मसअला :– मरीज़ ने तलाक़े बाइन किसी ग़ैर के फ़ेअ़ल पर मुअ़ल्लक़ की मसलन अगर फ़ुलाँ यह काम करेगा तो मेरी औरत को तलाक़ है अगर्चे वह ग़ैर खुद उन्हीं दोनों की औलाद हो या किसी वक़्त के आने पर तअ़लीक़ हो मसलन जब फ़ुलाँ वक़्त आये तो तुझ को तलाक़ है और तअ़लीक़ और शर्त का पाया जाना दोनों हालते मर्ज़ में हैं या अपने किसी काम करने पर तलाक़ मुअ़ल्लक़ की मसलन अगर मैं यह काम करूँ तो मेरी औरत को तलाक़ है और तअ़लीक़ व शर्त दोनों मर्ज़ में हैं या तअ़लीक़ सेहत में हो और शर्त का पाया जाना मर्ज़ में या औरत के किसी काम करने पर मुअ़ल्लक़ की और वह काम ऐसा है जिस का करना शरअ़न या तब्अ़न ज़रूरी है मसलन अगर तू खायेगी, या नमाज़ पढ़ेगी, और तअ़लीक़ व शर्त दोनों मर्ज़ में हों या सिर्फ़ शर्त तो इन सूरतों में औरत वारिस होगी और अगर फ़ेअ़ले ग़ैर या किसी वक़्त के आने पर मुअ़ल्लक़ की और तअ़लीक़ व शर्त दोनों या सिर्फ़ तअ़लीक़ सेहत में हो या औरत के फ़ेअ़ल पर मुअ़ल्लक़ किया और वह फ़ेअ़ल ऐसा नहीं जिस का करना औरत के लिए ज़रूरी हो तो इन सूरतों में वारिस नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सेहत की हालत में औरत से कहा अगर मैं और फ़ुलाँ शख़्स चाहें तो तुझ को तीन तलाक़ें हैं फिर शौहर मरीज़ हो गया और दोनों ने एक साथ तलाक़ चाही या पहले शौहर ने चाही फिर उस शख़्स ने तो औरत वारिस न होगी और अगर पहले उस शख़्स ने चाही फिर शौहर ने तो

वारिस होगी (खानिया) और अगर मर्ज़ की हालत में कहा था तो बहर सूरत वारिस होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मरीज़ ने औरत मदखूला को तलाक़ बाइन दी फिर उस से कहा अगर मैं तुझ से निकाह करूँ तो तुझ पर तीन तलाकें और इद्दत के अन्दर निकाह कर लिया तो तलाकें पड़ जायेंगी और अब से नई इद्दत होगी और इद्दत के अन्दर शौहर मर जाये औरत वारिस न होगी (खानिया)

मसअला :– मरीज़ ने अपनी औरत से जो किसी की कनीज़ है यह कहा कि तुझ पर कुल तीन तलाकें और उस के मौला ने कहा तू कल आज़ाद है तो दूसरे दिन की सुबह चमकते ही तलाक़ व आज़ादी दोनों एक साथ होंगी और औरत वारिस न होगी **और अगर** मौला ने पहले कहा था फिर शौहर ने जब भी यही हुक्म है हाँ अगर शौहर ने यूँ कहा कि जब तू आज़ाद हो तो तुझ को तीन तलाकें तो अब वारिस होगी और अगर मौला ने कहा तू कल आज़ाद है और शौहर ने कहा तुझे परसों तलाक़ है अगर शौहर को मौला का कहना मालूम था तो फ़ाररबित्तलाक़ (तलाक़ के ज़रीआ औरत को तर्के से महरूम करना)है वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा जब मैं बीमार हों तो तुझ पर तलाक़ शौहर बीमार हुआ तो तलाक हो गई और इद्दत में मर गया तो औरत वारिस होगी (खानिया)

मसअला :– मुसलमान मरीज़ ने अपनी औरत किताबिया से कहा जब तू मुसलमान हो जाये तो तुझ को तीन तलाकें हैं वह मुसलमान होगई और शौहर इद्दत के अन्दर मरगया तो वारिस न होगी **और अगर कहा** कल तुझ को तीन तलाकें हैं और वह औरत आज ही मुसलमान होगई तो वारिस न होगी और अगर मुसलमान होने के बाद तलाक़ दी तो वारिस होगी अगर्चे शौहर को इल्म न हो (आलमगीरी)

मसअला :– मरीज़ ने अपनी दो औरतों से कहा तुम दोनों अपने को तलाक़ दे लो हर एक ने अपने और सौत को आगे पीछे तलाक़ दी तो पहली ही के तलाक़ देने से दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और उस के बाद दूसरी का तलाक़ देना बेकार है और दूसरी वारिस होगी पहली नहीं और अगर पहली ने सिर्फ़ सौत को तलाक़ दी अपने को नहीं या हर एक ने दूसरी को तलाक़ दी अपने को न दी तो दोनों वारिस होंगी और अगर हर एक ने अपने को और सौत को मअन (साथ–साथ)दी तो दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और वारिस न होंगी और अगर एक ने अपने को तलाक़ दी और दूसरी ने भी उसी को तलाक़ दी तो यही मुतल्लक़ा होगी और यह वारिस न होगी और अगर एक ने सौत को तलाक़ दी फिर उस के बाद दूसरी ने खुद ही को तलाक़ दी तो वारिस होगी। यह सब सूरतें उस वक़्त हैं कि उसी मज्लिस में ऐसा हुआ और अगर मज्लिस बदलने के बाद एक एक ने अपने को और सौत को एक साथ तलाक़ दी या आगे पीछे या एक ने दूसरी को तलाक़ दी बहर हाल दोनों वारिस हैं और हर एक ने अपने को तलाक़ दी तो तलाक़ ही न हुई खुलासा यह है कि जिस सूरत में औरत खुद अपने तलाक़ देने से मुतल्लक़ा हुई हो तो वारिस न होगी वरना होगी (आलमगीरी)

मसअला :– दो औरतें मदखूला हैं शौहर ने सेहत में कहा तुम दोनों में से एक को तीन तलाकें और यह बयान न किया कि किस को फिर जब मरीज़ हुआ तो बयान किया कि वह मुतल्लक़ा फुलाँ औरत है तो यह औरत मीरास से महरूम न होगी और अगर उस शख़्स की उन दो के अलावा कोई और औरत भी है तो उस के लिए निस्फ़ मीरास है और वह औरत जिस का मुतल्लक़ा होना बयान किया गया अगर शौहर से पहले मरगई तो शौहर का बयान सहीह माना जायेगा और दूसरी जो बाक़ी है मीरास लेगी लिहाज़ा अगर कोई तीसरी औरत भी है तो दोनों हक्के ज़ौजियत में बराबर की हक़दार हैं **और अगर** जिस का मुतल्लक़ा होना बयान किया ज़िन्दा है और दूसरी शौहर के पहले

मरगई तो यह निस्फ़ ही की हक़दार है लिहाज़ा अगर कोई और औरत भी है तो उसे तीन रुबअ् (तीन चौथाई) मिलेंगे और उसे एक रुबअ् और अगर शौहर के बयान करने और मरने से पहले उन में की एक मरगई तो अब जो बाक़ी है वही मुतल्लक़ा समझी जायेगी और मीरास न पायेगी और अगर एक के मरने बाद शौहर यह कहता है कि मैंने उसी को तलाक़ दी थी तो शौहर उस का वारिस न होगा मगर जो मौजूद है वह मुतल्लक़ा समझी जायेगी और अगर दोनों आगे पीछे मरीं अब यह कहता है कि पहले जो मरी है उसे तलाक़ दी थी तो किसी का वारिस नहीं **और अगर** दोनों एक साथ मरीं मसलन उन पर दीवार ढ पड़ी या दोनों एक साथ डूब गईं या आगे पीछे मरीं मगर यह नहीं मालूम कि कौन पहले मरी कौन पीछे तो हर एक के माल में जितना शौहर का हिस्सा होता है उस का निस्फ़ निस्फ़ उसे मिलेगा और उस सूरत में कि एक साथ मरीं या मालूम नहीं कि पहले कौन मरी उस ने एक का मुतल्लक़ा होना मुअय्यन किया तो उस के माल में से शौहर को कुछ न मिलेगा और दूसरी के तरका में से निस्फ़ हक़ पायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– सेहत में किसी को तलाक़ की तफ़्वीज़ की उस ने मर्ज़ की हालत में तलाक़ दी तो अगर उसे तलाक़ का मालिक कर दिया था तो औरत वारिस न होगी और अगर वकील किया था और मअ्ज़ूल करने पर क़ादिर था तो वारिस होगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत से मर्ज़ में कहा मैंने सेहत में तुझे तलाक़ दे दी थी और तेरी इद्दत भी पूरी हो चुकी औरत ने उस की तस्दीक़ की फिर शौहर ने इक़रार किया कि औरत का मुझ पर इतना दैन है या उस की फुलाँ शय मुझपर है या उस के लिए कुछ माल की वसियत की तो उस इक़रार व मीरास या वसियत व मीरास में जो कम है औरत वह पायेगी और इस बारे में इद्दत वक़्ते इक़रार से शुरू होगी यानी अब से इद्दत पूरी होने तक के दरमियान में शौहर मरा तो यही कम से कम पायेगी **और अगर** इद्दत गुज़रने पर मरा तो जो कुछ इक़रार किया या वसीयत की कुल पायेगी **और अगर** सेहत में ऐसा कहा था और औरत ने तस्दीक़ करली या वह मर्ज़ मर्ज़ुलमौत न था यानी वह बीमारी जाती रही तो इक़रार वग़ैरा सहीह है अगर्चे इद्दत में मर गया **और अगर** औरत ने तकज़ीब की और शौहर उसी मर्ज़ में वक़्ते इक़रार से इद्दत में मर गया तो इक़रार व वसीयत सहीह नहीं और अगर बादे इद्दत मरा या उस मर्ज़ से अच्छा हो गया था और इद्दत में मरा तो औरत वारिस न होगी और इक़रार व वसियत सहीह हैं **और अगर** मर्ज़ में औरत के कहने से तलाक़ दी फिर इक़रार या वसियत की जब भी वही हुक्म है कि दोनों में जो कम है वह पायेगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने शौहर मरीज़ पर दअ्वा किया कि उस ने उसे तलाक़े बाइन दी और शौहर इनकार करता है क़ाज़ी ने शौहर को हल्फ़ दिया उस ने कसम खाली फिर औरत ने भी शौहर के मरने से पहले उस की तस्दीक़ की तो वारिस होगी और मरने के बाद तस्दीक़ की तो नहीं। जबकि यह दअ्वा हो कि सेहत में तलाक़ बाइन दी थी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर के मरने के बाद औरत कहती है कि उस ने मुझे मर्ज़ुल मौत में बाइन तलाक़ दी थी और मैं इद्दत में थी कि मर गया लिहाज़ा मुझे मीरास मिलनी चाहिए और वुरसा कहते हैं कि सेहत में तलाक़ लिहाज़ा न मिलनी चाहिए तो क़ौल औरत का मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअला :– औरत को मर्ज़ुल मौत में तीन तलाकें दीं और मर गया औरत कहती है मेरी इद्दत पूरी नहीं हुई तो कसम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है अगर्चे ज़माना दराज़ हो गया हो अगर कसम खालेगी वारिस होगी कसम से इन्कार करेगी तो नहीं और अगर शौहर ने भी कुछ नहीं कहा मगर उस ने दूसरे से निकाह किया अब कहती है इतने ज़माने के बाद जिस में इद्दत पूरी हो सकती है

इद्दत पूरी नहीं हुई तो वारिस न होगी और वह दूसरे ही की औरत है और अगर अभी निकाह नहीं किया है मगर कहती है मैं आइसा हूँ तीन महीने की इद्दत पूरी की और शौहर मर गया अब दूसरे से निकाह किया और औरत के बच्चा हुआ या हैज़ आया तो वारिस होगी और दूसरे से जो निकाह किया है यह निकाह नहीं हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने कहा पिछली औरत जिस से निकाह करूँ तो उसे तलाक़ है अगर एक से निकाह करने के बाद दूसरी से मर्ज़ में निकाह किया और शौहर मर गया तो उस औरत को निकाह करते ही तलाक़ हो गई और वारिस न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

रजअ़त का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا "मुतल्लक़ाते रजईया के शौहरों को इद्दत में वापस कर लेने का हक़ है अगर इसलाह मक़सूद हो" **और फ़रमाता है।** وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ "जब औरतों को तलाक़ दो उन की इद्दत पूरी होने के करीब पहुँच जायें तो उन को खूबी के साथ रोक सकते हो।"

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा ने अपनी ज़ौजा को तलाक़ दी थी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को जब उसकी ख़बर पहुँची तो हज़रते उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से इरशाद फ़रमाया कि उन को हुक्म करो कि रजअ़त करलें।

मसअ्ला :– रजअ़त के यह मअ़ना हैं कि जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाक़ी रखना।

मसअ्ला :– रजअ़त उसी औरत से हो सकती है जिस से वती की हो अगर ख़लवते सहीहा हुई मगर जिमाअ़ न हुआ तो नहीं हो सकती अगर्चे उसे शहवत के साथ छुआ या शहवत के साथ फ़र्जे दाख़िल की तरफ़ नज़र की हो। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर दअ़्वा करता है कि यह औरत मेरी मदख़ूला है तो अगर ख़लवत हो चुकी है रजअ़त कर सकता है वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रजअ़त को किसी शर्त पर मुअ़ल्लक किया या आइन्दा ज़माने की तरफ़ मुज़ाफ़ किया मसलन अगर तू घर में गई तो मेरे निकाह में वापस हो जायेगी या कल तू मेरे निकाह में वापस आजायेगी तो यह रजअ़त न हुई और अगर मज़ाक़ या खेल या ग़लती से रजअ़त के अल्फ़ाज़ कहे तो रजअ़त हो गई (बहर)

मसअ्ला :– किसी और ने रजअ़त के अलफ़ाज़ कहे और शौहर ने जाइज़ कर दिया तो होगई। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रजअ़त का मसनून तरीक़ा यह है कि किसी लफ़्ज़ से रजअ़त करे और रजअ़त पर दो आदिल शख़्सों को गवाह करे और औरत को भी उस की ख़बर कर दे कि इद्दत के बाद किसी और से निकाह न कर ले और अगर कर लिया तो तफ़रीक़ कर दी जाये अगर्चे दुखूल कर चुका हो कि यह निकाह न हुआ। और अगर क़ौल से रजअ़त की मगर गवाह न किए या गवाह भी किए मगर औरत को ख़बर न की तो मकरूह ख़िलाफ़े सुन्नत है मगर रजअ़त हो जायेगी और अगर फ़ेअ़्ल से रजअ़त की मसलन उस से वती की या शहवत के साथ बोसा लिया या उस की शर्मगाह की तरफ़ नज़र की तो रजअ़त हो गई मगर मकरूह है उसे चाहिए कि फिर गवाहों के सामने रजअ़त के अल्फ़ाज़ कहे (जौहरा)

मसअ्ला :– शौहर ने रजअ़त कर ली मगर औरत को ख़बर न की उस ने इद्दत पूरी कर के किसी से निकाह कर लिया और रजअ़त साबित हो जाये तो तफ़रीक़ कर दी जायेगी अगर्चे दूसरा दुखूल भी कर चुका हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रजअ़त के अल्फ़ाज़ यह हैं मैंने तुझ से रजअ़त की, या अपनी ज़ौजा से रजअ़त की, या तुझ को वापस लिया, या रोक लिया, यह सब सरीह अल्फ़ाज़ हैं कि इन में बिला नियत भी रजअ़त हो जायेगी या कहा तू मेरे नज़दीक वैसे ही है जैसे थी या तू मेरी औरत है तो अगर ब नियते रजअ़त यह अल्फ़ाज़ कहे हो गई वरना नहीं और निकाह के अल्फ़ाज़ से भी रजअ़त हो जाती है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुतल्लक़ा से कहा तुझ से हज़ार रुपये महर पर मैंने रजअ़त की अगर औरत ने क़बूल किया तो हो गई वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस फ़ेअ़्ल से हुरमते मुसाहिरत होती है उस से रजअ़त होजायेगी मसलन वती करना या शहवत के साथ मुँह या रुख़सार या ठोड़ी या पेशानी या सर का बोसा लेना या बिला हाइल बदन को शहवत के साथ छूना या हाइल हो तो बदन की गरमी महसूस हो या फ़र्जे दाख़िल की तरफ़ शहवत के साथ नज़र करना और अगर यह अफ़आ़ल शहवत के साथ न हों तो रजअ़त न होगी और शहवत के साथ बिला क़स्दे रजअ़त हों जब भी रजअ़त हो जायेगी और बग़ैर शहवत बोसा लेना या छूना मकरूह है जब कि रजअ़त का इरादा न हो यूहीं उसे बरहना देखना भी मकरूह है (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत ने मर्द का बोसा लिया या छूआ ख़्वाह मर्द ने औरत को उस की क़ुदरत दी थी या ग़फ़लत में या जबरदस्ती औरत ने ऐसा किया या मर्द सो रहा था या बोहरा या मजनून है और औरत ने ऐसा किया जब भी रजअ़त हो गई जब कि मर्द तस्दीक़ करता हो कि उस वक़्त शहवत थी और अगर मर्द शहवत होने या नफ़्से फ़ेअ़्ल ही से इन्कार करता हो तो रजअ़त न हुई और मर्द मरगया हो तो उस के वुरसा की तस्दीक़ या इन्कार का एअ़्तिबार है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मजनून की रजअ़त फ़ेअ़्ल से होगी क़ौल से नहीं और अगर मर्द सो रहा था या मजनून है और औरत ने अपनी शर्मगाह में उस का अ़ज़ू दाख़िल कर लिया तो रजअ़त हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने मर्द से कहा मैंने तुझ से रजअ़त कर ली तो यह रजअ़त न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– महज़ ख़लवत से रजअ़त न होगी अगर्चे सहीहा हो और पीछे के मक़ाम में वती करने से भी रजअ़त हो जायेगी अगर्चे यह हराम और सख़्त हराम है और उस की तरफ़ बशहवत नज़र करने से न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इद्दत में उस से निकाह कर लिया जब भी रजअ़त होजायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रजअ़त में औरत की रज़ा की ज़रूरत नहीं बल्कि अगर वह इन्कार भी करे जब भी होजायेगी बल्कि अगर शौहर ने तलाक़ देने के बाद कह दिया हो कि मैंने रजअ़त बातिल कर दी या मुझे रजअ़त का इख़्तियार नहीं जब भी रजअ़त कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत का महर मुअज्जल बतलाक़ था (यानी तलाक़ होने के बाद महर का मुतालबा करेगी) ऐसी सूरत में अगर शौहर ने तलाक़ रजई दी तो अब मीआद पूरी हो गई औरत इद्दत के अन्दर महर का मुतालबा कर सकती है और रजअ़त कर लेने से मुतालबा साक़ित न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ौज व ज़ौजा (मियाँ बीवी) दोनों कहते हैं कि इद्दत पूरी हो गई मगर रजअ़त में इख़्तिलाफ़ है एक कहता है कि रजअ़त हुई और दूसरा मुन्किर है तो ज़ौजा का क़ौल मोअ़्तबर है

और क़सम खिलाने की हाजत नहीं और इद्दत के अन्दर यह इख़्तिलाफ़ हुआ तो ज़ौज(शौहर) का क़ौल मोअ्तबर है और अगर इद्दत के बाद शौहर ने गवाहों से साबित किया कि मैंने इद्दत में कहा था कि 'मैंने उसे वापस लिया' कहा था कि 'मैंने उस से जिमाअ् किया' तो रजअ़त होगई(हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला :– इद्दत पूरी होने के बाद कहता है कि मैंने इद्दत में रजअ़त कर ली है और औरत तस्दीक़ करती है तो रजअ़त होगई और तकज़ीब करती है तो नहीं (हिदाया)

मसअ्ला :– ज़ौज व ज़ौजा मुत्तफ़िक़ हैं कि जुमआ के दिन रजअ़त हुई मगर औरत कहती है कि मेरी इद्दत जुमएरात को पूरी हुई थी और शौहर कहता है हफ़्ता के दिन तो क़सम के साथ शौहर का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से इद्दत में कहा मैंने तुझे वापस लिया उस ने फ़ौरन कहा मेरी इद्दत ख़त्म हो चुकी और तलाक़ को इतना ज़माना हो चुका है कि इतने दिनों में इद्दत पूरी हो सकती है तो रजअ़त न हुई मगर औरत से क़सम ली जायेगी कि उस वक़्त इद्दत पूरी हो चुकी थी अगर क़सम खाने से इन्कार करेगी तो रजअ़त होजायेगी और अगर तलाक़ को इतना ज़माना नहीं हुआ कि इद्दत पूरी हो सके तो रजअ़त होगई अल्बत्ता अगर औरत कहती है कि मेरे बच्चा पैदा हुआ और उसे साबित भी कर दे तो मुद्दत का लिहाज़ न किया जायेगा और अगर जिस वक़्त शौहर ने रजअ़त के अल्फ़ाज़ कहे और चुप रही फिर बाद में कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी तो रजअ़त होगई।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बान्दी के शौहर ने इद्दत गुज़रने के बाद कहा मैंने इद्दत में रजअ़त कर ली थी मौला उस की तस्दीक़ करता है और बान्दी तकज़ीब (झुटलाना) और शौहर के पास गवाह नहीं या बान्दी कहती है मेरी इद्दत गुज़र चुकी थी और शौहर व मौला दोनों इन्कार करते हैं तो उन दोनों सूरतों में बान्दी का क़ौल मोअ्तबर है और अगर मौला शौहर की तकज़ीब करता है और बान्दी तस्दीक़ तो मौला का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों शौहर की तस्दीक़ करते हैं तो कोई इख़्तिलाफ़ ही नहीं और दोनों तकज़ीब(झुटलाते)करते हों तो रजअ़त नहीं हुई (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)और अगर मौला कहता है तूने रजअ़त की है और शौहर मुन्किर है तो मौला का क़ौल मोअ्तबर नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत ने पहले यह कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी अब कहती है कि पूरी नहीं हुई तो शौहर को रजअ़त का इख़्तियार है (तन्वीर)

मसअ्ला :– औरत इद्दत पूरी होना बताये तो मुद्दत का लिहाज़ ज़रूरी है यानी इतना ज़माना गुज़र चुका हो कि इद्दत पूरी हो सकती हो यानी उस ज़माने में तीन हैज़ पूरे हो सकें और अगर वज़्ए हमल से इद्दत हो तो उस के लिए कोई मुद्दत नहीं अगर कच्चा बच्चा हुआ जिस के अअ्ज़ा बन चुके हों जब भी इद्दत पूरी हो जायेगी मगर उस में औरत से क़सम ली जायेगी कि उस के अअ्ज़ा बन चुके थे और अगर विलादत का दअ्वा करती है तो गवाह होने चाहिए (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर मैं तुझे छूऊँ तो तुझ को तलाक़ है और छूवा तो तलाक़ होगई फिर दोबारा छूआ तो रजअ़त होई जबकि यह शहवत के साथ हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत से कहा अगर मैं तुझ से रजअ़त करूँ तो तुझ को तलाक़ है तो मुराद रजअ़त हक़ीक़ी है यानी अगर उसे तलाक़ दी फिर निकाह किया तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और अगर रजअ़ते की तो होजायेगी और तलाक़े रजई की इद्दत में उस से कहा कि अगर मैं रजअ़त करूँ तो तुझ को तीन तलाक़ें और इद्दत पूरी होने के बाद उस से निकाह किया तो तलाक़ नहीं होगी और बाइन की इद्दत में कहा तो हो जायेगी (आलमगीरी).

मसअ्ला :– रजअ़त उस वक़्त तक है कि पिछले हैज़ से पाक न हुई हो उस के बाद नहीं हो सकती यानी अगर बान्दी है तो दूसरे हैज़ से पाक होने तक और आज़ाद औरत है तो तीसरे से पाक होने तक रजअ़त है अब अगर पिछला हैज़ पूरे दस दिन पर ख़त्म हुआ है तो दस दिन रात पूरे होते ही रजअ़त का भी ख़ात्मा है अगर्चे गुस्ल अभी न किया हो और दस दिन रात से कम में पाक हुई तो जब तक नहा न ले या नमाज़ का एक वक़्त न गुज़र ले रजअ़त ख़त्म नहीं हुई और अगर गधे के झूटे पानी से नहाई जब भी रजअ़त नहीं कर सकता मगर उस गुस्ल से नमाज़ नहीं पढ़ सकती न अभी दूसरे से निकाह कर सकती है जब तक ग़ैर मशकूक पानी से नहा न ले या नमाज़ का वक़्त न गुज़र ले और अगर वक़्त इतना बाक़ी है कि नहा कर तहरीमा बाँध ले तो उस वक़्त के ख़त्म होने पर रजअ़त भी ख़त्म है और अगर इतना खफ़ीफ़ (थोड़ा) वक़्त बाक़ी है कि नहा नहीं सकती या नहा सकती है मगर गुस्ल और कपड़ा पहनने के बाद अल्लाहु अकबर कहने का भी वक़्त न रहेगा तो उस वक़्त का एअ्तिबार नहीं बल्कि या नहा ले या उस के बाद का दूसरा वक़्त गुज़र ले और अगर ऐसे वक़्त में खून बन्द हुआ कि वह वक़्त फ़र्ज़ नमाज़ का नहीं यानी आफ़ताब निकलने से ढलने तक तो उस का भी एअ्तिबार नहीं बल्कि उसके बाद का वक़्त ख़त्म हो जाये यानी ज़ोहर का और अगर दस दिन रात से कम में खून बन्द हुआ और औरत ने गुस्ल कर लिया फिर ख़ून जारी हो गया और दस दिन से मुताजावज़ (बढ़जाना) न हुआ तो अभी रजअ़त ख़त्म न हुई थी और अगर औरत ने दूसरे से निकाह कर लिया था तो निकाह सहीह न हुआ यूहीं अगर गुस्ल या नमाज़ का वक़्त गुज़रने से पहले इस सूरत में निकाह दूसरे से किया जब भी निकाह न हुआ(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी औरत को कभी पाँच दिन खून आता है और कभी छः दिन और इस बार इस्तिहाज़ा हो गया यानी दस दिन से ज़्यादा आया तो रजअ़त के हक़ में पाँच दिन का एअ्तिबार है कि पाँच दिन पूरे होने पर रजअ़त न होगी और दूसरे से निकाह करना चाहती है तो उस हैज़ के छः दिन पूरे होने पर कर सकती है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत अगर किताबिया है तो पिछला हैज़ ख़त्म होते ही रजअ़त ख़त्म हो गई गुस्ल व नमाज़ का वक़्त गुज़रना शर्त नहीं (आलमगीरी) मजनूना और मौतूह(जिस से जिमा कर लिया गया हो) का भी यही हुक्म है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दस दिन रात से कम में मुन्क़तअ् हुआ और न नहाई न नमाज़ का वक़्त ख़त्म हुआ बल्कि तयम्मुम कर लिया तो रजअ़त मुन्क़तअ् न हुई हाँ अगर उस तयम्मुम से पूरी नमाज़ पढ़ली तो अब रजअ़त नहीं हो सकती अगर्चे वह नमाज़ नफ़्ल हो और अगर अभी नमाज़ पूरी नहीं हुई है बल्कि शुरू की है तो रजअ़त कर सकता है और अगर तयम्मुम कर के क़ुर्आन मजीद पढ़ा या मुस्हफ़ शरीफ़ छूआ या मस्जिद में गई तो रजअ़त ख़त्म न हुई (फ़त्ह वग़ैरा)

मसअ्ला :– गुस्ल किया और कोई जगह एक अ़ज़्व से कम मसलन बाज़ू या कलाई का कुछ हिस्सा या दो एक उंगली भूल गई जहाँ पानी पहुँचने में शक है तो रजअ़त ख़त्म मगर दूसरे से निकाह उस वक़्त कर सकती है कि उस जगह को धोले या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाये और अगर यक़ीन है कि वहाँ पानी नहीं पहुँचा है या क़स्दन उस जगह को छोड़ दिया तो रजअ़त हो सकती है और अगर पूरा अ़ज़्व जैसे हाथ या पाँव भूली तो रजअ़त हो सकती है कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना दोनों मिलकर एक अ़ज़्व है और हर एक एक अ़ज़्व से कम (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– हामिला को तलाक़ दी और उस की वती से मुन्किर है और रजअ़त करली फिर छः

महीने से कम में बच्चा पैदा हुआ मगर वक़्ते निकाह से छः महीने या ज़्यादा में विलादत हुई तो रजअ़त हो गई (शरह वक़ाया)

मसअ्ला :– निकाह के बाद छः महीने या ज़्यादा के बाद बच्चा पैदा हुआ फिर उसे तलाक़ दी और वती से इन्कार करता है तो रजअ़त कर सकता है कि जब बच्चा पैदा हो चुका शरअ़न वती साबित है उस का इन्कार बेकार है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर ख़लवत हो चुकी है मगर वती से इन्कार करता है फिर तलाक़ दी तो रजअ़त नहीं कर सकता और अगर शौहर वती का इक़रार करता है मगर औरत मुन्किर है और ख़ल्वत हो चुकी है तो रजअ़त कर सकता है और ख़ल्वत नहीं हुई तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू जने तो तुझ को तलाक़ है उस के बच्चा पैदा हुआ तलाक़ हो गई फिर छः महीने या ज़्यादा में दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो रजअ़त हो गई अगर्चे दूसरा बच्चा दो बरस से ज़्यादा में पैदा हुआ कि अक्सर मुद्दते हमल दो बरस है और इस सूरत में इद्दत हैज़ से है तो हो सकता है कि ज़्यादा दिनों के बाद हैज़ आया और इद्दत ख़त्म होने से पेशतर शौहर ने वती की हो हाँ अगर औरत इद्दत गुज़रने का इक़रार कर चुकी हो तो मजबूरी है और अगर दूसरा बच्चा पहले बच्चा से छः महीने से कम में पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद रजअ़त नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तलाक़े रजई की इद्दत में औरत बनाव सिंगार करे जबकि शौहर मौजूद हो और औरत को रजअ़त की उमीद हो और अगर शौहर मौजूद न हो या औरत को मालूम हो कि रजअ़त न करेगा तो तज़ईन (बनाव सिंगार) न करे और तलाक़े बाइन और वफ़ात की इद्दत में ज़ीनत हराम है और मुतल्लक़ा रजईया को सफ़र में न लेजाये बल्कि सफ़र से कम मुसाफ़त तक भी न लेजाये जब तक रजअ़त पर गवाह न क़ाइम कर ले यह उस वक़्त है कि शौहर ने सराहतन रजअ़त की नफ़ी की हो वरना सफ़र में ले जाना ही रजअ़त है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– शौहर को चाहिए कि जिस मकान में औरत है जब वहाँ जायं तो उसे ख़बर कर दे या खंकार कर जाये या उस तरह चले कि जूते की आवाज़ औरत सुने यह उस सूरत में है कि रजअ़त का इरादा न हो यूँही जब रजअ़त का इरादा न हो तो ख़ल्वत भी मकरूह है और रजअ़त का इरादा है तो मकरूह नहीं और रजअ़त का इरादा हो तो उस की बारी भी है वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– औरत बान्दी थी उसे तलाक़ देंदी और हुर्रा से निकाह कर लिया तो उस से रजअ़त कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत को तीन से कम बाइन दी हैं उस से इद्दत में भी निकाह कर सकता है और बादे इद्दत भी और तीन तलाक़ें दी हों या लौन्डी को दो तो बग़ैर हलाला निकाह नहीं कर सकता अगर्चे दुख़ूल न किया हो अल्बत्ता अगर ग़ैर मदख़ूला हो तो तीन तलाक़ एक लफ़्ज़ से होगी जैसे कहे तुझे तीन तलाक़ें तीन लफ़्ज़ से एक ही होगी जैसे कहा तुझे तलाक़ तुझे तलाक़,तुझे तलाक़ या कहा तुझे तलाक़ तलाक़,तलाक़,तलाक़,या कहा तुझे तलाक़,है एक और एक और एक और दूसरे से इद्दत के अन्दर मुतलक़न निकाह नहीं कर सकती तीन तलाक़ें दी हों या तीन से कम (आम्मए कुतुब)

हलाला के मसाइल :–

मसअ्ला :– हलाला की सूरत यह है कि अगर औरत मदख़ूला है तो तलाक़ की इद्दत पूरी होने के बाद औरत किसी और से निकाहे सहीह करे और यह शौहरे सानी उस औरत से वती भी करे अब उस शौहरे सानी के तलाक़ या मौत के बाद इद्दत पूरी होने पर शौहर अव्वल से निकाह हो सकता

है और अगर औरत मदख़ूला नहीं है तो पहले शौहर के तलाक़ देने के बाद फ़ौरन दूसरे से निकाह कर सकती है कि उस के लिए इद्दत नहीं (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– पहले शौहर के लिए हलाल होने में निकाहे सहीह नाफ़िज़ की शर्त है अगर निकाहे फ़ासिद हुआ या मौक़ूफ़ और वती भी हो गई तो हलाला न हुआ मसलन किसी गुलाम ने बिग़ैर इजाज़ते मौला उस से निकाह किया और वती भी कर ली फिर मौला ने जाइज़ किया तो इजाज़ते मौला के बाद वती कर के छोड़ेगा तो पहले शौहर से निकाह कर सकती है और बिला वती तलाक़ दी तो वह पहले की वती काफ़ी नहीं यूँही ज़िना या वती बिश्शुबह से भी हलाला न होगा यूहीं अगर वह औरत किसी की बान्दी थी इद्दत पूरी होने के बाद मौला ने उस से जिमाअ़ किया तो शौहर अव्वल के लिए अब भी हलाल न हुई और अगर ज़ौजा बान्दी थी उसे दो तलाक़ें दीं फिर उस के मालिक से ख़रीदली या किसी तरह से उस का मालिक होगया तो उस से वती नहीं कर सकता जब तक दूसरे से निकाह न होले और वह दूसरा वती भी न करले यूँही अगर औरत मआज़ल्लाह मुरतद हो कर दारुलहर्ब में चली गई फिर वहाँ से जिहाद में पकड़ आई और शौहर उस का मालिक हो गया तो उस के लिए हलाल न हुई हलाला में जो वती शर्त है उस से मुराद वह वती है जिस से ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है यानी दुख़ूले हश्फ़ा और इन्ज़ाल शर्त नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– औरत हैज़ में है या एहराम बाँधे हुए है उस हालत में शौहरे सानी ने वती की तो यह वती हलाला के लिए काफ़ी है अगर्चे हैज़ की हालत में वती करना बहुत सख़्त हराम है(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दूसरा निकाह मुराहिक़ से हुआ(यानी ऐसे लड़के से जो ना बालिग़ है मगर क़रीबे बुलूग़ है और उस की उम्र वाले जिमाअ़ करते हैं)और उस ने वती की और बादे बुलूग़ तलाक़ दी तो वह वती कि क़ब्ले बुलूग़ की थी हलाला के लिए काफ़ी है मगर तलाक़ बादे बुलूग़ होनी चाहिए कि नाबालिग़ की तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी मगर बेहतर यह है कि बालिग़ की वती हो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि के नज़दीक इन्ज़ाल शर्त है और नाबालिग़ में इन्ज़ाल कहाँ (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल, मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मुतल्लक़ा छोटी लड़की है कि वती के क़ाबिल नहीं तो शौहरे सानी उस से वती कर भी ले जब भी शौहरे अव्वल के लिए हलाल न हुई और अगर नाबालिग़ा है मगर उस जैसी लड़की से वती की जाती है यानी वह उस क़ाबिल है तो वती काफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर औरत के आगे और पीछे का मक़ाम एक हो गया है तो महज़ वती काफ़ी नहीं बल्कि शर्त यह है कि हामिला हो जाये यूँही अगर ऐसे शख़्स से निकाह हुआ जिस का अज़्वे तनासुल कट गया है तो उस में भी हमल शर्त है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मजनून या ख़स्सी से निकाह हुआ और वती की तो शौहरे अव्वल के लिए हलाल होगई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किताबिया औरत मुसलमान के निकाह में थी उसे तलाक़ दी और उस ने किसी किताबी से निकाह किया और हलाला के तमाम शराइत पाये गये तो शौहरे अव्वल के लिए हलाल हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पहले शौहर ने तीन तलाक़ें दीं औरत ने दूसरे से निकाह किया बिग़ैर वती उसने भी तीन तलाक़ें देदीं फिर औरत ने तीसरे से निकाह किया उस ने वती कर के तलाक़ दी तो पहले और दूसरे दोनों के लिए हलाल होगई यानी अब पहले या दूसरे जिस से चाहे निकाह कर सकती है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बहुत ज़्यादा उम्र वाले से निकाह किया जो वती पर क़ादिर नहीं है उस ने किसी तर्कीब से अज़्वे तनासुल दाख़िल कर दिया तो यह वती हलाला के लिए काफ़ी नहीं हाँ अगर आला में कुछ इन्तिशार पाया गया और दुख़ूल हो गया तो काफ़ी है (फ़त्ह वग़ैरा)

मसअ्ला :— औरत सो रही थी या बेहोश थी शौहरे सानी ने उस हालत में उस से वती की तो यह वती हलाला के लिए काफी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— औरत को तीन तलाकें दी थीं अब वह आकर शौहरे अव्वल से यह कहती है कि इद्दत पूरी होने के बाद मैंने निकाह किया और उस ने जिमाअ् भी किया और तलाक देदी और यह इद्दत भी पूरी हो चुकी और पहले शौहर को तलाक दिए इतना ज़माना गुज़र चुका है कि यह सब बातें हो सकती हैं तो अगर औरत को अपने गुमान में सच्ची समझता है तो उस से निकाह कर सकता है (हिदाया) और अगर औरत फ़कत इतना ही कहे कि मैं हलाल हो गई तो उस से निकाह हलाल नहीं जब तक सब बातें पूछ न ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :— औरत कहती है कि शौहरे सानी ने जिमाअ् किया है और शौहरे सानी इन्कार करता है तो शौहरे अव्वल को निकाह जाइज़ है और शौहरे सानी कहता है कि मैंने जिमाअ् किया है और औरत इन्कार करती है तो निकाह जाइज़ नहीं और अगर औरत इक़रार करती है और अगर शौहरे अव्वल ने निकाह के बाद कहा कि शौहरे सानी ने जिमाअ् नहीं किया है तो दोनों में तफ़रीक़ करदी जाये और अगर शौहरे अव्वल से निकाह हो जाने के बाद औरत कहती है मैंने दूसरे से निकाह किया ही न था और शौहर कहता है कि तूने दूसरे से निकाह किया और उस ने वती भी की तो औरत की तस्दीक़ न की जाये और अगर शौहरे सानी औरत से कहता है कि मेरा निकाह तुझ से फ़ासिद हुआ कि मैंने तेरी माँ से जिमाअ् किया है अगर औरत उसके कहने को सच समझती है तो औरत शौहरे अव्वल के लिए हलाल न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :— किसी औरत से निकाहे फ़ासिद कर के तीन तलाकें देदीं तो हलाला की हाजत नहीं बग़ैर हलाला उस से निकाह कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— निकाह बिशर्तित तहलील जिस के बारे में हदीस में लअ्नत आई वह यह है कि अक्द निकाह यानी ईजाब व कबूल में हलाला की शर्त लगाई जाये और यह निकाह मकरूह तहरीमी है ज़ौजे अव्वल व सानी और औरत तीनों गुनाहगार होंगे मगर औरत उस निकाह से भी बशराइते हलाला शौहरे अव्वल के लिए हलाल हो जायेगी और शर्त बातिल है और शौहरे सानी तलाक देने पर मजबूर नहीं और अगर अक्द में शर्त न हो अगर्चे नियत में हो तो कराहत असलन नहीं बल्कि अगर नियते ख़ैर हो तो मुस्तहक़े अज्र है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :— अगर निकाह इस नियत से किया जा रहा है कि शौहरे अव्वल के लिए हलाल हो जाये और औरत या शौहरे अव्वल को यह अन्देशा है कि कहीं ऐसा न हो कि निकाह करके तलाक न दे तो दिक्कत होगी तो उस के लिए बेहतर हीला यह है कि उस से यह कहलवा लें कि अगर मैं उस औरत से निकाह कर के जिमाअ् करूँ या निकाह कर के एक रात से ज़्यादा रखूँ तो उस पर बाइन तलाक है अब औरत से जिमाअ् करते ही या रात गुज़रने पर तलाक पड़ जायेगी या यूँ करे कि औरत या उसका वकील यह कहे कि मैंने या मेरी मुवक्किला ने अपने नफ़्स को तेरे निकाह में दिया इस शर्त पर कि मुझे या उसे अपने का इख़्तियार है कि जब चाहे अपने को तलाक दे ले वह कहे मैंने कबूल किया अब औरत को तलाक देने का खुद इख़्तियार है और अगर पहले ज़ौज की जानिब से अल्फ़ाज़ कहे गये कि मैंने उस औरत से निकाह किया इस शर्त पर कि उसे उस के नफ़्स का इख़्तियार है तो यह शर्त लग़्व है औरत को इख़्तियार न होगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— दूसरे से औरत ने निकाह किया और उस ने दुख़ूल भी किया फिर उस के मरने या

तलाक देने के बाद शौहरे अव्वल से उसका निकाह हुआ तो अब शौहरे अव्वल तीन तलाकों का मालिक हो गया पहले जो कुछ तलाक दे चुका था उस का एअ्तिबार अब न होगा और अगर शौहरे सानी ने दुख़ूल न किया हो और शौहरे अव्वल ने तीन तलाकें दी थीं जब तो ज़ाहिर है कि हलाला हुआ ही नहीं पहले शौहर से निकाह ही नहीं हो सकता और तीन से कम दी थीं तो जो बाकी रहगई हैं उसी का मालिक है तीन का मालिक नहीं और ज़ौजा लौन्डी हो तो उस की दो तलाकें पूरी की तीन की जगह हैं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— औरत के पास दो शख़्सों ने गवाही दी कि उस के शौहर ने उसे तीन तलाकें देदीं और शौहर ग़ाइब है तो औरत बादे इद्दत दूसरे से निकाह कर सकती है बल्कि अगर एक शख़्स सिकह (दीनदार)ने तलाक की ख़बर दी है जब भी औरत निकाह कर सकती है बल्कि अगर शौहर का ख़त आया जिस में उसे तलाक लिखी है और औरत का ग़ालिब गुमान है कि ख़त उसी का है तो निकाह करने की औरत के लिए गुनजाइश है और अगर शौहर मौजूद है और दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते हैं तो अब निकाह नहीं कर सकती (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— शौहर ने औरत को तीन तलाकें देदीं या बाइन तलाक दी मगर अब इन्कार करता है और औरत के पास गवाह नहीं तो जिस तरह मुमकिन हो औरत उस से पीछा छुड़ाये महर मुआफ़ करके या अपना माल देकर उस से अलाहिदा हो जाये ग़र्ज़ जिस तरह मुमकिन हो उस से किनारा कशी करे और किसी तरह वह न छोड़े तो औरत मजबूर है मगर हर वक़्त उसी फ़िक्र में रहे कि जिस तरह मुमकिन हो रिहाई हासिल करे और पूरी कोशिश इस की करे कि सोहबत न करने पाये यह हुक्म नहीं कि खुदकुशी करले औरत जब इन बातों पर अमल करेगी तो मअ्ज़ूर है और शौहर बहर हाल गुनाहगार है (दुर्रे मुख़्तार मअ् ज़्यादा)

मसअ्ला :— औरत को अब तीन तलाकें दीं और कहता यह है कि उस से पेश्तर एक तलाक देचुका था और इद्दत भी हो चुकी थी यानी उस का मक़सद यह है कि चूँकि इद्दत गुज़रने पर औरत अजनबिया हो गई लिहाज़ा यह तलाकें वाकेअ् न हुईं और औरत भी तस्दीक़ करती है तो किसी की तस्दीक़ न की जाये दोनों झूटे हैं कि ऐसा था तो मियाँ बीवी की तरह रहते क्योंकर थे हाँ अगर लोगों को उसका तलाक देना और इद्दत गुज़र जाना मालूम हो तो और बात है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— शौहर तीन तलाकें देकर इन्कारी हो गया औरत ने गवाह पेश किए और तीन तलाक का हुक्म दिया गया अब कहता है कि पहले एक तलाक दे चुका था और इद्दत गुज़र चुकी थी और गवाह भी पेश करता है तो गवाह भी मकबूल नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— ग़ैर मदख़ूला को दो तलाकें दीं और कहता है कि एक पहले दे चुका है तो तीन करार पायेंगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— तीन तलाकें किसी शर्त पर मुअ़ल्लक(Depend)थीं और वह शर्त पाई गई लिहाज़ा तीन तलाकें पड़गयीं औरत डरती है कि अगर उस से कहेगी तो वह सिरे से तअ्लीक़ ही से इन्कार कर जायेगा तो औरत को चाहिए ख़ुफ़िया हलाला कराये और इद्दत पूरी होने के बाद शौहर से तजदीदे निकाह की दरख़्वास्त करे (आलमगीरी)

ईला का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○

तर्जमा :– "जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की क़सम खा लेते हैं उन के लिए चार महीने की मुद्दत है फिर अगर उस मुद्दत में वापस होगये (क़सम तोड़दी)तो अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है और अगर तलाक़ का पक्का इरादा कर लिया (रुजूअ् न की) तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है"(तलाक़ हो जायेगी)

मसअ्ला :– ईला के मअ्ना यह हैं कि शौहर ने यह क़सम खाई कि औरत से क़ुर्बत न करेगा या चार महीने क़ुर्बत न करेगा औरत बान्दी है तो उस के ईला की मुद्दत दो माह है।

मसअ्ला :– क़सम की दो सूरत है एक यह कि अल्लाह तआला या उस के उन सिफ़ात की क़सम खाई जिन की क़सम खाई जाती है मसलन उस की अ़ज़मत व जलाल की क़सम, उस की किबरियाई की क़सम, क़ुर्आन की क़सम, कलामुल्लाह की क़सम, दूसरी तअ्लीक मसलन यह कि अगर इस से वती करूँ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है, या मेरी औरत को तलाक़ है, या मुझ पर इतने दिनों का रोज़ा है, या हज है,। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ईला दो क़िस्म है एक मोक़ित यानी चार महीने का दूसरा मुअब्बद यानी चार महीने की क़ैद उस में न हो बहर हाल अगर औरत से चार माह के अन्दर जिमाअ् किया तो क़सम टूट गई अगर्चे मजनून हो और कफ़्फ़ारा लाज़िम जबकि अल्लाह तआला या उस के उन सिफ़ात की क़सम खाई हो और जिमाअ् से पहले कफ़्फ़ारा दे चुका है तो उस का एअ्तिबार नहीं बल्कि फिर कफ़्फ़ारा दे और अगर तअ्लीक थी तो जिस पर थी वह हो जायेगी मसलन यह कहा कि अगर उस से सोहबत करूँ तो ग़ुलाम आज़ाद है और चार महीने के अन्दर जिमाअ् किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो गया और क़ुर्बत न की यहाँ तक कि चार महीने गुज़र गये तो तलाक़ बाइन होगई फिर अगर ईलाए मोक़ित था यानी चार माह का तो यमीन साक़ित होगई यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो अब उसका कुछ असर नहीं और अगर मुअब्बद था यानी हमेशा की उस में क़ैद थी मसलन खुदा की क़सम तुझ से कभी क़ुर्बत न करूँगा या उस में कुछ क़ैद न थी मसलन खुदा की क़सम तुझ से क़ुर्बत न करूँगा तो इन सूरतों में एक बाइन तलाक़ पड़गई फिर भी क़सम बदस्तूर बाक़ी है यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो फिर ईला बदस्तूर आ गया अगर वक़्ते निकाह से चार माह के अन्दर जिमाअ् कर लिया तो क़सम का कफ़्फ़ारा दे और तअ्लीक थी तो जज़ा वाक़ेअ् हो जायेगी और चार महीने गुज़र लिये और क़ुर्बत न की तो एक तलाक़ बाइन वाक़ेअ् हो गई मगर यमीन बदस्तूर बाक़ी है तीसरी बार निकाह किया तो फिर ईला आ गया अब भी जिमाअ् न करे तो चार माह गुज़रने पर तीसरी तलाक़ पड़जायेगी और अब बे हलाला निकाह नहीं कर सकता अगर हलाला के बाद फिर निकाह किया तो अब ईला नहीं यानी चार महीने बग़ैर क़ुर्बत गुज़रने पर तलाक़ न होगी मगर क़सम बाक़ी है अगर जिमाअ् करेगा कफ़्फ़ारा वाजिब होगा और अगर पहली या दूसरी तलाक़ के बाद औरत ने किसी और से निकाह किया उस के बाद फिर उस

से निकाह किया तो मुस्तक़िल तौर पर अब से तीन तलाक़ का मालिक होगा मगर ईला रहेगा यानी क़ुर्बत न करने पर तलाक़ हो जायेगी फिर निकाह किया फिर वही हुक्म है फिर एक या दो तलाक़ के बाद किसी से निकाह किया फिर उस से निकाह किया फिर वही हुक्म है यानी जब तक तीन तलाक़ के बाद दूसरे शौहर से निकाह न करे ईला बदस्तूर बाक़ी रहेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िम्मी ने ज़ात व सिफ़ात की क़सम के साथ ईला किया या तलाक़ व इताक़ (आज़ाद) पर तअ्लीक़ की तो ईला है और हज व रोज़ा व दीगर इबादात पर तअ्लीक़ की तो ईला न हुआ और जहाँ ईला सहीह है वहाँ मुसलमान के हुक्म में है मगर सोहबत करने पर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला :– यूँ ईला किया कि अगर मैं क़ुर्बत करूँ तो मेरा फ़ुलाँ ग़ुलाम आज़ाद है उसके बाद ग़ुलाम मर गया तो ईला साक़ित हो गया यूँही अगर उस ग़ुलाम को बेच डाला जब भी साक़ित है मगर वह ग़ुलाम अगर क़ुर्बत से पहले फिर उस की मिल्क में आ गया तो ईला का हुक्म लौट आयेगा(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ईला सिर्फ़ मनकूहा से होता है या मुतल्लक़ा रजई से कि वह भी मन्कूहा ही के हुक्म में है अजनबिया से और जिसे बाइन तलाक़ दी है उस से इब्तिदाअन नहीं हो सकता यूँही अपनी लौन्डी से भी नहीं हो सकता हाँ दूसरे की कनीज़ उस के निकाह में है तो ईला कर सकता है यूँही अजनबिया का ईला अगर निकाह पर मुअल्लक़ किया तो हो जायेगा मसलन अगर मैं तुझ से निकाह करूँ तो खुदा की क़सम तुझ से क़ुर्बत न करूँगा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ईला के लिए यह भी शर्त है कि शौहर अहले तलाक़ हो यानी वह तलाक़ दे सकता हो लिहाज़ा मजनून व नाबालिग़ का ईला सहीह नही कि यह अहले तलाक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ग़ुलाम ने अगर क़सम के साथ ईला किया मसलन खुदा की क़सम मैं तुझ से क़ुर्बत न करूँगा या ऐसी चीज़ पर मुअल्लक किया जिसे माल से तअल्लुक़ नहीं मसलन अगर मैं तुझ से क़ुर्बत करूँ तो मुझ पर इतने दिनों का रोज़ा है या हज या उमरा है या मेरी औरत को तलाक़ है तो ईला सहीह है और अगर माल से तअल्लुक़ है तो सहीह नहीं मसलन मुझ पर एक ग़ुलाम आज़ाद करना या इतना सदक़ा देना लाज़िम है तो ईला न हुआ कि वह माल का मालिक है नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह भी शर्त है कि चार महीने से कम की मुद्दत न हो और ज़ौजा कनीज़ है तो दो माह से कम की न हो और ज़्यादा की कोई हद नहीं और ज़ौजा कनीज़ थी उस के शौहर ने ईला किया था और मुद्दत पूरी न हुई थी कि आज़ाद हो गई तो अब उस की मुद्दत आज़ाद औरतों की है और यह भी शर्त है कि जगह मुअय्यन न करे अगर जगह मुअय्यन की मसलन वल्लाह फ़ुलाँ जगह तुझ से क़ुर्बत न करूँगा तो ईला नहीं और यह भी शर्त है कि ज़ौजा के साथ किसी बान्दी या अजनबिया को न मिलाये मसलन तुझ से और फ़ुलाँ औरत से क़ुर्बत न करूँगा और यह कि क़ुर्बत के साथ किसी और चीज़ को न मिलाये मसलन अगर मैं तुझ से क़ुर्बत करूँ या तुझे अपने बिछौने पर बुलाऊँ तो तुझ को तलाक़ है तो यह ईला नहीं ख़ानिया (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इसके अल्फ़ाज़ बाज़ सरीह हैं बाज़ किनाया सरीह वह अल्फ़ाज़ हैं जिन से ज़हन जिमाअ् के मअ्ना की तरफ़ जाये, उस मअ्ना में बकसरत इस्तिमाल किया जाता हो उस में नियत दरकार नहीं बग़ैर नियत भी ईला है और अगर सरीह लफ़्ज़ में यह कहे कि मैंने जिमाअ् के मअ्ना का इरादा न किया था तो क़ज़ाअन उस का क़ौल मोअ्तबर नहीं दियानतन मोअ्तबर है। किनाया वह जिस से मअ्ना जिमाअ् मुतबादिर(बिल्कुल ज़ाहिर) न हों दूसरे मअ्ना का भी एहतिमाल (शक)हो उस में बग़ैर नियत ईला नहीं और दूसरे मअ्ना मुराद होना बताता है तो क़ज़ाअन भी उस का क़ौल मान लिया जायेगा (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– सरीह के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं वल्लाह मैं तुझ से जिमाअ् न करूँगा, कुर्बत न करूँगा, सोहबत न करूँगा, वती न करूँगा, और उर्दू में बाज़ और अल्फ़ाज़ भी हैं जो ख़ास जिमाअ् ही के लिए बोले जाते हैं उन के ज़िक्र की हाजत नहीं हर शख़्स उर्दू दाँ जानता है अ़ल्लामा शामी ने उस लफ़्ज़ को कि मैं तेरे साथ न सोऊँगा सरीह कहा है और अस्ल यह है कि मदार उ़र्फ़ पर है उ़रफ़न जिस लफ़्ज़ से जिमाअ् के मअ़ना मुराद हों सरीह है अगर्चे यह मअ़ना मजाज़ी नहीं हों किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तेरे बिछौने के क़रीब न जाऊँगा, तेरे साथ न लेटूँगा, तेरे बदन से मेरा बदन न मिलेगा तेरे पास न रहूँगा वग़ैरहा।

मसअला :– ऐसी बात की क़सम खाई कि बग़ैर जिमाअ् किए क़सम टूट जाये तो ईला नहीं मसलन अगर मैं तुझको छूऊँ तो ऐसा है महज़ बदन पर हाथ रखने ही से क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– अगर कहा मैंने तुझ से ईला किया है अब कहता है कि मैंने एक झूटी ख़बर दी थी तो क़ज़ाअ्न ईला है और दियानतन उस का क़ौल मान लिया जायेगा और अगर यह कहे कि उस लफ़्ज़ से ईला करना मक़सूद था तो क़ज़ाअन व दियानतन हर तरह ईला है (आलमगीरी)

मसअला :– यह कहा कि वल्लाह तुझ से कुर्बत न करूँगा जब तक तू यह काम न कर ले और वह काम चार महीने के अ़न्दर कर सकती है तो ईला न हुआ अगर्चे चार महीने से ज़्यादा में करे(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ईला अगर तअ़्लीक़ से हो तो ज़रूर है कि जिमाअ् पर किसी ऐसे फ़ेअ़्ल को मुअ़ल्लक़ करे जिस में मशक़्क़त हो लिहाज़ा अगर यह कहा कि अगर मैं कुर्बत करूँ तो मुझ पर दो रकअ़त नफ़्ल है तो ईला न हुआ और अगर कहा कि मुझ पर सौ रकअ़तें नफ़्ल की हैं तो ईला हो गया और अगर वह चीज़ ऐसी है जिस की मन्नत नहीं जब भी ईला न हुआ मसलन तिलावते क़ुर्आन, नमाज़े जनाज़ा तकफ़ीने मय्यत, सजदा–ए–तिलावत, बैतुल मक़दिस में नमाज़ (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मुझ पर फ़ुलाँ महीने का रोज़ा है अगर वह महीना चार महीने पूरे होन से पहले पूरा हो जाये तो ईला नहीं वरना है (आलमगीरी)

मसअला :– अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मुझ पर एक मिस्कीन का खाना है या एक दिन का रोज़ा तो ईला हो गया या कहा ख़ुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूँगा जब तक अपने गुलाम को आज़ाद न करूँ या अपनी फ़ुलाँ औ़रत को तलाक़ न दूँ या एक महीने का रोज़ा न रख लूँ तो इस सब सूरतों में ईला है (आलमगीरी)

मसअला :– तू मुझ पर वैसी है जैसे फ़ुलाँ की औ़रत और उस ने ईला किया है और उस ने भी ईला की नियत की तो ईला है वरना नहीं यह कहा कि अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो तू मुझ पर हराम है और नियत ईला की है तो होगया (आलमगीरी)

मसअला :– एक औ़रत से ईला किया फिर दूसरी से किया तुझे मैंने उस के साथ शरीक कर दिया तो दूसरी से ईला न हुआ (आलमगीरी)

मसअला :– दो औ़रतों से कहा वल्लाह मैं तुम दोनों से कुर्बत न करूँगा तो दोनों से ईला हो गया अब अगर चार महीने गुज़र गये और दोनों से कुर्बत न की तो दोनों बाइन हो गयीं और अगर एक से चार महीने के अ़न्दर जिमाअ् कर लिया तो उस का ईला बातिल हो गया और दसूरी का बाक़ी है मगर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं और अगर मुद्दत के अन्दर एक मर गई तो दोनों का ईला बातिल है और कफ़्फ़ारा नहीं अगर एक को तलाक़ दी तो ईला बातिल नहीं और अगर मुद्दत में दोनों से जिमाअ् किया तो दोनों का ईला बातिल हो गया और एक कफ़्फ़ारा वाजिब है (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी चार औ़रतों से कहा ख़ुदा की क़सम मैं तुम से कुर्बत न करूँगा मगर फ़ुलानी या फ़ुलानी से तो उन दोनों से ईला न हुआ। (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी दो औ़रतों को मुख़ातब कर के कहा ख़ुदा की क़सम तुम में से एक से कुर्बत न करूँगा तो एक से ईला हुआ फिर अगर एक से वती कर ली ईला बातिल हो गया और कफ़्फ़ारा वाजिब है और अगर एक मरगई या मुरतद हो गई या उस को तीन तलाक़ें देदीं तो दूसरी ईला के लिए मुअ़य्यन है और अगर किसी से वती न की यहाँ तक कि मुद्दत गुज़र गई तो एक को बाइन तलाक़ पड़गई उसे इख़्तियार है जिसे चाहे उस के लिए मुअ़य्यन करे और अगर चार महीने के अन्दर एक को मुअ़य्यन करना चाहता है तो उसका उसे इख़्तियार नहीं अगर मुअ़य्यन कर भी दे जब भी मुअ़य्यन न हुई मुद्दत के बाद मुअ़य्यन करने का उसे इख़्तियार है अगर एक से भी जिमाअ् न किया और चार महीने और गुज़र गये तो दोनों बाइन हो गयीं उस के बाद अगर फिर दोनों से निकाह किया एक साथ या आगे पीछे तो फिर एक से ईला है मगर ग़ैर मुअ़य्यन और दोनों मुद्दतें गुज़रने पर दोनों बाइन हो जायेंगी (आलमगीरी)

मसअला :– अगर कहा तुम दोनों में से किसी से कुर्बत न करूँगा तो दोनों से ईला है चार महीने गुज़र गये और किसी से कुर्बत न की तो दोनों को तलाक़े बाइन हो गई और एक से वती कर ली तो ईला बातिल है और कफ़्फ़ारा वाजिब (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औ़रत और बान्दी से कहा तुम में एक से कुर्बत न करूँगा तो ईला नहीं हाँ अगर औ़रत मुराद है तो है और उन में एक से वती की तो क़सम टूट गई कफ़्फ़ारा दे फिर अगर लौन्डी को आज़ाद करके उस से निकाह किया जब भी ईला नहीं और अगर दो ज़ौजा हों एक हुर्रा (आज़ाद) दूसरी बान्दी और कहा तुम दोनों से कुर्बत न करूँगा तो दोनों से ईला है दो महीने गुज़र गये और किसी से कुर्बत न की तो बान्दी को बाइन तलाक़ हो गई उसके बाद दो महीने और गुज़रे तो हुर्रा भी बाइन (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी दो औ़रतों से कहा कि अगर तुम में एक से कुर्बत करूँ तो दूसरी को तलाक़ है और चार महीने गुज़र गये मगर किसी से वती न की तो एक बाइन हो गई और शौहर को इख़्तियार है जिस को चाहे तलाक़ के लिए मुअ़य्यन करे और अब दूसरी से ईला है अगर फिर चार महीने गुज़र गये और हुनूज़ पहली इद्दत में है तो दसूरी भी बाइन होगई वरना नहीं और अगर मुअ़य्यन न किया यहाँ तक कि और चार महीने गुज़र गये तो दोनों बाइन हो गयीं (आलमगीरी)

मसअला :– जिस औ़रत को तलाक़े बाइन दी है उस से ईला नहीं हो सकता और रजई दी है तो इद्दत में हो सकता है मगर वक़्ते ईला से चार महीने पूरे न हुए थे कि इद्दत ख़त्म हो गई तो ईला साक़ित हो गया और अगर ईला करने के बाद तलाक़ बाइन दी तो तलाक़ हो गई और वक़्त ईला से चार महीने गुज़रे और हुनूज़ (उस वक़्त तक) तलाक़ की इद्दत पूरी न हुई तो दूसरी तलाक़ फिर पड़ी और अगर पूरी होने पर ईला की मुद्दत पूरी हुई तो अब ईला की वजह से तलाक़ न पड़ेगी और अगर ईला के बाद दी और इद्दत के अन्दर उस से फिर निकाह कर लिया तो ईला बदस्तूर बाक़ी है यानी वक़्ते ईला से चार महीने गुज़रने पर तलाक़ वाक़ेअ् हो जायेगी और इद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया जब भी ईला है मगर वक़्ते निकाहे सानी से चार माह गुज़रने पर तलाक़ होगी। (ख़ानिया)

मसअला :– यह कहा कि ख़ुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूँगा दो महीने और दो महीने तो ईला हो गया और अगर यह कहा कि वल्लाह दो महीने तुझ से कुर्बत न करूँगा फिर एक दिन बाद

बल्कि थोड़ी देर बाद कहा वल्लाह उन दो महीनों के बाद दो महीने कुर्बत न करूँगा तो ईला न हुआ मगर उस मुद्दत में जिमाअ् करेगा तो क़सम का कफ़्फ़ारा लाज़िम है अगर कहा क़सम ख़ुदा की तुझ से चार महीने कुर्बत न करूँगा मगर एक दिन फिर फ़ौरन कहा वल्लाह उस दिन भी कुर्बत न करूँगा तो ईला हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत से कहा तुझ को तलाक़ है क़ब्ल उस के तुझ से कुर्बत करूँ तो ईला हो गया अगर कुर्बत की तो फ़ौरन तलाक़ हो गई और चार महीने तक न की तो ईला की वजह से बाइन हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मुझ पर अपने लड़के को कुर्बानी कर देना है तो ईला हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मेरा यह गुलाम आज़ाद है चार महीने गुज़र गये अब औरत ने क़ाज़ी के यहाँ दअ्वा किया क़ाज़ी ने तफ़रीक़ करदी फिर उस गुलाम ने दअ्वा किया कि मैं गुलाम नहीं बल्कि असली आज़ाद हूँ और गवाह भी पेश कर दिये क़ाज़ी फ़ैसला करेगा कि वह आज़ाद है और ईला बातिल हो जायेगा और औरत वापस मिलेगी कि ईला था ही नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत से कहा ख़ुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूँगा एक दिन बाद फिर यही कहा एक दिन और गुज़रा फिर यही कहा तो यह तीन ईला हुए और तीन में चार महीने गुज़रने पर एक बाइन तलाक़ पड़ी फिर एक दिन और गुज़रा तो एक और पड़ी तीसरे दिन फिर एक और पड़ी अब बग़ैर हलाला उस के निकाह में नहीं आ सकती हलाला के बाद अगर निकाह और कुर्बत की तो तीन कफ़्फ़ारे अदा करे और अगर एक ही मज्लिस में यह लफ़्ज़ तीन बार कहे और नियत ताकीद की है तो एक ही ईला है और एक ही क़सम और अगर कुछ नियत न हो या बार बार क़सम खाना तशद्दुद की नियत से हो तो ईला एक है मगर क़सम तीन लिहाज़ा अगर कुर्बत करेगा तो तीन कफ़्फ़ारे दे और कुर्बत न करे तो मुद्दत गुज़रने पर एक तलाक़ वाक़ेअ् होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़ुदा की क़सम मैं तुझ से एक साल तक कुर्बत न करूँगा मगर एक दिन या एक घन्टा तो फ़िलहाल ईला नहीं मगर जबकि साल में किसी दिन जिमाअ् कर लिया और अभी साल पूरे होने में चार माह या ज़्यादा बाक़ी हैं तो अब ईला हो गया और अगर जिमाअ् करने के बाद साल में चार महीने से कम बाक़ी हैं या उस साल कुर्बत ही न की तो अब भी ईला न हुआ और अगर सूरते मज़कूरा में एक दिन की जगह एक बार कहा जब भी यही हुक्म है फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि अगर एक दिन कहा है तो जिस दिन जिमाअ् किया है उस दिन आफ़ताब डूबने के बाद अगर चार महीने बाक़ी हैं तो ईला है वरना नहीं अगर्चे वक़्ते जिमाअ् से चार महीने हों और अगर एक बार का लफ़्ज़ कहा है तो जिमाअ् से फ़ारिग़ होने से चार माह बाक़ी हैं तो ईला हो गया और अगर यूँ कहा कि मैं एक साल तक जिमाअ् न करूँग मगर जिस दिन जिमाअ् करूँ, तो ईला किसी तरह न हुआ और अगर यह कहा कि तुझ से कुर्बत न करूँगा मगर एक दिन यानी साल का लफ़्ज़ न कहा तो जब कभी जिमाअ् करेगा उस वक़्त से ईला है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– औरत दूसरे शहर या दूसरे गावँ में है शौहर ने क़सम खाई कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो ईला न हुआ अगर्चे वहाँ तक चार महीने या ज़्यादा की राह हो (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिमाअ् करने को किसी ऐसी चीज़ पर मौक़ूफ़ किया जिसकी निस्बत यह उम्मीद नहीं है कि चार महीने के अन्दर हो जाये तो ईला हो गया मसलन रजब के महीने में कहे वल्लाह मैं तुझ

से कुर्बत न करूँगा जबतक मुहर्रम का रोज़ा न रख लूँ या मैं तुझ से जिमाअ् न करूँगा फुलाँ जगह और वहाँ चार महीने से कम में नहीं पहुँच सकता या जब तक बच्चा के दूध छुड़ाने का वक़्त न आये और अभी दो बरस पूरे होने में चार माह या ज़्यादा बाक़ी है तो इन सब सूरतों में ईला है यूँही अगर वह काम मुद्दत के अन्दर तो हो सकता है मगर यूँ कि निकाह न रहेगा जब भी ईला है मसलन कुर्बत न करूँगा यहाँ तक कि तूं मरजाये या मैं मरजाऊँ या तू क़त्ल की जाये या मैं मार डाला जाऊँ या तू मुझे मार डाले या मैं तुझे मारडालूँ या मैं तुझे तीन तलाक़ें दे दूँ (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– यह कहा कि तुझ से क़ियामत तक कुर्बत न करूँगा या यहाँ तक कि आफ़ताब मग़रिब से तुलूअ् करे, या दज्जाल लईन का ख़ुरूज हो, या दाब्बातुल अर्द ज़ाहिर हो, या ऊँट सूई के नाके में चला जाये यह सब ईला–ए–मुअब्बद है (जौहरा नय्यरा)

मसअ्ला :– औरत नाबालिग़ा है उस से क़सम खाकर कहा कि तुझ से कुर्बत न करूँगा जब तक तुझे हैज़ न आ जायें अगर मालूम है कि चार महीने तक न आयेगा तो ईला है यूँही अगर आइसा है उस से कहा जब भी ईला है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाकर कहा तुझ से कुर्बत न करूँगा जबतक तू मेरी औरत है फिर उसे बाइन तलाक़ देकर निकाह किया तो ईला नहीं और अब कुर्बत करेगा तो कफ़्फ़ारा भी नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कुर्बत करना ऐसी चीज़ पर मुअ़ल्लक़ किया जो कर नहीं सकता मसलन यह कहा जब तक आसमान को न छूलूँ तो ईला हो गया और अगर कहा कि जिमाअ् न करूँगा जब तक यह नहर जारी है और वह नहर बारहों महीने जारी रहती है तो ईला है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सेहत की हालत में ईला किया था और मुद्दत के अन्दर वती की मगर उस वक़्त मजनून है तो क़सम टूट गई और ईला साक़ित (फ़त्ह)

मसअ्ला :– ईला किया और मुद्दत के अन्दर क़सम तोड़ना चाहता है मगर वती करने से आजिज़ है कि वह ख़ुद बीमार है या औरत बीमार है या औरत सग़ीर सिन है या औरत का मक़ाम बन्द है कि वती हो नहीं सकती या यही नामर्द है या उसका अज़्व काट डाला गया है या औरत इतने फ़ासले पर है कि चार महीने में वहाँ नहीं पहुँच सकता या ख़ुद क़ैद है और क़ैद ख़ाना में वती नहीं कर सकता और क़ैद भी ज़ुल्मन हो या औरत जिमाअ् नहीं करने देती या कहीं ऐसी जगह है कि उसको उसका पता नहीं तो ऐसी सूरतों में ज़बान से रुजूअ् के अल्फ़ाज़ कह ले मसलन कहे मैंने तुझे रुजूअ् कर लिया या ईला को बातिल कर दिया मैंने अपने क़ौल से रुजूअ् किया या वापस लिया तो ईला जाता रहेगा यानी मुद्दत पूरी होने पर तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और एहतियात यह है कि गवाहों के सामने कहे मगर क़सम अगर मुतलक़ है या मुअब्बद तो वह अपनी हालत पर बाक़ी है जब वती करेगा कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा और अगर चार महीने की थी और चार महीने के बाद वती की तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर ज़बान से रुजूअ् करने के लिए यह शर्त है कि मुद्दत के अन्दर यह इज्ज़ (मजबूरी) क़ाइम रहे और अगर मुद्दत के अन्दर ज़बानी रुजूअ् के बाद वती पर क़ादिर हो गया तो ज़बानी रुजूअ् नाकाफ़ी है वती ज़रूर है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– अगर किसी उज़्रे शरई की वजह से वती नहीं कर सकता मसलन ख़ुद या औरत ने हज का एहराम बाँधा है और अभी हज पूरे होने में चार महीने का अर्सा है तो ज़बान से रुजूअ् नहीं कर सकता यूहीं अगर किसी के हक़ की वजह से क़ैद है तो ज़बानी रुजूअ् काफ़ी नहीं कि यह आजिज़ नहीं कि हक़ अदा करके क़ैद से रिहाई पा सकता है और अगर जहाँ औरत है वहाँ तक चार

महीने से कम में पहुँचेगा मगर दुश्मन या बादशाह जाने नहीं देता तो यह उज़्र नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वती से आ़जिज़ ने दिल से रुजूअ् कर लिया मगर ज़बान से कुछ न कहा तो रुजूअ् नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस वक़्त ईला किया उस वक़्त आ़जिज़ न था फिर आ़जिज़ हो गया तो ज़बानी रुजूअ् काफ़ी नहीं मसलन तन्दुरुस्त ने ईला किया फिर बीमार हो गया तो अब रुजूअ् के लिए वती ज़रूर है मगर जबकि ईला करते ही बीमार हो गया इतना वक़्त न मिला कि वती करता तो ज़बान से कह लेना काफ़ी है और अगर मरीज़ ने ईला किया था और अभी अच्छा न हुआ था कि औरत बीमार हो गई अब यह अच्छा हो गया तो ज़बानी रुजूअ् नाकाफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़बान से रुजूअ् के लिए एक शर्त यह भी है कि वक़्ते रुजूअ् निकाह बाक़ी हो और अगर बाइन तलाक़ देदी तो रुजूअ् नहीं कर सकता यहाँ तक कि अगर मुद्दत के अन्दर निकाह कर लिया फिर मुद्दत पूरी हुई तो तलाक़ बाइन वाक़ेअ् हो गई (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शहवत के साथ बोसा लेना या छूना या उस की शर्मगाह की तरफ़ नज़र करना या आगे के मक़ाम के अ़लावा किसी और जगह वती करना रुजूअ् नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर हैज़ में जिमाअ् कर लिया तो अगर्चे यह बहुत सख़्त हराम है मगर ईला जाता रहा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर ईला किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ था और जिस वक़्त शर्त पाई गई उस वक़्त आ़जिज़ है तो ज़बानी रुजूअ् काफ़ी है वरना नहीं **तअ़लीक़** के वक़्त का लिहाज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने ईला किया फिर दस दिन के बाद दोबारा ईला के अल्फ़ाज़ कहे तो दो ईला हैं और दो क़समें और दोनों की दो मुद्दतें अगर दोनों मुद्दतें पूरी होने से पहले ज़बानी रुजूअ् कर लिया और दोनों मुद्दतें पूरी होने तक बीमार रहा तो ज़बानी रुजूअ् सहीह है दोनों ईला जाते रहे **और अगर** पहली मुद्दत पूरी होने से पहले अच्छा हो गया तो वह रुजूअ् करना बेकार गया **और अगर** ज़बानी रुजूअ् न किया था तो दोनों मुद्दतें पूरी होने पर दो तलाक़ें वाक़ेअ् होंगी और अगर जिमाअ् कर लेगा तो दोनों क़समें टूट जायेंगी और दो कफ़्फ़ारे लाज़िम। **और अगर** पहली मुद्दत पूरी होने से पहले ज़बानी रुजूअ् किया और मुद्दत पूरी होने पर अच्छा हो गया तो अब दूसरे के लिए वह काफ़ी नहीं बल्कि जिमाअ् ज़रूर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुद्दत में अगर ज़ौज व ज़ौजा का इख़्तिलाफ़ हो तो शौहर का क़ौल मोअ़्तबर है मगर औरत को जब उस का झूटा होना मालूम हो तो उसे इजाज़त नहीं कि उस के साथ रहे जिस तरह हो सके माल वग़ैरा देकर उस से अ़लाहिदा हो जाये **और अगर** मुद्दत के अन्दर जिमाअ् करना बताता है तो शौहर का क़ौल मोअ़्तबर है और पूरी होने के बाद कहता है कि इसना–ए–मुद्दत में जिमाअ् किया है तो जब तक औरत उस की तस्दीक़ न करे उस का क़ौल न मानें (आलमगीरी जौहरा)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू चाहे तो ख़ुदा की क़सम तुझ से क़ुर्बत न करूँगा उसी मज्लिस में औरत ने कहा मैंने चाहा तो ईला हो गया यूँही अगर और किसी के चाहने पर ईला मुअ़ल्लक़ किया तो मज्लिस में उस के चाहने से ईला हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तू मुझ पर हराम है इस लफ़्ज़ से ईला की नियत की तो ईला है और ज़िहार की तो ज़िहार वरना तलाक़े बाइन और तीन की नियत की तो तीन **और अगर** औरत ने कहा कि मैं तुझ पर हराम हूँ तो यमीन है शौहर ने ज़बरदस्ती या उस की ख़ुशी से जिमाअ् किया तो औरत पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर शौहर ने कहा तू मुझ पर मिस्ल मुरदार या गोश्त ख़िन्ज़ीर या ख़ून या शराब के है अगर उस से झूट मक़सूद है तो झूट है और हराम करना मक़सूद है तो ईला है और तलाक़ की नियत है तो तलाक़ (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत को कहा तू मेरी माँ है और नियत तहरीम की है तो हराम न होगी बल्कि यह झूट है (जौहरा)

मसअ्ला :– अपनी दो औरतों से कहा तुम दोनों मुझ पर हराम हो और एक में तलाक़ की नियत है दूसरी में ईला की या एक में एक तलाक़ की नियत की दूसरी में तीन की तो जैसी नियत की उस के मुवाफ़िक़ हुक्म दिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

खुलअ्

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल इरशाद फ़रमाता है।

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

तर्जमा :– " तुम्हें हलाल नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया है उस में से कुछ वापस लो मगर जब दोनों को अन्देशा हो कि अल्लाह की हदें क़ाइम न रखेंगे फिर अगर तुम्हें अन्देशा हो कि वह दोनों अल्लाह की हदें क़ाइम न रखेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं इस में कि बदला देकर औरत छुटटी लें। यह अल्लाह की हदें हैं उन से तजावुज़ न करें और जो अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करे तो वह लोग ज़ालिम हैं"

सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि साबित इब्ने कैस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु की ज़ौजा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह साबित इब्ने कैस के अख़लाक़ व दीन की निस्बत मुझे कुछ कलाम नहीं (यानी उन के अख़लाक़ भी अच्छे हैं और दीनदार भी हैं) मगर इस्लाम में कुफ़राने नेअ़मत को मैं पसन्द नहीं करती (यानी ख़ूबसूरत न होने की वजह से मेरी तबीअ़त उन की तरफ़ माइल नहीं) इरशाद फ़रमाया उस का बाग़ (जो महर में तुझ को दिया है) तू वापस करदेगी अ़र्ज़ की हाँ हुज़ूर ने साबित इब्ने कैस से फ़रमाया बाग़ लेलो और तलाक़ देदो।

मसअ्ला :– माल के बदले में निकाह ज़ाइल करने को ख़ुलअ् कहते हैं औरत का क़बूल करना शर्त है बग़ैर उस के क़बूल किए ख़ुला नहीं हो सकता और उस के अल्फ़ाज़ मुअ़य्यन हैं उन के अ़लावा और लफ़्ज़ों से न होगा।

मसअ्ला :– अगर ज़ौज व ज़ौजा (मियाँ बीवी) में ना इत्तिफ़ाक़ी रहती हो और यह अन्देशा हो कि अहकामे शरईया की पाबन्दी न कर सकेंगे तो ख़ुला में मुज़ाइक़ा (हरज) नहीं और जब ख़ुलअ् करलें तो तलाक़े बाइन वाक़ेअ् हो जायेगी और जो माल ठहरा है औरत पर उस का देना लाज़िम है (हिदाया)

मसअ्ला :– अगर शौहर की तरफ़ से ज़्यादती हो तो ख़ुलअ् पर मुतलक़न एवज़ लेना मकरूह है और अगर औरत की तरफ़ से हो तो जितना महर में दिया हो उस से ज़्यादा लेना मकरूह फिर भी अगर ज़्यादा ले ले तो क़ज़ाअन जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– जो चीज़ महर हो सकती है वह बदले खुलअ् भी हो सकती है। और जो चीज़ महर नहीं हो सकती वह भी बदले खुलअ् हो सकती है मसलन दस दिरहम से कम को बदले खुलअ् कर सकते हैं मगर महर नहीं कर सकते (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– खुलअ् शौहर के हक़ में तलाक़ को औरत के क़बूल करने पर मुअल्लक़ (शर्त)करना है कि औरत ने अगर माल देना क़बूल कर लिया तो तलाक़े बाइन हो जायेगी लिहाज़ा अगर शौहर ने खुलअ् के अल्फ़ाज़ कहे और औरत ने अभी क़बूल नहीं किया तो शौहर को रुजूअ् का इख़्तियार नहीं न शौहर को शर्ते ख़ियार हासिल और न शौहर की मज्लिस बदलने से खुलअ् बातिल(शौहर खुलअ् के अलफाज़ कहने के बाद रुजूअ् नहीं कर सकता) (ख़ानिया)

मसअला :– खुलअ् औरत की जानिब में अपने को माल के बदले में छुड़ाना है तो अगर औरत की जानिब से इब्तिदा हुई मगर अभी शौहर ने क़बूल नहीं किया तो औरत रुजूअ् कर सकती है और अपने लिए इख़्तियार भी ले सकती है और यहाँ तीन दिन से ज़्यादा का भी इख़्तियार ले सकती है बख़िलाफ़ बैअ् (ख़रीद व फ़रोख़्त) के कि बैअ् में तीन दिन से ज़्यादा का इख़्तियार नहीं और दोनों में से एक की मज्लिस बदलने के बाद औरत का कलाम बातिल हो जायेगा (ख़ानिया)

मसअला :– खुलअ् चूँकि मुआवज़ा (बदला) है लिहाज़ा यह शर्त है कि औरत का क़बूल उस लफ़्ज़ के मअ्ना समझकर हो बग़ैर मअ्ना समझे अगर महज़ लफ़्ज़ बोल देगी तो खुलअ् न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चूँकि शौहर की जानिब से खुलअ् है लिहाज़ा शौहर आक़िल, बालिग़ होना शर्त है नाबालिग़ या मजनून खुलअ् नहीं कर सकता कि अहले तलाक़ नहीं और यह भी शर्त है कि औरत महल्ले तलाक़ हो लिहाज़ा अगर औरत को तलाक़े बाइन देदी है तो अगर्चे इद्दत में हो उस से खुलअ् नहीं हो सकता यूँही अगर निकाह फ़ासिद हुआ है या औरत मुरतद हो गई जब भी खुलअ् नहीं हो सकता कि निकाह ही नहीं है खुलअ् किस चीज़ का होगा और रजई की इद्दत में है तो खुलअ् हो सकता है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर ने कहा मैंने तुझ से खुलअ् किया और माल का ज़िक्र न किया तो खुलअ् नहीं बल्कि तलाक़ है और औरत के क़बूल करने पर मौक़ूफ़ नहीं। (बदाएअ्)

मसअला :– शौहर ने कहा मैंने तुझ से इतने पर खुलअ् किया औरत ने जवाब में कहा हाँ तो उस से कुछ नहीं होगा जब तक यह न कहे कि मैं राज़ी हुई या जाइज़ किया यह कहा तो सहीह हो गया यूँही अगर औरत ने कहा मुझे हज़ार रुपये के बदले में तलाक़ देदे शौहर ने कहा हाँ तो यह भी कुछ नहीं और अगर औरत ने कहा मुझ को हज़ार रुपये के बदले में तलाक़ है शौहर ने कहा हाँ तो हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– निकाह की वजह से जितने हुक़ूक़ एक के दूसरे पर थे वह खुलअ् से साक़ित हो जाते हैं और जो हुक़ूक़ कि निकाह से अलावा हैं वह साक़ित न होंगे इद्दत का नफ़्क़ा अगर्चे निकाह के हुक़ूक़ से है मगर यह साक़ित न होगा हाँ अगर उस के साक़ित होने की शर्त कर दी गई तो यह भी साक़ित हो जायेगा यूँही औरत के बच्चां हो तो उस का नफ़्क़ा और दूध पिलाने के मसारिफ़ (ख़र्च)साक़ित न होंगे और अगर उन के साक़ित होने की भी शर्त है और उस के लिए कोई वक़्त मुअय्यन कर दिया गया है तो साक़ित हो जायेंगे वरना नहीं और बसूरते वक़्त मुअय्यन (वक़्त ख़ास करने की सूरत में) करने के अगर उस वक़्त से पेश्तर बच्चे का इन्तिक़ाल हो गया तो बाक़ी मुद्दत में जो सर्फ़ होता वह औरत से शौहर ले सकता है और अगर यह ठहरा है कि औरत अपने माल से

दस बरस तक बच्चे की परवरिश करेगी तो बच्चे के कपड़े का औरत मुतालबा कर सकती है और अगर बच्चे का खाना कपड़ा दोनों ठहरा है तो कपड़े का मुतालबा भी नहीं कर सकती अगर्चे यह मुअय्यन न किया हो कि किस क़िस्म का कपड़ा पहनायेगी और बच्चे को छोड़कर औरत भाग गई तो बाक़ी नफ़्क़ा की क़ीमत शौहर वुसूल कर सकता है और अगर यह ठहरा है कि बुलूग़ तक अपने पास रखेगी तो लड़की में ऐसी शर्त हो सकती है लड़के में नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– खुलअ् किसी मिक़दारे मुअय्यन पर हुआ और औरत मदख़ूला (जिमा कर लिया हो)है और महर पर औरत ने क़ब्ज़ा कर लिया है तो जो ठहरा है शौहर को दे और उस के अलावा शौहर कुछ नहीं ले सकता है और महर औरत को नहीं मिला है तो अब औरत महर का मुतालबा नहीं कर सकती और जो ठहरा है शौहर को दे और अगर ग़ैर मदख़ूला(यानी जिस से जिमाअ् न किया गया हो) है और पूरा महर ले चुकी है तो शौहर निस्फ़ महर का दअ्वा नहीं कर सकता और महर औरत को नहीं मिला है तो औरत निस्फ़ महर का शौहर पर दअ्वा नहीं कर सकती और दोनों सूरतों में जो ठहरा है देना होगा और अगर महर पर खुलअ् हुआ और महर ले चुकी है तो महर वापस करे और महर नहीं लिया है तो शौहर से महर साक़ित हो गया और औरत से कुछ नहीं ले सकता और अगर मसलन महर के दसवें हिस्से पर खुलअ् हुआ और महर मसलन हज़ार रुपये का है और औरत मदख़ूला है और कुल महर ले चुकी है तो शौहर उस से सौ रुपये लेगा और महर बिल्कुल नहीं लिया है तो शौहर से कुल महर साक़ित हो गया और अगर औरत ग़ैर मुदख़ूला है और महर ले चुकी है तो शौहर उस से पचास रुपये ले सकता है और औरत को कुछ महर नहीं मिला है तो कुल साक़ित हो गया (आलमगीरी)

मसअला :– औरत का जो महर शौहर पर है उसके बदले में खुलअ् हुआ फिर मालूम हुआ कि औरत का कुछ महर शौहर पर नहीं तो औरत को महर वापस करना होगा यूँही अगर उस असबाब के बदले में खुलअ् हुआ जो औरत का मर्द के पास है फिर मालूम हुआ कि उस का असबाब उसके पास कुछ नहीं है तो महर के बदले में खुलअ् क़रार पायेगा महर ले चुकी है तो वापस करे और शौहर पर बाक़ी है तो साक़ित (ख़ानिया)

मसअला :– जो महर औरत का शौहर पर है उस के बदले में खुलअ् हुआ या तलाक़ और शौहर को मालूम है कि उस का कुछ मुझ पर नहीं चाहिए तो उस से कुछ नहीं ले सकता है खुलअ् की सूरत में तलाक़ बाइन होगी और तलाक़ की सूरत में रजई (ख़ानिया)

मसअला :– यूँ खुलअ् हुआ कि जो कुछ शौहर से लिया है वापस करे और औरत ने जो कुछ लिया था फ़रोख़्त कर डाला हिबा कर के क़ब्ज़ा दिला दिया कि वह चीज़ शौहर को वापस नहीं कर सकती तो अगर वह चीज़ क़ीमती है तो उस की क़ीमत दे और मिस्ली (उस जैसी) है तो उस की मिस्ल (ख़ानिया)

मसअला :– औरत को तलाक़ बाइन देकर फिर उस से निकाह किया फिर महर पर खुलअ् हुआ तो दूसरा महर साक़ित हो गया पहला नहीं (जौहरा नय्यरा)

मसअला :– बग़ैर महर निकाह हुआ था और दुख़ूल से पहले खुलअ् हुआ तो मतआ (जोड़ा) साक़ित और अगर औरत ने माले मुअय्यन पर खुलअ् किया उस के बाद बदले खुलअ् में ज़्यादती की तो यह ज़्यदती बातिल है (आलमगीरी)

मसअला :– खुलअ् उस पर हुआ कि किसी औरत से ज़ौजा (बीवी)अपनी तरफ़ से निकाह करा दे और उस का महर ज़ौजा दे तो ज़ौजा पर सिर्फ़ वह महर वापस करना होगा जो ज़ौज (शौहर) से

ले चुकी है और कुछ नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– शराब व ख़िन्ज़ीर व मुर्दार वग़ैरा ऐसी चीज़ पर खुलअ़ हुआ जो माल नहीं तो तलाक़ पड़गई और औरत पर कुछ वाजिब नहीं और अगर उन चीज़ों के बदले में तलाक़ दी तो रजई वाक़ेअ़ हुई यूँहीं अगर औरत ने यह कहा मेरे हाथ में जो कुछ है उस के बदले में खुलअ़ कर और हाथ में कुछ न था तो कुछ वाजिब नहीं और अगर यूँ कहा कि उस माल के बदले में जो मेरे हाथ में है और हाथ में कुछ न हो तो अगर महर ले चुकी है तो वापस करे वरना महर साकित हो जायेगा और उस के अलावा कुछ देना नहीं पड़ेगा यूँहीं अगर शौहर ने कहा मैंने खुलअ़ किया उस के बदले में जो मेरे हाथ में है और हाथ में कुछ न हो तो कुछ नहीं और हाथ में जवाहिरात हों तो औरत पर देना लाज़िम होगा अगर्चे औरत को यह मालूम न था कि उस के हाथ में क्या है(दुर्रे मुख़्तार जौहरा)

मसअला :– मेरे हाथ में जो रुपये हैं उन के बदले में खुलअ़ कर और हाथ में कुछ नहीं तो तीन रुपये देने होंगे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा) मगर उर्दू में चूँकि जमअ़ दो पर भी बोलते हैं लिहाज़ा दो ही रुपये लाज़िम होंगे और सूरते मज़कूरा में अगर हाथ में एक ही रुपया है जब भी दो दे

मसअला :– अगर यह कहा कि उस घर में या उस सन्दूक़ में जो माल या रुपये हैं उन के बदले में खुलअ़ कर और हक़ीक़तन उन में कुछ न था तो यह भी उसी के मिस्ल है कि हाथ में कुछ न था यूँही अगर यह कहा कि उस जारिया या बकरी के पेट में जो है उस के बदले में और कमतर मुद्दते हम्ल में न जनी तो मुफ़्त तलाक़ वाक़ेअ़ हो गई और कमतर मुद्दते हमल में जनी तो वह बच्चा खुलअ़ के बदले मिलेगा। कमतर मुद्दते हमल औरत में छः महीने है और बकरी में चार महीने और दूसरे चौपायों में भी वही छ महीने यूँहीं अगर कहा उस दरख़्त में जो फल हैं उन के बदले और दरख़्त में फल नहीं तो महर वापस करना होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कोई जानवर घोड़ा, ख़च्चर, बैल वग़ैरा बदले खुलअ़ क़रार दिया और उस की सिफ़त भी बयान कर दी तो औसत दर्जे का देना वाजिब आयेगा और औरत को यह भी इख़्तियार है कि उस की क़ीमत देदे और जानवर की सिफ़त न बयान की हो तो जो कुछ महर में ले चुकी है वह वापस करे (आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा मैं ने तुझ से खुलअ़ किया औरत ने कहा मैंने क़बूल किया तो अगर वह लफ़्ज़ शौहर ने बनियते तलाक़ कहा था तलाक़ बाइन वाक़ेअ़ होगई और महर साकित न होगा बल्कि अगर औरत ने क़बूल न किया हो जब भी यही हुक्म है और अगर शौहर यह कहता है कि मैं ने तलाक़ की नियत से न कहा था तो तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी जब तक औरत क़बूल न करे और अगर यह कहा था कि फ़ुलाँ चीज़ के बदले मैंने तुझ से खुलअ़ किया तो जब तक औरत क़बूल न करेगी तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी और औरत के क़बूल करने के बाद अगर शौहर कहे कि मेरी मुराद तलाक़ न थी तो उस की बात न मानी जाये (ख़ानिया वग़ैरा)

मसअला :– भागे हुए गुलाम के बदले में खुलअ़ किया और औरत ने यह शर्त लगा दी कि मैं उस की ज़ामिन नहीं यानी अगर मिल गया तो दे दूँगी और न मिला तो उस का तावान मेरे ज़िम्मे नहीं तो खुलअ़ सहीह है और शर्त बातिल यानी अगर न मिला तो औरत उस की क़ीमत दे और अगर यह शर्त लगाई कि अगर उस में कोई ऐब हो तो मैं बरी हूँ तो शर्त सहीह है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) जानवर गुम शुदा के बदले में हो जब भी यही हुक्म है।

मसअला :– औरत ने शौहर से कहा हज़ार रुपये पर मुझ से खुलअ़ कर शौहर ने कहा तुझ को

तलाक़ है तो यह उस का जवाब समझा जायेगा हाँ अगर शौहर कहे कि मैंने जवाब की नियत से न कहा था तो उस का क़ौल मान लिया जायेगा और तलाक़ मुफ़्त वाक़ेअ़ होगी और बेहतर यह है कि पहले ही शौहर से दरयाफ़्त कर लिया जाये यूँही अगर औरत कहती है मैंने खुलअ़ तलब किया था और कहता है मैंने तुझे तलाक़ दी थी तो शौहर से दरयाफ़्त करें अगर उस ने जवाब में कहा था तो खुलअ़ है वरना तलाक़ (ख़ानिया)

मसअला :– ख़रीद व फ़रोख़्त के लफ़्ज़ से भी खुलअ़ होता है मसलन मर्द ने कहा मैंने तेरा अम्र या तेरी तलाक़ तेरे हाथ इतने को बेची औरत ने उसी मज्लिस में कहा मैंने क़बूल की तलाक़ वाक़ेअ़ होगई यूँहीं अगर महर के बदले में बेची और उस ने क़बूल की हाँ अगर उस का महर शौहर पर बाक़ी न था और यह बात शौहर को मालूम थी फिर महर के बदले बेची तो तलाक़े रजई होगी(ख़ानिया)

मसअला :– लोगों ने औरत से कहा तूने अपने नफ़्स को महर व नफ़्क़ा–ए–इद्दत के बदले ख़रीदा औरत ने कहा हाँ ख़रीदा फिर शौहर से कहा तूने बेचा उस ने कहा हाँ तो खुलअ़ हो गया और शौहर तमाम हुक़ूक़ से बरी हो गया और अगर खुलअ़ कराने के लिए लोग जमअ़ हुए और अल्फ़ाज़े मज़कूरा (यही अलफ़ाज़)दोनों से कहला अब शौहर कहता है मेरे ख़्याल में यह था कि किसी माल की ख़रीद व फ़रोख़्त हो रही है जब भी तलाक़ का हुक्म देंगे (आलमगीरी)

मसअला :– लफ़्ज़े बैअ़ से खुलअ़ हो तो उस से औरत के हुक़ूक़ साक़ित न होंगे जब तक यह ज़िक्र न हो कि उन हुक़ूक़ के बदले बेचा (ख़ानिया)

मसअला :– शौहर ने औरत से कहा तूने अपने महर के बदले मुझ से तीन तलाक़ें ख़रीदीं औरत ने कहा ख़रीदीं तो तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी जब तक मर्द उस के बाद यह न कहे कि मैंने बेचीं और अगर शौहर ने पहले यह लफ़्ज़ कहे कि महर के बदले मुझ से तीन तलाक़ें ख़रीद और औरत ने कहा ख़रीदीं तो वाक़ेअ़ होगईं अगर्चे शौहर ने बाद में बेचने का लफ़्ज़ न कहा (ख़ानिया)

मसअला :– औरत ने शौहर से कहा मैंने अपना महर और नफ़्क़ा–ए–इद्दत तेरे हाथ बेचा तूने ख़रीदा शौहर ने कहा मैंने ख़रीदा उठ जा। वह चली गई तो तलाक़ वाक़ेअ़ न हुई मगर एहतियात यह है कि अगर पहले दो तलाक़ें न दे चुका हो तो तजदीदे निकाह करे (ख़ानिया)

मसअला :– औरत से कहा मैंने तेरे हाथ एक तलाक़ बेची और एवज़ का ज़िक्र न किया औरत ने कहा मैंने ख़रीदी तो रजई पड़ेगी और अगर यह कहा कि मैंने तुझे तेरे हाथ बेचा और औरत ने कहा ख़रीदा तो बाइन पड़ेगी (ख़ानिया)

मसअला :– औरत से कहा मैंने तेरे हाथ तीन हज़ार को तलाक़ बेची उस को तीन बार कहा आख़िर में औरत ने कहा मैंने ख़रीदी फिर शौहर यह कहता है कि मैंने तकरार के इरादे से तीन बार कहा था तो क़ज़ाअन उस का क़ौल मोअ़तबर नहीं और तीन तलाक़ें वाक़ेअ़ हो गयीं और औरत को सिर्फ़ तीन हज़ार देने होंगे नौ हज़ार नहीं कि पहली तलाक़ तीन हज़ार के एवज़ हुई और अब दूसरी और तीसरी पर माल वाजिब नहीं हो सकता और चूँकि सरीह हैं लिहाज़ा बाइन को लाहिक़ होंगी (ख़ानिया)

मसअला :– माल के बदले में तलाक़ दी और औरत ने क़बूल कर लिया तो माल वाजिब होगा और तलाक़ बाइन वाक़ेअ़ होगी (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने कहा हज़ार रुपये के एवज़ मुझे तीन तलाक़ें देदे शौहर ने उसी मज्लिस में

एक तलाक़ दी तो बाइन वाक़ेअ् हुई और हज़ार की तिहाई का मुस्तहक़ है और मज्लिस से उठ गया फिर तलाक़ दी तो बिला मुआवज़ा वाक़ेअ् होगी और अगर औरत के उस कहने से पहले दो तलाक़ें दे चुका था और अब एक दी तो पूरे हज़ार पायेगा और अगर औरत ने कहा था कि हज़ार रुपये पर तीन तलाक़ें दे और एक दी तो रजई हुई और अगर इस सूरत में मज्लिस में तीन तलाक़ें मुतफ़र्रिक़ कर के दीं तो हज़ार पायेगा और तीन मज्लिसों में दीं तो कुछ नहीं पायेगा (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर ने औरत से कहा हज़ार के एवज़ या हज़ार रुपये पर तू अपने को तीन तलाक़ें दे दे औरत ने एक तलाक़ दी तो वाक़ेअ् न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा हज़ार के एवज़ या हज़ार रुपये पर तुझ को तलाक़ है औरत ने उसी मज्लिस में क़बूल कर लिया तो हज़ार रुपये वाजिब हो गये और तलाक़ हो गई हाँ अगर औरत सफ़ीहा (बेवक़ूफ़) है या क़बूल करने पर मजबूर की गई तो बग़ैर माल तलाक़ पड जायेगी और अगर मरीज़ा है तो तिहाई से यह रक़म अदा की जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अपनी दो औरतों से कहा तुम में एक को हज़ार रुपये के एवज़ तलाक़ है और दूसरी को सौ अशरफ़ियों के बदले और दोनों ने क़बूल कर लिया तो दोनों मुतल्लक़ा हो गयीं और किसी पर कुछ वाजिब नहीं हाँ अगर शौहर दोनों से रुपये लेने पर राज़ी हो तो रुपये लाज़िम होंगे और राज़ी न हो तो मुफ़्त मगर उस सूरत में रजई होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) और अगर यूँ कहा कि एक को हज़ार रुपये पर तलाक़ और दूसरी को पाँच सौ रुपये पर तो दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और हर एक पर पाँच पाँच सौ लाज़िम (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ग़ैर मदख़ूला को हज़ार रुपये पर तलाक़ दी और उस का महर तीन हज़ार का था जो सब अभी शौहर के ज़िम्मे है तो डेढ़ हज़ार तो यूँ साक़ित हो गये कि क़ब्ल दुख़ूल दी है बाक़ी रहे डेढ़ हज़ार उन में हज़ार तलाक़ के बदले वज़अ् हुए और पाँच सौ शौहर से वापस ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :– महर की एक तिहाई के बदले तलाक़ दी और दूसरी तिहाई के बदले दूसरी और तीसरी के बदले तीसरी तो सिर्फ़ पहली तलाक़ के एवज़ एक तिहाई साक़ित हो जायेगी और दो तिहाइयाँ शौहर पर वाजिब हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को चार तलाक़ें हज़ार रुपये के एवज़ दीं उस ने क़बूल कर लीं तो हज़ार के बदले में तीन ही वाक़ेअ् होंगी और अगर हज़ार के बदले में तीन क़बूल कीं तो कोई वाक़ेअ् न होगी और अगर औरत ने शौहर से हज़ार के बदले में चार तलाक़ें देने को कहा और शौहर ने तीन दीं तो यह तीन तलाक़ें हज़ार के बदले में होगयीं और एक दी तो एक हज़ार की तिहाई के बदले में। (फ़त्ह)

मसअ्ला :– औरत ने कहा हज़ार रुपये पर या हज़ार के बदले में मुझे एक तलाक़ दे शौहर ने कहा तुझ पर तीन तलाक़ें और बदले को ज़िक्र न किया तो बिला मुआविज़ा तीन हो गईं और अगर शौहर ने हज़ार के बदले में तीन दीं तो औरत के क़बूल करने पर मौक़ूफ़ है क़बूल न किया कुछ नहीं और क़बूल किया तो तीन तलाक़ें हज़ार के बदले में हुईं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझ पर तीन तलाक़ें हैं जब तू मुझे हज़ार रुपये दे तो फ़क़त उस कहने से तलाक़ वाक़ेअ् न होगी बल्कि जब औरत हज़ार रुपये देगी यानी शौहर के सामने लाकर रख देगी उस वक़्त तलाक़ें वाक़ेअ् होंगी अगर्चे शौहर लेने से इन्कार करे और शौहर रुपये लेने पर

मजबूर नहीं किया जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दोनों राह चल रहे हैं और खुलअ् किया अगर हर एक का कलाम दूसरे के कलाम से मुत्तसिल (मिला हुआ) है तो खुलअ् सहीह है वरना नहीं और इस सूरत में तलाक़ भी वाक़ेअ् नहीं होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत कहती है मैंने हज़ार के बदले तीन तलाक़ों को कहा था और तूने एक दी और शौहर कहता है तू ने एक ही को कहा था तो अगर शौहर गवाह पेश करे तो ठीक वरना औरत का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर कहता है मैंने हज़ार रुपये तुझे तलाक़ दी तूने क़बूल न किया औरत कहती है मैंने क़बूल किया था तो क़सम के साथ शौहर का क़ौल मोअ्तबर है और अगर शौहर कहता है मैंने हज़ार रुपये पर तेरे हाथ तलाक़ बेची तूने क़बूल न की औरत कहती है मैंने क़बूल की थी तो औरत का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत कहती है मैंने सौ रुपये में तलाक़ देने को कहा था शौहर कहता है नहीं बल्कि हज़ार के बदले तो औरत का क़ौल मोअ्तबर है और दोनों ने गवाह पेश किये तो शौहर के गवाह क़बूल किए जायें यूँही अगर औरत कहती है बग़ैर किसी बदले के खुलअ् हुआ और शौहर कहता है नहीं बल्कि बल्कि हज़ार रुपये के बदले में तो औरत का क़ौल मोअ्तबर है और गवाह शौहर के मक़बूल (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत कहती है मैंने हज़ार के बदले में तीन तलाक़ को कहा था तूने एक दी शौहर कहता है मैं ने तीन दीं अगर उसी मज्लिस की बात है तो शौहर का क़ौल मोअ्तबर है और वह मज्लिस न हो तो औरत का और औरत पर हज़ार की तिहाई वाजिब मगर इद्दत पूरी नहीं हुई है तो तीन तलाक़ें हो गयीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने खुलअ् चाहा फिर यह दअ्वा किया कि खुलअ् से पहले बाइन तलाक़ दे चुका था और उस के गवाह पेश किए तो गवाह मक़बूल हैं और बदले खुला वापस किया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर दअ्वा करता है कि इतने पर खुलअ् हुआ औरत कहती है खुलअ् हुआ ही नहीं तो तलाक़ बाइन वाक़ेअ् हो गई रहा माल उस में औरत का क़ौल मोअ्तबर है कि वह मुन्किर है और अगर औरत खुलअ् का दअ्वा करती है और शौहर मुन्किर है तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़न व शौहर में इख़्तिलाफ़ हुआ औरत कहती है तीन बार खुलअ् हो चुका और मर्द कहता है कि दो बार अगर यह इख़्तिलाफ़ निकाह हो जाने के बाद हुआ और औरत का मतलब यह है कि निकाह सहीह न हुआ उस वास्ते कि तीन तलाक़ें हो चुकीं अब बग़ैर हलाला निकाह नहीं हो सकता और मर्द की ग़र्ज़ यह है कि निकाह सहीह हो गया उस वास्ते कि दो ही तलाक़ें हुई हैं तो इस सूरत में मर्द का क़ौल मोअ्तबर है और अगर निकाह से पहले इद्दत में या बाद इद्दत यह इख़्तिलाफ़ हुआ तो उस सूरत में निकाह करना जाइज़ नहीं दूसरे लोगों को भी यह जाइज़ नहीं कि औरत को निकाह पर आमादा (तैयार) करें न निकाह होने दें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मर्द ने किसी से कहा कि तू मेरी औरत से खुलअ् कर तो उस को यह इख़्तियार नहीं कि बग़ैर माल खुलअ् करे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने किसी को हज़ार रुपये पर खुलअ् के लिए वकील बनाया तो अगर वकील ने

बदले खुलअ् मुतलक़ रखा मसलन यह कहा कि हज़ार रुपये पर खुलअ् कर या उस हज़ार पर या वकील ने अपनी तरफ़ इज़ाफ़त की मसलन यह कहा कि मेरे माल से हज़ार रुपये पर या कहा हज़ार रुपये पर और मैं हज़ार रुपये का ज़ामिन हूँ तो दोनों सूरतों में वकील के कबूल करने से खुलअ् हो जायेगा फिर अगर रुपये मुतलक़ हैं जब तो शौहर औरत से लेगा वरना वकील से बदले खुलअ् का मुतालबा करेगा औरत से नहीं फिर वकील औरत से लेगा और अगर वकील के असबाब (सामान)के बदले खुलअ् किया और असबाब हलाक हो गये तो वकील उन की क़ीमते ज़मान दे (आलमगीरी)

मसअला :— मर्द ने किसी से कहा कि तू मेरी औरत को तलाक़ देदे उस ने माल पर खुलअ् किया माल पर तलाक़ दी और औरत मदख़ूला है तो जाइज़ नहीं और ग़ैर मदख़ूला है तो जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअला :— औरत ने किसी को खुलअ् के लिए वकील किया फिर रुजूअ् कर गई और वकील को रुजूअ् का हाल मालूम न हुआ तो रुजूअ् सहीह नहीं और अगर क़ासिद भेजा था और उस के पहुँचने से क़ब्ल रुजूअ् कर गई तो रुजूअ् सहीह है अगर्चे क़ासिद को उस की इत्तिलाअ् न हुई(आलमगीरी)

मसअला :— लोगों ने शौहर से कहा तेरी औरत ने खुलअ् का हमें वकील बनाया शौहर ने दो हज़ार पर खुलअ् किया औरत वकील बनाने से इन्कार करती है तो अगर वह लोग माल के ज़ामिन हुए थे तो तलाक़ हो गई और बदले खुलअ् उन्हें देना होगा और अगर ज़ामिन न हुए थे और ज़ौज (शौहर) दअ्वेदार है कि औरत ने उन्हें वकील किया था तो तलाक़ होगई मगर माल वाजिब नहीं और अगर ज़ौज (शौहर) वकालत का दअ्वेदार न हो तो तलाक़ न होगी। (आलमगीरी)

मसअला :— बाप ने लड़की का उस के शौहर से खुलअ् कराया अगर लड़की बालिग़ा है और बाप बदले खुलअ् का ज़ामिन हुआ तो खुलअ् सहीह है और अगर महर पर खुलअ् हुआ और लड़की ने इज़्न दिया था जब भी सहीह है और अगर बग़ैर इज़्न हुआ और ख़बर पहुँचने पर जाइज़ कर दिया जब भी हो गया और अगर जाइज़ न किया न बाप ने महर की ज़मानत की तो न हुआ और महर की ज़मानत की है तो होगया फिर जब लड़की को ख़बर पहुँची उस ने जाइज़ कर दिया तो शौहर महर से बरी है और जाइज़ न किया तो औरत शौहर से महर लेगी और शौहर उस के बाप से और अगर नाबालिग़ा लड़की का उस लड़की के माल पर खुलअ् कराया तो सहीह यह है कि तलाक़ हो जायेगी मगर न तो महर साक़ित होगा न लड़की पर माल वाजिब होगा और अगर हज़ार रुपये पर नाबालिग़ा का खुलअ् हुआ और बाप ने ज़मानत की तो होगया और रुपये बाप को देने होंगे और अगर बाप ने यह शर्त की बदले खुलअ् लड़की देगी तो अगर लड़की समझदार है यह समझती है कि खुलअ् निकाह से जुदा कर देता है तो उस के क़बूल पर मौक़ूफ़ है क़बूल कर लेगी तो तलाक़ वाक़ेअ् हो जायेगी मगर माल वाजिब न होगा और अगर नाबलिग़ा की माँ ने अपने माल से खुलअ् कराया या ज़ामिन हुई तो खुलअ् हो जायेगा और लड़की के माल से कराया तो तलाक़ न होगी यूँहीं अगर अजनबी ने खुलअ् कराया तो यही हुक्म है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, वग़ैराहुमा)

मसअला :— नाबालिग़ा ने अपना खुलअ् खुद कराया और समझदार है तो तलाक़ वाक़ेअ् हो जायेगी मगर माल वाजिब न होगा और अगर माल के बदले तलाक़ दिलवाई तो तलाक़ रजई होगी (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअला :— नाबालिग़ा लड़का न खुद खुलअ् कर सकता है न उस की तरफ़ से उस का बाप(रद्दुल मुहतार)

मसअला :— औरत ने अपने मर्ज़ुल मौत में खुलअ् कराया और इद्दत में मर गई तो तिहाई माल और

मीरास और बदले खुलअ् उन तीनों में जो हुक्म है शौहर वह पायेगा और अगर उस बदले खुलअ् के अलावा कोई माल ही न हो तो उस की तिहाई और मीरास में जो कम है वह पायेगा और अगर इद्दत के बाद मरी तो बदले खुलअ् ले लेगा जबकि तिहाई माल के अन्दर हो और औरत ग़ैर मदख़ूला है और मर्ज़ुल मौत में पूरे महर के बदले खुलअ् हुआ तो आधा महर तलाक़ की वजह से साक़ित है रहा निस्फ़ (आधा) अब अगर औरत के और माल नहीं है तो उस निस्फ़ की चौथाई का शौहर हक़दार है (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

ज़िहार का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है

الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِّسَآئِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

तर्जमा :— "जो लोग तुम में से अपनी औरतों से ज़िहार करते हैं (उन्हें माँ की तरह कह देते) वह उन की मायें नहीं उनकी मायें तो वही हैं जिन से पैदा हुए और वह बेशक बुरी और निरी झूटी बात कहते हैं और बेशक अल्लाह ज़रूर मुआफ़ करने वाला बख़्शने वाला है।"

मसअला :— ज़िहार के यह मअ्ना हैं कि अपनी ज़ौजा या उस के किसी जुज़ व शाइअ् (हिस्से) या ऐसे जुज़ को जो कुल से तअ्बीर किया जाता हो ऐसी औरत से तश्बीह देना जो उस पर हमेशा के लिए हराम हो या उसके किसी ऐसे अज़ू से तश्बीह देना जिस की तरफ़ देखना हराम हो मसलन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

मसअला :— ज़िहार के लिए इस्लाम व अक़्ल व बुलूग़ शर्त है काफ़िर ने अगर कहा तो ज़िहार न हुआ यानी अगर कहने के बाद मुशर्रफ़ बइस्लाम हुआ तो उस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं यूँहीं नाबालिग़ व मजनून या बोहरे या मदहोश या सरसाम व बरसाम के बीमार ने या बेहोश या सोने वाले ने ज़िहार किया तो ज़िहार न हुआ और हँसी मज़ाक़ में या नशा में या मजबूर किया गया उस हालत में या ज़बान से ग़लती में ज़िहार का लफ़्ज़ निकल गया तो ज़िहार है (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :— ज़ौजा की जानिब से कोई शर्त नहीं आज़ाद हो या बान्दी मुदब्बरा या मुकातबा या उम्मे वलद मदख़ूला हो या ग़ैर मदख़ूला मुस्लिमा हो या किताबिया नाबालिग़ा हो या बालिग़ा बल्कि अगर औरत ग़ैर किताबिया है और उसका शौहर इस्लाम लाया मगर अभी औरत पर इस्लाम पेश नहीं किया गया था कि शौहर ने ज़िहार किया तो ज़िहार हो गया औरत मुसलमान हुई तो शौहर पर कफ़्फ़ारा देना होगा (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :— अपनी बान्दी से ज़िहार नहीं हो सकता मौतूह हो या ग़ैर मौतूह यूँहीं अगर किसी औरत से बिग़ैर इज़्न लिए निकाह और ज़िहार किया फिर औरत ने निकाह को जाइज़ कर दिया तो ज़िहार न हुआ कि वक़्ते ज़िहार वह ज़ौजा न थी यूँहीं जिस औरत को तलाक़ बाइन दे चुका है या ज़िहार को किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया और वह शर्त उस वक़्त पाई गई कि औरत को बाइन तलाक़ देदी तो उन सूरतों में ज़िहार नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— जिस औरत से तश्बीह दी अगर उस की हुरमत आरिज़ी है हमेशा के लिए नहीं तो ज़िहार नहीं मसलन ज़ौजा की बहन या जिस को तीन तलाक़ें दी हैं या मजूसी या बुत परस्त औरत कि यह मुसलमान या किताबिया हो सकती हैं और उनकी हुरमत दाइमी न होना ज़ाहिर(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अजनबिया से कहा कि अगर तू मेरी औरत हो या मैं तुझ से निकाह करूँ तो तू ऐसी है तो ज़िहार हो जायेगा कि मिल्क या सबबे मिल्क की तरफ़ इज़ाफ़त हुई और यह काफ़ी है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– औरत मर्द से ज़िहार के अल्फ़ाज़ कहे तो ज़िहार नहीं बल्कि लग्व (बेकार) है (जौहरा)

मसअला :– औरत के सर या चेहरा या गर्दन या शर्मगाह को मुहारिम से तश्बीह दी तो ज़िहार है और अगर औरत की पीठ या पेट या हाथ या पाँव या रान को तश्बीह दी तो नहीं यूँहीं अगर मुहारिम के ऐसे अज़्व (हिस्से) से तश्बीह दी जिसकी तरफ़ नज़र करना हराम न हो मसलन सर या चेहरा या हाथ या पाँव या बाल तो ज़िहार नहीं और घुटने से तश्बीह दी तो है (जौहरा, ख़ानिया वग़ैराहुमा)

मसअला :– मुहारिम से मुराद आम है नसबी हों या रज़ाई या सुसराली रिश्ते से लिहाज़ा माँ बहन फूफ़ी, लड़की और रज़ाई माँ और बहन वग़ैराहुमा और ज़ौजा की माँ और लड़की जबकि ज़ौजा मदख़ूला हो और मदख़ूला न हो तो उस की लड़की से तश्बीह देने में ज़िहार नहीं कि वह मुहारिम में नहीं यूँही जिस औरत से उस के बाप या बेटे ने मआज़ल्लाह ज़िना किया है उस से तश्बीह दी या जिस औरत से उस ने ज़िना किया है उस की माँ या लड़की से तश्बीह दी तो ज़िहार है (आलमगीरी)

मसअला :– मुहारिम की पीठ या पेट या रान से तश्बीह दी या कहा मैंने तुझ से ज़िहार किया तो यह अल्फ़ाज़ सरीह हैं उन में नियत की कुछ हाजत नहीं कुछ भी नियत न हो या तलाक़ की नियत हो या इकराम (इज़्ज़त करने) की नियत हो हर हालत में ज़िहार ही है और अगर यह कहता है कि मक़सूद झूटी ख़बर देना था या ज़माना–ए–गुज़िश्ता की ख़बर देना है तो क़ज़ाअन तस्दीक़ न करेंगे और औरत भी तस्दीक़ नहीं कर सकती (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– औरत को माँ या बेटी या बहन कहा तो ज़िहार नहीं मगर ऐसा कहना मकरूह है(आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा तू मुझ पर मेरी माँ की मिस्ल है तो नियत दरयाफ़्त की जाये अगर उस के एअज़ाज़ (इज़्ज़त) के लिए कहा तो कुछ नहीं और तलाक़ की नियत है तो बाइन तलाक़ वाक़ेअ़ होगी और ज़िहार की नियत है तो ज़िहार है और तहरीम की नियत है तो ईला है और कुछ नियत न हो तो कुछ नहीं। (जौहरा नय्यिरा) अपनी चन्द औरतों को एक मज्लिस या मुतअद्दिद मजालिस में मुहारिम के साथ तश्बीह दी तो सब से ज़िहार हो गया हर एक के लिए अलग अलग कफ़्फ़ारा देना होगा (जौहरा)

मसअला :– किसी ने अपनी औरत से ज़िहार किया था दूसरे ने अपनी औरत से कहा तू मुझ पर वैसी है जैसी फ़लाँ की औरत तो यह भी ज़िहार हो गया या एक औरत से ज़िहार किया था दूसरी से कहा तू मुझ पर उस की मिस्ल है या कहा मैंने तुझे उस के साथ शरीक कर दिया तो दूसरी से भी ज़िहार हो गया (आलमगीरी)

मसअला :– ज़िहार की तअलीक़ भी हो सकती है मसलन अगर फ़ुलाँ के घर गई तो ऐसी है तो ज़िहार हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– ज़िहार का हुक्म यह है कि जब तक कफ़्फ़ारा न देदे उस वक़्त तक उस औरत से जिमाअ़ करना शहवत के साथ उस का बोसा लेना या उस को छूना या उस की शर्मगाह की तरफ़ नज़र करना हराम है और बग़ैर शहवत छूने या बोसा लेने में हर्ज नहीं मगर लब का बोसा बग़ैर शहवत भी जाइज़ नहीं कफ़्फ़ारा से पहले जिमाअ़ कर लिया तो तौबा करे और उस के लिए कोई दूसरा कफ़्फ़ारा वाजिब न हुआ मगर ख़बरदार फिर ऐसा न करे और औरत को भी यह जाइज़ नहीं कि शौहर को क़ुर्बत करने दे (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़िहार के बाद औरत को तलाक़ दी फिर उस से निकाह किया तो अब भी वह चीज़ें हराम हैं अगर्चे दूसरे शौहर के बाद उसके निकाह में आई बल्कि अगर्चे उसे तीन तलाक़ें दी हों यूँहीं अगर ज़ौजा किसी की कनीज़ थी ज़िहार के बाद ख़रीद ली और अब निकाह बातिल हो गया मगर बग़ैर कफ़्फ़ारा वती वग़ैरा नहीं कर सकता यूँहीं अगर औरत मुरतद हो गई और दारुलहर्ब को चली गई फिर क़ैद कर के लाई गई और शौहर ने ख़रीदी या शौहर मुरतद हो गया ग़र्ज़ किसी तरह कफ़्फ़ारा से बचाव नहीं (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– अगर ज़िहार किसी ख़ास वक़्त तक के लिए है मसलन एक माह या एक साल और उस मुद्दत के अन्दर जिमाअ़ करना चाहे तो कफ़्फ़ारा दे और अगर मुद्दत गुज़र गई और क़ुर्बत न की तो कफ़्फ़ारा साक़ित और ज़िहार बातिल (जौहरा)

मसअला :– शौहर कफ़्फ़ारा नहीं देता तो औरत को यह हक़ है कि क़ाज़ी के पास दअ़्वा करे क़ाज़ी मजबूर करेगा कि या कफ़्फ़ारा देकर क़ुर्बत करे या औरत को तलाक़ दे और अगर कहता है कि मैंने कफ़्फ़ारा दे दिया है तो उस का कहना मान लें जबकि उस का झूटा होना मअ़रुफ़ न हो (आलमगीरी)

मसअला :– एक औरत से चन्द बार ज़िहार किया तो उतने ही कफ़्फ़ारे दे अगर्चे एक ही मज्लिस में मुतअद्दिद बार अल्फ़ाज़े ज़िहार कहे और अगर यह कहता है कि बार बार लफ़्ज़ बोलने से मुतअद्दिद ज़िहार मक़सूद न थे बल्कि ताकीद मक़सूद थी तो अगर एक ही मज्लिस में ऐसा हुआ मान लेंगे वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– पूरे रजब और पूरे रमज़ान के लिए ज़िहार किया तो एक ही कफ़्फ़ारा वाजिब होगा ख़्वाह रजब में कफ़्फ़ारा दे या रमज़ान में शअ़बान में नहीं दे सकता कि शअ़बान में ज़िहार ही नहीं यूँहीं अगर ज़िहार किया और किसी दिन का इस्तिसना किया तो उस दिन का कफ़्फ़ारा नहीं दे सकता उस के अलावा जिस दिन चाहे दे सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

कफ़्फ़ारा का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

तर्जमा :–" जो लोग अपनी औरतों से ज़िहार करें फिर वही करना चाहें जिस पर यह बात कह चुके तो उन पर जिमाअ़ से पहले एक गुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है यह वह बात है जिस की तुम्हें नसीहत दी जाती है और जो कुछ तुम करते हो ख़ुदा उस से ख़बरदार है फिर जो गुलाम आज़ाद करने की ताक़त न रखता हो तो लगातार दो महीने के रोज़े जिमाअ़ से पहले रखे फिर जो उस की भी इस्तिताअ़त न रखे तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये यह इस लिए कि तुम अल्लाह व रसूल पर ईमान रखो और यह अल्लाह की हदें हैं और काफ़िरों के लिए दर्द नाक अ़ज़ाब"

तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा ने रिवायत की कि सल्मा इब्ने सख़रबियाज़ी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपनी ज़ौजा से रमज़ान गुज़रने तक के लिए ज़िहार किया था और आधा गुज़रा कि शब में उन्होंने जिमाअ़ कर लिया फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अ़र्ज़ की इरशाद फ़रमाया एक गुलाम आज़ाद करो अ़र्ज़ की मुझे मयस्सर नहीं

इरशाद फ़रमाया दो माह के लगातार रोज़े रखो अर्ज़ की इस की भी ताक़त नहीं इरशाद फ़रमाया तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ अर्ज़ की मेरे पास इतना नहीं हुज़ूर ने फ़रदा इब्ने अम्र से फ़रमाया कि वह ज़मबील देदो कि मसाकीन को खिलाये।

मसअला :– ज़िहार करने वाला जिमाअ़ का इरादा करे तो कफ़्फ़ारा वाजिब है और अगर यह चाहे कि वती न करे और औरत उस पर हराम ही रहे कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं और अगर इराद–ए–जिमाअ़ था मगर ज़ौजा मरगई तो वाजिब न रहा (आलमगीरी)

मसअला :– ज़िहार का कफ़्फ़ारा गुलाम या कनीज़ा आज़ाद करना है मुसलमान हो या काफ़िर बालिग़ हो या नाबालिग़ यहाँ तक कि अगर दूध पीते बच्चा को आज़ाद किया कफ़्फ़ारा अदा हो गया (आम्मए कुतुब)

मसअला :– पहले निस्फ़ गुलाम को आज़ाद किया और जिमाअ़ से पहले फिर निस्फ़ बाक़ी को आज़ाद किया तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया और अगर दरमियान में जिमाअ़ कर लिया तो अदा न हुआ और अगर गुलाम मुश्तरक है और उस ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो अदा न हुआ अगर्चे मालदार हो यानी जब गुलाम मुश्तरक को आज़ाद करे और मालदार हो तो हुक्म यह है कि अपने शरीक को उस के हिस्से की बराबर दे और कुल गुलाम उस की तरफ़ से आज़ाद होगा मगर कफ़्फ़ारा अदा न होगा यूँहीं दो गुलामों में आधे का मालिक है और दोनों के निस्फ़ निस्फ़ को आज़ाद किया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (जौहरा आलमगीरी)

मसअला :– आधा गुलाम आज़ाद किया और एक महीने के रोज़े रख लिए या तीस मिस्कीन को खाना खिलादिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (जौहरा)

मसअला :– गुलाम आज़ाद करने में शर्त यह है कि कफ़्फ़ारा की नियत से आज़ाद किया हो बग़ैर नियते कफ़्फ़ारा आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा न होगा अगर्चे आज़ाद करने की नियत किया करे (जौहरा)

मसअला :– उसका क़रीबी रिश्तेदार यानी वह कि अगर उन में से एक मर्द होता दूसरा औरत तो निकाह बाहम हराम होता मसलन उस का भाई या बाप या बेटा या चचा या भतीजा ऐसे रिश्तादार का जब मालिक होगा तो आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह किसी तरह मालिक हो मसलन उस ने ख़रीद लिया या किसी ने हिबा या तसद्दुक़ किया या विरासत में मिला फिर ऐसा गुलाम अगर बिला इख़्तियार उस की मिल्क में आया मसलन विरासत में मिला और आज़ाद हो गया तो अगर्चे उस ने कफ़्फ़ारा की नियत की अदा न हुआ और अगर बाइख़्तियार ख़ुद अपनी मिल्क में लाया (मसलन ख़रीदा)और जिस अमल के ज़रीआ से मिल्क में आया उस के पाये जाने के वक़्त (मसलन ख़रीदते वक़्त)कफ़्फ़ारा की नियत की तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया (जौहरा वग़ैराहा)

मसअला :– जो गुलाम गिरवीं या मदयून है उसे आज़ाद किया तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया यूँहीं अगर भागा हुआ है और यह मालूम है कि ज़िन्दा है तो आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा और अगर बिलकुल उस का पता न मालूम हो न यह मालूम कि ज़िन्दा है या मर गया तो न होगा (आलमगीरी)

मसअला :– अगर गुलाम में किसी क़िस्म का ऐब है तो उस की दो सूरतें हैं एक यह कि वह ऐब उस क़िस्म का हो जिस से जिन्से मन्फ़अत फ़ौत होती है यानी देखने, सुनने, बोलने, पकड़ने, चलने की उस को क़ुदरत न हो या आक़िल न हो तो कफ़्फ़ारा अदा न होगा और दूसरे यह कि उस हद का नुक़सान नहीं तो हो जायेगा लिहाज़ा इतना बहरा कि चीख़ने से भी न सुने या गूँगा या अन्धा या मजनून कि किसी वक़्त उस को इफ़ाक़ा न होता हो या बोहरा या वह बीमार जिस के अच्छे होने की उम्मीद न हो या जिस के सब दाँत गिर गये हों और खाने से बिलकुल आजिज़ हो या जिस के दोनों हाथ कटे हों या हाथ के दोनों अँगुठे कटे हों या अलावा अँगूठे के हर हाथ की तीन तीन

उंगलियाँ या दोनों पाँवों या एक जानिब का एक हाथ और एक पाँव न हो या लुंझा या फ़लिज का मारा हो या दोनों हाथ बेकार हों तो इन सब के आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा न हुआ(दुर्रे मुख़्तार, जौहरा)

मसअला :– अगर ऐसा बहरा है कि चीख़ने से सुन लेता है या मजनून है मगर कभी इफ़ाक़ा भी होता है और उसी हालते इफ़ाक़ा में आज़ाद या उस का एक हाथ या एक पाँव या एक हाथ एक पाँव ख़िलाफ़ से कटा हो यानी एक दहना दूसरा बायाँ या एक हाथ का अँगूठा या पाँवों के दोनों अँगूठे या हर हाथ की दो दो उंगलियाँ या दोनों होंट या दोनों कान या नाक कटी हो या उनसयैन या अ़ज़्वे तनासुल कट गया हो या लौन्डी का आगे का मक़ाम बन्द हो या भौं या दाढ़ी या सर के बाल नहीं काना या चुन्धा हो या ऐसा बीमार हो जिस के अच्छे होने की उमीद है अगर्चे मौत का ख़ौफ़ हो या सफ़ेद दाग़ की बीमारी हो या नामर्द हों तो उन के आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– लौन्डी के शिकम में बच्चा है उस को कफ़्फ़ारा में आज़ाद किया तो न हुआ उस के गुलाम को किसी ने ग़सब किया उस मालिक ने आज़ाद कर दिया तो होगया और उम्मे वलद व मुदब्बर व मुकातिब जिस ने किताबत के बाद कुछ अदा न किया हो या कुछ अदा किया मगर पूरा अदा करने से आजिज़ हो गया तो उसे आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अपना गुलाम दूसरे के कफ़्फ़ारा में आज़ाद कर दिया अगर उस के बग़ैर हुक्म है तो अदा न हुआ और अगर उस के कहने से मसलन उस ने कहा अपना गुलाम मेरी तरफ़ से आज़ाद कर दे और कोई एवज़ ज़िक्र न किया जब भी अदा न हुआ और अगर एवज़ का ज़िक्र है मसलन अपना गुलाम मेरी तरफ़ से इतने पर आज़ाद कर दे तो हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– ज़िहार के दो कफ़्फ़ारे उस के ज़िम्मे थे उस ने दो गुलाम आज़ाद किए और यह नियत न की कि फ़ुलाँ गुलाम फ़ुलाँ कफ़्फ़ारा में आज़ाद किया तो दोनों अदा हो गये (आलमगीरी)

मसअला :– किसी गुलाम को कहा अगर मैं तुझे ख़रीदूँ तो तू आज़ाद है फिर उसे कफ़्फ़ारा–ए–ज़िहार की नियत से ख़रीदा तो आज़ाद होगा मगर कफ़्फ़ारा अदा न हुआ और अगर पहले कह दिया था कि अगर तुझे ख़रीदूँ तो मेरे ज़िहार में आज़ाद है तो हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– जब गुलाम पर क़ुदरत है अगर्चे वह ख़िदमत का गुलाम हो तो कफ़्फ़ारा आज़ाद करने ही से होगा और अगर गुलाम की इस्तिताअ़त(ताक़त)न हो ख़्वाह मिलता नहीं या उसके पास दाम नहीं तो कफ़्फ़ारा में पै दरपे दो महीने के रोज़े रखे और अगर उस के पास ख़िदमत का गुलाम है या मदयून (क़र्ज़दार) है और दैन (क़र्ज़) अदा करने के लिए गुलाम के सिवा कुछ नहीं तो (ताक़त) इन सूरतों में भी रोज़े वग़ैरा से कफ़्फ़ारा अदा नहीं कर सकता बल्कि गुलाम ही आज़ाद करना होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा करने में यह शर्त है कि न उस मुद्दत के अन्दर माहे रमज़ान हो न ईदुलफ़ित्र न ईदुज़्ज़ुहा न अय्यामे तशरीक़ हों अगर मुसाफ़िर है तो माहे रमज़ान में कफ़्फ़ारा की नियत से रोज़ा रख सकता है मगर अय्यामे मनहिय्या (जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है) में उसे भी इजाज़त नहीं (जौहरा ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– रोज़े अगर पहली तारीख़ से रखे तो दूसरे महीने के ख़त्म पर कफ़्फ़ारा अदा हो गया अगर्चे दोनों महीने 29 के हों और अगर पहली तारीख़ से न रखे हों तो साठ पूरे रखने होंगे और पन्द्रह रोज़े रखने के बाद चाँद हुआ फिर उस महीने के रोज़े रख लिए और यह 29 दिन का महीना हो उस के बाद पन्द्रह दिन और रख लिए कि 59 दिन हुए जब भी कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा होने में शर्त यह है कि पिछले रोज़े के ख़त्म तक गुलाम आज़ाद करने पर क़ुदरत न हो यहाँ तक कि पिछले रोज़े की आख़िर साअ़त में भी अगर क़ुदरत

पाई गई तो रोज़े नाकाफ़ी हैं बल्कि गुलाम आज़ाद करना होगा और अब यह रोज़ा–ए–नफ़्ल हुआ उस का पूरा करना मुस्तहब रहेगा अगर फ़ौरन तोड़ देगा तो उसकी क़ज़ा नहीं अलबत्ता अगर कुछ देर बाद तोड़ देगा तो क़ज़ा लाज़िम है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– कफ़्फ़ारा का रोज़ा तोड़दिया ख़्वाह सफ़र वग़ैरा किसी उज़्र से तोड़ा या बग़ैर उज़्र या ज़िहार करने वाले ने जिस औरत से ज़िहार किया उन दो महीनों के अन्दर दिन या रात में उस से वती की क़स्दन की हो या भूल कर तो सिरे से रोज़ा रखे कि शर्त यह है कि जिमाअ् से पहले दो महीने के लिए पै दर पै रोज़े रखे और उन सूरतों में यह शर्त पाई न गई (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह अहकाम जो कफ़्फ़ारा के मुतअल्लिक़ बयान किए गये यानी गुलाम आज़ाद करने और रोज़े रखने के मुतअल्लिक़ यह ज़िहार के साथ मख़सूस नहीं बल्कि हर कफ़्फ़ारा के यही अहकाम हैं मसलन क़त्ल का कफ़्फ़ारा या रोज़ा–ए–रमज़ान तोड़ने का कफ़्फ़ारा, क़सम का कफ़्फ़ारा मगर क़सम के कफ़्फ़ारा में तीन रोज़े हैं और यह हुक्म कि रोज़ा तोड़ दिया तो सिरे से रखने होंगे कफ़्फ़ारा के साथ मख़सूस नहीं बल्कि जहाँ पै दर पै की शर्त हो मसलन पै दर पै रोज़ों की मन्नत मानी तो यहाँ भी यही हुक्म है अल्लबत्ता अगर औरत ने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया और कफ़्फ़ारा में रोज़े रख रही थी और हैज़ आ गया तो सिरे से रखने का हुक्म नहीं बल्कि जितने बाक़ी हैं उन का रखना काफ़ी है हाँ अगर उस हैज़ के बाद आइसा हो गई यानी अब ऐसी उम्र हो गई कि हैज़ न आयेगा तो सिरे से रखने का हुक्म दिया जायेगा कि अब वह पै दर पै दो महीने के रोज़े रख सकती है और अगर इसना–ए–कफ़्फ़ारा (कफ़्फ़ारे के दरमियान) में औरत के बच्चा हुआ तो सिरे से रखे ज़िहार वग़ैर ज़िहार के कफ़्फ़ारों में एक और फ़र्क़ है वह यह कि ग़ैर ज़िहार के कफ़्फ़ारे में अगर रात में वती की या दिन में भूलकर की तो सिरे से रोज़ा रखने की हाजत नहीं यूँहीं ज़िहार के रोज़ों में अगर भूल कर खा लिया या दूसरी औरत से भूलकर जिमाअ् किया या रात में क़स्दन जिमाअ् किया तो सिरे से रखने की हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– गुलाम ने अगर अपनी औरत से ज़िहार किया अगर्चे मुकातिब हुआ या उसका कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका बाक़ी के लिए सआयत (कोशिश) करता हो या आज़ाद ने ज़िहार किया मगर बवजहे कम अक़्ली के उस के तसर्रुफ़ात(इख़्तेयारात) रोक दिए गये हों तो इस सब के लिए कफ़्फ़ारे में रोज़े रखना मुअय्यन (तै) है उन के लिए गुलाम आज़ाद करना या खाना खिलाना नहीं लिहाज़ा अगर गुलाम के आक़ा ने उस की तरफ़ से गुलाम आज़ाद कर दिया या खाना खिला दिया तो यह काफ़ी नहीं अगर्चे गुलाम की इजाज़त से हो और कफ़्फ़ारा के रोज़ों से उसका आक़ा मना नहीं कर सकता और गुलाम ने कफ़्फ़ारा के रोज़े अब तक नहीं रखे और अब आज़ाद हो गया तो अगर गुलाम आज़ाद करने पेर क़ुदरत हो तो आज़ाद करे वरना रोज़े रखे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रोज़े रखने पर भी अगर क़ुदरत न हो कि बीमार है और अच्छे होने की उम्मीद नहीं या बहुत बूढ़ा है तो साठ मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाये और यह इख़्तियार है कि एक दम से साठ मिस्कीनों को खिला दे या मुतफ़र्रिक़ तौर पर मगर शर्त यह कि उस इस्ना(दरम्यान)में रोज़े पर क़ुदरत हासिल न हो वरना खिलाना सदक़ा–ए–नफ़्ल होगा और कफ़्फ़ारा में रोज़े रखने होंगे और अगर एक वक़्त साठ को खिलाया दूसरे वक़्त उन के सिवा दूसरे साठ को खिलाया तो अदा न हुआ बल्कि ज़रूर है कि पहलों या पिछलों को फिर एक वक़्त खिलाये(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– शर्त यह है कि जिन मिस्कीनों को खाना खिलाया हो उन में कोई नाबालिग़, ग़ैर मुराहिक़

न हो हाँ अगर एक जवान की पूरी ख़ुराक का उसे मालिक कर दिया तो काफ़ी है(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह भी हो सकता है कि हर मिस्कीन को सदक़ा–ए–फ़ित्र के बराबर यानी निस्फ़ साअ् गेहूँ (दो किलों पैंतालीस ग्राम) या एक साअ् जौ या उन की क़ीमत का मालिक कर दिया जाये मगर इबाहत काफ़ी नहीं और उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जिन्हें सदक़ा–ए–फ़ित्र दे सकते हैं जिन की तफ़सील सदक़–ए–फ़ित्र के बयान में मज़कूर हुई और यह भी हो सकता है कि सुब्ह को खिलादे और शाम के लिए क़ीमत देदे या शाम को खिलादे और सुब्ह के खाने की क़ीमत देदे या दो दिन सुब्ह को या शाम को खिलादे या तीस को खिलाये और तीस को देदे ग़र्ज़ यह कि साठ की तअ्दाद जिस तरह चाहे पूरी करे उस का इख़्तियार है या पाव साअ् गेहूँ और निस्फ़ साअ् जौ देदे या कुछ गेहूँ या जौ दे बाक़ी की क़ीमत हर तरह इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– खिलाने में पेट भरकर खिलाना शर्त है अगर्चे थोड़ा ही खाने में आसूदा (पेट भर जाये) हो जायें और अगर पहले ही से कोई आसूदा था तो उस का खाना काफ़ी नहीं और बेहतर यह है कि गेहूँ की रोटी और सालन खिलाये और उस से अच्छा खाना हो तो और बेहतर और जौकी रोटी हो तो सालन ज़रूरी है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक मिस्कीन को साठ दिन तक दोनों वक़्त खिलाया या हर रोज़ सदक़ा –ए–फ़ित्र के बराबर उसे दे दिया जब भी अदा हो गया और अगर एक ही दिन में एक मिस्कीन को सब दे दिया या एक दफ़अ् में या साठ दफ़अ् कर के या उस को सब बतौर इबाहत दिया तो सिर्फ़ उस एक दिन का अदा हुआ यूहीं अगर तीस मसाकीन को एक एक साअ् गेहूँ दिए या दो दो साअ् जौ तो सिर्फ़ तीस को देना क़रार पायेगा यानी तीस मसाकीन को फिर देना पड़ेगा यह उस सूरत में है कि एक दिन में दिये हों और दो दिनों में दिए तो जाइज़ है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– साठ मसाकीन को पाव पाव साअ् गेहूँ दिए तो ज़रूर है कि उन में हर एक को और पाव पाव साअ् दे और अगर उन की एवज़ में और साठ मसाकीन को पाव पाव साअ् दिए तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक सौ बीस मसाकीन को एक वक़्त खाना खिला दिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ बल्कि ज़रूर है कि उन में से साठ को फिर एक वक़्त खिलाये ख़्वाह उसी दिन या किसी दूसरे दिन और अगर वह न मिलें तो दूसरे साठ मसाकीन को दोनों वक़्त खिलाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस के ज़िम्मे दो ज़िहार थे ख़्वाह एक ही औरत से दोनों ज़िहार किए या दो औरतों से और दोनों के कफ़्फ़ारा में साठ मिस्कीन को एक एक साअ् गेहूँ दे दिये तो सिर्फ़ एक कफ़्फ़ारा अदा हुआ और अगर पहले निस्फ़ निस्फ़ साअ् एक कफ़्फ़ारा में दिये फिर उन्हीं को निस्फ़ निस्फ़ साअ् दूसरे कफ़्फ़ारा में दिये तो दोनों अदा हो गये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो ज़िहार के कफ़्फ़ारों में दो गुलाम आज़ाद कर दिये या चार महीने के रोज़े रख लिये या एक सौ बीस मिस्कीनों को खाना खिला दिया तो दोनों कफ़्फ़ारे अदा हो गये अगर्चे मुअय्यन (ख़ास) न किया हो कि यह फ़ुलाँ का कफ़्फ़ारा है और यह फ़ुलाँ का और अगर दोनों दो क़िस्म के कफ़्फ़ारे हों तो कोई अदा न हुआ मगर जबकि यह नियत हो कि एक कफ़्फ़ारा में यह, और एक में वह अगर्चे मुअय्यन न किया हो कि कौन से कफ़्फ़ारा में यह और किस में वह और अगर दोनों की तरफ़ से एक गुलाम आज़ाद किया या दो माह के रोज़े रखे तो एक अदा हुआ और उसे इख़्तियार

है कि जिस के लिए चाहे मुअय्यन करे और अगर दोनों कफ़्फ़ारे दो क़िस्म के है मसलन एक ज़िहार का है दूसरा क़त्ल का तो कोई कफ़्फ़ारा अदा न हुआ मगर जब कि काफ़िर को आज़ाद किया हो तो यह ज़िहार के लिए मुतअय्यन (ख़ास) है कि क़त्ल के कफ़्फ़ारे में मुसलमान का आज़ाद करना शर्त है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दो क़िस्म के दो कफ़्फ़ारे हैं और साठ मिस्कीन को एक एक साअ् गेहूँ दोनों कफ़्फ़ारों में दे दिये तो दोनों अदा हो गये अगर्चे पूरा पूरा साअ् एक मरतबा दिया हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– निस्फ़ ग़ुलाम आज़ाद किया और एक महीने के रोज़े रखे या तीस मिस्कीनों को खाना खिलाया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (आलमगीरी)

मसअला :– ज़िहार में यह ज़रूरी है कि क़ुर्बत से पहले साठ मसाकीन को खिला दे और अगर अभी पूरे साठ मसाकीन को खिला नहीं चुका है और दरमियान में वती करली तो अगर्चे यह हराम है मगर जितनों को खिला चुका है वह बातिल न हुआ बाक़ियों को खिला दे सिरे से फिर साठ को खिलाना ज़रूर नहीं (जौहरा)

मसअला :– दूसरे ने बग़ैर उसके हुक्म के खिला दिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ और उस के हुक्म से है तो सहीह है मगर जो सर्फ़ हुआ है वह उस से नहीं ले सकता हाँ अगर उस ने हुक्म करते वक़्त यह कह दिया हो कि जो सर्फ़ होगा मैं दूँगा तो ले सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस के ज़िम्मे कफ़्फ़ारा था उस का इन्तिक़ाल हो गया वारिस ने उस की तरफ़ से खाना खिला दिया या क़सम के कफ़्फ़ारा में कपड़े पहना दिये तो हो जायेगा और ग़ुलाम आज़ाद किया तो नहीं (रद्दुल मुहतार)

लिआ़न का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ م بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ م بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

"और जो लोग अपनी औ़रतों को तोहमत लगायें और उन के पास अपने बयान के सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी की गवाही यह है कि चार बार गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वह सच्चा है और पाँचवीं यह कि अल्लाह की लअ़नत हो उस पर अगर झूटा हो औ़रत से सज़ा यूँ टलेगी कि वह अल्लाह का नाम लेकर चार बार गवाही दे कि मर्द झूटा है और पाँचवीं बार यूँ कि औ़रत पर अल्लाह का ग़ज़ब अगर मर्द सच्चा हो"

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि सअ़द बिन उ़बादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह क्या किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ पाऊँ तो उसे छूऊँ भी नहीं यहाँ तक कि चार गवाह लाऊँ हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया हाँ उन्होंने अ़र्ज़ की हरगिज़ नहीं क़सम है उस की जिस ने हुज़ूर को हक़ के साथ भेजा है मैं फ़ौरन तलवार से काम तमाम कर दूँगा हुज़ूर ने लोगों को मुख़ातिब कर के फ़रमाया सुनो तुम्हारा सरदार क्या कहता है बेशक वह बड़ा ग़ैरत वाला है और मैं उस से ज़्यादा ग़ैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझ से ज़्यादा

ग़ैरत वाला है दूसरी रिवायत में है कि यह अल्लाह की ग़ैरत ही की वजह से है कि फ़वाहिश (बेहयाई की बातों) को हराम फ़रमा दिया है ख़्वाह वह ज़ाहिर हों या पोशीदा सहीहैन में उन्हीं से मरवी कि एक एअ़राबी ने हाज़िर हो कर हुज़ूर से अ़र्ज़ की कि मेरी औ़रत के स्याह रंग का लड़का पैदा हुआ है और मुझे उस का अचम्बा है (यानी मालूम होता है मेरा नहीं)हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया तेरे पास ऊँट हैं अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया उन के रंग क्या हैं अ़र्ज़ की सुर्ख़ फ़रमाया उन में भूरा भी है अ़र्ज़ की कुछ भूरे भी हैं फ़रमाया तो सुर्ख़ रंग वालो में यह भूरा कहाँ से आगया अ़र्ज़ की शायद रग ने खींचा हो (यानी उस के बाप दादा में कोई ऐसा होगा उस का असर होगा)फ़रमाया तो यहाँ भी शायद रग ने खींच लिया हो इतनी बात पर उसे इन्कारे नसब की इजाज़त न दी सहीह बुख़ारी शरीफ़ में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी हिलाल बिन उमय्या रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपनी बीवी पर तोहमत लगाई हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया गवाह लाओ वरना तुम्हारी पीठ पर हद लगाई जायेगी अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह कोई शख़्स अपनी औ़रत पर किसी मर्द को देखे तो गवाह ढूँडने जाये हुज़ूर ने वही जवाब दिया फिर हिलाल ने कहा क़सम है उस की जिस ने हुज़ूर को हक़ के साथ भेजा है बेशक मैं सच्चा हूँ और ख़ुदा कोई ऐसा हुक्म नाज़िल फ़रमायेगा जो मेरी पीठ को हद से बचावे उस वक़्त जिबरील अ़लैहिस्सलाम उतरे और اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ नाज़िल हुई हिलाल ने हाज़िर हो कर लिआ़न का मज़मून अदा किया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया बेशक अल्लाह जानता है कि तुम में एक झूटा है तो क्या तुम दोनों में कोई तौबा करता है फिर औ़रत खड़ी हुई उस ने भी लिआ़न किया जब पाँचवीं बार की नोबत आई तो लोगों ने उसे रोक कर कहा अब कहेगी तो ज़रूर ग़ज़ब की मुस्तहक़ हो जायेगी उस पर कुछ रुकी और झिजकी जिस से हम को ख़्याल हुआ कि रुजूअ् करेगी मगर फिर खड़ी हो कर कहने लगी मैं तो अपनी क़ौम को हमेशा के लिए रुसवा न करूँगी फिर वह पाँचवाँ कलिमा भी उस ने अदा कर दिया सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्ला तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मर्द औ़रत में लिआ़न कराया फिर शौहर ने औ़रत के लड़के से इन्कार कर दिया हुज़ूर ने दोनों में तफ़रीक़ कर दी और बच्चा को औ़रत की तरफ़ मनसूब कर दिया और हुज़ूर ने लिआ़न के वक़्त पहले मर्द को नसीहत व तज़कीर की और यह ख़बर दी कि दुनिया का अ़ज़ाब आख़िरत के अ़ज़ाब से बहुत आसान है फिर औ़रत को बुला कर नसीहत व तज़कीर की और उसे भी यही ख़बर दी दूसरी रिवायत में है कि मर्द ने अपने माल (महर) का मुतालबा किया इरशाद फ़रमाया कि तुम को माल न मिलेगा अगर तुम ने सच कहा है तो जो मन्फ़अ़त उस से उठा चुके हो उस के बदले में हो गया और अगर तुम ने झूठ कहा है तो यह मुतालबा बहुत बईद व बईद तर (बहुत दूर) है इब्ने माजा में बरिवायत अ़म्र इब्ने शुऐ़ब अपने बाप से अपने दादा से मरवी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि चार औ़रतों से लिआ़न नहीं हो सकता (1)नसरानिया जो मुसलमान की ज़ौजा है और यहूद (2) यह जो मुसलमान की औ़रत है और (3)हुर्रा जो किसी ग़ुलाम के निकाह में है और (4) बाँदी जो आज़ाद मर्द के निकाह में है।

मसअला :– मर्द ने अपनी औ़रत को ज़िना की तोहमत लगाई उस तरह पर कि अगर अजनबिया (पाकदामन) औ़रत को लागाता तो हदे क़ज़्फ़(तोहमते ज़िना की हद)उस पर लगाई जाती यानी औ़रत आक़िला बालिग़ा हुर्रा मुस्लिमा अफ़ीफ़ा हो तो लिआ़न किया जायेगा उस का तरीक़ा यह है कि क़ाज़ी के हुज़ूर पहले शौहर क़सम के साथ चार मरतबा शहादत दे यानी कहे कि मैं शहादत

देता हूँ कि मैंने जो इस औरत को ज़िना की तोहमत लगाई उस में ख़ुदा की क़सम सच्चा हूँ फिर पाँचवीं मरतबा यह कहे कि उस पर ख़ुदा की लअ्नत अगर उस अम्र में कि उस को ज़िना की तोहमत लगाई झूट बोलने वालों से हो और हर बार लफ़्ज़ उस से औरत की तरफ़ इशारा करे फिर औरत चार मरतबा यह कहे कि मैं शहादत देती हूँ ख़ुदा की क़सम उस ने जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई है उस बात में झूटा है और पाँचवीं मरतबा यह कहे कि उस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर यह उस बात में सच्चा हो जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई लिआन में लफ़्ज़ शहादत शर्त है अगर यह कहा कि मैं ख़ुदा की क़सम खाता हूँ कि सच्चा हूँ लिआन न हुआ।

मसअला :– लिआन के लिए चन्द शर्तें हैं (1)निकाहे सहीह हो अगर उस औरत से उस का निकाह फ़ासिद हुआ है और तोहमत लगाई तो लिआन नहीं (2)ज़ौजियत क़ाइम हो ख़्वाह दुख़ूल हुआ हो या नहीं लिहाज़ा अगर तोहमत लगाने के बाद अगर तलाक़ बाइन दी तो लिआन नहीं हो सकता अगर्चे तलाक़ देने के बाद फिर निकाह कर लिया यूँहीं अगर तलाक़ बाइन देने के बाद तोहमत लगाई या ज़ौजा के मरजाने के बाद तो लिआन नहीं और अगर तोहमत के बाद रजई तलाक़ दी या रजई तलाक़ के बाद तोहमत लगाई तो लिआन साक़ित नहीं।(3) दोनों आज़ाद हों (4) दोनों आक़िल हों (5) दोनों बालिग़ हों (6) दोनों मुसलमान हों (7) दोनों नातिक़ हों यानी उन में कोई गूँगा न हो (8)उन में किसी पर हद्दे क़ज़फ़ न लगाई गई हो (9)मर्द ने अपने इस क़ौल पर गवाह न पेश किए हों(10)औरत ज़िना से इन्कार करती हो और अपने को पारसा (पाक) कहती हो इस्तिलाहे शरअ् में पारसा उस को कहते हैं जिस के साथ वती हराम न हुई हो न वह उसके साथ मुत्तहम(तोहमत लगी हुई)हो लिहाज़ा तलाक़े बाइन की इद्दत में अगर शौहर ने उस से वती की अगर्चे वह अपनी नादानी से यह समझता था कि उस से वती हलाल है तो औरत अफ़ीफ़ा(पारसा) नहीं यूँहीं अगर निकाह फ़ासिद कर के उस से वती की तो अफ़्फ़त जाती रही या औरत की औलाद है जिस के बाप को यहाँ के लोग न जानते हों अगर्चे हक़ीक़तन वह वलदुज़्ज़िना नहीं है यह सूरत मुत्तहम होने की है उस से भी अफ़्फ़त (पारसाई) जाती रहती है और अगर वती हराम आरिज़ी सबब से हो मसलन हैज़ व निफ़ास वग़ैरा में जिन में वती हराम है वती की तो उस से अफ़्फ़त (पारसाई) नहीं जाती।(11)सरीह ज़िना की तोहमत लगाई हो या उस की जो औलाद उसके निकाह में पैदा हुई उस को कहता हो कि यह मेरी नहीं या जो बच्चा औरत को दूसरे शौहर से है उस को कहता हो कि यह उस का नहीं (12) दारुल इस्लाम में यह तोहमत लगाई हो (13)औरत क़ाज़ी के पास उस का मुतालबा करे(14)शौहर तोहमत लगाने का इक़रार करता हो या दो मर्द गवाहों से साबित हो लिआन के वक़्त औरत को खड़ा होना शर्त नहीं बल्कि मुस्तहब है।

मसअला :– औरत पर चन्द बार तोहमत लगाई तो एक ही बार लिआन होगा (आलमगीरी)

मसअला :– लिआन में तमादी नहीं यानी अगर औरत ने ज़मान–ए–दराज़ तक मुतालबा न किया तो लिआन साक़ित न होगा हर वक़्त मुतालबा का उस को इख़्तियार बाक़ी है लिआन मुआफ़ नहीं हो सकता यानी अगर शौहर ने तोहमत लगाई और औरत ने उस को मुआफ़ कर दिया और मुआफ़ करने के बाद अब क़ाज़ी के यहाँ दअ्वा करती है तो क़ाज़ी लिआन का हुक्म देगा और औरत दअ्वा न करे तो क़ाज़ी ख़ुद मुतालबा नहीं कर सकता यूँहीं अगर औरत ने कुछ लेकर सुलह कर ली तो लिआन साक़ित न हुआ जो लिया है उसे वापस कर के मुतालबा करने का औरत को हक़ हासिल है मगर औरत के लिए अफ़ज़ल यह है कि ऐसी बात को छुपाये और हाकिम को भी चाहिए कि

औरत को पर्दा पोशी का हुक्म दे। (आलमगीर दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत के मर जाने के बाद उस को तोहमत लगाई और उस औरत की दूसरे शौहर से औलाद है जिस के नसब में उसकी तोहमत की वजह से ख़राबी पड़ती है उस ने मुतालबा किया और शौहर सुबूत न दे सका तो हद्दे क़ज़फ़ (ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा) क़ाइम की जाये और अगर दूसरे से औलाद नहीं बल्कि उसी की औलादें हैं तो हद क़ाइम नहीं हो सकती (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मर्द व औरत दोनों काफ़िर हों या औरत काफ़िरा या दोनों ममलूक हों या एक या दोनों में एक मजनून हो या नाबालिग़ या किसी पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम हुई है तो लिआन नहीं हो सकता और अगर दोनों अन्धे या फ़ासिक़ हों या एक तो हो सकता है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर अगर तोहमत लगाने से इन्कार करता है और औरत के पास दो मर्द गवाह भी नहीं तो शौहर से क़सम खिलाई जाये और अगर क़सम खिलाई गई उस ने क़सम खाने से इन्कार किया तो हद क़ाइम न करें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर ने तोहमत लगाई और अब लिआन से इन्कार करता है तो क़ैद किया जायेगा यहाँ तक कि लिआन करे या कहे मैंने झूट कहा था अगर झूट का इक़रार करे तो उस पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम करें और शौहर ने लिआन के अल्फ़ाज़ अदा कर लिए तो ज़रूर है कि औरत भी अदा करे वरना क़ैद की जायेगी यहाँ तक कि लिआन करे या शौहर की तस्दीक़ करे और अब लिआन नहीं हो सकता न आइन्दा तोहमत लगाने से शौहर पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम होगी मगर औरत पर तस्दीक़े शौहर की वजह से हद्दे ज़िना भी क़ाइम न होगी जबकि फ़क़त इतना कहा हो कि वह सच्चा है और अगर अपने ज़िना का इक़रार किया तो बशराइते इक़रारे ज़िना हद्दे ज़िना क़ाइम होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर के नाक़ाबिले शहादत होने की वजह से अगर लिआन साक़ित हो मसलन ग़ुलाम है या काफ़िर या उस पर हद्दे क़ज़फ़ लगाई जा चुकी है तो हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम की जाये बशर्ते कि आक़िल, बालिग़ हो और अगर लिआन का साक़ित होना औरत की जानिब से है कि वह उस क़ाबिल नहीं मसलन काफ़िरा है या बाँदी या महदूदा फ़िल क़ज़फ़(जिसे ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा दी जा चुकी हो) या वह ऐसी है कि उस पर तोहमत लगाने वाले के लिए हद्दे क़ज़फ़ न हो यानी अफ़ीफ़ा न हो तो शौहर पर हद्दे क़ज़फ़ नहीं बल्कि तअ्ज़ीर है मगर जबकि अफ़ीफ़ा न हो और अलानिया ज़िना करती हो तो तअ्ज़ीर भी नहीं और अगर दोनों महदूद फ़िलक़ज़फ़ हों तो शौहर पर हद्दे क़ज़फ़ है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर औरत से कहा तूने बचपन में ज़िना किया था या हालते जुनून में और यह बात मालूम है कि औरत को जुनून था तो न लिआन है न शौहर पर हद्दे क़ज़फ़ और अगर कहा तूने हालते कुफ़्र में या जब तू कनीज़ थी उस वक़्त ज़िना किया था या कहा चालीस बरस हुए कि तूने ज़िना किया हालाँकि औरत की उम्र इतनी नहीं तो इनसूरतों में लिआन है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत से कहा ऐ ज़ानिया, या तूने ज़िना किया या मैंने तुझे ज़िना करते देखा तो यह सब अल्फ़ाज़ सरीह हैं इस में लिआन होगा अगर कहा तूने हरामकारी की या तुझ से हराम तौर पर जिमाअ् किया गया या तुझ से लवातत की गई तो लिआन नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– लिआन का हुक्म यह है कि उस से फ़ारिग़ होते ही उस शख़्स को उस औरत से वती हराम है मगर फ़क़त लिआन से निकाह से ख़ारिज न हुई बल्कि लिआन के बाद हाकिमे इस्लाम तफ़रीक़ करदेगा और अब मुतल्लक़ा बाइन हो गई लिहाज़ा बाद लिआन अगर क़ाज़ी ने तफ़रीक़ न

की हो तो तलाक़ दे सकता है ईला व ज़िहार कर सकता है दोनों में से कोई मरजाये तो दूसरा उस का तरका (मय्यत के माल में हिस्सा)पायेगा और लिआन के बाद अगर वह दोनों अलाहिदा होना न चाहें जब भी तफ़रीक़ कर दी जायेगी (जौहरा)

मसअला :– अगर लिआन की इब्तिदा क़ाज़ी ने औरत से कराई तो शौहर के अल्फ़ाज़े लिआन कहने के बाद औरत से फिर कहलवाये और दोबारा औरत से न कहलवाये और तफ़रीक़ कर दी तो होगई (जौहरा)

मसअला :– लिआन हो जाने के बाद अभी तफ़रीक़ न की थी कि खुद क़ाज़ी का इन्तिक़ाल हो गया या मअ़जूल हो गया और दूसरा उस की जगह मुक़र्रर किया गया तो यह क़ाज़ी दोम अब फिर लिआन कराये (जौहरा)

मसअला :– तीन तीन बार दोनों ने अल्फ़ाज़े लिआन कहे थे यानी अभी पूरा लिआन न हुआ था कि क़ाज़ी ने ग़लती से तफ़रीक़ कर दी तो तफ़रीक़ हो गई मगर ऐसा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है और अगर एक एक या दो दो बार कहने के बाद तफ़रीक़ की तो तफ़रीक़ न हुई और अगर सिर्फ़ शौहर ने अल्फ़ाज़े लिआन अदा किये औरत ने नहीं और क़ाज़ी ग़ैर हनफ़ी ने(जिस का यह मज़हब हो कि सिर्फ़ शौहर के लिआन से तफ़रीक़ हो जाती है)तफ़रीक़ कर दी तो जुदाई हो गई और क़ाज़ी हनफ़ी ऐसा करेगा तो उस की क़ज़ा नाफ़िज़ न होगी कि यह उस के मज़हब के ख़िलाफ़ है और ख़िलाफ़े मज़हब हुक्म करने का उसे हक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लिआन के बाद अभी तफ़रीक़ नहीं हुई है और दोनों या एक को कोई ऐसा अम्र लाहिक़ हुआ कि लिआन से पेश्तर होता तो लिआन ही न होता मसलन एक या दोनों गूँगे या मुरतद हो गये या किसी को तोहमत लगाई और हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम हुई या एक ने अपनी तकज़ीब(झूटे होने)की या औरत से वती हराम की गई तो लिआन बातिल हो गया लिहाज़ा क़ाज़ी अब तफ़रीक़ न करेगा **और अगर** दोनों में से कोई मजनून हो गया तो लिआन साक़ित न होगा लिहाज़ा तफ़रीक़ करदेगा और अगर बोहरा हो गया जब भी तफ़रीक़ करदेगा **और अगर** मर्द ने अल्फ़ाज़े लिआन कह लिए थे और औरत ने अभी नहीं कहे थे कि बोहरा हो गया या औरत बोहरा होगई तो तफ़रीक़ न होगी न औरत से लिआन कराया जाये (आलमगीरी)

मसअला :– लिआन के बाद शौहर या औरत ने तफ़रीक़ के लिए किसी को अपना वकील किया और ग़ाइब हो गया तो क़ाज़ी वकील के सामने तफ़रीक़ करदेगा यूहीं अगर बादे लिआन चलदिए फिर किसी को वकील बनाकर भेजा तो क़ाज़ी उस वकील के सामने तफ़रीक़ करदेगा (आलमगीरी)

मसअला :– लिआन के बाद अगर अभी तफ़रीक़ न हुई हो जब भी उस औरत से वती व दवाई–ए–वती (वती के लिए बुलाना) हराम हैं और तफ़रीक़ हो गई तो इद्दत का नफ़का व सुकना यानी रहने का मकान पायेगी और इद्दत के अन्दर जो बच्चा पैदा होगा उसी शौहर का होगा अगर दो बरस के अन्दर पैदा हो **और अगर** इद्दत उस औरत के लिए न हो और छः माह के अन्दर बच्चा पैदा हो तो उसी शौहर का क़रार दिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर शौहर ने उस बच्चा की निस्बत जो उस के निकाह में पैदा हुआ है और जिन्दा भी है यह कहा कि यह मेरा नहीं है और लिआन हुआ तो क़ाज़ी उस बच्चा का नसब शौहर से मुन्क़तअ़ करदेगा और वह बच्चा अब माँ की तरफ़ मुन्तसिब होगा बशर्ते कि उलूक़ (किसी मुआमले के लटका देना)ऐसे वक़्त में हुआ कि औरत में सलाहियते लिआन हो लिहाज़ा अगर उस वक़्त बाँदी थी अब आज़ाद है या उस वक़्त काफ़िरा थी अब मुसलमान है तो नसब

मुन्तफ़ी(ख़त्म)न होगा उस वास्ते कि उस सूरत में लिआन ही नहीं और अगर वह बच्चा मर चुका है तो लिआन होगा और नसब मुन्तफ़ी नहीं हो सकता है **यूँहीं अगर** दो बच्चे हुए एक मरचुका है और एक जिन्दा है और दोनों से शौहर ने इन्कार कर दिया या लिआन से पहले एक मर गया तो उस मुर्दा का नसब मुन्तफ़ी न होगा नसब मुन्तफ़ी (ख़त्म) होने की छः शर्तें हैं (1)तफ़रीक़ (2) वक़्ते विलादत या उस के एक दिन या दो दिन बाद तक हो दो दिन के बाद इन्कार नहीं कर सकता (3)इस इन्कार से पहले इक़रार न कर चुका अगर्चे दलालतन इक़रार हो मसलन उस को मुबारक बाद दी गई और उस ने सुकूत(ख़ामोश रहा) किया या उस के लिए खिलौने ख़रीदे (4) तफ़रीक़ के वक़्त बच्चा जिन्दा हो (5)तफ़रीक़ के बाद उसी हमल से दूसरा बच्चा न पैदा हो यानी छःमहीने के अन्दर (6) सुबूते नसब का हुक्म शरअ़न न हो चुका हो मसलन बच्चा पैदा हुआ और वह किसी दूध पीते बच्चा पर गिरा और यह मरगया और यह हुक्म दिया गया कि उस बच्चा के बाप के अ़स्बा उस की दियत अदा करें और अब बाप यह कहता है कि मेरा नहीं तो लिआन होगा और नसब मुन्क़तअ़ न होगा(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– लिआन व तफ़रीक़ के बाद फिर उस औरत से निकाह नहीं कर सकता जब तक दोनों अहलियते लिआन रखते हों और अगर लिआन की कोई शर्त दोनों या एक में मफ़क़ूद (ख़त्म)होगई तो अब बाहम दोनों निकाह कर सकते हैं मसलन शौहर ने उस तोहमत में अपने को झूटा बताया अगर्चे सराहतन यह न कहा हो कि मैंने झुटी तोहमत लगाई थी मसलन वह बच्चा जिस का इन्कार कर चुका था मर गया और उस ने माल छोड़ा तरका लेने के लिए यह कहता है कि वह मेरा बच्चा था तो हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम होगी और उस का निकाह उस औरत से अब हो सकता है और अगर हद्दे क़ज़फ़ न लगाई गई जब भी निकाह हो सकता है **यूहीं अगर** लिआन व तफ़रीक़ के बाद किसी और पर तोहमत लगाई और उस की वजह से हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम हुई या औरत ने उस की तस्दीक़ की या औरत से वती हराम की गई अगर्चे ज़िना न हो मगर तस्दीक़े ज़न (औरत की तस्दीक़) से निकाह उस वक़्त जाइज़ होगा जबकि चार बार हो और हद व लिआन साक़ित होने के लिए एकबार तस्दीक़ काफ़ी है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हमल की निस्बत अगर शौहर ने कहा कि यह मेरा नहीं तो लिआन नहीं हाँ अगर यह कहे कि तूने ज़िना किया है और हमल उसी से है तो लिआन होगा मगर क़ाज़ी उस हमल को शौहर से नफ़ी न करेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी ने उस की औरत पर तोहमत लगाई उस ने कहा तूने सच कहा वह वैसी ही है जैसा तू कहता है तो लिआन होगा और अगर फ़क़त इतना ही कहा कि तू सच्चा है तो लिआन नहीं न हद्दे क़ज़फ़ (आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा तुझ पर तीन तलाक़ें ऐ ज़ानिया तो लिआन नहीं बल्कि हद्दे क़ज़फ़ है और अगर कहा ऐ ज़ानिया तुझे तीन तलाक़ें तो न लिआन है न हद (आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा ऐ ज़ानिया ज़ानिया की बच्ची तो औरत और उसकी माँ दोनों पर तोहमत लगाई अब अगर माँ बेटी दोनों एक साथ मुतालबा करें तो माँ का मुतालबा मुक़द्दम क़रार देकर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम कर देंगे और लिआन साक़ित हो जायेगा और अगर माँ ने मुतालबा न किया और औरत ने किया तो लिआन होगा फिर बाद में अगर माँ ने मुतालबा किया तो क़ज़फ़ क़ाइम कर देंगे **और अगर** सूरते मज़कूरा में औरत की माँ मर चुकी है और औरत ने दोनों मुतालबे किए तो

माँ की तोहमत पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम करेंगे और लिआ़न साकित और अगर सिर्फ़ अपना मुतालबा किया तो लिआ़न होगा यूँहीं अगर अजनबिया पर तोहमत लगाई फिर उस से निकाह कर के फिर तोहमत लगाई और औरत ने लिआ़न व हद्द दोनों का मुतालबा किया तो हद्द होगी और लिआ़न साकित और अगर लिआ़न का मुतालबा किया और लिआ़न हुआ फिर हद का मुतालबा किया तो हद भी क़ाइम करेंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत से कहा मैंने जो तुझ से निकाह किया उस से पहले तूने ज़िना किया या निकाह से पहले मैंने तुझे ज़िना करते देखा तो यह तोहमत चूँकि अब लगाई लिहाज़ा लिआ़न है और अगर यह कहा निकाह से पहले मैंने तुझे ज़िना की तोहमत लगाई तो लिआ़न नहीं बल्कि हद क़ाइम होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा मैंने तुझे बिक्र न पाया तो न हद्द है न लिआ़न (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औलाद से इन्कार उस वक़्त सहीह है जब मुबारक बादी देते वक़्त या विलादत के सामान ख़रीदने के वक़्त नफ़ी की हो वरना सुकूत रज़ा समझा जायेगा अब फिर नफ़ी (इन्कार)नहीं हो सकती मगर लिआ़न दोनों सूरतों में होगा और अगर विलादत के वक़्त शौहर मौजूद न था तो जब उसे ख़बर हुई नफ़ी के लिए वह वक़्त बमन्ज़िला–ए–विलादत के है शौहर ने औलाद से इन्कार किया और औरत ने भी उस की तस्दीक़ की तो लिआ़न नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दो बच्चे एक हमल से पैदा हुए यानी दोनों के दरमियान छः माह से कम का फ़ासिला हुआ और उन दोनों में पहले से इन्कार किया दूसरे का इक़रार तो हद्द लगाई जाये और अगर पहले का इक़रार किया दूसरे से इन्कार तो लिआ़न होगा बशर्ते कि इन्कार से न फिरे और फिर गया तो हद लगाई जाये मगर बहर हाल दोनों साबितुन्नसब हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस बच्चे से इन्कार किया और लिआ़न हुआ वह मर गया और उस ने औलाद छोड़ी अब लिआ़न करने वाले ने उस को अपना पोता, पोती क़रार दिया तो वह साबितुन्नसब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औलाद से इन्कार किया और अभी लिआ़न न हुआ कि किसी अजनबी ने औरत पर तोहमत लगाई और उस बच्चा को हरामी कहा उस पर हद्द क़ज़फ़ क़ाइम हुई तो अब उसका नसब साबित है और कभी मुन्तफ़ी (ख़त्म) न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत के बच्चा पैदा हुआ शौहर ने कहा यह मेरा नहीं या यह ज़िना से है और किसी वजह से लिआ़न साकित हो गया तो नसब मुन्तफ़ी (ख़त्म) न होगा हद्द वाजिब हो या नहीं यूँही अगर दोनों अहले लिआ़न हैं मगर लिआ़न न हुआ तो नसब मुन्तफ़ी न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– निकाह किया मगर अभी दुख़ूल न हुआ बल्कि अभी औरत को देखा भी नहीं और औरत के बच्चा पैदा हुआ शौहर ने उस से इन्कार किया तो लिआ़न हो सकता है और लिआ़न के बाद वह बच्चा माँ के ज़िम्मे होगा और महर पूरा देना होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लिआ़न के सबब जिस लड़के का नसब औरत के शौहर से मुन्क़तअ् (कट गया) कर दिया गया है बाज़ बातों में उस के लिए नसब के अहकाम हैं मसलन वह अपने बाप के लिए गवाही दे तो मक़बूल नहीं न बाप की गवाही उस के लिए मक़बूल न वह अपने बाप को ज़कात दे सके न बाप उस को और उस लड़के के बेटे का निकाह बाप की उस लड़की से जो दूसरी औरत से है नहीं हो सकता या अक्स(उल्टा) हो जब भी नहीं हो सकता और अगर बाप ने उस को मार डाला

तो क़िसास नहीं और दूसरा शख़्स यह कहे कि यह मेरा लड़का है तो उस का नहीं हो सकता अगर्चे यह लड़का भी अपने को उस का बेटा कहे बल्कि तमाम बातों में वही अहकाम हैं जो साबितुन्नसब के हैं सिर्फ़ दो बातों में फ़र्क़ है एक यह कि एक दूसरे का वारिस नहीं दूसरे यह कि एक का नफ़्क़ा दूसरे पर वाजिब नहीं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

इन्नीन का बयान

फ़त्हुलक़दीर में है अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने रिवायत की कि अमीरुलमोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने यह फ़ैसला फ़रमाया कि इन्नीन (नामर्द) को एक साल की मुद्दत दी जाये और इब्ने अबी शीबा ने रिवायत की अमीरुल मोमिनीन ने क़ाज़ी शरीह के पास लिख भेजा कि यौमे मुराफ़आ से एक साल की मुद्दत दी जाये और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ व इब्ने अबी शीबा ने मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु और इब्ने शीबा ने अ़ब्दुल्ला इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक साल की मुद्दत दी जाये और हसन बसरी व शअ्बी व इबराहीम नख़ई व अ़ता व सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से भी यही मरवी है।

मसअ्ला :– इन्नीन उस को कहते हैं कि आला मौजूद हो और ज़ौजा के आगे के मक़ाम में दुख़ूल न कर सके और अगर बाज़ औरत से जिमाअ् कर सकता है और बाज़ से नहीं या सय्यब के साथ कर सकता है और बिक्र के साथ नहीं तो जिस से नहीं कर सकता है उस के हक़ में इन्नीन है और जिस से कर सकता है उस के हक़ में नहीं उस के असबाब मुख़्तलिफ़ हैं मर्ज़ की वजह से है या ख़लक़तन (पैदाइशी) ऐसा है या बुढ़ापे की वजह से या उस पर जादू कर दिया गया है।

मसअ्ला :– अगर फ़क़त हशफ़ा दाख़िल कर सकता है तो इन्नीन नहीं और हशफ़ा(लिंग का अगला ख़ास हिस्सा) कट गया हो तो उस की मिक़दार अ़ज़ू दाख़िल कर सकने पर इन्नीन न होगा और औरत ने शौहर का अ़ज़ू काट डाला तो मक़तूउ़ज़्ज़कर (कटा हुआ लिंग) का हुक्म जारी न होगा(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर इन्नीन है और औरत का मक़ाम बन्द है या हड्डी निकल आई है कि मर्द उस से जिमाअ् नहीं कर सकता तो ऐसी कि लिए वह हुक्म नहीं जो इन्नीन की ज़ौजा को है कि उस में ख़ुद भी क़ुसूर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मर्द का अ़ज़ू तनासुल उनसऐन (दोनों ख़ुसये) या सिर्फ़ अ़ज़ू तनासुल बिलकुल जड़ से कट गया हो या बहुत ही छोटा घुंडी की मिस्ल हो और औरत तफ़रीक़ चाहे तो तफ़रीक़ करदी जायेगी अगर औरत हुर्रा बालिग़ा हो और निकाह से पहले यह हाल उस को मालूम न हो निकाह के बाद, जानकर उस पर राज़ी रही अगर औरत किसी की बान्दी है तो ख़ुद उस को कोई इख़्तियार नहीं बल्कि इख़्तियार उस के मौला को है और नाबालिग़ा है तो बुलूग़ तक इन्तिज़ार किया जाये बुलूग़ के बाद राज़ी हो गई तो ठीक वरना तफ़रीक़ कर दी जाये अ़ज़ू तनासुल कट जाने की सूरत में शौहर बालिग़ हो या नाबालिग़ उस का एअ्तिबार नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार).

मसअ्ला :– अगर मर्द का अ़ज़ू तनासुल छोटा है कि मक़ामे मोअ्ताद (मुनासिब जगह)तक दाख़िल नहीं कर सकता तो तफ़रीक़ नहीं की जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– लड़की नाबालिग़ा का निकाह उस के बाप ने कर दिया उस ने शौहर को मक़तूउ़ज़्ज़कर पाया तो बाप को तफ़रीक़ के दअ्वा का हक़ नहीं जब तक लड़की ख़ुद बालिग़ा न

हो ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :— एक बार जिमाअ् करने के बाद उस का अज़ू काट डाला गया या इन्नीन हो गया तो अब तफ़रीक़ नहीं की जा सकती (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— शौहर के उनसएेन (लिंग के नीचे का ख़ास हिस्सा) काट डाले गये और इन्तिशार होता है तो औरत को तफ़रीक़ कराने का हक़ नहीं और इन्तिशार न होता हो तो इन्नीन है और इन्नीन का हुक्म है कि औरत जब क़ाज़ी के पास दअ्वा करे तो शौहर से क़ाज़ी दरयाफ़्त करे अगर इक़रार कर ले तो एक साल की मोहलत दी जायेगी साल के अन्दर शौहर ने जिमाअ् कर लिया तो औरत का दअ्वा साक़ित हो गया और जिमाअ् न किया और औरत जुदाई की ख़्वास्तगार है तो क़ाज़ी उस को तलाक़ देने को कहे अगर तलाक़ देदे फ़बिहा (तो ठीक) वरना क़ाज़ी तफ़रीक़ कर दे (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :— औरत ने दअ्वा किया और शौहर कहता है मैंने उस से जिमाअ् किया है और औरत सय्यब है तो शौहर से क़सम खिलाये क़सम खाले तो औरत का हक़ जाता रहा इन्कार करे तो एक साल की मोहलत दे और अगर औरत अपने को बिक्र (जिस औरत से सम्भोग न किया गया हो) बताती है तो किसी औरत को दिखाये और एहतियात यह है कि दो औरतों को दिखाये अगर यह औरतें उसे सय्यब (ऐसी औरत जिस से सम्भोग किया गया हो) बतायें तो शौहर को क़सम खिला कर उस की बात मानें और यह औरतें बिक्र कहें तो औरत की बात बग़ैर क़सम मानी जायेगी और उन औरतों को शक हो तो किसी तरीक़ा से इम्तिहान करायें और अगर उन औरतों में बाहम इख़्तिलाफ़ है कोई बिक्र कहती है कोई सय्यब तो किसी और से तहक़ीक़ करायें जब यह बात साबित हो जाये कि शौहर ने जिमाअ् नहीं किया है तो एक साल की मोहलत दें (आलमगीरी)

मसअ्ला :— औरत का दअ्वा क़ाज़ी-ए-शहर के पास होगा दूसरे क़ाज़ी या ग़ैर क़ाज़ी के पास दअ्वा किया और उस ने मोहलत भी देदी तो उस का कुछ एअ्तिबार नहीं यूहीं औरत का बतौर ख़ुद बैठी रहना बेकार है (ख़ानिया)

मसअ्ला :— साल से मुराद इस मक़ाम पर शमसी साल है यानी तीन सौ पैंसठ दिन और एक दिन का कुछ हिस्सा और अय्यामे हैज़ व माहे रमज़ान और शौहर के हज और सफ़र का ज़माना उसी में महसूब(COunt) है और औरत के हज और ग़ीबत का ज़माना और मर्द या औरत के मर्ज़ का ज़माना महसूब(COunt)न होगा और अगर एहराम की हालत में औरत ने दअ्वा किया तो जब तक एहराम से फ़ारिग़ न हो ले क़ाज़ी मीआद मुक़र्रर न करेगा (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— अगर इन्नीन ने औरत से ज़िहार किया है और आज़ाद करने पर क़ादिर है तो एक साल की मोहलत दी जायेगी वरना चौद ह माह की यानी जबकि रोज़ा रखने पर क़ादिर हो और अगर मोहलत देने के बाद ज़िहार किया तो उस की वजह से मुद्दत में कोई इज़ाफ़ा न होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :— शौहर बीमार है कि बीमारी की वजह से जिमाअ् पर क़ादिर नहीं तो औरत के दअ्वा पर मीआद मुक़र्रर न की जाये जब तक तन्दुरुस्त न हो ले अगर्चे मरज़ लम्बे ज़माने तक रहे(आलमगीरी)

मसअ्ला :— शौहर नाबालिग़ है तो जबतक बालिग़ न हो ले मीआद न मुक़र्रर की जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— औरत मजनूना है और शौहर इन्नीन तो वली के दअ्वा पर क़ाज़ी मीआद मुक़र्रर करेगा और तफ़रीक़ करदेगा और अगर वली भी न हो तो क़ाज़ी किसी शख़्स को उस की तरफ़ से मुददई बनाकर यह अहकाम जारी करेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मीआद गुज़रने के बाद औरत ने दअ्वा किया कि शौहर ने जिमाअ् नहीं किया और वह कहता है किया है तो अगर औरत सय्यब थी तो शौहर को क़सम खिलायें उस ने क़सम खाली तो औरत का हक़ बातिल हो गया और क़सम खाने से इन्कार करे तो औरत को इख़्तियार है तफ़रीक़ चाहे तो तफ़रीक़ कर देंगे और अगर औरत अपने को बिक्र कहती है तो वही सूरतें हैं जो मज़कूर हुईं (आलमगीरी)

मसअ्ला :— औरत को क़ाज़ी ने इख़्तियार दिया उस ने शौहर को इख़्तियार किया या मज्लिस से उठ खड़ी हुई या लोगों ने उसे उठा दिया या अभी उस ने कुछ न कहा था कि क़ाज़ी उठ खड़ा हुआ तो इन सब सूरतों में औरत का ख़ियार बातिल (इख़्तियार ख़त्म) हो गया (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :— तफ़रीक़े क़ाज़ी तलाक़े बाइन क़रार दी जायेगी और ख़लवत हो चुकी है तो पूरा महर पायेगी और इद्दत बैठेगी वरना निस्फ़ महर है और इद्दत नहीं और अगर मुक़र्रर न हुआ था तो मतआ (जोड़ा मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :— क़ाज़ी ने एक साल की मोहलत दी थी साल गुज़रने पर औरत ने दअ्वा न किया तो हक़ बातिल न होगा जब चाहे आकर फिर दअ्वा कर सकती है और अगर शौहर और मोहलत माँगता है तो जब तक औरत राज़ी न हो क़ाज़ी मोहलत न दे और औरत की रज़ा मन्दी से क़ाज़ी ने मोहलत दी तो औरत पर उस मीआद की पाबन्दी ज़रूर नहीं जब चाहे दअ्वा कर सकती है और यह मीआद बातिल हो जायेगी और अगर मीआदे अव्वल के बाद क़ाज़ी मअ्ज़ूल हो गया या उस का इन्तिक़ाल हो गया और दूसरा उस की जगह पर मुक़र्रर हुआ और औरत ने गवाहों से साबित कर दिया कि क़ाज़ी अव्वल ने मोहलत दी थी और वह ज़माना ख़त्म हो चुका तो यह क़ाज़ी सिरे से मुद्दत मुक़र्रर न करेगा बल्कि उसी पर अमल करेगा जो क़ाज़ी अव्वल ने किया था(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :— क़ाज़ी की तफ़रीक़ के बाद गवाहों ने शहादत दी कि तफ़रीक़ से पहले औरत ने जिमाअ् का इक़रार किया था तो तफ़रीक़ बातिल है और तफ़रीक़ के बाद इक़रार किया हो तो बातिल नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :— तफ़रीक़ के बाद उसी औरत ने फिर उसी शौहर से निकाह किया या दूसरी औरत ने जिस को यह हाल मालूम था तो अब दअ्वा-ए-तफ़रीक़ का हक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— अगर शौहर में और किसी क़िस्म का ऐब है मसलन जुनून, जुज़ाम, बर्स, या औरत में ऐब हो कि उस का मक़ाम बन्द हो या उस जगह गोश्त या हड्डी पैदा होगई हो तो फ़स्ख़ का इख़्तियार नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— शौहर जिमाअ् करता है मगर मनी नहीं है कि इन्ज़ाल हो तो औरत को दअ्वा का हक़ नहीं (आलमगीरी)

इद्दत का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ

तर्जमा :– "ऐ नबी लोगों से फ़रमा दो कि जब औरतों को तलाक़ दो तो उन्हें इद्दत के वक़्त के लिए तलाक़ दो और इद्दत का शुमार रखो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है न इद्दत में औरतों को उन के रहने के घरों से निकालो और न वह ख़ुद निकलें मगर यह कि खुली हुई बे हयाई की बात करें"

और फ़रमाता है

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ

يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

तर्जमा :– "तलाक़ वालियाँ अपने को तीन हैज़ तक रोके रहें और उन्हें यह हलाल नहीं कि जो कुछ ख़ुदा ने उन के पेटों में पैदा किया उसे छुपायें अगर वह अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखती हों

और फ़रमाता है

وَ الّٰٓـِٔىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ

وَّ الّٰٓـِٔىْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ

तर्जमा :– "और तुम्हारी औरतों में जो हैज़ से ना उम्मीद हो गईं अगर तुम को कुछ शक हो तो उन की इद्दत तीन महीने है और उन की भी जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया है और हमल वालियों की इद्दत यह है कि अपना हमल जन लें"

और फ़रमाता है

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ

اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

तर्जमा :– "तुम में जो मरजायें और बीवियाँ छोड़ें वह चार महीने दस दिन अपने आप को रोके रहें फिर जब उन की इद्दत पूरी हो जाये तो तुम पर कुछ मुवाख़ेज़ा नहीं उस काम में जो औरतें अपने मुआमला में शरअ़ के मुवाफ़िक़ करें और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है"।

सहीह बुख़ारी शरीफ़ में मुसव्विर इब्ने मुख़रिमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि सबीआ़ अस्लमिया रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के शौहर की मौत के चन्द दिन बाद बच्चा पैदा हुआ नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर निकाह की इजाज़त तलब की हुज़ूर ने इजाज़त देदी नीज़ उस में है कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं कि सूरए तलाक़ (जिस में हमल की इद्दत का बयान है)सूरए बक़रा (कि उस में वफ़ात की इद्दत चार महीने दस दिन है) के बाद नाज़िल हुई यानी हमल वाली की इद्दत चार माह दस दिन नहीं

बल्कि वज़अ़े हमल है और एक रिवायत में है कि मैं उस पर मुबाहिला कर सकता हूँ कि वह उस के बाद नाज़िल हुई। इमाम मालिक व शाफ़िई व बैहक़ी हज़रत अमीरुलमोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि वफ़ात के बाद अगर बच्चा पैदा हो गया और अभी मुर्दा चार पाई पर हो तो इद्दत पूरी होगई।

मसअ्ला :– निकाह ज़ाइल होने या शुबह–ए–निकाह के बाद औ़रत का निकाह से ममनूअ़ होना और एक ज़माना तक इन्तिज़ार करना इद्दत है।

मसअ्ला :– निकाह ज़ाइल (ख़त्म) होने के बाद उस वक़्त इद्दत है कि शौहर का इन्तिक़ाल हुआ हो या ख़ल्वते सहीहा हुई हो ज़ानिया के लिए इद्दत नहीं अगर्चे हामिला हो और यह निकाह कर सकती है मगर जिस के ज़िना से हमल है उस के सिवा दूसरे से निकाह करे तो जबतक बच्चा पैदा न हो वती जाइज़ नहीं निकाहे फ़ासिद में दुख़ूल से क़ब्ल तफ़रीक़ हुई तो इद्दत नहीं और दुख़ूल के बाद हुई तो है (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– जिस औ़रत का मक़ाम बन्द है उस से ख़लवत हुई तो तलाक़ के बाद इद्दत नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत को तलाक़ दी बाइन या रजई या किसी तरह निकाह फ़स्ख़ हो गया अगर्चे यूँ कि शौहर के बेटे का शहवत के साथ बोसा लिया और इन सूरतों में दुख़ूल हो चुका हो या ख़लवत हुई हो और उस वक़्त हमल न हो और औ़रत को हैज़ आया है तो इद्दत पूरे तीन हैज़ है जबकि आज़ाद हो और बान्दी हो तो दो हैज़ और अगर उम्मे वलद है उस के मौला का इन्तिक़ाल हो गया या उस ने आज़ाद कर दिया तो उस की इद्दत भी तीन हैज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इन सूरतों में अगर औ़रत को हैज़ नहीं आता है कि अभी ऐसे सिन(उम्र)को नहीं पहुँची या सिन्ने अयास (वह उम्र जिस में हैज़ आना बन्द हो जाता है)को पहुँच चुकी है या उम्र के हिसाब से बालिग़ा हो चुकी है मगर अभी हैज नहीं आया है तो इद्दत तीन महीने है और बान्दी है तो डेढ़ माह।

मसअ्ला :– अगर तलाक़ या फ़स्ख़ पहली तारीख़ को हुआ अगर्चे अ़स्र के वक़्त तो चाँद के हिसाब से तीन महीने वरना हर महीना तीस दिन का क़रार दिया जाये यानी इद्दत के कुल दिन नव्वे होंगे (आलमगीरी जौहरा)

मसअ्ला :– औ़रत को हैज़ आचुका है मगर अब नहीं आता और अभी सिन्ने अयास को भी नहीं पहुँची है उस की इद्दत भी हैज़ से है जब तक तीन हैज़ न आलें या सिन्ने अयास को न पहुँचे उस की इद्दत ख़त्म नहीं हो सकती और अगर हैज़ आया ही न था और महीनों से इद्दत गुज़ार रही थी कि इसना–ए–इद्दत में हैज़ आ गया तो अब हैज़ से इद्दत गुज़ारे यानी जब तक तीन हैज़ न आ लें इद्दत पूरी न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हैज़ की हालत में तलाक़ दी तो यह हैज़ इद्दत में शुमार न किया जाये बल्कि उस के बाद पूरे तीन हैज़ ख़त्म होने पर इद्दत पूरी होगी (आम्मए–कुतुब)

मसअ्ला :– जिस औ़रत से निकाह फ़ासिद हुआ और दुख़ूल हो चुका हो या जिस औ़रत से शुबहतन वती हुई उस की इद्दत फ़ुर्क़त व मौत दोनों में हैज़ से है और हैज़ न आता हो तो तीन महीने (जौहरा नय्यरा)और वह औ़रत किसी की बान्दी हो तो इद्दत डेढ़ माह (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उस की औ़रत किसी की कनीज़ है उस ने ख़ुद ख़रीदली तो निकाह जाता रहा मगर

इद्दत नहीं यानी उस को वती करना जाइज़ मगर दूसरे से उसका निकाह नहीं हो सकता जब तक दो हैज़ न गुज़रलें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत को जो कनीज़ थी ख़रीदा और एक हैज़ आने के बाद आज़ाद कर दिया तो उस हैज़ के बाद दो हैज़ और इद्दत में रहे और हुर्रा जैसा सोग करे और अगर एक बाइन तलाक़ देकर ख़रीदी तो मिल्के यमीन की वजह से वती कर सकता है और दो तलाक़ें दीं तो बग़ैर हलाला वती नहीं कर सकता और अगर दो हैज़ के बाद आज़ाद कर दी तो निकाह की वजह से इद्दत नहीं हाँ इत्क़ की वजह से इद्दत गुज़ारे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत नाबालिग़ा ने शुबहतन या निकाह फ़ासिद में वती की उस पर भी यही इद्दत है यूँहीं अगर नाबालिग़ी में ख़लवत हुई और बालिग़ होने के बाद तलाक़ दी जब भी यही इद्दत है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– निकाह फ़ासिद में तफ़रीक़ या मुतारका के वक़्त से इद्दत शुमार की जायेगी मुतारका यह कि मर्द ने यह कहा कि मैंने उसे छोड़ा या उस से वती तर्क की या उसी क़िस्म के और अल्फ़ाज़ कहे जब तक मुतारका या तफ़रीक़ न हो कितना ही ज़माना गुज़र जाये इद्दत नहीं अगर्चे दिल में इरादा कर लिया कि वती न करेगा और अगर औरत के सामने निकाह से इन्कार करता है तो यह मुतारका है वरना नहीं लिहाज़ा उस का एअ्तिबार नहीं। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तलाक़ की इद्दत वक़्ते तलाक़ से है अगर्चे औरत को उस की इत्तिलाअ् न हो कि शौहर ने उसे तलाक़ दी है और तीन हैज़ आने के बाद मालूम हुआ तो इद्दत ख़त्म हो चुकी और अगर शौहर यह कहता है कि मैंने उस को इतने ज़माना से तलाक़ दी है तो औरत उसकी तस्दीक़ करे या तकज़ीब इद्दत वक़्ते इक़रार से शुमार होगी (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत को किसी ने ख़बर दी कि उस के शौहर ने तीन तलाक़ें देदीं या शौहर का ख़त आया और उस में उसे तलाक़ लिखी है अगर्चे औरत का ग़ालिब गुमान है कि वह सच कहता है या यह ख़त उसी का है तो इद्दत गुज़ार कर निकाह कर सकती है (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत को तीन तलाक़ें दे दीं मगर लोगों पर ज़ाहिर न किया और दो हैज़ आने के बाद औरत से वती की और हमल रह गया अब उस ने लोगों से तलाक़ देना बयान किया तो इद्दत वज़अ़े हमल है और वज़अ़े हमल तक नफ़्क़ा उस पर वाजिब (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तलाक़ देकर मुकर गया औरत ने क़ाज़ी के पास दअ्वा किया और गवाह से तलाक़ देना साबित कर दिया और क़ाज़ी ने तफ़रीक़ का हुक्म दिया तो इद्दत वक़्ते तलाक़ से है उस वक़्त से नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पिछला हैज़ अगर पूरे दस दिन पर ख़त्म हुआ है तो ख़त्म होते ही इद्दत ख़त्म होगई अगर्चे अभी गुस्ल न किया बल्कि अगर्चे इतना वक़्त भी अभी नहीं गुज़रा है कि उस में गुस्ल कर सकती और तलाक़ रजई थी तो शौहर अब रजअ़त नहीं कर सकता और अब यह औरत निकाह कर सकती है और अगर दस दिन से कम में ख़त्म हुआ है तो जब तक नहा न ले या एक नमाज़ का पूरा वक़्त न गुज़र ले इद्दत ख़त्म न होगी यह हुक्म मुसलमान औरत के हैं और किताबिया हो तो हालते हैज़ ख़त्म होते ही इद्दत पूरी हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वती बिश्शुबह की चन्द सूरतें हैं 1.औरत इद्दत में थी और शौहर के सिवा किसी और के पास भेज दी गई और यह ज़ाहिर किया गया कि तेरी औरत है उस ने वती की बाद को हाल खुला 2.औरत को तीन तलाक़ें देकर बग़ैर हलाला उस से निकाह कर लिया और वती की 3.औरत को तीन तलाक़े देकर इद्दत में वती की और कहता है कि मेरा गुमान यह था कि उस से वती हलाल है 4.माल के एवज़ या लफ़्ज़े किनाया से तलाक़ दी और इद्दत में वती की 5. ख़ाविन्द वाली औरत थी और शुब्हतन उस से किसी और ने वती की फिर शौहर ने उस को तलाक़ देदी इन सब सूरतों में औरत पर दो इद्दतें हैं और जुदाई के बाद दूसरी इद्दत पहली इद्दत में दाख़िल हो जायेगी यानी अब जो हैज़ आयेगा दोनों इद्दतों मे शुमार होगा (जौहरा नय्यिरा)

मसअ्ला :– मुतल्लक़ा ने एक हैज़ के बाद दूसरे से निकाह किया और उस दूसरे ने उस से वती की फिर दोनों में तफ़रीक़(जुदाई) कर दी गई और तफ़रीक़ के बाद दो हैज़ आये पहली इद्दत ख़त्म हो गई मगर अभी दूसरी ख़त्म न हुई लिहाज़ा यह शख़्स उस से निकाह कर सकता है कोई और नहीं कर सकता जब तक बादे तफ़रीक़ तीन हैज़ न आलें और तीन हैज़ आने पर दोनों इद्दतें ख़त्म हो गयीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को तलाक़ बाइन दी थी एक या दो और इद्दत के अन्दर वती की और जानता था कि वती हराम है और हराम होने का इक़रार भी करता है तो हर बार की वती पर इद्दत है मगर सब मुतदाख़िल (एक दूसरी में दाख़िल)होंगी और तीन तलाक़ें दे चुका है और इद्दत में वती की और जानता है कि वती हराम है और इक़रारी है तो उस वती के लिए इद्दत नहीं है बल्कि मर्द को रज्म का हुक्म है और औरत भी इक़रार करती है तो उस पर भी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मौत की इद्दत चार महीने दस दिन है यानी दसवीं रात भी गुज़र ले बशर्ते कि निकाह सहीह हो दुख़ूल हुआ हो या नहीं दोनों का एक हुक्म है अगर्चे शौहर नाबालिग़ हो या ज़ौजा (बीवी) नाबालिग़ा हो यूँहीं अगर शौहर मुसलमान था और औरत किताबिया तो उस की भी यही इद्दत है। मगर उस इद्दत में शर्त यह है कि औरत को हमल न हो (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– औरत कनीज़ है तो उस की इद्दत दो महीने पाँच दिन है शौहर आज़ाद हो या ग़ुलाम कि इद्दत में शौहर के हाल का लिहाज़ नहीं बल्कि औरत के एअ्तिबार से है फिर मौत पहली तारीख़ को हो तो चाँद से महीने लिये जायें वरना हुर्रा (आज़ाद औरत)के लिए एक सौ तीस दिन और बाँदी के लिए पैंसठ दिन (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत हमल वाली है तो इद्दत वज़अ़े हमल है औरत हुर्रा हो या कनीज़ मुस्लिमा हो या किताबिया इद्दत तलाक़ की हो या वफ़ात की या मुतारका या वती बिश्शुब्ह की हमल साबितुन्नसब हो या ज़िना का मसलन ज़ानिया हामिला से निकाह किया और शौहर मर गया वती के बाद तलाक़ दी तो इद्दत वज़अ़े हमल है। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– वज़अ़े हमल से इद्दत पूरी होने के लिए कोई ख़ास मुद्दत मुक़र्रर नहीं मौत या तलाक़ के बाद जिस वक़्त बच्चा पैदा हो इद्दत ख़त्म हो जायेगी अगर्चे एक मिनट बाद हमल साक़ित हो गया और अअ्ज़ा बन चुके हैं इद्दत पूरी होगई वरना नहीं और अगर दो या तीन बच्चे एक हमल से हुए तो पिछले के पैदा होने से इद्दत पूरी होगी (जौहरा)

मसअ्ला :– बच्चे का अकसर हिस्सा बाहर आचुका तो रजअ्त नहीं कर सकता मगर दूसरे से निकाह उस वक़्त हलाल होगा कि पूरा बच्चा पैदा हो ले। (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– मौत के बाद अगर हमल क़रार पाया तो इद्दत वज़अ़े हमल से न होगी बल्कि दिनों से(जौहरा)

मसअ्ला :– बारह बरस से कम उम्र वाले का इन्तिक़ाल हुआ और उस की औरत के छः महीने से कम के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो इद्दत वज़अ़े हमल है और छः महीने या ज़ाइद में हुआ तो चार महीने दस दिन और नसब बहर हाल साबित न होगा और अगर शौहर मुराहिक़ हो तो दोनों सूरत में वज़अ़े हमल से इद्दत पूरी होगी और बच्चा साबितुन्नसब है (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स ख़स्सी था उस का इन्तिक़ाल हुआ और उस की औरत हामिला है या मरने के बाद हामिला होना मालूम हुआ तो इद्दत वज़अ़े हमल है और बच्चा साबितुन्नसब है (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत को तलाक़े रजई दी थी और इद्दत में मरगया तो औरत मौत की इद्दत पूरी करे और तलाक़ की इद्दत जाती रही ख़्वाह सेहत की हालत में तलाक़ दी हो या मर्ज़ में और अगर बाइन तलाक़ दी थी या तीन तो तलाक़ की इद्दत पूरी करे जब कि सेहत में तलाक़ दी हो और अगर मर्ज़ में दी हो तो दोनों इद्दतें पूरी करे यानी चार महीने दस दिन में तीन हैज़ पूरे हो चुके तो इद्दत पूरी हो चुकी और अगर तीन हैज़ पूरे हो चुके हैं मगर चार महीने दस दिन पूरे न हुए तो उन को पूरा करे और अगर यह दिन पूरे हो गये मगर अभी तीन हैज़ न हुए तो उन के पूरे होने का इन्तिज़ार करे।(आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– औरत कनीज़ थी उसे रजई तलाक़ दी और इद्दत के अन्दर आज़ाद हो गई तो हुर्रा की इद्दत पूरी करे यानी तीन हैज़ या तीन महीने और तलाक़े बाइन या मौत की इद्दत में आज़ाद हुई तो बाँदी की इद्दत यानी दो हैज़ या डेढ़ महीना या दो महीना पाँच दिन (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत कहती है कि इद्दत पूरी हो चुकी अगर इतना ज़माना गुज़रा है कि पूरी हो सकती है तो क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है और अगर इतना ज़माना नहीं गुज़रा तो नहीं महीनों से इद्दत हो जब तो ज़ाहिर है कि उतने दिन गुज़रने पर इद्दत हो चुकी और हैज़ से हो तो आज़ाद औरत के लिए कम अज़ कम साठ दिन हैं और लौन्डी के लिए चालीस बल्कि एक रिवायत में हुर्रा के लिए उन्तालीस दिन कि तीन हैज़ की कम से कम मुद्दत नौ दिन है और दो तुहर की तीस दिन और बान्दी के लिए इक्कीस दिन कि दो हैज़ के छः दिन और एक तोहर दरमियान का पन्द्रह दिन (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुतल्लक़ा कहती है कि इद्दत पूरी हो गई कि हमल था साक़ित हो गया अगर हमल की मुद्दत इतनी थी कि अअ्ज़ा बन चुके थे तो मान लिया जायेगा वरना नहीं मसलन निकाह से एक महीने बाद तलाक़ दी और तलाक़ के एक माह बाद हमल साक़ित होना बताती है तो इद्दत पूरी न हुई कि बच्चे के अअ्ज़ा चार माह में बनते हैं (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– अपनी औरत मुतल्लक़ा से इद्दत में निकाह किया और क़ब्ले वती तलाक़ देदी तो पूरा महर वाजिब होगा और सिरे से इद्दत बैठे **यूहीं अगर** पहला निकाह फ़ासिद था और दुख़ूल के बाद तफ़रीक़ हुई और इद्दत के अन्दर निकाहे सहीह कर के तलाक़ देदी या दुख़ूल के बाद कफ़ू न होने की वजह से तफ़रीक़ हुई फिर निकाह कर के तलाक़ दी या नाबालिग़ा से निकाह कर के वती की

फिर तलाक़ दी और इद्दत के अन्दर निकाह किया अब वह लड़की बालिग़ा हुई और अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या नाबालिग़ा से निकाह करके वती की फिर लड़की ने बालिग़ा होकर अपने को इख़्तियार किया और इद्दत के अन्दर फिर उस से निकाह किया और क़ब्ल दुख़ूल तलाक़ देदी इन सब सूरतों में दूसरे निकाह का पूरा महर और तलाक़ के बाद इद्दत वाजिब है अगर्चे दूसरे निकाह के बाद वती नहीं हुई कि निकाह अव्वल की वती निकाहे सानी में भी वती क़रार दी जायेगी(दुर्रे मुख़्तार, रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– बच्चा पैदा होने के बाद औरत को तलाक़ दी तो जबतक उसे तीन हैज़ न आलें दूसरे से निकाह नहीं कर सकती या सिन्ने अयास को पहुँचकर महीनों से इद्दत पूरी करे अगर्चे बच्चा पैदा होने से क़ब्ल उसे हैज़ न आया हो (दुर्रे मुख़्तार)

सोग का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

तर्जमा :– "और तुम पर गुनाह नहीं उस में कि इशारतन औरतों के निकाह का पैग़ाम दो या अपने दिल में छुपा रखो अल्लाह को मालूम है कि तुम उन की याद करोगे हाँ उन से ख़ुफ़िया वअ्दा मत करो मगर यह कि उतनी ही बात करो। जो शरअ् के मुवाफ़िक़ है। और अक़्द निकाह का पक्का इरादा न करो जब तक किताब का हुक्म अपनी मीआ़द को न पहुँच जाये और जान लो कि अल्लाह उस को जानता है जो तुम्हारे दिलों में है तो उस से डरो और जान लो कि अल्लाह बख़्शने वाला हिल्म वाला है"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन उम्मे सल्मा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से मरवी कि एक औरत ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ की कि मेरी बेटी के शौहर की वफ़ात होगई (यानी वह इद्दत में है)और उस की आँखें दुखती हैं क्या उसे सुर्मा लगायें इरशाद फ़रमाया नहीं दो या तीन बार यही फ़रमाया कि नहीं फिर फ़रमाया कि यह तो यही चार महीने दस दिन हैं और जाहिलियत में तो एक साल गुज़रने पर मेंगनी फेंका करती थी। (यह जाहिलियत की रस्म थी कि साल भर की इद्दत एक झोंपड़े में गुज़ारती और निहायत मैले कुचैले कपड़े पहनती जब साल पूरा होता तो वहाँ से मेंगनी फेंकती हुई निकलती और अब इद्दत पूरी होती)

हदीस न.2. :– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन उम्मे हबीबा व उम्मुलमोमिनीन ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया जो औरत अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखती है उसे यह हलाल नहीं कि किसी मय्यत पर तीन रातों से ज़्यादा सोग करे मगर शौहर पर कि चार महीने दस दिन सोग करे।

हदीस न.3 :– उम्मे अतिया रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला

अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई औरत किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न करे मगर शौहर पर चार महीने दस दिन सोग करे और रंगा हुआ कपड़ा न पहने मगर वह कपड़ा कि बुनने से पहले उस का सूत जगह जगह बाँधकर रंगते हैं और सुर्मा न लगाये और न खुश्बू छूये मगर जब हैज़ से पाक हो तो थोड़ा सा क़ुस्त इस्तिअ्माल कर सकती है और अबू दाऊद की रिवायत में यह भी है कि मेहन्दी न लगाये।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद व निसाई ने उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिस औरत का शौहर मरगया है वह न कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहने और न गेरू का रंगा हुआ और न ज़ेवर पहने और न मेहन्दी लगाये और न सुर्मा

हदीस न.5 :– अबू दाऊद व निसाई उन्हीं से रावी कि जब शौहर अबू सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई हुज़ूर मेरे पास तशरीफ़ लाये उस वक़्त मैंने मिसबर(एलुवा)लगा रखा था फ़रमाया उम्मे सलमा यह क्या है मैंने अर्ज़ की यह एलुवा है उस में ख़ुश्बू नहीं फ़रमाया उस से चेहरे में खुबसूरती पैदा होती है अगर लगाना ही है तो रात में लगा लिया करो और दिन में साफ़ करडाला करो और खुश्बू और मेहन्दी से बाल न संवारो मैंने अर्ज़ की तो कंघा करने के लिए क्या चीज़ सर पर लगाऊँ फ़रमाया कि बेरी के पत्ते सर पर थोप लिया करो फिर कंघा करो।

हदीस न.6 :– हज़रते अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु की बहन के शौहर को उन के गुलामों ने क़त्ल कर डाला था वह हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करती हैं कि मुझे मैके में इद्दत गुज़ारने की इजाज़त दी जाये कि मेरे शौहर ने कोई अपना मकान नहीं छोड़ा और न ख़र्च छोड़ा। इजाज़त देदी फिर बुलाकर फ़रमाया उसी घर में रहो जिस में रहती हो जब तक इद्दत पूरी न हो लिहाज़ा उन्होंने चार माह दस दिन उसी मकान में पूरे किए।

मसअ्ला :– सोग के यह मअ्ना हैं कि ज़ीनत को तर्क करे यानी हर क़िस्म के ज़ेवर चाँदी सोने जवाहिर वग़ैरहा के और हर क़िस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगर्चे सियाह हों न पहने और खुश्बू का बदन या कपड़ों में इस्तिअ्माल न करे और तेल का इस्तिअ्माल करे अगर्चे उस में खुश्बू न हो जैसे रोग़ने ज़ैतून और कंघा करना और सियाह सुर्मा लगाना यूँहीं सफ़ेद खुश्बू लगाना और मेहन्दी लगाना और ज़अ्फ़रान या कुसुम या गेरू का रंगा हुआ या सुर्ख़ रंग का कपड़ा पहनना मनअ् हैं इन सब चीज़ों का तर्क वाजिब है (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी) यूँहीं पुड़िया का रंग गुलाबी, धानी, चम्पई, और तरह तरह के रंग जिन में तज़ैयुन (श्रंगार) होता है सब को तर्क करे।

मसअ्ला :– जिस कपड़े का रंग पुराना हो गया कि अब उसका पहनना ज़ीनत नहीं उसे पहन सकती है यूँही सियाह रंग के कपड़े में भी हर्ज नहीं जब्कि रेशम के न हों (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उज़्र की वजह से इन चीज़ों का इस्तिमाल कर सकती है मगर इस हाल में उसका इस्तिमाल ज़ीनत के क़स्द से न हो मसलन सर के दर्द की वजह से तेल लगा सकती है या तेल लगाने की आदी है जानती है कि न लगाने में दर्दे सर हो जायेगा तो लगाना जाइज़ है या दर्दे सर के वक़्त कंघा कर सकती है मगर उस तरफ़ से जिधर के दन्दाने मोटे हैं उधर से नहीं जिधर बारीक हों कि यह बाल संवारने के लिए होते हैं और यह ममनूअ् है या सुर्मा लगाने की ज़रूरत है

कि आँखों में दर्द है या ख़ारिश्त (खुजलाहट) है तो रेश्मी कपड़े पहन सकती है या उस के पास और कपड़ा नहीं है तो यही रेश्मी या रंगा हुआ पहने मगर यह ज़रूर है कि उन की इजाज़त ज़रूरत के वक़्त है लिहाज़ा बक़द्रे ज़रूरत इजाज़त है ज़रूरत से ज़्यादा ममनूअ् मसलन आँख की बीमारी में सुर्मा लगाने की ज़रूरत हो तो यह लिहाज़ ज़रूरी है कि स्याह सुर्मा उस वक़्त लगा सकती है जब सफ़ेद सुर्मा से काम न चले और अगर सिर्फ़ रात में लगाना काफ़ी है तो दिन में लगाने की इजाज़त नहीं (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सोग उस पर है जो आक़िला, बालिग़ा, मुसलमान हो और मौत या तलाक़ बाइन की इद्दत हो अगर्चे औरत बान्दी हो शौहर के इन्नीन होने या अज़्वे तनासुल के कटे होने की वजह से फ़ुर्क़त हुई तो उस की इद्दत में भी सोग वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– तलाक़ देने वाला सोग करने से मनअ् करता है या शौहर ने मरने से पहले कह दिया था कि सोग न करना जब भी सोग करना वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ा व मजनूना व काफ़िरा पर सोग नहीं हाँ अगर इसनाए इद्दत (इद्दत के दरमियान) में नाबालिग़ा बालिग़ा हुई मजनूना का जुनून जाता रहा और काफ़िरा मुसलमान होगई तो जो दिन बाक़ी रह गये हैं उन में सोग करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उम्मे वलद को उस के मौला ने आज़ाद कर दिया मौला का इन्तिक़ाल हो गया तो इद्दत बैठेगी मगर उस इद्दत में सोग वाजिब नहीं यूँहीं निकाहे फ़ासिद और वती बिश्शुबह और तलाक़े रजई की इद्दत में सोग नहीं। (जौहरा आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी क़रीब के मरजाने पर औरत को तीन दिन तक सोग करने की इजाज़त है उस से ज़ाइद की नहीं और औरत शौहर वाली हो तो शौहर उस से भी मनअ् कर सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी के मरने के ग़म में स्याह कपड़े पहनना जाइज़ नहीं मगर औरत को तीन दिन तक शौहर के मरने पर ग़म की वजह से स्याह कपड़े पहनना जाइज़ है और स्याह कपड़े ग़म ज़ाहिर करने के लिए न हों तो मुतलक़न जाइज़ हैं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इद्दत के अन्दर चार पाई पर सो सकती है कि यह ज़ीनत में दाख़िल नहीं।

मसअ्ला :– जो औरत इद्दत में हो उस के पास सराहतन निकाह का पैग़ाम देना हराम है अगर्चे निकाहे फ़ासिद या इत्क़ की इद्दत में हो और मौत की इद्दत हो तो इशारतन कह सकते हैं और तलाक़े रजई या बाइन या फ़स्ख़ की इद्दत में इशारतन भी नहीं कह सकते और वती बिश्शुबह या निकाहे फ़ासिद की इद्दत में इशारतन कह सकते हैं इशारातन कहने की सूरत यह है कि कहे मैं निकाह करना चाहता हूँ मगर यह न कहे कि तुझ से वरना सराहतन हो जायेगी या कहे मैं ऐसी औरत से निकाह करना चाहता हूँ जिस में यह यह वस्फ़ हों और वह औसाफ़ बयान करे जो उस औरत में हैं या मुझे तुझ जैसी कहाँ मिलेगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो औरत तलाक़े रजई या बाइन की इद्दत में है या किसी वजह से फ़ुर्क़त हुई अगर्चे शौहर के बेटे का बोसा लेने से और उस की इद्दत में हो या खुलअ् की इद्दत में हो अगर्चे नफ़्क़ा–ए–इद्दत पर खुलअ् हुआ हो या उस पर खुलअ् हुआ कि इद्दत में शौहर के मकान में न

रहेगी तो उन औरतों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं न दिन में न रात में जब कि आज़ाद हों या लोन्डी हो जो शौहर के पास रहती है और आक़िला, बालिग़ा, मुस्लिमा हो अगर्चे शौहर ने उसे बाहर निकलने की इजाज़त भी दी हो **और नाबालिग़ा** लड़की तलाक़े रजई की इद्दत में शौहर की इजाज़त से बाहर जा सकती है और बग़ैर इजाज़त नहीं **और नाबालिग़ा** बाइन तलाक़ की इद्दत में इजाज़त व बे इजाज़त दोनों सूरतों में जा सकती है हाँ अगर क़रीबुलबुलूग़ (बालिग़ होने के क़रीब)है तो बग़ैर इजाज़त नहीं जा सकती **और औरत** पगली या बोहरी या किताबिया है तो जा सकती है मगर शौहर को मनअ् करने का हक़ है मर्द व औरत मजूसी थे शौहर मुसलमान हो गया और औरत ने इस्लाम लाने से इन्कार किया और फ़ुर्क़त हो गई और मदख़ूला थी लिहाज़ा इद्दत भी वाजिब हुई तो इद्दत के अन्दर उस का शौहर निकलने से मनअ् कर सकता है **मौला** ने उम्मे वलद को आज़ाद किया तो उस इद्दत में बाहर जा सकती है **और निकाहे** फ़ासिद की इद्दत में निकलने की इजाज़त है मगर शौहर मनअ् कर सकता है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चन्द मकान का एक सिहन हो और वह सब मकान शौहर के हों तो सिहन में आ सकती है औरों के हों तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर किराये के मकान में रहती थी जब भी मकान बदलने की इजाज़त नहीं शौहर के ज़िम्मे ज़माना–ए–इद्दत का किराया है और शौहर ग़ाइब है और औरत खुद किराया दे सकती है जब भी उसी में रहे (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मौत की इद्दत में अगर बाहर जाने की हाजत हो कि औरत के पास बक़द्र किफ़ायत माल नहीं और बाहर जाकर मेहनत मज़दूरी कर के लायेगी तो काम चलेगा तो उसे इजाज़त है कि दिन में और रात के कुछ हिस्से में बाहर जाये और रात का अकसर हिस्सा अपने मकान में गुज़ारे मगर हाजत से ज़्यादा बाहर ठहरने की इजाज़त नहीं और अगर बक़द्र किफ़ायत उस के पास ख़र्च मौजूद है तो उसे भी घर से निकलना मुतलक़न मनअ् है और अगर ख़र्च मौजूद है मगर बाहर न जाये तो कोई नुक़सान पहुँचेगा मसलन ज़राअत का कोई देखने भालने वाला नहीं और कोई ऐसा नहीं जिसे उस काम पर मुक़र्रर करे तो उस के लिए भी जा सकती है मगर रात को उसी घर में रहना होगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार) यूँहीं कोई सौदा लाने वाला न हो तो उस के लिए भी जा सकती है।

मसअला :– मौत या फ़ुर्क़त के वक़्त जिस मकान में औरत की सुकूनत थी उसी मकान में इद्दत पूरी करे और यह जो कहा गया है कि घर से बाहर नहीं जा सकती उस से मुराद यही घर है और उस घर को छोड़ कर दूसरे मकान में भी सुकूनत नहीं कर सकती मगर बज़रूरत और ज़रूरत की सूरतें हम आगे लिखेंगे आज कल मामूली बातों को जिस की कुछ हाजत न हो महज़ तबीअत की ख़्वाहिश को ज़रूरत बोला करते हैं वह यहाँ मुराद नहीं बल्कि ज़रूरत वह है कि उस के बग़ैर चारा न हो।

मसअला :– औरत अपने मैके गई थी या किसी काम के लिए कहीं और गई थी उस वक़्त शौहर ने तलाक़ दी या मरगया तो फ़ौरन बिला तवक़्क़ुफ़ वहाँ से वापस आये (आलमगीरी)

मसअला :– जिस मकान में इद्दत गुज़ारना वाजिब है उस को छोड़ नहीं सकती मगर उस वक़्त कि

उसे कोई निकाल दे मसलन तलाक़ की इद्दत में शौहर ने घर में से उस को निकाल दिया या किराये का मकान है और इद्दत इद्दते वफ़ात है मालिके मकान कहता है कि किराया दे या मकान ख़ाली कर और उस के पास किराया नहीं या वह मकान शौहर का है मगर उस के हिस्से में जितना पहुँचा वह क़ाबिले सुकूनत नहीं और वुरसा अपने हिस्सा में उसे रहने नहीं देते या किराया माँगते हैं और पास किराया नहीं। या मकान ढह रहा हो या ढहने का ख़ौफ़ हो या चोरों का ख़ौफ़ हो माल तल्फ़ हो जानेका अन्देशा है या आबादी के किनारे मकान है और माल वग़ैरा का अन्देशा है तो इन सूरतों में मकान बदल सकती है और अगर किराये का मकान हो और किराया दे सकती है या वुरसा को किराया दे कर रह सकती है तो उसी में रहना लाज़िम है और अगर हिस्सा इतना मिला कि उस के रहने के लिए काफ़ी है तो उसी में रहे और दीगर वुरसा–ए–शौहर जिन से पर्दा फ़र्ज़ है उन से पर्दा करे और अगर उस मकान में न चोर का ख़ौफ़ है न पड़ोसियों का मगर उस में कोई और नहीं है और तन्हा रहते ख़ौफ़ करती है तो अगर ख़ौफ़ ज़्यादा हो मकान बदलने की इजाज़त है वरना नहीं और तलाक़े बाइन की इद्दत है और शौहर फ़ासिक़ है और कोई वहाँ ऐसा नहीं कि अगर उस की नियत बद हो तो रोक सके ऐसी हालत में मकान बदल दे(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअला :– वफ़ात की इद्दत में अगर मकान बदलना पड़े तो उस मकान से जहाँ तक क़रीब का मयस्सर आ सके उसे ले और इद्दत तलाक़ की हो तो जिस मकान में शौहर उसे रखना चाहे और अगर शौहर ग़ाइब है तो औरत को इख़्तियार है (आलमगीरी)

मसअला :– जब मकान बदला तो दूसरे मकान का वही हुक्म है जो पहले का था यानी अब उस मकान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मगर इद्दते वफ़ात में बवक़्ते हाजत बक़द्रे हाजत जिस का ज़िक्र पहले हो चुका। (आलमगीरी)

मसअला :– तलाक़े बाइन की इद्दत में यह ज़रूरी है कि शौहर व औरत में पर्दा हो यानी किसी चीज़ से आड़ करदी जाये कि एक तरफ़ शौहर रहे और दूसरी तरफ़ औरत। औरत का उसके सामने अपना बदन छुपाना काफ़ी नहीं उस वास्ते कि औरत अब अजनबिया है और अजनबिया से ख़लवत जाइज़ नहीं बल्कि यहाँ फ़ितना का ज़्यादा अन्देशा है और अगर मकान में तंगी हो इतना नहीं कि दोनों अलग अलग रह सकें तो शौहर उतने दिनों तक मकान छोड़ दे यह न करे कि औरत को दूसरे मकान में भेजदे और खुद उस में रहे कि औरत को मकान बदलने की बग़ैर ज़रूरत इजाज़त नहीं **और अगर** शौहर फ़ासिक़ हो तो उसे हुक्मन उस मकान से अलाहिदा कर दिया जाये और अगर न निकले तो उस मकान में कोई सिक़ा औरत रखदीजाये जो फ़ितना के रोकने पर क़ादिर हो और अगर रजई की इद्दत हो तो पर्दा की कुछ हाजत नहीं अगर्चे शौहर फ़ासिक़ हो कि यह निकाह से बाहर न हुई (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– तीन तलाक़ की इद्दत का भी वही हुक्म है जो तलाक़ बाइन की इद्दत का है ज़न व शौहर अगर बुढ़िया बूढ़े हों और फ़ुर्क़त वाक़ेअ् हुई और उन की औलादें हों जिन की मुफ़ारिक़त(जुदाई) गवारा न हो तो दोनों एक मकान में रह सकते हैं जब कि मियाँ बीवी की तरह न रहते हों(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सफ़र में शौहर ने तलाक़े बाइन दी या उस का इन्तिक़ाल हुआ अब वह जगह शहर है या नहीं और वहाँ से जहाँ जाना है मुद्दते सफ़र है या नहीं और बहर सूरत मकान मुद्दते सफ़र है या

नहीं अगर किसी तरफ़ मुसाफ़ते सफ़र न हो तो औरत को इख़्तियार है वहाँ जाये या घर वापस आये उसके साथ महरम हो या न हो मगर बेहतर यह है कि घर वापस आये और अगर एक तरफ़ मुसाफ़ते सफ़र है दूसरी तरफ़ नहीं तो जिधर मुसाफ़ते सफ़र न हो उस को इख़्तियार करे और अगर दोनों तरफ़ मुसाफ़ते सफ़र है और वहाँ आबादी न हो तो इख़्तियार है जाये या वापस आये साथ में महरम हो या न हो और बेहतर घर वापस आना है और अगर उस वक़्त शहर में है तो वहीं इद्दत पूरी करे महरम या बग़ैर महरम न इधर आ सकती है न उधर जासकती और अगर उस वक़्त जंगल में है मगर रास्ता में गाँव या शहर मिलेगा और वहाँ ठहर सकती है कि माल या आबरू का अन्देशा नहीं और ज़रूरत की चीज़ें वहाँ मिलती हों तो वहीं इद्दत पूरी करे फिर महरम के साथ वहाँ से सफ़र करे (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को इद्दत में शौहर सफ़र में नहीं लेजा सकता अगर्चे वह रजई की इद्दत हो(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रजई की इद्दत के वही अहकाम हैं जो बाइन के हैं मगर उस के लिए सोग नहीं और सफ़र में रजई तलाक़ दी तो शौहर के साथ रहे और किसी तरफ़ मुसाफ़ते सफ़र है तो उधर नहीं जा सकती (दुर्रे मुख़्तार)

सुबूते नसब का बयान

हदीस में फ़रमाया बच्चा उस के लिए है जिस का फ़िराश है यानी औरत जिस की मनकूहा या कनीज़ हो) और ज़ानी के लिए पत्थर है।

मसअ्ला :– हमल की मुद्दत कम से कम छः महीने है और ज़्यादा से ज़्यादा दो साल लिहाज़ा जो औरत तलाक़े रजई की इद्दत में है और इद्दत पूरी होने का औरत ने इक़रार न किया हो और बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और अगर इद्दत पूरी होने का इक़रार किया और वह मुद्दत इतनी है कि उस में इद्दत पूरी हो सकती है और वक़्ते इक़रार से छः महीने के अन्दर बच्चा पैदा हुआ जब भी नसब साबित है कि बच्चा पैदा होने से मालूम हुआ कि औरत का इक़रार ग़लत था और उन दोनों सूरतों में विलादत से साबित हुआ कि शौहर ने रजअ़त कर ली है जबकि वक़्त से पूरे दो बरस या ज़्यादा हमल में बच्चा पैदा हुआ और वह दो बरस से कम में पैदा हुआ तो रजअ़त साबित न हुई मुमकिन है कि तलाक़ देने से पहले का हमल हो और अगर वक़्ते इक़रार से छः महीने पर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित नहीं यूँहीं तलाक़ बाइन या मौत की इद्दत पूरी होने का औरत ने इक़रार किया और वक़्ते इक़रार से छः महीने से कम में बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है वरना नहीं(दुर्रे मुख़्तार,आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– जिस औरत को बाइन तलाक़ दी और वक़्ते तलाक़ से दो बरस के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और दो बरस के बाद पैदा हुआ तो नहीं मगर जबकि शौहर उस बच्चा की निस्बत कहे कि यह मेरा है या एक बच्चा दो बरस के अन्दर पैदा हुआ दूसरा बाद में तो दोनों का नसब साबित हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्ते निकाह से छः महीने के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित नहीं और छः महीने या ज़्यादा पर हुआ तो साबित है जबकि शौहर इक़रार करे या सुकूत और अगर कहता है कि बच्चा पैदा न हुआ तो एक औरत की गवाही से विलादत साबित हो जायेगी और अगर शौहर ने कहा था कि जब तू जने तो तुझ को तलाक़ और औरत बच्चा पैदा होना बयान करती है और शौहर

इन्कार करता है तो दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की गवाही से तलाक़ साबित होगी तन्हा जनाई की शहादत नाकाफ़ी है **यूँहीं अगर शौहर** ने हमल का इक़रार किया था या हमल ज़ाहिर था जब भी तलाक़ साबित है और नसब साबित होने के लिए फ़क़त जनाई का क़ौल काफ़ी है (जौहरा)और अगर दो बच्चे पैदा हुए एक छः महीने के अन्दर दूसरा छः महीने पर या छः महीने के बाद तो दोनों में किसी का नसब साबित नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– निकाह में जहाँ नसब साबित होना कहा जाता है वहाँ कुछ यह ज़रूरी नहीं कि शौहर दअ्वा करे तो नसब होगा बल्कि सुकूत से भी नसब साबित होगा और अगर इन्कार करे तो नफ़ी न होगी जब तक लिआन न हो और अगर किसी वजह से लिआन न हो सके जब भी साबित होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नाबालिग़ा को उस के शौहर ने बादे दुख़ूल तलाक़े रजई दी और उस ने हामिला होना ज़ाहिर किया तो अगर सत्ताईस महीने के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो साबितुन्नसब है और तलाक़ बाइन में दो बरस के अन्दर होगा तो साबित है वरना नहीं **और अगर** उस ने इद्दत पूरी होने का इक़रार किया है तो वक़्ते इक़रार से छः महीने के अन्दर होगा तो साबित है वरना नहीं **और अगर** न हामिला होना ज़ाहिर किया न इद्दत पूरी होने का इक़रार किया बल्कि सुकूत किया तो वही हुक्म है जो इद्दत पूरी होने के इक़रार का है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर के मरने के वक़्त से दो बरस के अन्दर बच्चा पैदा होगा तो नसब साबित है वरना नहीं यही हुक्म सग़ीरा का है जबकि हमल का इक़रार करती हो और अगर औरत सग़ीरा है जिस ने हमल का इक़रार किया न इद्दत पूरी होने का और दस महीने दस दिन से कम में हुआ तो साबित है वरना नहीं और अगर इद्दत पूरी होने का इक़रार किया और वक़्ते इक़रार यानी चार महीने दस दिन के बाद अगर छः महीने के अन्दर पैदा हुआ तो साबित है वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत ने इद्दते वफ़ात में पहले यह कहा मुझे हमल नहीं फिर दूसरे दिन कहा हमल है तो उस का क़ौल मान लिया जायेगा और अगर चार महीने दस दिन पूरे होने पर कहा कि हमल नहीं है फिर हमल ज़ाहिर किया तो उस का क़ौल नहीं माना जायेगा मगर जबकि शौहर की मौत से छः महीने के अन्दर बच्चा पैदा हो तो उस का वह इक़रार कि इद्दत पूरी हो गई बातिल समझा जायेगा (ख़ानिया)

मसअ्ला :– तलाक़ या मौत के बाद दो बरस के अन्दर बच्चा पैदा हुआ और शौहर या उस के वुरसा बच्चा पैदा होने से इन्कार करते हैं और औरत दअ्वा करती है तो अगर हमल ज़ाहिर था या शौहर ने हमल का इक़रार किया था तो विलायत साबित है अगर्चे जनाई भी शहादत न दे और वह साबितुन्नसब है और अगर न हमल था न शौहर ने हमल का इक़रार किया था तो उस वक़्त साबित होगा कि दो मर्द या एक मर्द दो औरत गवाही दें और मर्द किस तरह गवाही देंगे उस की सूरत यह है कि औरत तन्हा मकान में गई और उस मकान में कोई ऐसा बच्चा न था और बच्चा लिए हुए बाहर आई या मर्द की निगाह अचानक पड़गई देखा कि उस के बच्चा पैदा हो रहा है और क़स्दन निगाह की तो फ़ासिक़ है और उस की गवाही मरदूद (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर बच्चा पैदा होने का इक़रार करता है मगर कहता है कि यह बच्चा नहीं है तो उस के सुबूत के लिए जनाई की शहादत काफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– इद्दते वफ़ात में बच्चा पैदा हुआ और बाज़ वुरसा ने तस्दीक़ की तो उस के हक़ में नसब साबित हो गया फिर अगर यह आदिल है और उसके साथ किसी और वारिस क़ाबिले शहादत ने भी तस्दीक़ की या किसी अजनबी ने शहादत दी तो वुरसा और गैर सब के हक़ में नसब साबित हो गया यानी मसलन अगर उस लड़के ने दअ्वा किया कि मेरे बाप के फ़ुलाँ शख़्स पर इतने रुपये दैन हैं तो दअ्वा सुनने के लिए उसकी हाजत नहीं कि वह अपना नसब साबित करे और अगर तन्हा एक वारिस तस्दीक़ करता है या चन्द हों मगर वह आदिल न हों तो फ़क़त उन के हक़ में साबित है औरों के हक़ में साबित नहीं यानी मसलन अगर दीगर वुरसा उस सूरत में इन्कार करते हों तो औलाद होने की वजह से उन के हिस्से में कोई कमी न होगी और वारिस अगर तस्दीक़ करें तो उन के लिए इक़रार करने में लफ़्ज़े शहादत और मज्लिसे क़ाज़ी वग़ैरा कुछ शर्त नहीं मगर औरों के हक़ में उन का इक़रार उस वक़्त माना जायेगा जब आदिल हों हाँ अगर उस वारिस के साथ कोई गैर वारिस है तो उस का फ़क़त यह कह देना काफ़ी न होगा कि यह फ़ुलाँ का लड़का है बल्कि लफ़्ज़े शहादत और मज्लिसे हुक्म वग़ैरा वह सब उमूर जो शहादत में शर्त हैं उस के लिए शर्त हैं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चा पैदा हुआ औरत कहती है कि निकाह को छः महीने या ज़ाइद का अर्सा गुज़रा और मर्द कहता है कि छः महीने नहीं हुए तो औरत को क़सम खिलायें क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है और शौहर या उस के वुरसा गवाह पेश करना चाहें तो गवाह न सुने जायें (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी लड़के की निस्बत कहा यह मेरा बेटा है और उस शख़्स का इन्तिक़ाल हो गया और उस लड़के की माँ जिस का हुर्रा व मुस्लिमा होना मालूम है यह कहती है कि मैं उस की औरत हूँ और यह उस का बेटा तो दोनों वारिस होंगे और अगर औरत का आज़ाद होना मशहूर न हो या पहले वह बान्दी थी और अब आज़ाद है और यह नहीं मालूम कि उलूक़ के वक़्त आज़ाद थी या नहीं और वुरसा कहते हैं तू उस की उम्मे वलद थी तो वारिस न होगी यूँहीं अगर वुरसा कहते हैं कि तू उस के मरने के वक़्त नसरानिया थी और उस वक़्त उस औरत का मुसलमान होना मशहूर नहीं है जब भी वारिस न होगी (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– औरत का बच्चा ख़ुद औरत के क़ब्ज़ा में है शौहर के क़ब्ज़े में नहीं उस की निस्बत औरत यह कहती है कि यह लड़का मेरे पहले शौहर से है उस के पैदा होने के बाद मैंने तुझ से निकाह किया और शौहर कहता है कि मेरा है मेरे निकाह में पैदा हुआ तो शौहर का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअला :– किसी औरत से ज़िना किया फिर उस से निकाह किया और छः महीने या ज़ाइद में बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और कम में हुआ तो नहीं अगर्चे शौहर कहे कि यह ज़िना से मेरा बेटा है (आलमगीरी)

मसअला :– नसब का सुबूत इशारे से भी हो सकता है अगर्चे बोलने पर क़ादिर हो (आलमगीरी)

मसअला :– किसी ने अपने नाबालिग़ लड़के का निकाह किसी औरत से कर दिया और लड़का इतना छोटा है कि न जिमाअ् कर सकता है न उस से हमल हो सकता है और औरत के बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित नहीं और अगर लड़का मुराहिक़ है और उस की औरत से बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी कनीज़ से वती करता है और बच्चा पैदा हुआ तो उस का नसब उस वक़्त साबित होगा कि यह इक़रार करे कि मेरा बच्चा है और वह लौन्डी उम्मे वलद होगई अब उस के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उन में इक़रार की हाजत नहीं मगर यह ज़रूर है कि नफ़ी करने से मुन्तफ़ी(ख़त्म)हो जायेगा मगर नफ़ी से उस वक़्त मुन्तफ़ी होगा कि ज़्यादा ज़माना न गुज़रा हो न क़ाज़ी ने उस के नसब का हुक्म दे दिया हो और उन में कोई बात पाई गई तो नफ़ी नहीं हो सकती और मुदब्बरा के बच्चा का नसब भी इक़रार से साबित होगा मन्कूहा के बच्चा का नसब साबित होने के लिए इक़रार की हाजत नहीं बल्कि इन्कार की सूरत में लिआन करना होगा और जहाँ लिआन नहीं वहाँ इन्कार से भी काम न चलेगा (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

बच्चा की परवरिश का बयान

इमाम अहमद व अबूदाऊद अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि एक औरत ने हुज़ूर से अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा यह लड़का है मेरा पेट उस के लिए ज़र्फ़ था और मेरे पिस्तान उस के लिए मश्क और मेरी गोद उस की मुहाफ़िज़ थी और उस के बाप ने मुझे तलाक़ देदी और अब उस को मुझ से छीनना चाहता है हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया तू ज़्यादा हक़दार है जब तक तू निकाह न करे सहीहैन में बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि सुल्हे हुदैबिया के बाद दूसरी साल में जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उमरा–ए– क़ज़ा से फ़ारिग़ हो कर मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हुए तो हज़रत हम्ज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु की साहबज़ादी चचा चचा कहती पीछे होलीं हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें ले लिया और हाथ पकड़ लिया फिर हज़रत अली व ज़ैद इब्ने हारिस व जअ्फ़र तय्यार रदियल्लाहु तआला अन्हुम में हर एक ने अपने पास रखना चाहा हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैंने ही उसे लिया और मेरे चचा की लड़की है और हज़रत जअ्फ़र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मेरे चचा की लड़की है और उस की ख़ाला मेरी बीवी है और हज़रत ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मेरे (रज़ाई)भाई की लड़की है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लड़की ख़ाला को दिलवाई और फ़रमाया कि ख़ाला बमन्ज़िला माँ के है और हज़रत अली से फ़रमाया कि तुम मुझ से हो और मैं तुम से और हज़रत जअ्फ़र से फ़रमाया कि तुम मेरी सूरत और सीरत में मुशाबह हो और हज़रत ज़ैद से फ़रमाया कि तुम हमारे भाई और हमारे मौला (आज़ाद किये हुए) हो।

मसअला :– बच्चा की परवरिश का हक़ माँ के लिए है ख़्वाह वह निकाह में हो या निकाह से बाहर होगई हो हाँ अगर वह मुर्तद हो गई तो परवरिश नहीं कर सकती या किसी फ़िस्क़ में मुब्तला है

जिस की वजह से बच्चे की तरबियत में फ़र्क़ आये मसलन ज़ानिया या चोर या नोहा करने वाली है तो उस की परवरिश में न दिया जाये बल्कि बाज़ फ़ुक़हा ने फ़रमाया अगर वह नमाज़ की पाबन्द नहीं तो उसकी परवरिश में भी न दिया जाये मगर ज़्यादा सहीह यह है कि उस की परवरिश में उस वक़्त तक रहेगा कि ना समझ हो जब कुछ समझने लगे तो अलाहिदा करलें कि बच्चा माँ को देखकर वही आदत इख़्तियार करेगा जो उस की है यूँहीं माँ की परवरिश में उस वक़्त भी न दिया जाये जबकि ज़्यादातर बच्चे को छोड़ कर इधर उधर चली जाती हो अगर्चे उसका जाना किसी गुनाह के लिए न हो मसलन वह औरत मुर्दे नहलाती है या जनाई है या और कोई ऐसा काम करती है जिस की वजह से उसे अकसर घर से बाहर जाना पड़ता है या वह औरत कनीज़ या उम्मे वलद या मुदब्बर हो या मुकातिबा हो जिस से क़ब्ले अक़्दे किताबत बच्चा पैदा हुआ जब कि वह बच्चा आज़ाद हो और अगर आज़ाद न हो तो हक़्क़े परवरिश मौला के लिए है कि उस की मिल्क है मगर अपनी माँ से जुदा न किया जाये (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार वग़ैरहा)

मसअला :– अगर बच्चे की माँ ने बच्चा के ग़ैर महरम से निकाह कर लिया तो उसे परवरिश का हक़ न रहा और उस के महरम से निकाह किया तो हक़्क़े परवरिश बातिल न हुआ ग़ैर महरम से मुराद वह शख़्स है कि नसब की जिहत से बच्चा के लिए महरम न हो अगर्चे रिज़ाअ् (दूध पिलाने का रिश्ता) की जिहत से महरम हो जैसे उस की माँ ने उस के रज़ाई चचा से शादी करली तो अब माँ की परवरिश में न रहेगा कि अगर्चे रज़ाई रिश्ते के लिहाज़ से बच्चे का चचा है मगर नसबन अजनबी है और नसबी चचा से निकाह किया तो बातिल नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– माँ अगर मुफ़्त परवरिश करना नहीं चाहती और बाप उजरत दे सकता है तो उजरत दे और तंग दस्त है तो माँ के बाद जिन को हक़्क़े परवरिश है अगर उन में कोई मुफ़्त परवरिश करे तो उस की परवरिश में दिया जाये बशर्ते कि बच्चे के ग़ैर महरम से उस ने निकाह न किया हो और माँ से कह दिया जाये कि या मुफ़्त परवरिश कर या बच्चा फ़ुलाँ को देदे मगर माँ अगर बच्चे को देखना चाहे या उस की देख भाल करना चाहे तो मनअ् नहीं कर सकते और अगर कोई दूसरी औरत ऐसी न हो जिस को हक़्क़े परवरिश है मगर कोई अजनबी शख़्स या रिश्ता दार मर्द मुफ़्त परवरिश करना चाहता है तो माँ ही को देंगे अगर्चे उस ने अजनबी से निकाह किया हो अगर्चे उजरत माँगती हो (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिस के लिए हक़्क़े परवरिश है अगर वह इन्कार करे और कोई दूसरी न हो जो परवरिश करे तो परवरिश करने पर मजबूर की जायेगी यूँहीं अगर बच्चे की माँ दूध पिलाने से इन्कार करे और बच्चा दूसरी औरत का दूध न लेता हो या मुफ़्त कोई दूध नहीं पिलाती और बच्चा या उस के बाप के पास माल नहीं तो माँ दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– माँ की परवरिश में बच्चा हो और वह उस के बाप के निकाह या इद्दत में हो तो परवरिश का मुआवज़ा नहीं पायेगी वरना उस का भी हक़ ले सकती है और दूध पिलाने की उजरत और बच्चा का नफ़्क़ा भी और अगर उस के पास रहने का मकान न हो तो यह भी बच्चे को ख़ादिम की ज़रूरत हो तो यह भी और यह सब अख़राजात अगर बच्चा का माल हो तो उस से दिये जायें वरना जिस पर बच्चा का नफ़्क़ा है उसी के ज़िम्मा यह सब भी हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– माँ ने अगर परवरिश से इन्कार कर दिया फिर यह चाहती है कि परवरिश करे तो रुजूअ् कर सकती है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– माँ अगर न हो या परवरिश की अहल न हो या इन्कार कर दिया या अजनबी से निकाह किया तो अब हक़्क़े परवरिश नानी के लिए है यह भी न हो तो नानी की माँ, उस के बाद दादी, परदादी ऊपर बयान हुई शर्तों के साथ फिर हक़ीक़ी बहन, फिर अख़याफ़ी बहन(वह भाई बहन जिन के बाप अलग अलग और माँ एक हो)फिर सौतेली बहन,फिर हक़ीक़ी बहन की बेटी फिर अख़याफ़ी बहन की बेटी, फिर ख़ाला, यानी माँ की हक़ीक़ी बहन, फिर अख़याफ़ी, फिर सौतेली फिर सौतेली बहन की बेटी, फिर हक़ीक़ी भतीजी, फिर अख़याफ़ी भाई की बेटी, फिर सौतेले भाई की बेटी, फिर उसी तरतीब से फूफियाँ फिर माँ की ख़ाला, फिर बाप की ख़ाला, फिर माँ की फूफियाँ, फिर बाप की फूफियाँ, और उन सब में उसी तर्तीब का लिहाज़ है कि हक़ीक़ी फिर अख़याफ़ी फिर सौतेली और अगर कोई औरत परवरिश करने वाली न हो या हो मगर उसका हक़ साक़ित हो तो असबात ब तरतीब अरस यानी बाप, फिर दादा फिर हक़ीक़ी भाई, फिर सोतेला फिर भतीजे, फिर चचा फिर उस के बेटे मगर लड़की को चचा ज़ाद भाई की परवरिश में न दें ख़ुसूसन जब कि मुश्तहात हो और अगर असबात भी न हों तो ज़विलअरहाम की परवरिश में दें मसलन अख़याफ़ी भाई फिर उस का बेटा फिर माँ का चचा फिर हक़ीक़ी मामूँ, चचा और फूफ़ी और मामूँ, और ख़ाला की बेटियो को लड़के की परवरिश का हक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर चन्द शख़्स एक दर्जा के हों तो उन में जो ज़्यादा बेहतर हो फिर वह कि ज़्यादा परहेज़गार हो फिर वह कि उन में बड़ा हो हक़दार है (आलमगीरी ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बच्चे की माँ अगर ऐसे मकान में रहती है कि घर वाले बच्चे से बुग़्ज़ रखते हैं तो बाप अपने बच्चे को उस से ले लेगा या औरत वह मकान छोड़ दे अगर माँ ने बच्चे के किसी रिश्तेदार से निकाह किया मगर वह महरम नहीं जब भी हक़ साक़ित हो जायेगा मसलन उस के चचा ज़ाद भाई से हाँ अगर माँ के बाद उसी चचा के लड़के का हक़ है या बच्चा लड़का है तो साक़ित न होगा (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अजनबी के साथ निकाह करने से हक़्क़े परवरिश साक़ित होगया था फिर उस ने तलाक़े बाइन देदी या रजई दी मगर इद्दत पूरी हो गई तो हक़्क़े परवरिश लौट आयेगा (हिदाया वग़ैरहा)

मसअला :– पागल और बोहरे को हक़्क़े परवरिश हासिल नहीं और अच्छे हो गये तो हक़ हासिल हो जायेगा यूँहीं मुर्तद था अब मुसलमान हो गया तो परवरिश का हक़ उसे मिलेगा (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चा नानी या दादी के पास है और वह ख़्यानत करती है तो फूफी को इख़्तियार है कि उस से ले ले (आमलगीरी)

मसअला :– बच्चे का बाप कहता है कि उस की माँ ने किसी से निकाह कर लिया और माँ इन्कार करती है तो माँ का क़ौल मोअ्तबर है और अगर यह कहती है कि निकाह तो किया था मगर उस ने तलाक़ देदी और मेरा हक़ लौट आया तो अगर इतना हो कहा यह न बताया कि किस से निकाह किया जब भी माँ का क़ौल मोअ्तबर है और अगर यह भी बताया कि फुलाँ से निकाह किया था तो

अब जब तक वह शख़्स तलाक़ का इक़रार न करे महज़ उस औरत का कहना काफ़ी नहीं(ख़ानिया)

मसअला :– जिस औरत के लिए हक़्क़े परवरिश है उस के पास लड़के को उस वक़्त तक रहने दें कि अब उसे उस की हाजत न रहे यानी अपने आप खाता पीता पहनता इस्तिन्जा कर लेता हो उस की मिक़दार सात बरस की उम्र है और अगर उम्र में इख़्तिलाफ़ हो तो अगर यह सब काम ख़ुद कर लेता हो तो उस के पास से अलाहिदा कर लिया जाये वरना नहीं और अगर बाप लेने से इन्कार करे तो जबरन उस के हवाले किया जाये और लड़की उस वक़्त तक औरत की परवरिश में रहेगी कि हद्दे शहवत को पहुँच जाये उस की मिक़दार नौ बरस की उम्र है और अगर उस उम्र से कम में लड़की का निकाह कर दिया गया जब भी उसी की परवरिश में रहेगी जिस की परवरिश में है निकाह कर देने से हक़्क़े परवरिश बातिल न होगा जब तक मर्द के क़ाबिल न हो (ख़ानिया,बहर, वग़ैराहुमा)

मसअला :– सात बरस की उम्र से बुलूग़ तक लड़का अपने बाप या दादा या किसी और वली के पास रहेगा फिर जब बालिग़ हो गया और समझदार है कि फ़ितना या बदनामी का अन्देशा न हो और तादीब की ज़रूरत न हो तो जहाँ चाहे वहाँ रहे और अगर उन बातों का अन्देशा हो और तादीब की ज़रूरत हो तो बाप, दादा, वग़ैरा के पास रहेगा ख़ुद मुख़्तार न होगा मगर बालिग़ होने के बाद बाप पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं अब अगर अख़राजात का मुतकफ़्फ़िल हो तो तबर्रअ व एहसान(नेकी व अच्छी बात) है (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार) यह हुक्म फ़िक़्ही है मगर ज़माने की हालत को देखते हुए रखा जाये जब तक चाल चलन अच्छी तरह दुरुस्त न हो लें और पूरा वुसूक़ न होले कि अब उस की वजह से फ़ितना व आर न होगा कि आज कल अकसर सोहबतें मुख़रिबे अख़लाक़ (अख़लाक़ ख़राब करने वाली) होती हैं और नई उम्र में बहुत जल्द आती हैं।

मसअला :– लड़की नौ बरस के बाद से जब तक कुँवारी है बाप दादा भाई वग़ैरहुम के यहाँ रहेगी मगर जबकि उम्र रसीदा हो जायेगी और फ़ितना का अन्देशा न हो तो उसे इख़्तियार है जहाँ चाहे रहे और लड़की सय्यब है मसलन बेवा है और फ़ितना का अन्देशा न हो तो उसे इख़्तियार है वरना बाप दादा वग़ैरा के यहाँ रहे और यह हम पहले बयान कर चुके कि चचा के बेटे को लड़की के लिए हक़्क़े परवरिश नहीं यही हुक्म अब भी है कि वह महरम नहीं बल्कि ज़रूर है कि महरम के पास रहे और महरम न हो तो किसी सिक़ा अमानत दार औरत के पास रहे जो उस की इफ़्फ़त (पारसाई) की हिफ़ाज़त कर सके और अगर लड़की ऐसी हो कि फ़साद का अन्देशा नहीं तो इख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअला :– लड़का बालिग़ न हुआ मगर काम के क़ाबिल हो गया है तो बाप उसे किसी काम में लगादे जो काम सिखाना चाहे उस के जानने वालों के पास भेजदे कि उन से काम सीखे नौकरी या मज़दूरी के क़ाबिल हो और बाप उस से नौकरी या मज़दूरी कराना चाहे तो नौकरी या मज़दूरी कराये और जो कमाये उस पर सर्फ़ करे और बच रहे तो उस के लिए जमअ करता रहे और अगर बाप जानता है कि मेरे पास ख़र्च हो जायेगा तो किसी और के पास अमानत रखदे (दुर्रे मुख़्तार) मगर सब से मुक़द्दम यह है कि बच्चों को क़ुर्आन मजीद पढ़ायें और दीन की ज़रूरी बातें सिखाई जायें रोज़ा व नमाज़ तहारत और बैअ व इजारा व दीगर मुआमलात के मसाइल जिन की रोज़ मर्रा

हाजत पड़ती है और ना वाक़िफ़ी से ख़िलाफ़े शरअ अमल करने के जुर्म में मुब्तला होते हैं उन की तअलीम हो अगर देखें कि बच्चा को इल्म की तरफ़ रुजहान है और समझदार है तो इल्म दीन की ख़िदमत से बढ़ कर क्या काम है और अगर इस्तिताअत(ताक़त)न हो तो तसहीह व तअलीमे अक़ाइद (अक़ाइद का इल्म)और ज़रूरी मसाइल की तअलीम के बाद जिस जाइज़ काम में लगायें इख़्तियार है।

मसअला :– लड़की को भी अक़ाइद व ज़रूरी मसाइल सिखाने के बाद किसी औरत से सिलाई और नक़्श व निगार वग़ैरा ऐसे काम सिखायें जिन की औरतों को अकसर ज़रूरत पड़ती है और खाना पकाने और दीगर उमूरे ख़ाना दारी में उस को सलीक़ा मन्द होने की कोशिश करें कि सलीक़ा वाली औरत जिस ख़ूबी से ज़िन्दगी बसर कर सकती है बद सलीक़ा नहीं कर सकती।

मसअला :– लड़की को नौकर न रखायें कि जिस के पास नौकर रहेगी कभी ऐसा भी होगा कि मर्द के पास तन्हा रहे और यह बड़े ऐब की बात है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़मानाए परवरिश में बाप यह चाहता है कि औरत से बच्चा लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाये तो उस को यह इख़्तियार हासिल नहीं और अगर औरत चाहती है कि बच्चा को लेकर दूसरे शहर को चली जाये और दोनों शहरों में इतना फ़ासिला है कि बाप अगर बच्चा को देखना चाहे तो देखकर रात आने से पहले वापस आसकता है तो ले जा सकती है और उस से ज़्यादा फ़ासिला है तो ख़ुद भी नहीं जा सकती यही हुक्म एक गाँव से दूसरे गाँव या गाँव से शहर में जाने का है कि क़रीब है तो जाइज़ है वरना नहीं और शहर से गाँव में बग़ैर इजाज़त नहीं ले जा सकती हाँ अगर जहाँ जाना चाहती है वहाँ उस का मैका है और वहीं उस का निकाह हुआ है तो ले जा सकती है और अगर उस का मैका है मगर वहाँ निकाह नहीं हुआ बल्कि निकाह कहीं और हुआ है तो न मैके ले जा सकती है न वहाँ जहाँ निकाह हुआ माँ के अलावा कोई और परवरिश करने वाली ले जाना चाहती हो तो बाप की इजाज़त से ले जा सकती है मुसलमान या ज़िम्मी औरत बच्चा को दारुलहर्ब में मुतलक़न नहीं ले जा सकती अगर्चे वहीं निकाह हुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– औरत को तलाक़ देदी उस ने किसी अजनबी से निकाह कर लिया तो बाप बच्चा को उस से ले कर सफ़र में ले जासकता है जबकि कोई और परवरिश का हक़दार न हो वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जब परवरिश का ज़मान पूरा हो चुका और बच्चा बाप के पास आ गया तो बाप पर यह वाजिब नहीं कि बच्चा को उस की माँ के पास भेजे न परवरिश के ज़माने में माँ पर बाप के पास भेजना लाज़िम था हाँ अगर एक के पास है और दूसरा उसे देखना चाहता है तो देखने से मनअ नहीं किया जा सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत बच्चा को गहवारे में लिटाकर बाहर चली गई गहवारा गिरा और बच्चा मरगया तो औरत पर तावान नहीं कि उस ने ख़ुद ज़ाइअ नहीं किया। (ख़ानिया)

नफ़्क़ा का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

لِيُنفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

तर्जमा :– "मालदार शख़्स अपनी वुसअ़त के लाइक़ ख़र्च करे और जिस की रोज़ी तंग है वह उस में से ख़र्च करे जो उसे ख़ुदा ने दिया अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर उतनी ही जितनी उसे ताक़त दी है क़रीब है कि अल्लाह सख़्ती के बाद आसानी पैदा कर दे"

और फ़रमाता है

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسٌ اِلَّا

وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ

तर्जमा :– "जिस का बच्चा है उस पर औरतों का खाना और पहनना है दस्तूर के मुवाफ़िक़ किसी जान पर तकलीफ़ नहीं दी जाती मगर उस की गुन्जाइश के लाइक़ मान कर उस के बच्चे के सबब ज़रर (नुक़्सान) न दिया जायेगा और न बाप को उस की औलाद के सबब और जो बाप के क़ाइम मक़ाम है उस पर भी ऐसा ही वाजिब है"।

और फ़रमाता है

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ

तर्जमा :–" औरतों को वहाँ रखो जहाँ ख़ुद रहो अपनी ताक़त भर और उन्हें ज़रर न दो कि उन पर तंगी करो"

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुलविदा के ख़ुतबे में इरशाद फ़रमाया औरतों के बारे में ख़ुदा से डरो कि तुम्हारे पास क़ैदी की मिस्ल हैं अल्लाह की अमानत के साथ तुम ने उनको लिया और अल्लाह के कलिमे के साथ उन के फ़ुरुज(शर्मगाहों) को हलाल किया तुम्हारा उन पर यह हक़ है कि तुम्हारे बिछौनों पर मकानों में ऐसे शख़्स को न आने दें जिस को तुम नापसन्द रखते हो और अगर ऐसा करें तो तुम इस तरह मार सकते हो जिस से हड्डी न टूटे और उन का तुम पर यह हक़ है कि उन्हें खाने और पहनने को दस्तूर के मुवाफ़िक़ दो

हदीस न.2 :– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि हिन्द बिन्ते उतबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अबू सुफ़यान (मेरे शौहर)बख़ील हैं वह मुझे इतना नफ़्क़ा नहीं देते जो मुझे और मेरी औलाद को काफ़ी हो मगर उस सूरत में कि उन की बग़ैर इत्तिलाअ़ मैं कुछ ले लूँ (तो आया इस तरह लेना जाइज़ है) फ़रमाया कि उस के माल में से इतना तो ले सकती है जो तुझे और तेरे बच्चों का दस्तूर के मुवाफ़िक़ ख़र्च के लिए काफ़ी हो।

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम में जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब ख़ुदा किसी को माल दे तो ख़ुद अपने और घर वालों पर ख़र्च करे।

हदीस न.4 :– सहीह बुख़ारी में अबू मसऊद अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया मुसलमान जो कुछ अपने अहल पर ख़र्च करे और नियत सवाब की हो तो यह उस के लिए सदक़ा है।

हदीस न.5 :– बुख़ारी शरीफ़ मे सअ़द इब्ने अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो कुछ तू ख़र्च करेगा वह तेरे लिए सदक़ा है यहाँ तक कि लुक़्मा जो बीवी के मुँह में उठाकर देदे।

हदीस न.6 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आदमी को गुनाहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि जिस का खाना उस के ज़िम्मे हो उसे खाने को न दे।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद इब्ने माजा बरिवायत अ़म्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही रावी कि एक शख़्स ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ की कि मेरे पास माल है और मेरे वालिद को मेरे माल की हाजत है फ़रमाया तू और तेरे माल तेरे बाप के लिए हैं तुम्हारी औलाद तुम्हारी उमदा कमाई से है अपनी औलाद की कमाई खाओ।

मसअ्ला :– नफ़्क़ा से मुराद खाना, कपड़ा रहने का मकान है और नफ़्क़ा वाजिब होने के तीन सबब है ज़ौजियत, नसब, मिल्क, (जौहरा दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस औरत से निकाह सहीह हो उस का नफ़्क़ा शौहर पर वाजिब है औरत मुसलमान हो या काफ़िरा आज़ाद हो या मुकातिबा मोहताज हो या मालदार दुख़ूल हो या नहीं बालिग़ा हो या नाबालिग़ा हो मगर नाबालिग़ा में शर्त यह है कि जिमाअ़ की ताक़त रखती हो या मुश्तहात हो और शौहर की जानिब कोई शर्त नहीं बल्कि कितना ही सग़ीरुस्सिन (कम उम्र)हो उस पर नफ़्क़ा वाजिब है उस के माल से दिया जायेगा और अगर उस की मिल्क में माल न हो तो उस की औरत का नफ़्क़ा उस के बाप पर वाजिब नहीं हाँ अगर उस के बाप ने नफ़्क़ा की ज़मानत की हो तो बाप पर वाजिब है शौहर इन्नीन है या उसका अज़्वे तनासुल (लिंग) कटा हुआ है या मरीज़ है कि जिमाअ़ की ताक़त नहीं रखता या हज को गया है जब भी नफ़्क़ा वाजिब है (आलमगीरी ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नाबलिग़ा जो क़ाबिले जिमाअ़ न हो उस का नफ़्क़ा शौहर पर वाजिब नहीं ख़्वाह शौहर के यहाँ हो या अपने बाप के घर जब तक क़ाबिले वती न हो जाये हाँ अगर उस क़ाबिल हो कि ख़िदमत कर सके या उस से उन्स हासिल हो सके और शौहर ने अपने मकान में रखा तो नफ़्क़ा वाजिब है और नहीं रखा तो नहीं। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत का मक़ाम बन्द है जिस के सबब से वती नहीं हो सकती या दीवानी है या बोहरी तो नफ़्क़ा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ौजा क़नीज़ है या मुदब्बरा या उम्मे वलद तो नफ़्क़ा वाजिब होने के लिए तबवियह शर्त है यानी अगर मौला के घर रहती है तो वाजिब नहीं (जौहरा)

मसअ्ला :– निकाहे-फ़ासिद मसलन बग़ैर गवाहों के निकाह हो तो उस या उस की इद्दत में नफ़्क़ा वाजिब नहीं यूँहीं वती बिश्शुबह में और अगर बज़ाहिर निकाह सहीह हुआ और क़ाज़ी–ए–शरअ़ ने

नफ़्क़ा मुक़र्रर कर दिया बाद को मालूम हुआ कि निकाह सहीह नहीं मसलन वह औरत उस की रज़ाई बहन साबित हुई तो जो कुछ नफ़्क़ा दिया है वापस ले सकता है और अगर बतौर ख़ुद बिला हुक्मे क़ाज़ी दिया है तो नहीं ले सकता (जौहरा, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अन्जाने में औरत की बहन या फूफी या ख़ाला से निकाह किया बाद को मालूम हुआ और तफ़रीक़ हुई तो जब तक उस की इद्दत पूरी न होगी औरत से जिमाअ् नहीं कर सकता मगर औरत का नफ़्क़ा वाजिब है और उस की बहन फूफी ख़ाला का नहीं अगर्चे उन औरतों पर इद्दत वाजिब है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बालिग़ा औरत जब अपने नफ़्क़ा का मुतालबा करे और अभी रुख़सत नहीं हुई है तो उस का मुतालबा दुरुस्त है जबकि शौहर ने अपने मकान पर ले जाने को उस से न कहा हो और अगर शौहर ने कहा तू मेरे यहाँ चल और औरत ने इन्कार न किया जब भी नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है और अगर औरत ने इन्कार किया तो उस की दो सूरतें हैं अगर कहती है जब तक महर मुअज्जल न दोगे नहीं जाऊँगी जब भी नफ़्क़ा पायेगी कि उस का इन्कार नाहक़ नहीं और अगर इन्कार नाहक़ है मसलन महर मुअज्जल अदा कर चुका है या महर मुअज्जल था ही नहीं या औरत मुआफ़ कर चुकी है तो नफ़्क़ा की मुस्तहक़ नहीं जब तक शौहर के मकान पर न आये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दुख़ूल होने के बाद अगर औरत शौहर के यहाँ आने से इन्कार करती है तो अगर महर मुअज्जल का मुतालबा करती है कि दे दो तो चलूँ तो नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है वरना नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शौहर के मकान में रहती है मगर उस के क़ाबू में नहीं आती तो नफ़्क़ा साक़ित नहीं और अगर जिस मकान में रहती है वह औरत की मिल्क है और शौहर का आना वहाँ बन्द कर दिया तो नफ़्क़ा नहीं पायेगी हाँ अगर उस ने शौहर से कहा कि मुझे अपने मकान में ले चलो या मेरे लिए किराये पर कोई मकान ले दो और शौहर न ले गया तो क़ुसूर शौहर का है लिहाज़ा नफ़्क़ा की मुस्तहक़ हैं। यूँही अगर शौहर ने पराया मकान ग़सब कर लिया है उस में रहता है औरत वहाँ रहने से इन्कार करती है तो नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर औरत को सफ़र में ले जाना चाहता है और औरत इन्कार करती है या औरत मुसाफ़ते सफ़र पर है शौहर ने किसी अजनबी शख़्स को भेजा कि उसे यहाँ अपने साथ ले आ औरत उस के साथ जाने से इन्कार करती है तो नफ़्क़ा साक़ित न होगा और अगर औरत के महरम को भेजा और आने से इन्कार करे तो नफ़्क़ा साक़ित है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत शौहर के घर बीमार हुई या बीमार होकर उस के यहाँ गई या अपने ही घर रही मगर शौहर के यहाँ जाने से इन्कार न किया तो नफ़्क़ा वाजिब है और अगर शौहर के यहाँ बीमार हुई और अपने बाप के यहाँ चली गई अगर इतनी बीमार है कि डोली वग़ैरा पर भी नहीं आ सकती तो नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है और अगर आ सकती है मगर नहीं आई तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत शौहर के यहाँ से नाहक़ चली गई तो नफ़्क़ा नहीं पायेगी जब तक वापस न आये और अगर उस वक़्त वापस आई कि शौहर मकान पर नहीं बल्कि परदेश चला गया है जब भी नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है और अगर औरत यह कहती है कि मैं शौहर की इजाज़त से गई थी और शौहर इन्कार करता है यों यह साबित हो गया कि बिला इजाज़त चली गई थी मगर औरत कहती है कि गई तो थी बग़ैर इजाज़त मगर कुछ दिनों शौहर ने वहाँ रहने की इजाज़त देदी थी तो

बज़ाहिर औरत का क़ौल मोअ्तबर न होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– चन्द महीने का नफ़्क़ा शौहर पर बाक़ी था औरत उस के मकान से बग़ैर इजाज़त चली गई तो यह नफ़्क़ा भी साक़ित हो गया और लौट कर आये जब भी उस की मुस्तहक़ न होगी

और अगर बा इजाज़त उस ने क़र्ज़ ले कर नफ़्क़ा में सर्फ़ किया था और अब चली गई तो साक़ित न होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत अगर क़ैद हो गई अगर्चे ज़ुल्मन तो शौहर पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं हाँ अगर्चे ख़ुद शौहर का औरत पर दैन था उसी ने क़ैद कराया तो साक़ित न होगा यूँही अगर औरत को कोई उठा ले गया या छीन ले गया जब भी शौहर पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत हज के लिए गई और शौहर साथ न हो तो नफ़्क़ा वाजिब नहीं अगर्चे महरम के

साथ गई हो अगर्चे हज फ़र्ज़ हो अगर्चे शौहर के मकान पर रहती थी और अगर शौहर के हमराह है तो नफ़्क़ा वाजिब है हज फ़र्ज़ हो या नफ़्ल मगर सफ़र के मुताबिक़ नफ़्क़ा वाजिब नहीं

बल्कि हज़र(घर पर रहने) का नफ़्क़ा वाजिब है लिहाज़ा किराया वग़ैरा मसारिफ़े सफ़र शौहर पर वाजिब नहीं (जौहरा ख़ानिया)

मसअ्ला :– किसी औरत को हमल है लोगों को शुबह है कि फ़ुलाँ शख़्स का हमल है लिहाज़ा औरत के बाप ने उसी से निकाह कर दिया मगर वह कहता है कि हमल से नहीं तो निकाह हो जायेगा मगर नफ़्क़ा वाजिब नहीं और अगर हमल का इक़रार करता है तो नफ़्क़ा वाजिब है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत को तलाक़ दी गई है बहर हाल इद्दत के अन्दर नफ़्क़ा पायेगी तलाक़ रजई हो या बाइन या तीन तलाक़ें औरत को हमल हो या नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– जो औरत बे इजाज़त शौहर के घर से चली जाया करती है इस बिना पर उसे तलाक़ देदी तो इद्दत का नफ़्क़ा नहीं पायेगी हाँ अगर बादे तलाक़ शौहर के घर में रही और बाहर जाना

छोड़ दिया तो पायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जब तक औरत सिन्ने अयास (बुढ़ापे की ऐसी उम्र जिस में हैज़ आना बन्द हो जाता है)को न पहुँचे उस की इद्दत तीन हैज़ है जैसा कि पहले मालूम हो चुका और अगर उस उम्र से पहले किसी वजह से जवान औरत को हैज नहीं आता तो उस की इद्दत कितनी ही तवील हो ज़माना–ए–इद्दत का नफ़्क़ा वाजिब है यहाँ तक कि अगर सिने अयास तक हैज़ न आया तो बाद अयास तीन माह गुज़रने पर इद्दत ख़त्म होगी और उस वक़्त तक नफ़्क़ा देना होगा हाँ अगर शौहर गवाहों से साबित कर दे कि औरत ने इक़रार किया है कि तीन हैज़ आये और इद्दत ख़त्म होगई तो नफ़्क़ा साक़ित कि इद्दत पूरी हो चुकी और अगर औरत को

तलाक़ हुई उस ने अपने को हामिला बताया तो वक़्ते तलाक़ से दो बरस तक वज़ओ़ हमल का
इन्तिज़ार किया जाये वज़ओ़ हमल तक
नफ़्क़ा वाजिब है और दो बरस पर भी बच्चा न हो और औरत कहती है कि मुझे हैज़ नहीं
आया और हमल का गुमान था तो नफ़्क़ा बराबर लेती रहेगी यहाँ तक कि तीन हैज़ आयें या
सिने अयास
आकर तीन महीने गुज़र जायें (खानिया)

मसअ्ला :– इद्दत के नफ़्क़ा का न दअ्वा किया न क़ाज़ी ने मुक़र्रर किया तो इद्दत गुज़रने बाद नफ़्क़ा साक़ित हो गया।

मसअ्ला :– मफ़क़ूद (जो लापता हो) की औरत ने निकाह कर लिया और उस दूसरे शौहर ने दुख़ूल भी कर लिया है अब पहला शौहर आया औरत और दूसरे शौहर में तफ़रीक़ कर दी जायेगी और औरत इद्दत गुज़ारेगी मगर उस का नफ़्क़ा न पहले शौहर पर है न दूसरे पर।

मसअ्ला :– अपनी मदख़ूला औरत को तीन तलाक़ें देदीं औरत ने इद्दत में दूसरे से निकाह
कर लिया और दुख़ूल भी हुआ तो तफ़रीक़ कर दी जाये और पहले शौहर पर नफ़्क़ा है और
मन्कूहा ने दूसरे से निकाह किया और दुख़ूल के बाद मालूम हुआ और तफ़रीक़ कराई
गई फिर शौहर को मालूम हुआ उस ने तीन तलाक़ें देदीं तो औरत की इद्दत वाजिब है और
नफ़्क़ा किसी पर नहीं (खानिया)

मसअ्ला :– इद्दत अगर महीनों से हो तो किसी मिक़दारे मुअ़य्यन पर सुलह हो सकती है और हैज़ या वज़ओ़ हमल से हो तो नहीं कि यह मालूम नहीं कितने दिनों में इद्दत पूरी होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वफ़ात की इद्दत मे नफ़्क़ा वाजिब नहीं ख़्वाह औरत को हमल हो या नहीं यूहीं जो फ़ुरक़त औरत की जानिब से मअ़सियत (गुनाह) के साथ हो उस में भी नहीं मसलन औरत मुरतद्दा होगई या शहवत के साथ शौहर के बेटे या बाप का बोसा लिया शहवत के साथ छुआ हाँ अगर मजबूर की गई तो साक़ित न होगा **यूहीं अगर** इद्दत में औरत मुरतद्दा होगई तो नफ़्क़ा साक़ित हो गया फिर अगर इस्लाम लाई तो नफ़्क़ा का हुक्म होगा और अगर इद्दत में शौहर के बेटे या बाप का बोसा लिया तो नफ़्क़ा साक़ित न हुआ और जो जुदाई बीवी की जानिब मुबाह(जवाज़) की वजह से हो उस में नफ़्क़ा–ए–इद्दत साक़ित नहीं मसलन ख़ियारे इत्क़ (आज़ाद होने पर अपने नफ़्स का इख़्तियार)ख़ियारे बुलूग़ (बालिग़ होने पर अपने नफ़्स का इख़्तियार)औरत को हासिल हुआ उस ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया बशर्ते कि दुख़ूल के बाद हो वरना इद्दत ही नहीं और ख़ुलअ़ में नफ़्क़ा है हाँ अगर ख़ुलअ़ उस शर्त पर हुआ कि औरत नफ़्क़ा व सुकना मुआफ़ करे तो नफ़्क़ा अब नहीं पायेगी मगर सुकना से शौहर अब भी बरी नहीं कि औरत उसको मुआफ़ करने का इख़्तियार नहीं रखती (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत से ईला या ज़िहार या लिआन किया या शौहर मुरतद हो गया या शौहर ने औरत की माँ से जिमाअ़ किया इन्नीन की औरत ने फ़ुर्क़त इख़्तियार की तो इन सब सूरतों में नफ़्क़ा पायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने किसी के बच्चे को दूध पिलाने की नौकरी की मगर दूध पिलाने जाती नहीं

बल्कि यहाँ लाते हैं तो नफ़्क़ा साक़ित नहीं अलबत्ता शौहर को इख़्तियार है कि उस से रोक दे बल्कि अगर अपने बच्चे को जो दूसरे शौहर से है दूध पिलाये तो शौहर को मनअ़ कर देने का इख़्तियार हासिल है बल्कि हर ऐसे काम से मनअ़ कर सकता है जिस से उसे ईज़ा होती है यहाँ तक कि सिलाई वग़ैरा ऐसे कामों से भी मनअ़ कर सकता है बल्कि अगर शौहर को मेहन्दी की बू ना पसन्द है तो मेहन्दी लगाने से भी मनअ़ कर सकता है और अगर दूध पिलाने वहाँ जाती है ख़्वाह दिन में वहाँ रहती है या रात में तो नफ़्क़ा साक़ित है यूँही अगर औरत मुर्दा नहलाने या दाई का काम करती है और अपने काम के लिए बाहर जाती है मगर रात में शौहर के यहाँ रहती है अगर शौहर ने मनअ़ किया और बग़ैर इजाज़त गई तो नफ़्क़ा साक़ित है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर मर्द व औरत दोनों मालदार हों तो नफ़्क़ा मालदारों का सा होगा और दोनों मोहताज हों तो मोहताजों का सा और एक मालदार है दूसरा मोहताज तो मुतवस्सित दर्जा का यानी मोहताज जैसा खाते हों उस से उमदा और अग़निया जैसा खाते हों उस से कम और शौहर मालदार हो और औरत मोहताज तो बेहतर यह है कि जैसा आप खाता हो औरत को भी खिलाये मगर यह वाजिब नहीं वाजिब मुतवस्सित है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– नफ़्क़ा का तअ़य्युन (ख़ास करना) रुपयों से नहीं किया जा सकता कि हमेशा उतने ही रुपये दिये जायें इस लिए कि नर्ख़ बदलता रहता है अरज़ानी व गिरानी दोनों के मसारिफ़ यकसाँ नहीं हो सकते बल्कि गिरानी में उस के लिहाज़ से तअ़दाद बढ़ाई जायेगी और अरज़ानी में कम की जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत आटा पीसने रोटी पकाने से इन्कार करती है अगर वह ऐसे घराने की है कि उन के यहाँ की औरतें अपने आप यह नहीं करतीं या वह बीमार या कमज़ोर है कि नहीं कर सकती तो पका हुआ खाना देना होगा या कोई ऐसा आदमी दे जो खाना पका दे पकाने पर मजबूर नहीं की जासकती और अगर न ऐसे घराने की है न कोई सबब ऐसा है कि खाना न पका सके तो शौहर पर यह वाजिब नहीं कि पका हुआ उसे दे और अगर औरत खुद पकाती है मगर पकाने की उजरत माँगती है तो उजरत नहीं दी जायेगी (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– खाना पकाने के तमाम बर्तन और सामान शौहर पर वाजिब हैं मसलन चक्की, हान्डी तवा, चिमटा, रकाबी, प्याला, चमचा, वगैरहा जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हसबे हैसियत अअ्ला, अदना, मुतवस्सित यूँही हस्बे हैसियत असासुलबैत (घर का सामान) देना वाजिब मसलन चटाई, दरी, क़ालीन, चारपाई, लिहाफ़, तोशक, तकिया, चादर वग़ैरहा यूहीं कंघा, तेल, सर धोने के लिए खली वग़ैरा और साबुन या बेसन मैल दूर करने के लिए। और सुर्मा मिस्सी मेहन्दी देना शौहर पर वाजिब नहीं अगर लाये तो औरत को इस्तिअ़माल ज़रूरी है इत्र वग़ैरा ख़ुश्बू की इतनी ज़रूरत है जिस से बग़ल और पसीना की बू को दफ़अ़ कर सके (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– ग़ुस्ल व वुज़ू का पानी तो उन के मसारिफ़ शौहर के ज़िम्मे हैं औरत ग़नी हो या फ़क़ीर

मसअ्ला :– औरत अगर चाय या हुक़्क़ा पीती है तो उन के मसारिफ़ शौहर पर वाजिब नहीं अगर्चे न पीने से उस को ज़रर पहुँचेगा (रद्दुल मुहतार)यूँही पान, छालिया, तम्बाकू शौहर पर वाजिब नहीं।

मसअ्ला :– औरत बीमार हो तो उस की दवा की क़ीमत और तबीब की फ़ीस शौहर पर वाजिब

नहीं फ़स्द या पुछन्ने की ज़रूरत हो तो यह भी शौहर पर नहीं (जौहरा)

मसअला :– बच्चा पैदा हो तो जनाई की उजरत शौहर पर है अगर शौहर ने बुलाया और औरत पर है अगर औरत ने बुलवाया और अगर वह खुद बग़ैर उन दोनों में किसी के बुलाये आजाये तो ज़ाहिर यह है कि शौहर पर है (बहर, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– साल में दो जोड़े कपड़े देना वाजिब हैं हर शशमाही पर एक जोड़ा जब एक जोड़ा कपड़ा देदिया तो जबतक मुद्दत पूरी न हो देना वाजिब नहीं और अगर मुद्दत के अन्दर फाड़डाला और आदतन जिस तरह पहना जाता है उस तरह पहनती तो नहीं फटता तो दूसरे कपड़े इस शशमाही में वाजिब नहीं वरना वाजिब हैं और अगर मुद्दत पूरी होगई और जोड़ा बाक़ी है तो अगर पहना ही नहीं या कभी उस को पहनती थी और कभी और कपड़े इस वजह से बाक़ी है तो अब दूसरा जोड़ा देना वाजिब है और अगर यह वजह नहीं बल्कि कपड़ा मज़बूत था उस वजह से नहीं फटा तो दूसरा जोड़ा वाजिब नहीं (जौहरा)

मसअला :– जाड़ों में जाड़े के मुनासिब और गर्मियों में गर्मी के मुनासिब कपड़े दे मगर बहर हाल उसका लिहाज़ ज़रूरी है कि अगर दोनों मालदार हों तो मालदारों के से कपड़े हों और मुहताज हों तो ग़रीबों के से और एक मालदार हो और एक मोहताज तो मुतवस्सित जैसे खाने में तीनों बातों का लिहाज़ हैं और लिबास में उस शहर के रिवाज का एअ्तिबार है जाड़े गर्मी में जैसे कपड़ों का वहाँ चलन है वह दे चमड़े के मौज़े औरत के लिए शौहर पर वाजिब नहीं मगर औरत की बान्दी के मौज़े शौहर पर वाजिब हैं। और सूती, ऊनी मौज़े जो जाड़ों में सर्दी की वजह से पहने जाते हैं यह देने होंगे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत जब रुख़्सत हो कर आई तो उसी वक़्त से शौहर के ज़िम्मे उस का लिबास है उस का इन्तिज़ार न करेगा कि छः महीने गुज़रले तो कपड़े बनाये अगर्चे औरत के पास कितने ही जोड़े हों न औरत पर यह वाजिब कि मैके से जो कपड़े लाई है वह पहने बल्कि अब सब शौहर के ज़िम्मे है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर को खुद ही चाहिए कि औरत के मसारिफ़ अपने ज़िम्मे ले यानी जिस चीज़ की ज़रूरत हो लाकर या मंगा कर दे और अगर लाने में ढील डालता है तो क़ाज़ी कोई मिक़दार वक़्त और हाल के लिहाज़ से मुक़र्रर कर दे कि शौहर वह रक़म देदिया करे और औरत अपने तौर पर ख़र्च करे और अगर अपने ऊपर तकलीफ़ उठा कर औरत उस में से कुछ बचाले तो वह औरत का है वापस न करेगी न आइन्दा के नफ़्क़ा में मुजरा देगी और अगर शौहर बक़द्र किफ़ायत औरत को नहीं देता तो बग़ैर इजाज़त शौहर औरत उस के माल से लेकर सर्फ़ कर सकती है (बहर, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नफ़्क़ा की मिक़दार मुअय्यन की जाये तो उस में जो तरीक़ा आसान हो वह बरता जाये मसलन मज़दूरी करने वाले के लिए यह हुक्म दिया जायेगा कि वह औरत को रोज़ाना शाम को इतना दे दिया करे कि दूसरे दिन के लिए काफ़ी हो कि मज़दूर एक महीने के तमाम मसारिफ़ एक साथ नहीं दे सकता और ताजिर और नौकरी पेशा जो माहवार तनख़्वाह पाते हैं महीने का नफ़्क़ा एक साथ दे दिया करें और हफ़्ता में तनख़्वाह मिलती है तो हफ़्तावार और खेती करने वाले हर साल या रबीअ् व ख़रीफ़ दो फ़सलों में दिया करें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर शौहर बाहर चला जाता हो और औरत को ख़र्च की ज़रूरत पड़ती हो तो उसे यह हक़ है कि शौहर से कहे किसी को ज़ामिन बना दो कि महीने पर उस से ख़र्च ले लूँ फिर

अगर औरत को मालूम है कि शौहर एक महीने तक बाहर रहेगा तो एक महीने के लिए ज़ामिन तलब करे और यह मालूम है कि ज़्यादा दिनों सफ़र में रहेगा मसलन हज को जाता है तो जितने दिनों के लिए जाता है उतने दिनों के लिए ज़ामिन माँगे और उस शख़्स ने अगर कह दिया कि मैं हर महीने में दे दिया करूँगा तो हमेशा के लिए ज़ामिन हो गया (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर औरत को जितने रुपये खाने के लिए देता है वह अपने ऊपर तकलीफ़ उठा कर उन में से कुछ बचा लेती है और ख़ौफ़ है कि लाग़र हो जायेगी तो शौहर को हक़ है कि उसे तंगी करने से रोक दे न माने तो क़ाज़ी के यहाँ उस का दअ्वा कर के रुकवा सकता है कि उस की वजह से जमाल में फ़र्क़ आयेगा और यह शौहर का हक़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर बाहम रज़ा मन्दी से कोई मिक़दार मुअय्यन हुई या क़ाज़ी ने मुअय्यन कर दी और चन्द माह तक वह रक़म न दी तो औरत वुसूल कर सकती है और मुआफ़ करना चाहे तो कर सकती है बल्कि जो महीना आ गया उस का भी नफ़्क़ा मुआफ़ कर सकती है जब कि माह ब माह नफ़्क़ा देना ठहरा हो और सालाना मुक़र्रर हो तो उस सन और साले गुज़श्ता का मुआफ़ कर सकती है पहली सूरत में बाद वाले महीना का दूसरी में उस साल का जो अभी नहीं आया मुआफ़ नहीं कर सकती और अगर न आपस में कोई मिक़दार मुअय्यन हुई न क़ाज़ी ने मुअय्यन की तो ज़माना गुज़श्ता का नफ़्क़ा न तलब कर सकती है न मुआफ़ कर सकती है कि वह शौहर के ज़िम्मे वाजिब ही नहीं हाँ अगर उस शर्त पर खुलअ् हुआ कि औरत इद्दत का नफ़्क़ा मुआफ़ कर दे तो यह मुआफ़ हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत को मसलन महीने भर का नफ़्क़ा दे दिया या उस ने फ़ुज़ूल ख़र्ची से महीना पूरा होने से पहले ख़र्च कर डाला या चोरी जाता रहा किसी और वजह से हलाक हो गया तो उस महीने का नफ़्क़ा शौहर पर वाजिब नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत के लिए अगर कोई ख़ादिम ममलूक हो यानी लोन्डी या गुलाम तो उस का नफ़्क़ा भी शौहर पर है बशर्ते कि शौहर तंगदस्त न हो और औरत आज़ाद हो और अगर औरत को चन्द ख़ादिमों की ज़रूरत हो कि औरत साहिबे औलाद है एक से काम नहीं चलता तो दो तीन जितने की ज़रूरत है उन का नफ़्क़ा शौहर के ज़िम्मे है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर अगर नादारी के सबब नफ़्क़ा देने से आजिज़ है तो उस की वजह से तफ़रीक़ न की जाये यूँहीं अगर मालदार है मगर माल यहाँ मौजूद नहीं जब भी तफ़रीक़ न करे बल्कि अगर नफ़्क़ा मुक़र्रर हो चुका है तो क़ाज़ी हुक्म दे कि क़र्ज़ लेकर या कुछ काम कर के सर्फ़ करे और वह सब शौहर के ज़िम्मे है कि उसे देना होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने क़ाज़ी के पास आकर बयान किया कि मेरा शौहर कहीं गया है और मुझे नफ़्क़ा के लिए कुछ देकर न गया तो अगर कुछ रुपये या ग़ल्ला छोड़ गया है और क़ाज़ी को मालूम है कि यह उस की औरत है तो क़ाज़ी हुक्म देगा कि उस में से ख़र्च करे मगर फ़ुज़ूल ख़र्च न करे मगर यह क़सम ले ले कि उस से नफ़्क़ा नहीं पाया है और कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है जिस से नफ़्क़ा साक़ित हो जाता है और औरत से कोई ज़ामिन भी ले (ख़ानिया)

मसअला :– शौहर कहीं चला गया है और नफ़्क़ा नहीं दे गया मगर घर में असबाब वग़ैरा ऐसी चीज़ हैं जो नफ़्क़ा की जिन्स से नहीं तो औरत उन चीज़ों को बेच कर खाने वग़ैरा में नहीं सर्फ़ कर सकती (आलमगीरी)

मसअला :– जिस मिक़दार पर रज़ा मन्दी हुई या क़ाज़ी ने मुक़र्रर की औरत कहती है कि यह नाकाफ़ी है तो मिक़दार बढ़ा दी जाये या शौहर कहता है कि यह ज़्यादा है उस से कम में काम चल जायेगा क्योंकि अब अरज़ानी है या मुक़र्रर ही ज़्यादा मिक़दार हुई और क़ाज़ी को भी मालूम हो गया कि यह रक़म ज़ाइद है तो कम कर दी जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चन्द महीने का नफ़्क़ा बाक़ी था और दोनों में से कोई मर गया तो नफ़्क़ा साक़ित हो गया हाँ अगर क़ाज़ी ने औरत को हुक्म दिया था कि क़र्ज़ लेकर सर्फ़ करे फिर कोई मरगया तो साक़ित न होगा तलाक़ से भी पेश्तर का नफ़्क़ा साक़ित हो जाता है मगर जब कि इसी लिए तलाक़ दी हो कि नफ़्क़ा साक़ित हो जाये तो साक़ित न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत को पेशगी (ADVANCE)नफ़्क़ा दे दिया था फिर उन में से किसी का इन्तिक़ाल हो गया या तलाक़ हो गई तो वह दिया हुआ वापस नहीं हो सकता यूँहीं अगर शौहर के बाप ने अपनी बहू को पेशगी नफ़्क़ा दे दिया तो मौत या तलाक़ के बाद वह भी वापस नहीं ले सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मर्द ने औरत के पास कपड़े या रुपये भेजे औरत कहती है हदयतन भेजे और मर्द कहता है नफ़्क़ा में भेजे तो शौहर का क़ौल मोअ्तबर है हाँ अगर औरत गवाहों से साबित कर दे कि हदयतन भेजे या यह कि शौहर ने उस का इक़रार किया था और गवाहों ने उस के इक़रार की शहादत दी तो गवाही मक़बूल है (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम ने मौला की इजाज़त से निकाह किया है तो अगर गुलाम ख़ालिस है यानी मुदब्बर व मुकातिब न हो तो उसे बेच कर उस की औरत का नफ़्क़ा अदा करें फिर भी बाक़ी रह जाये तो यके बाद दीगरे बेचते रहें यहाँ तक कि नफ़्क़ा हो जाये बशर्ते कि ख़रीदार को मालूम हो कि नफ़्क़ा की वजह से बेचा जा रहा है और अगर ख़रीदते वक़्त उसे मालूम न था बाद को मालूम हुआ तो ख़रीदार को बैअ् रद करने का इख़्तियार है और अगर बैअ् को क़ाइम रखा तो साबित हुआ कि राज़ी है लिहाज़ा अब उसे कोई उज़्र नहीं और अगर मौला बेचने से इन्कार करता है तो मौला के सामने क़ाज़ी बैअ् करदेगा मगर नफ़्क़ा में बेचने के लिए यह शर्त है कि नफ़्क़ा इतना उस के ज़िम्मे बाक़ी हो कि अदा करने से आजिज़ हो और यह भी हो सकता है कि मौला अपने पास से नफ़्क़ा देकर अपने गुलाम को छुड़ा ले और अगर वह गुलाम मुदब्बर या मुकातिब हो जो बदले किताबत अदा करने से आजिज़ नहीं तो बेचा न जाये बल्कि कमाकर नफ़्क़ा की मिक़दार पूरी करे और अगर जिस औरत से निकाह किया है वह उस के मौला की कनीज़ है तो उस पर नफ़्क़ा वाजिब ही नहीं (ख़ानिया दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बग़ैर इजाज़ते मौला गुलाम ने निकाह किया और अभी मौला ने रद न किया था कि आज़ाद कर दिया तो निकाह सहीह हो गया और आज़ाद होने के बाद से नफ़्क़ा वाजिब होगा(आलमगीरी)

मसअला :– लोन्डी ने मौला की इजाज़त से निकाह किया और दिन भर मौला की ख़िदमत करती है और रात में अपने शौहर के पास रहती है तो दिन का नफ़्क़ा मौला पर है और रात का शौहर पर (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम या मुदब्बर या मुकातिब ने निकाह किया और औलाद हुई तो औलाद का नफ़्क़ा उन पर नहीं बल्कि ज़ौजा अगर मुकातिबा है तो उस पर है और मुदब्बिरा या उम्मे वलद है तो उन के मौला पर और आज़ाद है तो ख़ुद औरत पर और उस के पास भी कुछ न हो तो बच्चे का जो सब से ज़्यादा करीबी रिश्तादार हो उस पर है और अगर शौहर आज़ाद है और औरत कनीज़ जब

भी यही सब अहकाम हैं जो मज़कूर हुए (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम ने मौला की इजाज़त से निकाह किया था और औरत का नफ़्क़ा वाजिब होने के बाद मर गया या मार डाला गया तो नफ़्क़ा साक़ित हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नफ़्क़ा का तीसरा जुज़ सुकना है यानी रहने का मकान शौहर जो मकान औरत को रहने के लिए दे वह ख़ाली हो यानी शौहर के मुतअल्लिक़ीन वहाँ न रहे हाँ अगर शौहर का इतना छोटा बच्चा हो कि जिमाअ् से आगाह नहीं तो वह मानेअ् नहीं यूँहीं शौहर की कनीज़ या उम्मे वलद का रहना भी कुछ मुज़िर नहीं और अगर उस मकान में शौहर के मुतअल्लिक़ीन रहते हों और औरत ने उसी को इख़्तियार किया कि सब के साथ रहे तो शौहर के मुतअल्लिक़ीने से ख़ाली होने की शर्त नहीं और औरत का बच्चा अगर्चे बहुत छोटा हो अगर शौहर रोकना चाहे तो रोक सकता है औरत को उस का इख़्तियार नहीं कि ख़्वाह मख़्वाह उसे वहाँ रखे (आम्मए कुतुब)

मसअला :– औरत अगर तन्हा मकान चाहती है यानी अपनी सौत या शौहर के मुतअल्लिक़ीन के साथ नहीं रहना चाहती तो अगर मकान में कोई ऐसा दालान उस को दे दे जिस में दरवाज़ा हो और बन्द कर सकती हो तो वह दे सकता है दूसरा मकान तलब करने का उस को इख़्तियार नहीं बशर्ते कि शौहर के रिश्ता दार औरत को तकलीफ़ न पहुँचाते हों रहा यह अम्र कि पाख़ाना ग़ुस्ल ख़ाना बावर्ची ख़ाना भी अलाहिदा होना चाहिए उस में तफ़सील है अगर शौहर मालदार हो तो ऐसा मकान दे जिस में यह ज़रूरियात हों और ग़रीबों में ख़ाली एक कमरा दे देना काफ़ी है अगर्चे ग़ुस्ल ख़ाना वग़ैरा मुश्तरक(शिरकते में) हो (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– यह बात ज़रूरी है कि औरत को ऐसे मकान में रखे जिस के पड़ोसी सालेहीन हों कि (नेक)फ़ासिकों में ख़ुद भी रहना अच्छा नहीं न कि ऐसे मकाम पर औरत का होना और अगर मकान बहुत बड़ा हो कि औरत वहाँ तन्हा रहने से घबराती और डरती है तो वहाँ कोई ऐसी नेक औरत रखे जिस से दिल बस्तगी हो या औरत को कोई दूसरा मकान दे जो इतना बड़ा न हो और उस के हमसाया (पड़ोसी) नेक लोग हों (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत के वालिदैन हर हफ़्ता में एक बार अपनी लड़की के यहाँ आ सकते हैं शौहर मनअ् नहीं कर सकता हाँ अगर रात में वहाँ रहना चाहते हैं तो शौहर को मनअ् करने का इख़्तियार है और वालिदैन के अलावा और महारिम साल भर में एक बार आ सकते हैं यूँहीं औरत अपने वालिदैन के यहाँ हर हफ़्ता में एक बार और दीगर महारिम के यहाँ साल में एक बार जा सकती है मगर रात में बग़ैर इजाज़ते शौहर वहाँ नहीं रह सकती दिन ही दिन में वापस आये और वालिदैन या महारिम अगर फ़क़त देखना चाहें तो उस से किसी वक़्त मनअ् नहीं कर सकता और ग़ैरों के यहाँ जाने या उन की इयादत करने या शादी वग़ैरा तक़रीबों की शिरकत से मनअ् करे बग़ैर इजाज़त जायेगी तो गुनाहगार होगी और इजाज़त से गई तो दोनों गुनहगार हुए (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– औरत अगर कोई ऐसा काम करती है जिस से शौहर का हक़ फ़ौत होता है या उस में नुक़सान आता है या उस काम के लिए बाहर जाना पड़ता है तो शौहर को मनअ् कर देने का इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार)बल्कि ज़माने के हालात को देखते हुए ऐसे काम से तो मनअ् ही करना चाहिए जिस के लिए बाहर जाना पड़े।

मसअला :– जिस काम में शौहर की हक़ तल्फ़ी न होती हो न नुक़सान हो अगर औरत घर में वह

काम कर लिया करे जैसे कपड़ा सीना या अगले ज़माना में चर्ख़ा कातने का रिवाज था तो ऐसे काम से मनअ् करने की कुछ हाजत नहीं ख़ुसूसन जब कि शौहर घर न हो कि उन कामों से जी बहलता रहेगा और बेकार बैठेगी तो वसवसे से और ख़तरे पैदा होते रहेंगे और ला यानी बातों में मशग़ूल होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— नाबालिग़ औलाद का नफ़्क़ा बाप पर वाजिब है जब कि औलाद फ़क़ीर हो यानी खुद उस की मिल्क में माल न हो और आज़ाद हो और बालिग़ बेटा अगर अपाहिज या मजनून या नाबीना हो कमाने से आजिज़ हो और उस के पास माल न हो तो उस का नफ़्क़ा भी बाप पर है और लड़की जब कि माल न रखती हो तो उस का नफ़्क़ा बहर हाल बाप पर है अगर्चे उस के अअ्ज़ा सलामत हों और अगर नाबालिग़ की मिल्क में माल है मगर यहाँ माल मौजूद नहीं तो बाप को हुक्म दिया जायेगा। कि अपने पास से ख़र्च करे जब माल आये तो जितना ख़र्च किया है उस में से ले ले और अगर बतौर ख़ुद ख़र्च किया है और चाहता है कि माल आने के बाद उस में से ले ले तो लोगों को गवाह बनाये कि जब माल आयेगा मैं लेलूँगा और गवाह न किए तो दियानतन ले सकता है क़ज़ाअन नहीं (जौहरा)

मसअला :— नाबालिग़ का बाप तंग दस्त है और माँ मालदार जब भी नफ़्क़ा बाप ही पर है मगर माँ को हुक्म दिया जायेगा कि अपने पास से ख़र्च करे और जब शौहर के पास हो तो वुसूल कर ले (जौहरा)

मसअला :— अगर बाप मुफ़्लिस है तो कमाये और बच्चों को खिलाये और कमाने से भी आजिज़ है मसलन अपाहिज है तो दादा के ज़िम्मे नफ़्क़ा है कि ख़ुद बाप का नफ़्क़ा भी उस सूरत में उसी के ज़िम्मे है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— तालिबे इल्म कि इल्मे दीन पढ़ता हो और नेक चलन हो उस का नफ़्क़ा भी उस के वालिद के ज़िम्मे है वह तलबा मुराद नहीं जो फ़ुज़ूलियात व लग़वियात फलासफ़ा में मुश्तग़िल हों अगर यह बातें हों तो नफ़्क़ा बाप पर नहीं (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— वह तलबा भी उस से मुराद नहीं जो बज़ाहिर इल्मे दीन पढ़ते और हक़ीक़तन दीन ढाना चाहते हैं मसलन वहाबियों से पढ़ते हैं उन के पास उठते बैठते हैं कि ऐसों से उमूमन यही मुशाहिदा हो रहा है कि बद बातिनी व ख़बासत और अल्लाह व रसूल की जानिब में गुस्ताख़ी करने में अपने असातिज़ा से भी सबक़त ले गये ऐसों का नफ़्क़ा दर किनार उन को पास भी न आने देना चाहिए ऐसी तअ्लीम से तो जाहिल रहना अच्छा था कि उस ने तो मज़हब व दीन सब को बर्बाद किया और न फ़क़त अपना बल्कि वह तुम को भी ले डूबेगा ।

बे अदब तन्हा न ख़ुद रा दाश्त बद बल्कि आतिश दरहमा आफ़ाक़ ज़द

मसअला :— बच्चे की मिल्क में कोई जायदाद मनक़ूला या ग़ैर मनक़ूला हो और नफ़्क़ा की हाजत हो तो बेच कर ख़र्च की जाये अगर्चे रफ़्ता रफ़्ता कर के सब ख़र्च हो जाये (आलमगीरी)

मसअला :— लड़की जब जवान हो गई और उस की शादी कर दी तो अब शौहर पर नफ़्क़ा है बाप सुबुकदोश हो गया (आलमगीरी)

मसअला :— बच्चा जब तक माँ की परवरिश में है अख़राजात बच्चे की माँ के हवाले करे या ज़रूरत की चीज़ें मुहय्या कर दे और अगर कोई मिक़दार मुअय्यन कर ली गई तो उस में भी हर्ज नहीं और

जो मिक़दार मुअय्यन हुई अगर वह इतनी ज़्यादा है कि अन्दाज़ा से बाहर है तो कम कर दी जाये और अगर अन्दाज़ा से बाहर नहीं तो मुआफ़ है और कम है तो कमी पूरी की जाये (आलमगीरी)

मसअला :— किसी और की कनीज़ से निकाह किया और बच्चा पैदा हुआ तो यह उसी की मिल्क है जिस की मिल्क में उस की माँ है और उस का नफ़्क़ा बाप पर नहीं बल्कि मौला पर है उसका बाप आज़ाद हो या ग़ुलाम बाप पर नहीं अगर्चे मालदार हो और अगर ग़ुलाम या मुदब्बिर या मुकातिब ने मौला की इजाज़त से निकाह किया और औलाद पैदा हुई तो उन पर नहीं बल्कि अगर माँ मुदब्बिरा या उम्मे वलद या कनीज़ है तो मौला पर है और आज़ाद या मुकातिबा है तो माँ पर और अगर माँ के पास माल न हो तो सब रिश्तादारों में जो क़रीब तर है उस पर है (आलमगीरी)

मसअला :— माँ ने अगर बच्चे का नफ़्क़ा उस के बाप से लिया और चोरी गया या और किसी तरीक़ा से हलाक हो गया तो फिर दोबारा नफ़्क़ा लेगी और बच रहा तो वापस करेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— बाप मर गया उस ने नाबालिग़ बच्चे और अमवाल छोड़े तो बच्चों का नफ़्क़ा उन के हिस्सों में से दिया जायेगा यूँहीं हर वारिस का नफ़्क़ा उस के हिस्सा में से दिया जायेगा फिर अगर मय्यत ने किसी को वसी किया है तो यह काम वसी का है कि उन के हिस्सों से नफ़्क़ा दे और वसी किसी को न किया हो तो क़ाज़ी का काम है कि नाबालिग़ों का नफ़्क़ा उन के हिस्सों से दे या क़ाज़ी किसी को वसी बना दे कि वह ख़र्च करे और अगर वहाँ क़ाज़ी न हो और मय्यत के बालिग़ लड़कों ने नाबालिग़ों पर उन के हिस्सों से ख़र्च किया तो क़ज़ाअन उन को तावान देना होगा और दियानतन नहीं यूँहीं अगर सफ़र में दो शख़्स हैं उन में से एक बेहोश हो गया दूसरे ने उस का माल उस पर सर्फ़ किया या एक मर गया दूसरे ने उस के माल से तजहीज़ व तकफ़ीन की तो दियानतन तावान लाज़िम नहीं (आलमगीरी)

मसअला :— बच्चे को दूध पिलाना माँ पर उस वक़्त वाजिब है कि कोई दूसरी औरत दूध पिलाने वाली न मिले या बच्चा दूसरी का दूध न ले या उस का बाप तंगदस्त है कि उजरत नहीं दे सकता और बच्चे की मिल्क में भी माल न हो उन सूरतों में दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी और यह सूरतें न हों तो दियानतन माँ के ज़िम्मे दूध पिलाना है मजबूर नहीं की जा सकती (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— बच्चा को दाई ने दूध पिलाया कुछ दिनों के बाद दूध पिलाने से इन्कार करती है और बच्चा दूसरी औरत का दूध नहीं लेता या कोई और पिलाने वाली नहीं मिलती या इब्तिदा ही में कोई औरत उस को दूध पिलाने वाली नहीं तो यही मुतअय्यन है दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— बच्चा चूँकि माँ की परवरिश में होता है लिहाज़ा जो दाई मुक़र्रर की जाये वह माँ के पास दूध पिलाया करे मगर नौकर रखते वक़्त यह शर्त न कर ली गई हो कि तुझे यहाँ रह कर दूध पिलाना होगा तो दाई पर यह वाजिब न होगा कि वहाँ रहे बल्कि दूध पिला कर चली जा सकती है या कह सकती है कि मैं वहाँ नहीं पिलाऊँगी यहाँ पिला दूँगी या घर लेजाकर पिलाऊँगी (ख़ानिया)

मसअला :— अगर लोन्डी से बच्चा पैदा हुआ तो वह दूध पिलाने से इन्कार नहीं कर सकती (आलमगीरी)

मसअला :— बाप को इख़्तियार है कि दाई से दूध पिलवाये अगर्चे माँ पिलाना चाहती हो (आलमगीरी)

मसअला :— बच्चा की माँ निकाह में हो या तलाक़े रजई की इद्दत में अगर दूध पिलाये तो उस पर

उजरत नहीं ले सकती और तलाक़ बाइन की इद्दत में ले सकती है और अगर दूसरी औरत के बच्चा को जो उसी शौहर का है दूध पिलाये तो मुतलक़न उजरत ले सकती है अगर्चे निकाह में हो(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– इद्दत गुज़रने के बाद मुतलक़न उजरत ले सकती है और अगर शौहर ने दूसरी औरत को मुक़र्रर किया और माँ मुफ़्त पिलाने को कहती है या उतनी ही उजरत माँगती है जितनी दूसरी औरत माँगती है तो माँ को ज़्यादा हक़ है और अगर माँ उजरत माँगती है और दूसरी औरत मुफ़्त पिलाने को कहती है या माँ से कम उजरत माँगती है तो वह दूसरी ज़्यादा मुस्तहक़ है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इद्दत के बाद औरत ने उजरत पर अपने बच्चे को दूध पिलाया और उन दिनों का नफ़्क़ा नहीं लिया था कि शौहर का यानी बच्चा के बाप का इन्तिक़ाल हो गया तो यह नफ़्क़ा मौत से साक़ित न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बाप, माँ ,दादा, दादी, नाना, नानी, अगर तंगदस्त हों तो उन का नफ़्क़ा वाजिब है अगर्चे कमाने पर क़ादिर हों जब कि यह मालदार हो यानी मालिके निसाब हो अगर्चे वह निसाब नामी न हो और अगर यह भी मोहताज है तो बाप का नफ़्क़ा उस पर वाजिब नहीं अल्बत्ता बाप अपाहिज या मफ़लूज है कि कमा नहीं सकता तो बेटे के साथ नफ़्क़ा में शरीक है अगर्चे बेटा फ़क़ीर हो और माँ का नफ़्क़ा भी बेटे पर है अगर्चे अपाहिज न हो अगर्चे बेटा फ़क़ीर हो यानी जब कि बेवा हो और अगर निकाह कर लिया है तो उस का नफ़्क़ा शौहर पर है और अगर उस के बाप के निकाह में है और बाप और माँ दोनों मोहताज हों तो दोनों का नफ़्क़ा बेटे पर है और बाप मोहताज न हो तो बाप पर है और बाप मोहताज है और माँ मालदार तो माँ का नफ़्क़ा अब भी बेटे पर नहीं बल्कि अपने पास से ख़र्च करे और शौहर से वुसूल कर सकती है (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बाप वग़ैरा का नफ़्क़ा जैसे बेटे पर वाजिब है यूँहीं बेटी पर भी है अगर बेटा बेटी दोनों हों तो दोनों पर बराबर वाजिब है और अगर दो बेटे हों एक फ़क़त मालिके निसाब है और दूसरा बहुत मालदार है तो बाप का नफ़्क़ा दोनों पर बराबर बराबर है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बाप और औलाद के नफ़्क़ा में क़राबत व जुज़ईयत का एअ्तिबार है वुरासत का नहीं मसलन बेटा है और पोता तो नफ़्क़ा बेटे पर वाजिब है पोते पर नहीं यूँहीं बेटी है और पोता तो बेटी पर है पोते पर नहीं और पोता है और नवासी तो दोनों पर बराबर और बेटी है और बहन या भाई तो बेटी पर है और नवासा नवासी हैं और भाई तो उन पर है उस पर नहीं और बाप या माँ है और बेटा तो बेटे पर है उन पर नहीं और दादा है और पोता तो एक सुलुस (तिहाई) दादा पर और बाक़ी पोते पर और बाप है और नवासी नवासा तो बाप पर है उन पर नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बाप अगर तंगदस्त हो और उस के छोटे छोटे बच्चे हों और यह बच्चे मोहताज हों और बड़ा बेटा मालदार है तो बाप और उस की सब औलाद का नफ़्क़ा उस पर वाजिब है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बेटा अगर माँ बाप दोनों का नफ़्क़ा नहीं दे सकता मगर एक का दे सकता है तो माँ ज़्यादा मुस्तहक़ है और अगर बाप मोहताज है और छोटा बच्चा भी है और दोनों का नफ़्क़ा न दे सकता हो मगर एक का दे सकता है तो बेटा ज़्यादा हक़दार है और अगर वालिदैन में किसी का पूरा नफ़्क़ा न दे सकता हो तो दोनों को अपने साथ खिलाये जो ख़ुद खाता हो उसी में से उन्हें भी खिलाये और अगर बाप को निकाह करने की ज़रूरत है और बेटा मालदार है तो बेटे पर बाप की शादी कर देना वाजिब है या उस के लिए कोई कनीज़ ख़रीद दे और अगर बाप की दो बीवियाँ हैं तो बेटे पर फ़क़त एक का नफ़्क़ा वाजिब है मगर बाप को दे दे कि वह दोनों को तक़सीम कर के दे (जौहरा)

मसअ्ला :– बाप बेटे दोनों नादार हैं मगर बेटा कमाने वाला है तो बेटे पर दियानतन हुक्म किया जायेगा कि बाप को भी साथ ले ले यह जब कि बेटा तन्हा हो और अगर बाल बच्चों वाला है तो मजबूर किया जायेगा कि बाप को भी हमराह ले ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो रिश्तेदार मुहारिम हों उन का भी नफ़्क़ा वाजिब है जब कि मोहताज हों और नाबालिग़ या औरत हो और रिश्तेदार बालिग़ मर्द हो तो यह भी शर्त है कि कमाने से आजिज़ हो मसलन दीवाना है या उस पर फ़ालिज गिरा है या अपाहिज है या अंधा और अगर आजिज़ न हो तो वाजिब नहीं अगर्चे मोहताज हो और औरत में बालिग़ा नाबालिग़ा की क़ैद नहीं और उन के नफ़्क़ात बक़द्र मीरास वाजिब हैं यानी उस के तरका से जितनी मिक़दार का वारिस होगा उसी के मुवाफ़िक़ इस पर नफ़्क़ा वाजिब मसलन कोई शख़्स मोहताज है और उस की तीन बहनें हैं एक हक़ीक़ी एक सौतेली एक अख़याफ़ी तो नफ़्क़ा के पाँच हिस्से तसव्वुर करें तीन हक़ीक़ी बहन पर और एक एक उन दोनों पर और अगर उसी तरह तीन भाई हैं तो छः हिस्से तसव्वुर करें एक अख़याफ़ी भाई पर और बाक़ी हक़ीक़ी पर सौतेले पर कुछ नहीं कि वह वारिस नहीं और अगर माँ और दादा हैं तो एक हिस्सा माँ पर और दो दादा पर और अगर माँ और भाई या माँ और चचा हैं जब भी यहीं सूरत है और अगर उनके साथ बेटा भी है मगर नाबालिग़ नादार है या बालिग़ है मगर आजिज़ तो उसका होना न होना दोनों बराबर कि जब उस पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं तो कलअ़दम है और अगर हक़ीक़ी चचा और हक़ीक़ी फूफी या हक़ीक़ी मामूँ है तो नफ़्क़ा चचा पर है फूफी या मामूँ पर नहीं और वुरासत से मुराद महज़ अहले वुरासत है कि हक़ीक़तन वुरासत तो मरने के बाद होगी न अब (जौहरा आलमगरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह तो मालूम हो चुका है कि रिश्ता दार औरत में नाबालिग़ा की क़ैद नहीं बल्कि अगर कमाने पर क़ादिर है जब भी उस का नफ़्क़ा वाजिब है हाँ अगर कोई काम करती है जिस से उस का ख़र्च चलता है तो अब उस का नफ़्क़ा फ़र्ज़ नहीं यूँहीं अन्धा वग़ैरा भी कमाता हो तो अब किसी और पर नफ़्अ् फ़र्ज़ नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तालिबे इल्मे दीन अगर्चे तन्दुरुस्त है काम करने पर क़ादिर है मगर अपने को तलबे इल्मे दीन में मशग़ूल रखता है तो उस का नफ़्क़ा भी रिश्ते वालों पर फ़र्ज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़रीबी रिश्तादार ग़ाइब है और दूर वाला मौजूद है तो नफ़्क़ा उसी दूर के रिश्ते दार पर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत का शौहर तंगदस्त है और भाई मालदार है तो भाई को ख़र्च करने का हुक्म दिया जायेगा फिर जब शौहर के पास माल हो जाये तो वापस ले सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर रिश्ता दार महरम न हो जैसे चचा ज़ाद भाई या महरम हो मगर रिश्ता दार न हो जैसे रज़ाई भाई, बहन या रिश्ता दार महरम हो मगर हुरमत क़राबत की न हो जैसे चचा ज़ाद भाई और वह रज़ाई भाई भी है कि हुरमत रज़ाअ़त की वजह से है न कि रिश्ता की वजह से तो उन सूरतों में नफ़्क़ा वाजिब नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– महारिम का नफ़्क़ा दे दिया और उस के पास से ज़ाएअ् (बर्बाद) हो गया तो फिर देना होगा और कुछ बच रहा तो उतना कम कर दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाप मोहताज है नफ़्क़ा की ज़रूरत है और बेटा जवान मालदार है जो मौजूद नहीं तो

बाप को इख़्तियार है कि उस के असबाब को बेचकर अपने नफ़्क़ा में सर्फ़ करे मगर जाइदादे ग़ैर मन्क़ूला के बेचने की इजाज़त नहीं और माँ और रिश्ते दारों को किसी चीज़ के बेचने की इजाज़त नहीं और बेटा मौजूद है तो बाप भी किसी चीज़ को नहीं बेच सकता यूँहीं अगर बेटा मजनून हो गया उस के और उस के बाल बच्चों के ख़र्च के लिए उस की चीजें बाप फ़ारोख़्त कर सकता है अगर्चे जाइदाद ग़ैर मन्क़ूला हो। और अगर बाप का बेटे पर दैन हो और बेटा ग़ाइब हो तो दैन वुसूल करने के लिए उस के सामान को बेचने की इजाज़त नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी के पास अमानत रखी है और मालिक ग़ाइब है उस ने बेच कर उस के बाल बच्चों या माँ बाप पर सर्फ़ कर दिया अगर मालिक की इजाज़त से या क़ाज़ी शरअ़ के हुक्म से नहीं तो दियानतन तावान देना पड़ेगा और अमीन ने जिन पर ख़र्च किया है उन से वापस नहीं ले सकता और अगर वहाँ क़ाज़ी नहीं या है मगर शरई नहीं या मालिक की इजाज़त से सर्फ़ किया तो तावान नहीं यूँहीं अगर वह मालिक ग़ाइब मरगया और अमीन ने जिस पर ख़र्च किया है वही उस का वारिस है तो अब वारिस तावान नहीं ले सकता कि उस ने अपना हक़ पा लिया यूँहीं अगर दो शख़्स सफ़र में हों एक मर गया दूसरे ने उस के माल से तजहीज़ व तकफ़ीन की या मस्जिद के मुतअ़ल्लिक़ जाइदाद वक़्फ़ है और कोई मुतवल्ली नहीं कि ख़र्च करे अहले मुहल्ला ने वक़्फ़ की आमदनी मस्जिद में सर्फ़ की या मय्यत के ज़िम्मे दैन था वसी(जिस को वसियत की)को मालूम हुआ उस ने अदा कर दिया या माल अमानत था और मालिक मर गया और मालिक पर दैन था अमीन ने उस अमानत से अदा कर दिया या क़र्ज़ ख़्वाह मर गया और उस पर दैन था क़र्ज़ दार ने अदा कर दिया तो इन सब सूरतों में दियानतन तावान नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कोई शख़्स ग़ाइब है और उस के वालिदैन या औलाद या ज़ौजा के पास उसके अशया अज़ क़िस्में नफ़्क़ा (नफ़क़े की किस्म की चीज़ें) मौजूद हैं उन्होंने ख़र्च कर लीं तो तावान नहीं और अगर वह शख़्स मौजूद है और अपने वालिदैन हाजत मन्द को नहीं देता और वहाँ कोई क़ाज़ी भी नहीं जिस के पास दअ़वा करें तो उन्हें इख़्तियार है उस का माल छुपा कर ले सकते हैं यूँहीं अगर वह देता है मगर बक़द्रे किफ़ायत नहीं देता जब भी बक़द्रे किफ़ायत खुफ़यतन उस का माल ले सकते हैं और किफ़ायत से ज़्यादा लेना या बग़ैर हाजत लेना जाइज़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– बाप के पास रहने का मकान और सवारी का जानवर है तो उसे यह हुक्म नहीं दिया जायेगा कि उन चीज़ों को बेचकर नफ़्क़ा में सर्फ़ करे बल्कि उस का नफ़्क़ा उस के बेटे पर फ़र्ज़ है हाँ अगर मकान हाजत से ज़ाइद है कि थोड़े हिस्से में रहता है तो जितना हाजत से ज़ाइद है उसे बेचकर नफ़्क़ा में सर्फ़ करे और जब वही हिस्सा बाक़ी रह गया जिस में रहता है तो अब नफ़्क़ा उस के बेटे पर है यूँहीं अगर उस के पास अअ़्ला दरजा की सवारी है तो यह हुक्म दिया जायेगा कि बेच कर कम दर्जा की सवारी ख़रीदे और जो बचे नफ़्क़ा में सर्फ़ करे फिर उस के बाद दूसरे पर नफ़्क़ा वाजिब होगा यही अहकाम औलाद व दीगर महारिम के भी हैं (आलमगीरी)

मसअला :– ज़ौजा के सिवा किसी और के नफ़्क़ा का क़ाज़ी ने हुक्म दिया और एक महीना या ज़्यादा ज़माना गुज़रा तो उस मुद्दत का नफ़्क़ा साक़ित हो गया और एक महीना से कम ज़माना गुज़रा है तो वुसूल कर सकते हैं और ज़ौजा बहर हाल क़ाज़ी के हुक्म के बाद वुसूल कर सकती है

और अगर नफ़्क़ा न देने की सूरत में उन लोगों ने भीक माँग कर गुज़र की जब भी साक़ित हो जायेगा कि जो कुछ माँग लाये वह उन की मिल्क हो गया तो अब जब तक वह ख़र्च न हो ले हाजत न रही (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ग़ैर ज़ौजा जिस के नफ़्क़ा का क़ाज़ी ने हुक्म दिया था उस ने क़ाज़ी के हुक्म से क़र्ज़ ले कर काम चलाया तो नफ़्क़ा साक़ित न होगा यहाँ तक कि अगर क़र्ज़ लेने के बाद उस शख़्स का इन्तिक़ाल हो गया जिस पर नफ़्क़ा फ़र्ज़ हुआ तो वह क़र्ज़ तरका(छोड़े हुये माल) से अदा किया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लौन्डी गुलाम का नफ़्क़ा उन के आक़ा पर है वह मुदब्बिर हों या ख़ालिस गुलाम छोटे हों या बड़े अपाहिज हों या तन्दुरुस्त अन्धे हों या अंखियारे और अगर आक़ा नफ़्क़ा देने से इन्कार करे तो मज़दूरी वग़ैरा कर के अपने नफ़्क़ा में सर्फ़ करें और कमी पड़े तो मौला से लें बच रहे तो मौला को दें और कमा भी न सकते हों तो ग़ैर मुदब्बिर व उम्मेवलद में मौला को हुक्म दिया जायेगा कि उन का नफ़्क़ा दे या बेच डाले और मुदब्बिर व उम्मे वलद में नफ़्क़ा पर मजबूर किया जायेगा और अगर लोन्डी ख़ुबसूरत है कि मज़दूरी को जायेगी तो अन्देशा–ए–फ़ितना है तो मौला को हुक्म दिया जायेगा कि नफ़्क़ा दे या बेच डाले (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम को उस का आक़ा ख़र्च नहीं देता और कमाने पर भी क़ादिर नहीं या मौला कमाने की इजाज़त नहीं देता तौ मौला के माल से बक़द्र किफ़ायत बिला इजाज़त ले सकता है वरना बिला इजाज़त लेना जाइज़ नहीं और मौला खाने को देता है मगर बक़द्रे किफ़ायत नहीं देता तो बिला इजाज़त मौला का माल नहीं ले सकता मुमकिन हो तो मज़दूरी कर के वह कमी पूरी कर ले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लौन्डी गुलाम का नफ़्क़ा रोटी सालन वग़ैरा और लिबास उस शहर की आम ख़ुराक व पोशाक के मुवाफ़िक़ होना चाहिए और लोन्डी को सिर्फ़ इतना ही कपड़ा देना जो सतरे औरत के लाइक़ है जाइज़ नहीं और अगर मौला अच्छे खाने खाता है अच्छे लिबास पहनता है तो यह वाजिब नहीं कि गुलाम को भी वैसा ही खिलाये पहनाये मगर मुस्तहब है कि वैसा ही दे और अगर मौला बुख़्ल या रियाज़त के सबब वहाँ की आदत से कम दर्जा का खाता पहनता है तो यह ज़रुर है कि गुलाम को वहाँ के आम चलन के मुवाफ़िक़ दे और अगर गुलाम ने खाना पकाया है तो मौला को चाहिए कि उसे अपने साथ बिठा कर खिलाये और गुलाम अदब की वजह से इन्कार करता है तो उस में से उसे कुछ देदे (आलमगीरी)

मसअला :– चन्द गुलाम हों तो सब को यकसाँ खाना कपड़ा दे लौन्डी का भी यही हुक्म है और जिस लौन्डी से वती करता है उस का लिबास औरों से अच्छा हो (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम के वुज़ु गुस्ल वग़ैरा के लिए पानी ख़रीदने की ज़रूरत हो तो मौला पर ख़रीदना वाजिब है (जौहरा)

मसअला :– जिस गुलाम के कुछ हिस्सा को आज़ाद कर दिया है उस का और मुकातिब का नफ़्क़ा मौला के ज़िम्मे नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– जिस गुलाम को बेच डाला है उस का नफ़्क़ा बाएअ़ (बेचने वाला) पर है जब तक बाएअ़ के क़ब्ज़े में है और अगर बैअ़ में किसी जानिब ख़ियार हो तो नफ़्क़ा उस के ज़िम्मे है जिस

की मिल्क बिलआख़िर क़रार पाये और किसी के पास गुलाम को अमानत या रहन रखा तो मालिक पर है और आरियतन दिया तो खिलाना आरियत लेने वाले पर है और कपड़ा मालिक के ज़िम्मे और अगर अमीन या मुरतहिन ने क़ाज़ी से इजाज़त चाही कि जो कुछ ख़र्च हो वह गुलाम के ज़िम्मे डाला जाये तो क़ाज़ी उस का हुक्म न दे बल्कि यह कहे कि गुलाम मज़दूरी करे और जो कमाये उस के नफ़्क़ा में सर्फ़ किया जाये या क़ाज़ी गुलाम को बेच डाले और समन (क़ीमत) मौला के लिए महफ़ूज़ रखे और अगर क़ाज़ी के नज़्दीक यही मसलहत है कि नफ़्क़ा उस पर डाला जाये तो यह हुक्म भी दे सकता यही अहकाम उस वक़्त भी हैं कि भागे हुए गुलाम को कोई पकड़ लाया और क़ाज़ी से नफ़्क़ा के बारे में इजाज़त चाही या दो शरीक थे एक हाज़िर है एक ग़ाइब और हाज़िर ने इजाज़त माँगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी ने गुलाम ग़सब कर लिया तो नफ़्क़ा ग़ासिब पर है जब तक वापस न करे और अगर ग़ासिब ने क़ाज़ी से नफ़्क़ा या बैअ़ की इजाज़त माँगी तो इजाज़त न दे हाँ अगर यह अन्देशा हो कि गुलाम को ज़ाइअ़ कर देगा तो क़ाज़ी बेच डाले और समन महफ़ूज़ रखे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– गुलामे मुश्तरक (शिरकत का गुलाम) का नफ़्क़ा हर शरीक पर बक़द्र हिस्सा लाज़िम है और अगर एक शरीक नफ़्क़ा देने से इन्कार करे तो बहुक्मे क़ाज़ी जो उस की तरफ़ से ख़र्च करेगा उस से वुसूल कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर गुलाम को आज़ाद कर दिया तो अब मौला पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं अगर्चे वह कमाने के लाइक़ न हो मसलन बहुत छोटा बच्चा या बहुत बुढ़िया या अपाहिज या मरीज़ हो बल्कि उस का नफ़्क़ा बैतुलमाल से दिया जायेगा अगर कोई ऐसा न हो जिस पर नफ़्क़ा वाजिब हो (आलमगीरी)

मसअला :– जानवर पाले और उन्हें चारा नहीं देता तो दियानतन हुक्म दिया जायेगा कि चारा वग़ैरा दे या बेच डाले और अगर मुश्तरक है और एक शरीक उसे चारा वग़ैरा देने से इन्कार करता है तो क़ज़ाअन भी हुक्म दिया जायेगा कि या चारा दे या बेच डाले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर जानवर को चारा कम देता है और पूरा दूध दुह लेना मुज़िर (हानिकारक) हो तो पूरा दूध दोहना मकरूह है यूँहीं बिल्कुल न दूहे यह भी मकरूह है और दोहने में यह भी ख़्याल रखे कि बच्चा के लिए भी छोड़ना चाहिए और नाख़ून बड़े हों तो तरशवा दे कि उसे तकलीफ़ न हो (आलमगीरी)

मसअला :– जानवर पर बोझ लादने और सवारी लेने में यह ख़्याल करना चाहिए कि उस की ताक़त से ज़्यादा न हो (जौहरा) बाग़ और ज़राअ़त व मकान में अगर ख़र्च करने की ज़रूरत हो तो ख़र्च करे और ख़र्च न कर के ज़ाइअ़ न करे कि माल ज़ाइअ़ करना ममनूअ़ है (दुर्रे मुख़्तार) वल्लाहु तआला अअ़लमु

(रबीउ़ल आख़िर की बाईसवीं शब की रात सन् 1338 हिजरी को पूरा हुआ) (क़ादरी)

मुतर्जिम
मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
सितम्बर सन् 2010 ई.
मोबाइल न. 09219132423

बहारे शरीअ़त

नवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346